SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
का
आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्रों पर अनुपालन लेखापरीक्षा
प्रतिवेदन
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन
2025 का प्रतिवेदन संख्या 6
(अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल)

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
का
आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्रों पर अनुपालन लेखापरीक्षा
प्रतिवेदन
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन
2025 का प्रतिवेदन संख्या 6
(अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल)

विषय सूची

कंडिका क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
	प्राक्कथन	iii
	कार्यकारी सारांश	v
अध्याय 1: सामान्य		
1.1	इस प्रतिवेदन के विषय में	1
1.2	लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभागों की रूपरेखा	1
1.2.1	विभागों का व्यय	1
1.2.2	विभागों की प्राप्तियाँ	2
1.3	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)	3
1.4	लेखापरीक्षा प्राधिकार	4
1.5	लेखापरीक्षा की योजना और संचालन	4
1.6	लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया	6
1.7	अभिस्वीकृति	8
अध्याय II: नर्मदा घाटी विकास विभाग		
2.1	"नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन" पर अनुपालन लेखापरीक्षा	9
2.2	कार्य पूर्ण होने की तिथि के बाद मूल्य समायोजन के लिए ₹ 7.30 करोड़ का अनियमित भुगतान	43
2.3	ठेकेदारों को ₹ 59.04 करोड़ का अनुचित लाभ	44
अध्याय III: खनिज साधन विभाग		
3.1	"मध्य प्रदेश में मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क के निर्धारण के लिए खनन पट्टे, खदान पट्टे और व्यापार खदान (रेत) में प्रत्याशित रॉयल्टी का मूल्यांकन और रिपोर्टिंग" पर अनुपालन लेखापरीक्षा	49

अध्याय IV: विभिन्न विभागों से संबंधित लेखापरीक्षा कंडिकाएं

4.1	टर्नओवर के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के परिणामस्वरूप कर का कम अधिरोपण	65
4.2	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत कर न लगाना/कम लगाना	65
4.3	प्रवेश कर का न लगाना/कम लगाना	66
4.4	गलत दर लागू होने के कारण कर का कम अधिरोपण	66
4.5	अस्वीकार्य इनपुट टैक्स छूट (आईटीआर) की अनुमति	67
4.6	ठेकेदार द्वारा निष्पादित किए गए कार्य पर त्रुटिपूर्ण कटौती	67
4.7	बाजार मूल्य का त्रुटिपूर्ण निर्धारण	68
4.8	अनियमित कटौती/छूट के कारण स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क और पंचायत शुल्क की कम वसूली	69
4.9	दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का कम अधिरोपण	72
4.10	विकास अनुबंधों पर स्टाम्प शुल्क का कम अधिरोपण	75
4.11	त्रुटिपूर्ण आधार सूचकांक अपनाने के कारण अधिक भुगतान	77
4.12	मूल्य समायोजन की गणना के लिए आधार सूचकांक की गलत तिथि अपनाने के कारण अधिक भुगतान	80
4.13	उत्खनित हार्ड रॉक के लिए शुल्क वसूल करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.76 करोड़ की कम वसूली होना /वसूली नहीं होना	82
4.14	बढ़े हुए मापों के कारण अधिक भुगतान	83
4.15	अतिरिक्त कार्य के कार्यान्वयन के लिए गलत दर अपनाने के कारण अधिक भुगतान	84
4.16	विद्युत की सहायक खपत पर विद्युत शुल्क ₹ 12.09 करोड़ की वसूली न होना	86
4.17	विद्युत शुल्क राशि ₹ 1.02 करोड़ का अधिरोपण न होना	87

परिशिष्ट 91

संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली 199

प्राक्कथन

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य की विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश शासन के पाँच विभागों यथा; नर्मदा घाटी विकास विभाग, खनिज साधन विभाग, जल संसाधन विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग (पंजीकरण और स्टाम्प), वाणिज्यिक कर विभाग (वैट) और ऊर्जा विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लेखित हैं, जो 2022-23 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आए, साथ ही वे भी जो पहले के वर्षों में जानकारी में आए थे, लेकिन पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके; जहाँ आवश्यक था, 2022-23 के बाद की अवधि से संबंधित प्रकरणों को भी शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

यह अनुवादित संस्करण है। इस अनुवादित संस्करण में अंग्रेजी संस्करण से कोई भिन्नता पाए जाने पर, अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत तथ्य मान्य होंगे।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

I सामान्य

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में उन विभागों (राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़कर) के प्राप्तियों एवं प्रतिदाय खातों तथा व्यय खातों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न आपत्तियाँ शामिल हैं, जो प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), मध्य प्रदेश, भोपाल के कार्यालय के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।

इस प्रतिवेदन में दो विभागों (अध्याय II : नर्मदा घाटी विकास विभाग और अध्याय III : खनिज साधन विभाग) की अनुपालन लेखापरीक्षा और चार विभागों (नर्मदा घाटी विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग (पंजीकरण और स्टांप), वाणिज्यिक कर विभाग (वैट) और ऊर्जा विभाग) के 19 लेखापरीक्षा कंडिकाओं (अध्याय II से IV) पर निष्कर्ष शामिल हैं।

लेखापरीक्षा की योजना और संचालन

वर्ष 2022-23 के दौरान, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश शासन के 28 विभागों के कुल 2,619 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 314 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई।

(कंडिका 1.5)

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया

कार्यालय प्रमुखों और उनके रिपोर्टिंग अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन में निहित आपत्तियों का उत्तर देना और उचित सुधारात्मक कार्रवाई करना आवश्यक है।

31 मार्च 2023 तक, पिछले वर्षों से संबंधित कुल 6,334 निरीक्षण प्रतिवेदन और 35,448 कंडिकाएं निपटान हेतु लंबित थे।

(कंडिका 1.6.1)

लोक लेखा समिति की सिफारिशों/ अनुशंसा पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासनिक विभागों को लोक लेखा समिति (पीएसी) की अनुशंसाओं पर अनुशंसाएं प्राप्त होने की तिथि से छह महीने के भीतर कार्रवाई नोट (एटीएन) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

31 मार्च 2024 तक, मध्य प्रदेश शासन से संबंधित 14 विभागों के संबंध में 271 एटीएन अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे।

(कंडिका 1.6.4)

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

II नर्मदा घाटी विकास विभाग

विभाग द्वारा तैयार किए गए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन वास्तविक विस्तृत सर्वेक्षण पर आधारित नहीं थे। वास्तविक सर्वेक्षण डेटा के अभाव में और गलत मदों को सम्मिलित करने से, परियोजनाओं के प्राक्कलनों में परिणामस्वरूप अधिक आकलन और अधिक प्रावधान हुए।

(कंडिका 2.1.5.1)

दोषपूर्ण डिजाइन के कारण जल आपूर्ति आवश्यकता से कम हुई, जिसके परिणामस्वरूप एमआईपी के कमांड क्षेत्र में कम जल उपलब्ध हुआ, जिससे कमांड क्षेत्र में 19,671 हेक्टेयर की कमी आई।

(कंडिका 2.1.5.5)

लाभ-लागत (बी.सी.) अनुपात की गणना किसी परियोजना के कुल नकद लाभ को उसकी कुल नकद लागत से विभाजित करके की जाती है। सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी. पी. आर.) को तैयार करने के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुमोदन के लिए आवश्यक न्यूनतम बी. सी. अनुपात सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में एक और अन्य क्षेत्रों में 1.5 है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने परियोजनाओं की व्यवहार्यता को उचित ठहराने के लिए बी.सी. अनुपात की गणना करते समय उचित वार्षिक संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) और बिजली शुल्क को शामिल नहीं किया। इस चूक के कारण तीन एम. आई. पी. (एक सूखा प्रवण क्षेत्र में और दो अन्य क्षेत्रों में) के लिए गलत गणना हुई, जिसमें कुल ₹ 6,363.96 करोड़ की लागत शामिल थी, जिससे वे वित्तीय रूप से अव्यवहारिक हो गए।

(कंडिका 2.1.5.6)

18 परियोजनाओं में से एक सूक्ष्म सिंचाई परियोजना निर्धारित समय के भीतर पूर्ण की गई थी और दो परियोजनाएं पूर्ण होने की निर्धारित अवधि के अनुसार प्रगति पर थीं। शेष 15 परियोजनाओं में से आठ परियोजनाओं को 15 से 41 महीने के विलंब के साथ पूर्ण किया गया था और सात चल रही परियोजनाएं पूर्ण होने की निर्धारित अवधि से अंतिम विस्तार की समाप्ति तिथि तक 17 से 34 महीने के विलंब के साथ चल रही थीं। अनुबंधों की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों की ओर से विलंब के बावजूद विभाग ने इन 15 परियोजनाओं के संबंध में शास्ति आरोपित नहीं की। कोविड महामारी के कारण वर्ष 2020 और 2021 के लिए प्रत्येक के लिए 17 सप्ताह के विलंब का प्रावधान करने के बाद, परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलंब के लिए शास्ति ₹ 818.14 करोड़ संगणित होती है।

(कंडिका 2.1.6.1)

त्रुटिपूर्ण आधार दर, त्रुटिपूर्ण लिंकिंग फेक्टर, सूचकांकों एवं औद्योगिक श्रमिकों के लिए गलत उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों को अपनाने के कारण ठेकेदारों को मूल्य समायोजन के कारण ₹ 85.76 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था।

(कंडिका 2.1.6.3)

संविदागत प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बैंक गारंटी के बदले में ₹ 387.49 करोड़ की सुरक्षा जमा को अनियमित रूप से जारी करने के कारण ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(कंडिका 2.1.6.4)

आईएस कोड में निर्दिष्ट पाइपलाइन की न्यूनतम मोटाई पर विचार नहीं करने के कारण प्राक्कलित मात्रा से कम इस्पात की मात्रा का उपयोग करने से ठेकेदारों को ₹ 1,074.33 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

(कंडिका 2.1.6.5)

यद्यपि फीडर बे की लागत को कार्य के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था, और इसे ठेकेदारों द्वारा वहन किया जाना था, विभाग ने फीडर बे की लागत के रूप में पावर ट्रांसमिशन कंपनी को अलग से ₹ 4.52 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.52 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

(कंडिका 2.1.6.6)

औचित्य को अभिलिखित किए बिना पानी को लिफ्ट करने की ऊंचाई 110 मीटर से 117 मीटर तक बढ़ने के कारण, पानी की उपलब्धता में काफी कमी आई थी। फलस्वरूप, ₹ 109.01 करोड़ का व्यय करने के बावजूद भी, पाटी एम. आई. पी. काफी हद तक निष्फल रही।

(कंडिका 2.1.6.7)

एक ठेकेदार को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के बाद संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) पर मूल्य समायोजन के लिए अनियमित रूप से ₹ 7.30 करोड़ का भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को अधिक भुगतान और अनुचित लाभ हुआ।

(कंडिका 2.2)

104.00 किमी आरडी से 129.00 किमी तक बरगी डायवर्जन परियोजना की स्लीमनाबाद कैरियर नहर का निष्पादन टर्न-की आधार पर (मार्च 2008) ₹ 799.00 करोड़ के लिए प्रदान किया गया था। 40 महीनों में पूरा होने वाला कार्य अभी भी प्रगति पर था (30 जून 2023)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यपालन यंत्री (ईई), नर्मदा विकास संभाग 5, कटनी ने ठेकेदार को ₹ 59.04 करोड़ के अनुचित लाभ की अनुमति दी, क्योंकि (i) अनुबंध के दायरे के सीमेंट कंक्रीट ग्राउट ब्लॉक्स (13.24 करोड़ रुपये) का कार्य एक नए ठेकेदार को दिया गया, (ii) अप्रत्याशित घटना धारा के तहत ठेकेदार को अत्यधिक जल निकासी के लिए ₹ 39.60 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान और (iii) सड़क पुनर्स्थापन के लिए भुगतान की गई ₹ 6.20 करोड़ की राशि की वसूली न करना, जिसे ठेकेदार द्वारा वहन किया जाना था।

(कंडिका 2.3)

III खनिज साधन विभाग

अप्रैल 2020 और मार्च 2023 के बीच 20 जिला खनन कार्यालयों में पंजीकृत 1,060 पट्टा विलेखों की जाँच के आधार पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि 68 पट्टा विलेखों में, मुद्रांक शुल्क और पंजीकरण शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रत्याशित रॉयल्टी के निर्धारण हेतु खनिजों की मात्रा पर सही ढंग से विचार नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 163.77 करोड़ प्रत्याशित रॉयल्टी का कम आकलन हुआ, जिससे मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क और उपकर की गणना पर ₹ 4.76 करोड़ का राजस्व प्रभाव पड़ा।

(कंडिका 3.1.4.1)

28 पट्टा विलेखों में खनिजों की रॉयल्टी की गलत दर लागू करने के कारण ₹ 1,262.90 करोड़ की प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन हुआ और परिणामस्वरूप ₹ 48.50 करोड़ के मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क और उपकर की कम वसूली हुई।

(कंडिका 3.1.4.2)

सात जिला खनन कार्यालयों में 30 वर्ष या उससे अधिक (समय विस्तार सहित) की पट्टा अवधि वाले 121 पंजीकृत पट्टा विलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि 51 पट्टा विलेखों (42 प्रतिशत) पर ₹ 36.60 करोड़ का मुद्रांक शुल्क लगाया गया। इसके अतिरिक्त, नियमों के अनुसार ₹ 3.66 करोड़ का उपकर लगाया जाना था, लेकिन पंजीकरण प्राधिकारी ने इनमें से किसी भी पट्टा विलेखों पर उपकर नहीं लगाया।

(कंडिका 3.1.6.2)

IV विभिन्न विभागों से संबंधित लेखापरीक्षा कंडिकाएं

वाणिज्यिक कर विभाग (वैट)

25 प्रकरणों में, निर्धारण अधिकारियों ने 2016-17 से 2017-18 के बीच की अवधि के लिए ₹ 82.31 करोड़ के टर्न-ओवर का गलत निर्धारण (जून 2018 से सितंबर 2022) किया, जबकि वास्तविक टर्न-ओवर ₹ 91.31 करोड़ था, जैसा कि खातों की पुस्तकों और अन्य संबंधित अभिलेख में दर्ज किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 91.63 लाख की राशि का कर कम लगाया गया।

(कंडिका 4.1)

2016-17 से 2017-18 के बीच की अवधि के लिए जून 2018 से अक्टूबर 2021 के बीच मूल्यांकन किए गए पांच प्रकरणों में, 8.63 करोड़ रुपये की अंतरराज्यीय बिक्री के संबंध में 'सी' फॉर्म प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 53.41 लाख का कर कम/नहीं लगाया गया।

(कंडिका 4.2)

2015-16 से 2017-18 के बीच की अवधि के लिए मई 2018 से अगस्त 2023 के बीच मूल्यांकन किए गए 11 प्रकरणों में, लोहा और इस्पात, मशीनरी, तिलहन आदि जैसे सामानों पर ₹ 34.95 लाख की राशि का प्रवेश कर या तो नहीं लगाया गया था या कम लगाया गया था।

(कंडिका 4.3)

2016-17 से 2017-18 के बीच की अवधि के लिए सितंबर 2019 से जुलाई 2022 के बीच मूल्यांकन किए गए छह प्रकरणों में, निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 3.42 करोड़ के कुल टर्न-ओवर पर गलत दरों से कर लगाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 30.97 लाख का कर, कम लगाया गया।

(कंडिका 4.4)

2015-16 से 2017-18 के बीच की अवधि के लिए फरवरी 2018 से जनवरी 2022 के बीच मूल्यांकन किए गए 14 प्रकरणों में, निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 26.43 लाख की अस्वीकार्य इनपुट टैक्स छूट की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक, कर का कम मूल्यांकन हुआ।

(कंडिका 4.5)

वाणिज्यिक कर विभाग (पंजीकरण और स्टाम्प)

10 उप पंजीयक कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से संकेत मिलता है कि ₹ 98.44 करोड़ मूल्य के 29 दस्तावेज़ (अप्रैल 2017 से मार्च 2023) पंजीकृत किए गए थे। हालांकि, प्रचलित बाजार मूल्य दिशानिर्देशों के अनुसार, इन संपत्तियों का वास्तविक मूल्य ₹ 168.85 करोड़ था। हालाँकि, उप-पंजीयकों ने प्रस्तुत दस्तावेजों में दिए गए संपत्ति विवरणों का सत्यापन नहीं किया, न ही इन मामलों को संपत्तियों के सही मूल्य और उन पर लगने वाले शुल्क के निर्धारण के लिए स्टाम्प कलेक्टर को भेजा। इस चूक के कारण ₹ 8.73 करोड़ के पंजीकरण शुल्क और मुद्रांक शुल्क का कम अधिरोपण हुआ।

(कंडिका 4.7)

स्टाम्प शुल्क और पंचायत शुल्क में अनियमित कटौती और स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क पर गलत छूट के परिणामस्वरूप ₹ 1.23 करोड़ के शासकीय राजस्व की कम वसूली हुई।

(कंडिका 4.8)

तीन उप पंजीयकों ने चार प्रकरणों में उपहार विलेखों पर मुद्रांक शुल्क की गलत दरें लागू कीं, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 74.08 लाख राजस्व का कम संग्रह हुआ।

(कंडिका 4.9)

जल संसाधन विभाग

विभाग ने निर्माण सामग्री की विभिन्न वस्तुओं के लिए मूल्य समायोजन की गणना के उद्देश्य से गलत महीने (मार्च 2021 के बजाय मई 2022) के लिए आधार सूचकांक को अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16.40 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(कंडिका 4.11)

आधार दर की गणना के लिए गलत तिथि अपनाने के कारण मूल्य समायोजन के लिए ठेकेदार को ₹ 2.46 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान करके अनुचित वित्तीय सहायता प्रदान की गई। लेखापरीक्षा अवलोकन के बाद, संभाग ने सुरक्षा जमा राशि जब्त करके ठेकेदार से ₹ 1.92 करोड़ वसूल किए।

(कंडिका 4.12)

संभागों ने 2.94 लाख घन मीटर कठोर चट्टान के उत्खनन के लिए दो ठेकेदारों से शुल्क वसूल नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.76 करोड़ की कम/वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 4.13)

मूल अनुबंध के अंतिम माप लेने की तिथि से पहले ही माप बढ़ा-चढ़ाकर बताने और शेष कार्य सौंपने के कारण ठेकेदार को ₹ 6.02 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा आपत्ति के बाद, प्रभाग ने निष्पादन सुरक्षा राशि जब्त करके ₹ 2.00 करोड़ वसूल किए।

(कंडिका 4.14)

अतिरिक्त कृषि योग्य कमांड क्षेत्र के विकास के लिए विभाग ने अतिरिक्त कार्य हेतु देय दरों की गलत गणना की। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.63 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

(कंडिका 4.15)

ऊर्जा विभाग

ऊर्जा विभाग के विद्युत सुरक्षा विंग द्वारा अधिनियम के तहत देय विद्युत शुल्क के सत्यापन में चूक के कारण, उत्पादकों द्वारा बिजली के सहायक उपभोग पर शुल्क न लगाए जाने का पता नहीं चल पाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.09 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

(कंडिका 4.16)

अध्याय I

सामान्य

अध्याय I: सामान्य

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के इस प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश शासन के उन विभागों के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लेनदेन की अनुपालन लेखापरीक्षा से आलोक में आए प्रकरण शामिल हैं, जो कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), मध्य प्रदेश के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, जिसे 13 जून 2025 से कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), मध्य प्रदेश, भोपाल के रूप में पुनः नामित किया गया है।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों को राज्य विधानसभा के संज्ञान में लाना है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने, उचित नीतियाँ तैयार करने के साथ-साथ ऐसे निर्देश जारी करने में सक्षम होने की संभावना है, जो संगठनों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाएंगे और बेहतर शासन में योगदान देंगे।

अनुपालन लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों के संव्यवहारों के परीक्षण से है, ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि क्या भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू होने वाले कानूनों, नियमों एवं विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

यह अध्याय लेखापरीक्षा की योजना एवं आवृत्त क्षेत्र, संव्यवहार की लेखापरीक्षा के दौरान किए गए निष्कर्षों/टिप्पणियों पर विभागों और शासन की प्रतिक्रिया और पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की व्याख्या करता है।

1.2 लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभागों की रूपरेखा

1.2.1 विभागों का व्यय

इस कार्यालय के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश शासन के विभागों द्वारा 2018-19 से 2022-23 तक की पाँच वर्ष की अवधि के लिए किए गए व्यय का सारांश नीचे **तालिका 1.1** में दिया गया है:

तालिका 1.1: 2018-19 से 2022-23 के दौरान व्यय का सारांश

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	वन	2,437.90	1,993.88	2,503.52	2,506.70	2,998.80
2	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	175.73	70.97	150.83	211.03	506.11
3	पर्यावरण	54.74	27.15	41.02	25.02	14.21
4	पर्यटन	170.53	155.40	100.95	211.28	271.37
5	परिवहन	82.31	85.50	90.24	58.07	97.44
6	संस्कृति	230.07	147.73	146.64	168.10	313.46
7	विमानन	27.79	26.84	25.10	57.16	82.48
8	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	189.06	55.08	39.20	46.19	87.54
9	वित्त	12,280.90	12,288.40	15,010.41	18,142.57	19,974.76
10	वाणिज्यिक कर	2,026.36	2,134.71	2291.69	1,685.45	1,868.99

स. क्र.	विभाग का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
11	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	228.95	211.27	79.40	117.54	888.91
12	खनिज साधन	684.01	740.64	760.55	775.81	1,861.13
13	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	767.22	850.43	895.30	1,951.79	2,438.41
14	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	780.85	817.98	483.50	781.89	1,042.21
15	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	191.84	121.60	92.09	89.06	91.10
16	लोक निर्माण	8,647.47	7,886.39	6,882.08	8,852.39	9,758.24
17	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2,530.04	2,990.54	4,499.13	9,703.64	7,720.34
18	पशुपालन एवं डेयरी	858.44	987.64	849.76	914.03	1106.48
19	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	9746.26	15021.02	13542.61	15388.93	19221.28
20	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	1309.53	958.78	864.69	1291.24	1015.43
21	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	73.22	80.08	112.46	156.17	121.02
22	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	1371.63	617.2	406.98	463.13	288.23
23	सहकारिता	1625.75	501.41	581.99	1711.23	841.21
24	नर्मदा घाटी विकास	3,144.72	3,224.97	5,031.95	4,776.21	7,611.30
25	जल संसाधन	6,681.26	7,182.45	6,251.08	6,603.61	6,665.43
26	ऊर्जा[1]	6.59	5.30	5.27	7.96	8.74
27	लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन[2]	-	-	0.40	23.85	95.61
28	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	257.91	109.25	60.41	33.76	53.75
	कुल	**56,581.08**	**59,292.61**	**61,799.25**	**76,753.81**	**87,043.98**

*(**स्रोत:** प्रासंगिक वर्षों के लिए मध्य प्रदेश शासन के विनियोग लेखे)*

1.2.2 विभागों की प्राप्तियाँ

2018-19 से 2022-23 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए इस कार्यालय के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश शासन के राजस्व सृजन करने वाले विभागों की प्राप्तियों का सारांश नीचे **तालिका 1.2** में दिया गया है:

[1] म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (स्वायत्त निकाय) द्वारा किया गया व्यय।

[2] 2020-21 में म.प्र. लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग की स्थापना की गई थी।

तालिका 1.2: 2018-19 से 2022-23 के दौरान प्राप्तियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	वन	1,042.94	8,34.26	1,240.38	1,406.03	1,395.01
2	परिवहन	3,008.26	3,251.23	2,749.15	3,028.68	4,027.57
3	वाणिज्यिक कर	43,231.83	48,103.44	46,896.71	56,646.19	62,882.25
4	खनिज साधन	3,933.56	4,320.22	4,557.28	6,180.67	7,360.07
5	ऊर्जा[3]	6.06	7.06	12.15	9.50	8.60
6	कुटीर एवं ग्रामोद्योग[4]	4.84	13.18	5.83	2.98	3.57
7	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण[5]	532.60	582.16	976.96	687.32	596.05
	कुल	**51,760.09**	**56,277.29**	**56,438.46**	**67,961.37**	**76,273.12**

(*स्रोत: प्रासंगिक वर्षों के लिए मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे*)

1.3 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)

मध्य प्रदेश शासन के अधीन 55[6] विभाग कार्यरत हैं। इन विभागों का नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव करते हैं, जिनकी सहायता विभागाध्यक्षों और उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), मध्य प्रदेश, भोपाल 55 विभागों में से 28 की लेखापरीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त यह 48 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, तीन स्वायत्त निकायों और दो सांविधिक निगमों की भी लेखापरीक्षा करता है।

[3] म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (स्वायत्त निकाय) द्वारा एकत्र किया गया राजस्व।

[4] म.प्र. खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा एकत्र किया गया राजस्व।

[5] म.प्र. वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन द्वारा एकत्र किया गया राजस्व।

[6] इन 55 विभागों में, वाणिज्यिक कर विभाग, पंजीकरण और स्टाम्प विभाग, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग, वस्तु एवं सेवा कर विभाग को एकल विभाग के रूप में माना गया है, क्योंकि वे सभी प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक कर विभाग के अधीन काम कर रहे हैं। आनंद और प्रवासी भारतीय विभागों की लेखा परीक्षा इस कार्यालय द्वारा अभी किया जाना हैं।

1.4 लेखापरीक्षा प्राधिकार

लेखापरीक्षा के लिए सी.ए.जी. का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा सी.ए.जी. (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी अधिनियम) से लिया गया है। सी.ए.जी. शासन के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार करता है:

डीपीसी अधिनियम की धारा 13	विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा
डीपीसी अधिनियम की धारा 16	विभागों की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

विभिन्न लेखापरीक्षाओं हेतु सिद्धांत और कार्यप्रणालियाँ लेखापरीक्षा मानकों तथा लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमों में निर्धारित की गई हैं, साथ ही सी.ए.जी. द्वारा या उनकी ओर से जारी निर्देशों से निर्धारित किए जाते हैं।

1.5 लेखापरीक्षा की योजना और संचालन

वर्ष 2022-23 के दौरान, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश शासन के 28 विभागों के कुल 2,619 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 314 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई। इस प्रतिवेदन में दो विभागों (नर्मदा घाटी विकास विभाग और खनिज साधन विभाग, प्रत्येक की एक-एक कंडिका) के दो विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (अध्याय II और III) और चार विभागों की 19 लेखापरीक्षा कंडिकाओं (नर्मदा घाटी विकास विभाग की दो कंडिकाएं, जल संसाधन विभाग की पांच कंडिकाएं, वाणिज्यिक कर विभाग (पंजीकरण और स्टाम्प) की चार कंडिकाएं, वाणिज्यिक कर विभाग (वैट) की छः कंडिकाएं और ऊर्जा विभाग की दो कंडिकाएं) पर निष्कर्ष शामिल हैं।

अनुपालन लेखापरीक्षा इस बात का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है कि क्या कोई दी गई विषय-वस्तु (एक गतिविधि, वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन, किसी इकाई या संस्थाओं के समूह के संबंध में जानकारी) सभी भौतिक मामलों में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, स्थापित संहिताओं आदि और सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और लोक अधिकारियों के आचरण को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों का अनुपालन करता है।

निम्नलिखित फ्लोचार्ट में योजना, लेखापरीक्षा के संचालन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है:

चित्र 1.1: लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं

प्रत्येक इकाई की अनुपालन लेखापरीक्षा के पूरा होने के बाद, एक निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.), जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित होते हैं, इकाई के प्रमुख को इस निवेदन के साथ जारी किया जाता है कि वे उक्त नि.प्र. प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करें। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, तो लेखापरीक्षा निष्कर्ष या तो हटा दिये जाते हैं या अनुपालन हेतु उन पर आगे की कार्रवाई की सलाह दी जाती है। इन नि.प्र. में इंगित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों, जिन पर शासन में उच्चतम स्तर पर ध्यान देना अपेक्षित होता है, उन्हें शासन को उनके उत्तर के लिए प्रारूप कंडिका के रूप में जारी किया जाता है, ताकि उत्तरों पर समुचित विचार करने के बाद उन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किया जा सके। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में संभावित समावेशन से पहले, विशिष्ट थीम, विषयों या योजनाओं पर प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा भी शासन को उनकी प्रतिक्रियाओं के लिए जारी की जाती है। ये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि उन्हें राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जा सके।

1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया

1.6.1 पिछली निरीक्षण प्रतिवेदन पर प्रतिक्रिया

निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) में सम्मिलित प्रेक्षणों पर कार्यालय प्रमुखों और अगले उच्च अधिकारियों द्वारा उत्तर दिया जाना और उचित सुधारात्मक कार्रवाई करना अपेक्षित होता है। निरीक्षण प्रतिवेदनों में संप्रेषित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर प्रधान महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विभिन्न स्तरों पर बैठकों में समय-समय पर चर्चा भी की जाती है।

31 मार्च 2023 तक, पिछले वर्षों से संबंधित 35,488 कंडिका वाले कुल 6,334 निरीक्षण प्रतिवेदन निपटान के लिए लंबित थे, जैसा कि नीचे **तालिका 1.3** में विस्तृत रूप से बताया गया है:

तालिका 1.3: बकाया नि.प्र./कंडिकाओं का विवरण

वर्ष	31 मार्च 2023 तक निपटान के लिए लंबित नि.प्र./ कंडिका की संख्या	
	नि.प्र.	कंडिका
2017-18 एवं पूर्व वर्ष	4,664	21,604
2018-19	589	3,709
2019-20	411	3,063
2020-21	114	1,296
2021-22	256	2,639
2022-23	300	3,177
कुल	**6,334**	**35,488**

(***स्रोत:*** *प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा* II*), भोपाल के कार्यालय द्वारा संधारित अभिलेख*)

नि.प्र.और लेखापरीक्षा कंडिका पर कार्रवाई के अभाव से इन प्रतिवेदनों में बताई गई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के जारी रहने का जोखिम होता है। इसके परिणामस्वरूप शासन प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रणों का कमजोर होना, लोक वस्तुओं/सेवाओं का अकुशल और अप्रभावी वितरण, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और राजकोष को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए राज्य शासन को इन नि.प्र. और लेखापरीक्षा कंडिकाओं में चिह्नित प्रकरणों की समीक्षा और उनके निदान की त्वरित कार्रवाई करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

1.6.2 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

सभी विभागों को सी.ए.जी. के प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया उसकी प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर भेजनी आवश्यक है। वर्ष 2022-23 के दौरान, विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के दो[7] प्रारूप और 19[8] प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाए संबंधित चार विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/ प्रमुख सचिवों/सचिवों को भेजे गए, जिसमें उनका ध्यान लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर आकर्षित किया गया और उनसे छः सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध किया गया। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया कि इन कंडिकाओं को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए जाने की संभावना है, जिसे राज्य

[7] नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और खनिज साधन विभाग प्रत्येक की एक-एक विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा।

[8] नर्मदा घाटी विकास विभाग की दो कंडिकाएं, जल संसाधन विभाग की पांच कंडिकाएं, वाणिज्यिक कर (पंजीकरण और स्टाम्प) की चार कंडिकाएं, वाणिज्यिक कर (वैट) की छः कंडिकाएं और ऊर्जा विभाग की दो कंडिकाएं।

विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा और लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनकी टिप्पणियों/प्रतिक्रियाओं को शामिल करना वांछनीय होगा। शासन की प्रतिक्रियाएं, जहां भी प्राप्त हुईं, उन्हें इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है।

1.6.3 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाए गए कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा कंडिकाओं और समीक्षाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, राज्य विधानसभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह के भीतर प्रस्तुत करनी होती हैं, जिनमें की गई या प्रस्तावित कार्रवाई का विधिवत उल्लेख हो। इस प्रयोजन के लिए, विभागों को लोक लेखा समिति से किसी सूचना या आह्वान की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2013-14 से 2020-21 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल 57 कंडिका/निष्पादन/लेखापरीक्षा समीक्षाओं के संबंध में 10 विभागों से व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अभी प्राप्त नहीं हुई हैं, जिनका विवरण नीचे **तालिका 1.4** में दिया गया है:

तालिका 1.4: सी.ए.जी. की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं पर लंबित विभागीय उत्तर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विभाग	31.03.2024 तक लंबित विभागीय उत्तर	राज्य विधानमंडल में प्रस्तुति की तारीख	विभागीय उत्तरों की प्राप्ति की नियत तारीख
2013-14	वाणिज्यिक कर विभाग (राज्य उत्पाद शुल्क)	3	22.07.2015	22.10.2015
2014-15	वन विभाग	1	17.03.2016	16.06.2016
2015-16	वाणिज्यिक कर विभाग (राज्य उत्पाद शुल्क)	7	24.03.2017	24.06.2017
2016-17	वाणिज्यिक कर विभाग (पंजीकरण और स्टांप)	4	10.01.2019	10.04.2019
	जल संसाधन विभाग	3	10.01.2019	10.04.2019
2017-18	जल संसाधन विभाग	2	21.09.2020	21.12.2020
2018-19	लोक निर्माण विभाग	1	21.12.2021	20.03.2022
	वन विभाग	1	15.09.2022	14.12.2022
	जल संसाधन विभाग	1	21.12.2021	21.03.2022
	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	1	21.12.2021	21.03.2022
2019-20	लोक निर्माण विभाग	2	15.09.2022	14.12.2022
	लोक निर्माण विभाग	16	08.02.2024	07.05.2024
	खनिज (खनन) साधन विभाग	3	22.09.2020	21.12.2020
	वाणिज्यिक कर विभाग (पंजीकरण और स्टांप)	1	15.09.2022	15.12.2022
2020-21	वाणिज्यिक कर विभाग	3	13.03.2023	13.06.2023
	खनिज (खनन) साधन विभाग	1	13.03.2023	13.06.2023
	संस्कृति विभाग	1	13.03.2023	13.06.2023
	जल संसाधन विभाग	1	13.03.2023	13.06.2023
	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग	1	08.02.2024	07.05.2024
	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग	1	08.02.2024	07.05.2024
	लोक निर्माण विभाग	1	08.02.2024	07.05.2024
	वन विभाग	1	08.02.2024	07.05.2024
	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	1	08.02.2024	07.05.2024
	कुल	**57**		

1.6.4 लोक लेखा समिति की सिफारिशों/ अनुशंसा पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासनिक विभागों को लोक लेखा समिति (पीएसी) की अनुशंसा पर ऐसी सिफारिशें प्राप्त होने की तारीख से छ: महीने के भीतर कार्रवाई नोट (एटीएन) प्रस्तुत करना आवश्यक है। 31 मार्च 2024 तक, मध्य प्रदेश शासन से संबंधित 14 विभागों के संबंध में 271 एटीएन प्राप्त होना बाकी थे। विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिया गया है।

1.7 अभिस्वीकृति

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) मध्य प्रदेश, भोपाल राज्य शासन के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

अध्याय II

नर्मदा घाटी विकास विभाग

अध्याय II: नर्मदा घाटी विकास विभाग

2.1 "नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन" पर अनुपालन लेखापरीक्षा

2.1.1 प्रस्तावना

नर्मदा भारत की पाँचवीं सबसे लंबी नदी है जो मध्य प्रदेश के 12 जिलों से होकर बहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्यों के बीच नर्मदा जल के बँटवारे से संबंधित विवाद का निपटारा करने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (एनडब्ल्यूडीटी) का गठन (अक्टूबर 1969) किया गया था। एनडब्ल्यूडीटी ने दिसंबर 1979 में अपना अंतिम निर्णय दिया, जिसमें 28 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) उपयोग योग्य नर्मदा जल को ध्यान में रखते हुए, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के पक्षकार राज्यों के बीच विभाजन किया गया, जैसा कि नीचे **तालिका 2.1** में विस्तार से बताया गया है:

तालिका 2.1: जल के राज्य-वार वितरण की स्थिति

जल की मात्रा/राज्य	मध्य प्रदेश	गुजरात	राजस्थान	महाराष्ट्र
(एमएएफ में)	18.25	9	0.5	0.25
(मिलियन क्यूबिक मीटर में)	22,511.01	11,101.32	616.74	308.37
उपयोग योग्य प्रवाह का प्रतिशत	65.18	32.14	1.79	0.89

(**स्रोत**: नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का निर्णय)

एक जल वर्ष[9] में उपयोग योग्य अतिरिक्त या कम आपूर्ति को संबंधित राज्यों द्वारा उनके आवंटित हिस्से के समान अनुपात में यथासंभव साझा किया जाना था। यह निर्णय 45 वर्षों के बाद समीक्षा के अधीन है। एनडब्ल्यूडीटी निर्णय[10] के अनुसार, जल के उपयोग की योजना नीचे दर्शाई गई है :

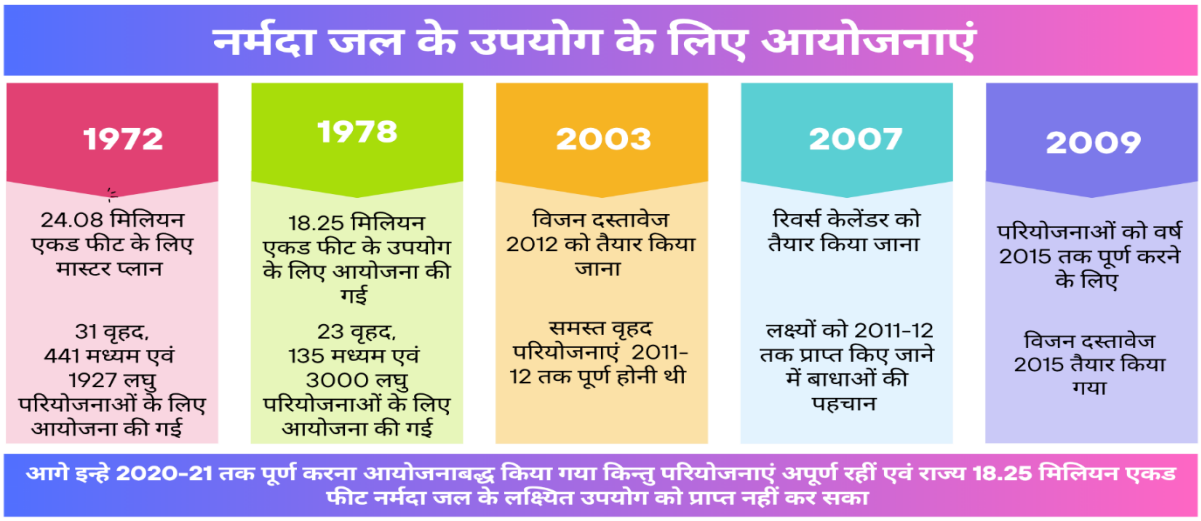

---

[9] जल वर्ष: 1 जुलाई से 30 जून तक

[10] मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्यों के बीच नर्मदा जल बंटवारे से संबंधित विवाद पर निर्णय लेने के लिए अक्टूबर 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (एनडब्ल्यूडीटी) का गठन किया गया था। एनडब्ल्यूडीटी ने दिसंबर 1979 में अपना अंतिम निर्णय दिया। यह निर्णय की 45 वर्षों के पश्चात समीक्षा के अध्ययधीन है।

31 वृहद, 441 मध्यम और 1927 लघु परियोजनाओं के माध्यम से नर्मदा जल के 24.08 एमएएफ के उपयोग के लिए मास्टर प्लान 1972 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा तैयार किया गया था। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एन.वी.डी.ए.) का गठन जुलाई 1985 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा एनडब्ल्यूडीटी निर्णय के अनुसार राज्य में नर्मदा जल के आवंटित हिस्से के उपयोग के साथ-साथ नर्मदा नदी पर विभिन्न परियोजनाओं के निष्पादन के लिए एक संदर्श योजना तैयार करने और रूप देने के लिए किया गया था। औद्योगिक और घरेलू उपयोग के प्रस्ताव के अलावा 23 वृहद, 135 मध्यम और 3000 लघु परियोजनाओं के माध्यम से 18.25 एमएएफ के उपयोग की योजना बनाई गई थी (1978)। इसके अलावा, दिसंबर 2003 में, 2011-12, 2015 और 2021-22 तक सभी वृहद परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विज़न दस्तावेज 2012, 2015 और 2020 तैयार किए गए थे। कार्यों की धीमी प्रगति के कारण विलंब होते रहे एवं कार्य अपूर्ण[11] रह गए।

वार्षिक जल लेखा[12] (2020-21) के अनुसार राज्य द्वारा वर्ष-वार उपयोग योग्य प्रवाह, उपयोग योग्य प्रवाह का हिस्सा और एमएएफ में वास्तविक उपयोग नीचे **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.2: राज्य द्वारा अंतर्वाह, उपयोग योग्य प्रवाह और वास्तविक उपयोग का विवरण

(आंकड़े मिलियन एकड़ फीट में)

जल वर्ष	कुल अंतर्वाह	उपयोग योग्य प्रवाह का हिस्सा	वास्तविक उपयोग	अप्रयुक्त मात्रा	उपयोग प्रतिशत
2018-19	19.52	12.72	8.43	4.29	66.27
2019-20	57.24	37.31	9.12	28.19	24.44
2020-21	37.75	24.61	9.39	15.22	38.16

(**स्रोत:** नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया जल लेखा। प्राधिकरण ने 2021-22 के लिए जल लेखा तैयार नहीं किया)

जैसा कि ऊपर **तालिका 2.2** में विस्तार से बताया गया है, राज्य वर्ष 2018-21 के दौरान आवंटित नर्मदा जल का केवल 24 से 66 प्रतिशत ही उपयोग कर सका। नर्मदा जल के आवंटित भाग का उपयोग करने के लिए, एन.वी.डी.ए. ने 2015-16 से माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं (एम.आई.पी.) के निर्माण की योजना बनाई।

मध्य प्रदेश राज्य जल नीति 2003 सतत और कुशल जल संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए भूमि उपयोग एवं समतलीकरण के साथ जल उपयोग रणनीतियों को संरेखित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इस नीति के अनुरूप, राज्य की सिंचाई क्षमता को अधिकतम करने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं की रणनीतिक रूप से योजना बनाई गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य संभावित सिंचाई योग्य क्षेत्र और वास्तविक सिंचित क्षेत्र के बीच के अंतर को पाटना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, पानी का संरक्षण करना और समान वितरण और पर्यावरणीय स्थिरता के नीति के लक्ष्यों का समर्थन करना है। माइक्रो सिंचाई को अपनाकर, राज्य विशेष रूप से अनियमित वर्षा वाले क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करना चाहता है, और लक्षित सब्सिडी और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से हाशिए पर रहने वाले समुदायों सहित किसानों के लिए समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहता है।

[11] 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश शासन की आर्थिक (गैर-पीएसयू) क्षेत्र की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से उद्धरण।

[12] नदी के उपयोग करने योग्य प्रवाह के लिए एक "जल लेखा", जिसे जल लेखांकन के रूप में भी जाना जाता है, नदी के कुल जल प्रवाह, विभिन्न उपयोगों (जैसे सिंचाई और उद्योग) में इसके आवंटन और कमी, जल भंडारण में किसी भी बदलाव और एक विशिष्ट अवधि जैसे कि एक जलविज्ञान वर्ष के भीतर नदी बेसिन से निवल बहिर्वाह को ट्रैक करता है।

माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं में पाइप राइजिंग मेन[13] के माध्यम से आवश्यक पानी उठाया जाता है। इसमें एक पंप हाउस और राइजिंग मेन, पाइप डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का निर्माण और ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग और पानी के स्रोत से उस आउटलेट तक सिंचाई क्षमता का विकास करना सम्मिलित है जहां से ग्रेविटि मेन पाइप[14] के माध्यम से प्रत्येक चक[15] तक पानी पहुँचाने के लिए उपलब्ध होता है। सिंचाई और घरेलू जल उपयोग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आउटलेट्स का भी प्रावधान किया जाता है। एक एम.आई.पी. का एक योजनाबद्ध आरेख चित्र में दिया गया है:

चित्र 2.1: माइक्रो सिंचाई परियोजना का योजनाबद्ध आरेख

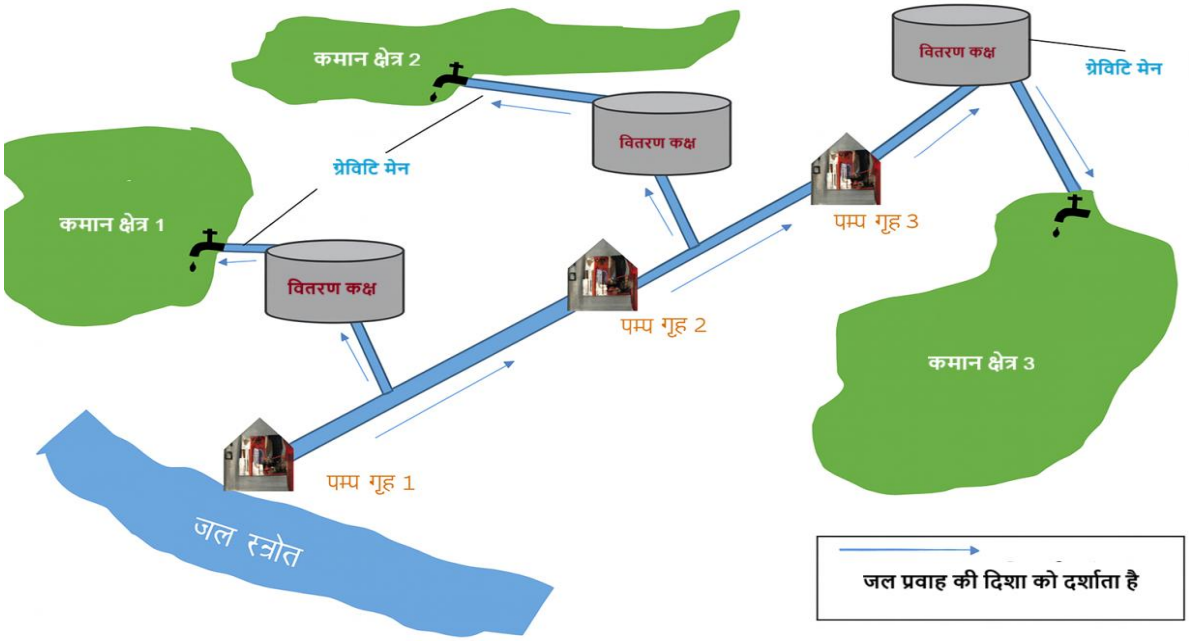

2.1.2 निधीकरण पैटर्न

राज्य निधि के अलावा, एम.आई.पी. को नाबार्ड[16] की सहायता से ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि[17] (आरआईडीएफ) और राज्य बजट के माध्यम से केंद्रीय सहायता के माध्यम से भी वित्त पोषित किया जाता है। वर्ष 2022-23 तक, 12 एम.आई.पी. के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत ₹ 5,849.82 करोड़ की राशि प्राप्त हुई।

[13] राइजिंग मेन वह पाइपलाइन है जो जल स्रोत (जैसे, एक पंप या जलाशय) से दबाव में पानी को वितरण नेटवर्क तक ले जाती है। इसे आम तौर पर ऊर्ध्वाधर रूप से या ऊपर की ओर के ढलान के साथ संस्थापित किया जाता है ताकि पानी को अधिक ऊंचाई तक या उस बिंदु तक ले जाया जा सके जहां यह पार्श्व पाइप या उत्सर्जकों से जुड़ता है जो फसलों को पानी पहुंचाते हैं।

[14] सूक्ष्म सिंचाई परियोजना में ग्रेविटि मेन एक पाइपलाइन है जो एक उंचे जलस्रोत (वितरण कक्ष) से सिंचाई नेटवर्क तक पानी पहुँचाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करती है।

[15] "चक" नहर के एक ओर या नहर की अंतिम छोर के नीचे का वह भू-भाग होता है, जिस पर एक ही निकास होता है, जो इस प्रकार स्थित होता है कि वह भूमि के अधिकतम संभावित क्षेत्र को अपने अधीन करता है।

[16] राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।

[17] आरआईडीएफ की स्थापना सरकार द्वारा 1995-96 में चल रही ग्रामीण अधोसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु की गई थी। इस कोष का रखरखाव राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किया जाता है। इस कोष का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को ऋण प्रदान करना है ताकि वे चल रही ग्रामीण अधोसंरचना परियोजनाओं को पूरा कर सकें।

एन.वी.डी.ए. के आवंटन और व्यय का वर्ष-वार विवरण जो व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाता है, नीचे **चार्ट 2.1** में दिया गया है:

चार्ट 2.1: कुल व्यय और एम.आई.पी. पर व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

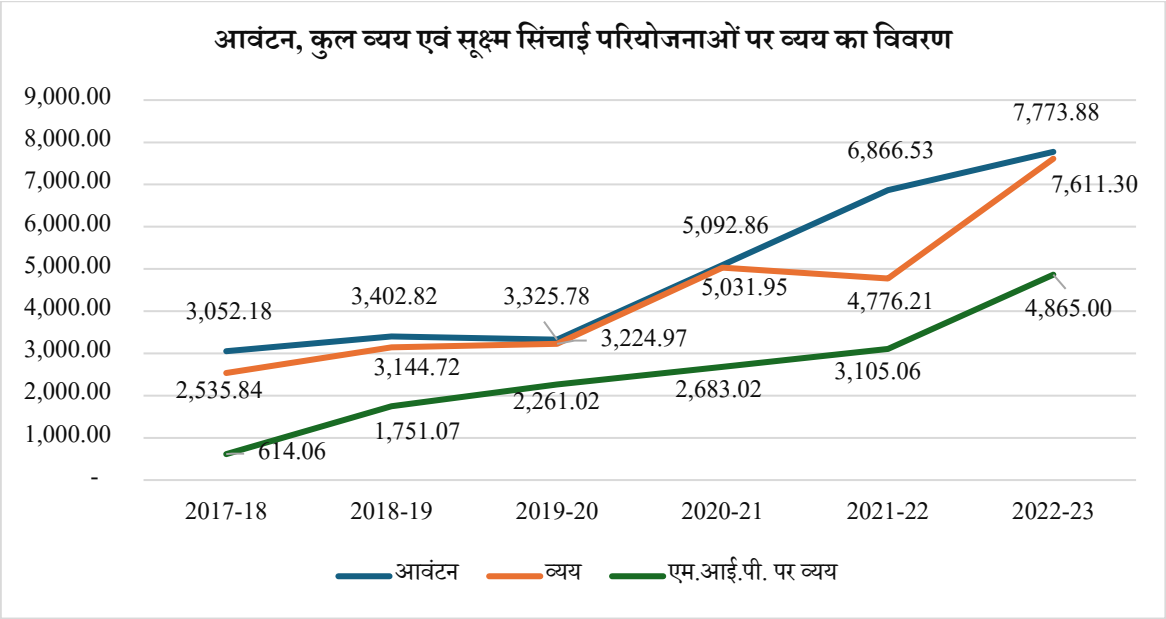

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे)

चार्ट से यह देखा जा सकता है कि एम.आई.पी. एन.वी.डी.ए. की एक मात्र सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है और विभाग के साल-दर-साल बढ़ते कुल व्यय की तुलना में एम.आई.पी. पर व्यय का भाग बढ़ रहा था।

एन.वी.डी.ए. द्वारा 2015-16 और 2022-23 के बीच 16.14 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए कुल 43 माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं (एम.आई.पी.) की योजना बनाई गई थी (विवरण **परिशिष्ट 2.1** में)। इनमें से 36 एम.आई.पी.[18] की योजना 4,691.34 एमसीएम पानी का सिंचाई (12.11 लाख हेक्टेयर) के लिए उपयोग करने हेतु बनाई गई थी, जिनमें से 12 एम.आई.पी. पूरी हो चुकी हैं जबकि 24 निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं (दिसंबर 2024 तक)। सात एम.आई.पी. आयोजना के प्रारंभिक चरण में थीं।

2.1.3 संगठनात्मक संरचना

एन.वी.डी.ए. का नेतृत्व शासन स्तर पर अध्यक्ष[19] करते हैं और उपाध्यक्ष उनकी सहायता करते हैं। उपाध्यक्ष की सहायता के लिए सदस्य (अभियांत्रिकी) सहित पाँच सदस्य होते हैं। सदस्य (अभियांत्रिकी) की सहायता के लिए इंदौर, जबलपुर[20] और सनावद में चार मुख्य अभियंता होते हैं, जैसा कि **परिशिष्ट 2.2** में दिए गए एन.वी.डी.ए. के संगठनात्मक चार्ट में विस्तार से बताया गया है। मुख्य अभियंताओं को एम.आई.पी. के क्रियान्वयन हेतु क्षेत्र स्तर पर अधीक्षण यंत्री और कार्यपालन यंत्री भी सहायता प्रदान करते हैं।

[18] विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार।

[19] जो राज्य के मुख्य सचिव भी होते है।

[20] दो मुख्य अभियंता (अपर नर्मदा क्षेत्र (यूएनजी) और रानी अवंती बाय लोधी सागर (आरएबीएलएस)) को जबलपुर में पदस्थ किया गया है।

2.1.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र, मानदंड, उद्देश्य और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए की गई थी कि क्या माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं की योजना, डिजाइन और अनुमान प्रभावी थे, कार्यों का कार्यान्वयन अनुमोदित ड्राइंग और डिजाइन और निगरानी के अनुसार था, और एम.आई.पी. का रखरखाव मानदंडों के अनुसार किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली, मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता एवं सिंचाई कार्यों हेतु विनिर्देश, दरों की एकीकृत अनुसूची, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) एवं एन.वी.डी.ए. द्वारा जारी तकनीकी परिपत्रों एवं निर्देशों से प्राप्त मानदंडों पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त, बेंचमार्किंग के लिए डीपीआर और अनुबंधों के पदों एवं शर्तों का भी मूल्यांकन किया गया।

एन.वी.डी.ए. के अंतर्गत एम.आई.पी. की लेखापरीक्षा, सर्वेक्षण और जांच, व्यवहार्यता अध्ययन, प्रारंभिक आकलन, भूमि अधिग्रहण (निजी, सरकारी और वन), विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, परियोजना कार्य अनुसूची, बजट प्रस्ताव, निधि आवंटन, संसाधनों के लिए नियंत्रण कार्य (मानव, सामग्री, उपकरण, निधि), प्रबंधन सूचना प्रणाली, निर्मित सिंचाई क्षमता की उपलब्धियां आदि से संबंधित अभिलेखों की जांच के माध्यम से की गई।

आठ पूर्ण (12 पूर्ण किए गए एम.आई.पी. में से) और 10 प्रगतिरत (24 प्रगतिरत में से) एम.आई.पी. का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति के आधार पर किया गया था। 22 जून 2023 को सदस्य (अभियांत्रिकी) एन.वी.डी.ए. के साथ आयोजित प्रवेश सम्मेलन में लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंडों और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 28 जनवरी 2025 को विभाग के साथ एक निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया था। विभाग के विचारों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

जैसा कि ऊपर बताया गया है, लेखापरीक्षा ने 18 एम.आई.पी. (**परिशिष्ट 2.3**) के अभिलेखों की नमूना जाँच की (फरवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक), जिनका कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सीसीए)[21] 4.91 लाख हेक्टेयर था, जो एन.वी.डी.ए. द्वारा क्रियान्वित सभी 43 एम.आई.पी. के कुल सीसीए का 30.42 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगे की कंडिकाओं में विस्तार से चर्चा की गई है।

[21] कृषि योग्य कमान क्षेत्र वह क्षेत्र है जो किसी योजना से सिंचित किया जा सकता है और खेती के लिए उपयुक्त है।

2.1.5 आयोजना

2.1.5.1 माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण और प्राक्कलन

किसी भी परियोजना को स्वीकृत लागत के भीतर समय पर पूरा करने के लिए सटीक और वास्तविक प्राक्कलन तैयार करना आवश्यक है। प्राक्कलन, मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों की उचितता का आकलन करने का आधार भी प्रदान करता है। पाइप सिंचाई नेटवर्क की योजना और डिजाइन के लिए सीडब्ल्यूसी दिशानिर्देश, सर्वेक्षण डेटा एकत्र करने और पाइप सिंचाई प्रणाली की योजना के लिए सर्वेक्षण डेटा को शामिल करने का प्रावधान करते हैं।

इस प्रकार, विभाग को यह सुनिश्चित करना था कि निविदाएं आमंत्रित करने के लिए प्राक्कलन तैयार करने से पहले विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है।

सभी 18 एम.आई.पी. के मामले में, विभाग द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन वास्तविक विस्तृत सर्वेक्षण पर आधारित नहीं थे। वास्तविक सर्वेक्षण आँकड़ों के अभाव और गलत मदों को शामिल करने के कारण, परियोजनाओं के अनुमान बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए, जैसा कि नीचे दी गई **तालिका 2.3** में विस्तार से बताया गया है:

तालिका 2.3: 18 चयनित कार्यों में बढ़ा हुआ प्राक्कलन

स. क्र.	कार्य की मद	मापदंड	अवलोकन
1	राइजिंग मेन का अधिक आकलन	अनुमानों के अनुसार, नागलवाड़ी एम.आई.पी. में 47,000 हेक्टेयर का कमान क्षेत्र बनाने के लिए कुल 60,540.21 मीटर राइजिंग मेन (विभिन्न व्यास और लंबाई की) का निर्माण किया जाना था।	ठेकेदार ने कुल 49,721 मीटर राइजिंग मेन का निर्माण किया, जिसने लक्षित कमान क्षेत्र को प्राप्त किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजना में कमी थी जिसके परिणामस्वरूप 10819.21 मीटर का अधिक आकलन और अधिक प्रावधान किया गया था। यह (एक टर्न-की अनुबंध होने के कारण जहां वस्तु दर माप की आवश्यकता नहीं है) जिसके परिणामस्वरूप ₹ 56.46 करोड़ का अतिरिक्त खर्च हुआ जो ठेकेदार के लिए अनुचित लाभ था।
2	स्काडा के लिए भिन्न प्रति हेक्टेयर लागत	पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (स्काडा) सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तत्वों की एक प्रणाली है जो वास्तविक समय के डेटा को इकट्ठा करने और संसाधित करने की निगरानी की अनुमति देती है । इसका व्यापक रूप से एम.आई.पी. में पानी को अनुकूलित करने के लिए उपयोग किया जाता है।	17 एम.आई.पी. के बीच स्कॉडा प्रणाली की प्रति हेक्टेयर लागत की तुलना करने पर, यह देखा गया कि प्रति हेक्टेयर लागत ₹ 200 प्रति हेक्टेयर से लेकर ₹ 8,000 प्रति हेक्टेयर तक थी। यह इंगित करता है कि अनुमान सही ढंग से तैयार नहीं किए गए थे।
3	निर्माण अवधि के दौरान परिसंपत्तियों का रखरखाव	यू. एस. आर. 2017 (डब्ल्यू. आर. डी. द्वारा जारी) के प्रावधानों के अनुसार, पूरी की गई वस्तुओं की दरों में सामग्री की लागत, श्रम, कारीगरी, गुणवत्ता आश्वासन उपाय, क्षेत्र/प्रयोगशाला परीक्षण, मिश्रित डिजाइन, परिष्करण, अपव्यय, काम को सक्षम करना, स्टॉक, मशीनरी, टेम्पलेट, उपकरण और संयंत्रों और अन्य उपकरणों आदि पर नुकसान, काम के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक शामिल हैं। इसमें शटर मचान और सीढ़ियों के निर्माण और हटाने, निर्माण के दौरान काम की सुरक्षा जैसे कटाव और गिरने वाली सामग्री और अन्य कारणों का प्रावधान भी शामिल है।	17 एम.आई.पी. में, निर्माण अवधि के दौरान परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए आई. डी. ₹ 67.81 करोड़ की लागत को गलत तरीके से अनुमानों में एक अलग लाइन आइटम के रूप में शामिल किया गया था, भले ही वे पहले से ही पूर्ण वस्तुओं के लिए दर का हिस्सा थे।

स. क्र.	कार्य की मद	मापदंड	अवलोकन
4.	आपूर्ति और वहन शुल्क	अनुबंधों के अनुसार, ट्रांस्को को भुगतान की जाने वाली आपूर्ति और वहन शुल्क की लागत विभाग द्वारा वहन की जानी थी और इसलिए यह निहित है कि यह अनुमानों का हिस्सा नहीं होना चाहिए।	आठ एम.आई.पी. में, ₹ 33.92 करोड़ के आपूर्ति और वहन शुल्क को गलत तरीके से अनुमानों में शामिल किया गया था।
5.	वन क्षेत्र में सुरंग	मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के पैरा 2.006 और 2.028 के अनुसार, एक अधिकारी, जो अनुमान के लिए टी. एस. को मंजूरी देता है, डिजाइन की मजबूती और अनुमान में शामिल करने के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को शामिल करने के लिए जिम्मेदार होता है।	चार एम. आई. पी. के अनुमानों में सुरंगों के निर्माण के लिए ₹ 47.90 करोड़ की राशि शामिल की गई थी, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं थी।
6.	हार्ड रॉक की लागत	यू. एस. आर. 2016 और 2017 (जल संसाधन विभाग द्वारा जारी) के अनुसार, खुदाई से प्राप्त उपयोगी मलबे, बोल्डर और पत्थर के चिप्स ठेकेदार को उन सामग्रियों के लिए निर्दिष्ट दरों पर उपयोग के लिए जारी किए जाएंगे।	16 एम. आई. पी. के डी. पी. आर. के मामले में, कठोर चट्टान में खुदाई का प्रावधान किया गया था, लेकिन कठोर चट्टान की निर्गम दर में ₹ 29.17 करोड़ की कटौती नहीं की गई थी।
7.	वन क्षेत्र में पेडस्टल की लागत	मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के पैरा 2.006 और 2.028 के अनुसार, प्राक्कलन के लिए टी.एस. को अनुमोदित करने वाला अधिकारी, डिजाइन की सुदृढ़ता और अनुमान में शामिल करने के लिए आवश्यक सभी मदों को शामिल करने के लिए जिम्मेदार होता है।	पेडस्टल (वन क्षेत्रों में ज़मीन से ऊपर बिछाए गए पाइपों को सहारा देने के लिए) इस मद का हिस्सा हैं और इसलिए इन्हें अलग से कार्य मद के रूप में शामिल/दिखाए जाने की आवश्यकता नहीं है। पाँच मामलों में, वन क्षेत्र में पेडस्टल की लागत ₹ 109.09 करोड़ गलत तरीके से अनुमानों में शामिल कर दी गई थी।
8.	सिक्योरिटी डिपाजिट	अनुबंध के अनुसार, बिजली कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी डिपाजिट की लागत विभाग द्वारा वहन की जानी थी।	सात एम.आई.पी. में विद्युत कनेक्शन के लिए ₹ 65.55 करोड़ की सिक्योरिटी डिपाजिट को गलत तरीके से अनुमान में शामिल किया गया था। परिणामस्वरूप, इसका आकलन अधिक हो गया, जिससे पी.ए.सी. अधिक हो गया।
9.	वाहनों का रखरखाव	यूएसआर 2017 (जल संसाधन विभाग द्वारा जारी) के प्रावधानों के अनुसार, पूर्ण हो चुकी मद की दरों में सामग्री, श्रम, कारीगरी, गुणवत्ता आश्वासन उपाय, क्षेत्र/प्रयोगशाला परीक्षण, मिश्रण डिजाइन, परिष्करण, अपव्यय, सक्षम कार्य, स्टॉक की हानि, मशीनरी, टेम्पलेट्स, उपकरण और संयंत्र तथा कार्य के समुचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अन्य उपकरणों आदि की लागत भी शामिल है। इसमें शटरिंग, मचान और सीढ़ियों के निर्माण और हटाने, निर्माण के दौरान कटाव और गिरती सामग्री व अन्य कारणों से कार्य की सुरक्षा के प्रावधान भी शामिल हैं।	15 एम.आई.पी. में वाहनों के रखरखाव के लिए ₹ 4.05 करोड़ की लागत को गलत तरीके से अनुमान में शामिल किया गया था, जबकि इसे अलग लाइन मद के रूप में नहीं दिखाया जाना चाहिए था। परिणामस्वरूप, इसका आकलन अधिक हो गया, जिससे पी.ए.सी. अधिक हो गया।

उपरोक्त सभी मामलों में, प्राप्त बोलियां बराबर[22] से कम थीं और अनुबंध की संभावित राशि (पी.ए.सी.) से प्राप्त की गई थीं। यदि अनुमान अधिक व्यावहारिक और सही होते, तो मूल्य की खोज अधिक व्यावहारिक होती।

विभाग ने बताया (जनवरी 2025) कि सभी कार्य टर्न-की आधार पर दिए गए थे और सर्वेक्षण कार्य के लिए अनुबंध राशि के एक प्रतिशत का भुगतान किया जाना था। इस प्रकार, विस्तृत सर्वेक्षण करना ठेकेदार का कर्तव्य था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टर्न-की अनुबंधों के मामले में, प्रत्येक मदों को भुगतान के लिए मापा नहीं जाता है। इसलिए प्रत्येक मदों के बढ़े हुए प्रारंभिक अनुमान/ अधिक आकलन, बढ़ी हुई पी.ए.सी. में परिणीत होते हैं, जो ठेकेदार

[22] 14 परियोजनाओं में पी.ए.सी. ₹ 14,510.20 करोड़ था और निविदत्त मूल्य ₹ 13,786.70 था (निविदत्त मूल्य पी. ए. सी. की तुलना में 0.2 प्रतिशत और 12 प्रतिशत के बीच था)।

को बढ़ी हुई पी.ए.सी. के आधार पर बोली लगाने और वास्तविकता (अनुमान नहीं) के अनुसार काम करने और वित्तीय अधिशेष को बनाए रखने की अनुमति देते हैं क्योंकि प्रत्येक मद का कोई माप नहीं है। इसके अलावा, एम.पी.डब्ल्यू.डी. नियमावली में अनुमान तैयार करते समय विस्तृत सर्वेक्षण करने का प्रावधान है। विस्तृत सर्वेक्षणों के अभाव में तैयार किए गए अनुमान वास्तविक नहीं थे और इसलिए मूल्य की खोज आधारिक वास्तविकताओं पर आधारित नहीं थी।

2.1.5.2 सीडब्ल्यूसी/ केंद्रीय डिजाइन संगठन से डीपीआर का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा जारी सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की प्रस्तुति, मूल्यांकन और स्वीकृति के लिए दिशानिर्देश, 2017 अंतर-राज्यीय नदियों या उनकी सहायक नदियों पर वृहद[23], मध्यम[24] सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर लागू होते हैं। इसके अलावा, समान परियोजना शीर्षक के अंतर्गत वृहद, मध्यम, लघु उप-परियोजनाओं की संख्या के समूह के हिस्से के रूप में प्रस्तुत वृहद उप-परियोजनाओं को अलग वृहद परियोजनाओं के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा, जबकि मध्यम उप-परियोजनाओं को सभी मध्यम उप-परियोजनाओं के सीसीए के संचयी योग के आधार पर "वृहद परियोजनाओं की समतुल्य संख्या" के रूप में माना जाएगा और तदनुसार ऐसी परियोजनाओं के मूल्यांकन की समयसीमा को उचित रूप से संशोधित किया जाएगा। ऐसी एकत्रित परियोजनाओं की लघु उप-परियोजनाओं के मामले में, तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति तकनीकी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) द्वारा दी जाएगी और सीडब्ल्यूसी में कोई अलग मूल्यांकन नहीं किया जाएगा । प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट (पी.एफ.आर.), डी.पी.आर., पुनरीक्षित लागत प्राक्कलन (आर.सी.ई.) और निवेश मंजूरी प्रस्ताव परियोजना प्राधिकरण द्वारा सीडब्ल्यूसी को सीडब्ल्यूसी वेबसाइट पर वेब-सक्षम प्रणाली के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जाएंगे। जहां तक सीडब्ल्यूसी द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्रीय डिजाइन संगठन (सी.डी.ओ.) वाले राज्यों का संबंध है, उन्हें निर्धारित प्रोफार्मा में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि राज्य डब्ल्यू.आर.डी. के अंतर्गत सी.डी.ओ. द्वारा नियोजन और डिजाइन/सुरक्षा पहलुओं की जांच की गई है, जिसमें बीआईएस कोड की सूची शामिल है। सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा परियोजना का परीक्षण सामान्यत: अंतर-राज्यीय पहलुओं, बुनियादी योजना, जल विज्ञान और आर्थिक व्यवहार्यता तक ही सीमित होगी।

यह देखा गया कि 18 चयनित परियोजनाओं में से 10 वृहद[25] और चार मध्यम परियोजनाओं[26] के लिए ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत विस्तृत डिजाइन या विभाग द्वारा तैयार किए गए अनुमानों पर सीडब्ल्यूसी या राज्य के केंद्रीय डिजाइन संगठन (सीडीओ) की अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

विभाग ने नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर (एनजेपीटीएस) और इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी) - कालीसिंध (चरण-I) के मामलों में बताया (जनवरी 2025) कि पानी क्रमशः मौजूदा सरदार सरोवर बांध और आईएसपी बांध से उठाया जा रहा है, जो आवंटित नर्मदा जल 18.25 एमएएफ के भीतर है और डिजाइन की जाँच आईआईएससी/आईआईटी द्वारा की जाती है। चूँकि कार्य टर्न-की आधार पर दिए जाते हैं, इसलिए सीडब्ल्यूसी/केंद्रीय डिजाइन संगठन से अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है।

---

23 कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक।

24 कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर और 10,000 हेक्टेयर के बीच।

25 छैनगांवमाखन, नागलवाड़ी, पिपरी, छीपानेर, आईएसपी-पार्वती चरण-III और IV, किलोद, अलीराजपुर, एनजेपीटीएस, आईएसपी-कालीसिंध चरण-I और नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना।

26 पाटी, हरसूद, कोदवार और बलवाड़ा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीडीओ प्रमाणपत्र जो प्राप्त किए जाने थे (क्योंकि मध्य प्रदेश में एक सीडीओ है) और परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन सीडब्ल्यूसी द्वारा किया जाना था जैसा कि दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक था, जो इन उद्धरित मामलों में प्राप्त नहीं किए गए थे।

2.1.5.3 माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं के लिए बिजली आपूर्ति व्यवस्था

पाइप सिंचाई नेटवर्क[27] की योजना और डिजाइन के लिए दिशानिर्देशों की धारा 7.2 में निर्दिष्ट किया गया है कि पंप के प्रकार का निर्णय ऊर्जा के उपलब्ध स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, विद्युत शक्ति, डीजल ऊर्जा आदि के आधार पर किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में सौर ऊर्जा उपलब्ध है, वहां सौर ऊर्जा चालित पंप, सौर पंपिंग को प्राथमिकता दी जा सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 18 चयनित एम.आई.पी. में से दो[28] में एन.वी.डी.ए. ने डीपीआर चरण में सौर ऊर्जा संयंत्रों की योजना बनाई थी, लेकिन उसने संयंत्रों का निर्माण नहीं किया था, विवरण नीचे **तालिका 2.4** में दिया गया है:

तालिका 2.4: सौर संयंत्र के लिए प्रावधान का विवरण

एम.आई.पी. का नाम	प्रावधान राशि ₹ करोड़ में	मेगावाट में नियोजित बिजली
छैगांवमाखन	204.00	34
हरसूद	डीपीआर में राशि प्रावधानित नहीं थी	3.08

इस प्रकार, एम.आई.पी. में सौर ऊर्जा संयंत्रों को लागू करने की विभाग की योजना ठोस नहीं थी, क्योंकि सौर ऊर्जा स्रोत की स्थापना से विभाग को बिजली का आसान और सस्ता स्रोत मिल सकता था। स्वीकृत डीपीआर से विचलन के कारण, विभाग को पंपिंग लागत से देय बिजली बिलों के रूप में आवर्ती लागत[29] वहन करना पड़ रहा है।

अनुमोदित डीपीआर से विचलन के कारण अभिलेखों में नहीं थे।

एनडी संभाग 13, खंडवा के कार्यपालन यंत्री ने अपने उत्तर में (जून 2023) बताया कि सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का कार्य (छैगांवमाखन एम.आई.पी. के लिए) एन.वी.डी.ए. की ऊर्जा शाखा द्वारा अलग से किया जाना था। इसलिए, संभाग द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। एनडी संभाग 25 (हरसूद एम.आई.पी. के लिए) के कार्यपालन यंत्री ने (अगस्त 2023) बताया कि डीपीआर में सौर संयंत्र का प्रावधान था, लेकिन निविदा आमंत्रित करते समय, कार्य के क्षेत्र में सौर संयंत्र का प्रावधान नहीं किया गया था।

उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि विभाग के शीर्ष स्तर पर समन्वित दृष्टिकोण में कमी थी। स्वीकृत डीपीआर से किसी भी विचलन को प्रबंधन द्वारा विनियमित और निगरानी किया जाना है, लेकिन यह तथ्य कि तकनीकी स्वीकृतियाँ यह सत्यापित किए बिना दी गईं कि डीपीआर में उल्लिखित कार्य का क्षेत्र वास्तविक कार्यक्षेत्र (निविदाओं के अनुसार) के अनुरूप है या नहीं, यह दर्शाता है कि प्रबंधन स्तर पर पर्यवेक्षण और जाँच (निविदा के लिए) का अभाव है। ऐसी स्थिति में, लेखापरीक्षा इस बात का पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ है कि अंतिम निविदाकृत कार्य स्वीकृत डीपीआर के अनुरूप थे। स्वीकृत डीपीआर और वास्तव में निष्पादित कार्य के बीच विचलन को अनुवर्ती कंडिकाओं में प्रकट किया गया है।

---

27 केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जारी किया गया।

28 छैगांव माखन लिफ्ट सिंचाई योजना और हरसूद लिफ्ट सिंचाई परियोजना।

29 एनवीडीए ने छैगांव माखन एम.आई.पी. के मामले में बिजली बिलों के कारण फरवरी 2021 से अक्टूबर 2023 तक की अवधि के लिए ₹ 19.27 करोड़ की राशि का भुगतान किया।

2.1.5.4 बजट/ वित्तीय प्रबंधन

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 13 के अनुसार, शासन द्वारा देय धनराशि के भुगतान में निर्विवाद रूप से विलंब, नियमों और बजटीय सिद्धांतों के विरूद्ध है एवं इससे बचना चाहिए। नियम 14 में आगे कहा गया है कि सभी उपगत व्यय एक बार ही चुकाए जाने चाहिए और किसी भी परिस्थिति में उन्हें किसी अन्य वर्ष के विनियोग से भुगतान के लिए स्थगित नहीं रखा जा सकता। यदि संभव हो, तो व्यय को तब तक स्थगित रखा जाएगा जब तक कि नया बजट तैयार करके प्रावधान करने का अवसर न मिल जाए और उस बजट की स्वीकृति न मिल जाए।

यह पाया गया कि आठ अनुबंधों में, कार्यों और बिजली शुल्क के लिए ₹ 2,751.53 करोड़ का भुगतान धन की कमी के कारण रोक दिया गया था, जिसे बाद में धन की उपलब्धता के आधार पर जारी किया गया था। विवरण नीचे दर्शाया गया है।

स.क्र.	एम.आई.पी.	₹ करोड में	विवरण
1	एनजेपीटीएस	911.46	कार्य
2	पाटी	4.15	कार्य
3	आई. एस. पी.-कलीसिंध चरण-1	1,675.92	कार्य
4	पीपरी	129.95	कार्य
5	अलीराजपुर	21.06	विद्युत देयक
6	छैगांवमाखन	4.21	विद्युत देयक
7	समूह एम.आई.पी.	3.73	विद्युत देयक
8	हरसूद	1.05	विद्युत देयक
	कुल	**2,751.53**	

यह इंगित करता है कि एन.वी.डी.ए. ने अपने वित्तीय लक्ष्यों की ठीक से योजना नहीं बनाई क्योंकि उस अवधि में देय सभी भुगतानों/ देनदारियों का उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन का प्रवाह सुचारू और नियमित था, वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन के साथ नियमित और घनिष्ठ समन्वय होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में, परियोजनाओं के निष्पादन में देरी या बकाया के भुगतान में देरी पर ठेकेदारों द्वारा कार्यों को छोड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। विद्युत शुल्क जैसे अनिवार्य बकाया के भुगतान में और विलंब से विभाग पर ब्याज, विलंब शुल्क आदि के रूप में अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

विभाग ने बजट नियंत्रण अधिकारी स्तर पर धन की कमी को स्वीकार किया (जनवरी 2025)।

यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग को अपने बजट/ व्यय देनदारियों का उचित मूल्यांकन करना चाहिए तथा समय पर धनराशि जारी करने के लिए वित्त विभाग के साथ समन्वय करना चाहिए।

2.1.5.5 पाइप वितरण नेटवर्क की योजना

पाइप सिंचाई नेटवर्क के लिए केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, जल संग्रहण टैंक से हाइड्रेंट/आउटलेट तक जल परिवहन के लिए एचडीपीई (उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन) या किसी अन्य सामग्री की पाइपलाइन का उपयोग किया गया है। एन.वी.डी.ए. ने वितरण प्रणाली के लिए एच.डी.पी.ई. पाइप नेटवर्क को अपनाया। पाइप सिंचाई नेटवर्क के डिजाइन से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों को अवलोकित किया गया:

➢ आउटलेट पर पानी का अपर्याप्त दबाव

पाइप सिंचाई नेटवर्क की योजना और डिजाइन के लिए सीडब्ल्यूसी दिशानिर्देश[30], पैराग्राफ 11.8, जिसका शीर्षक "हाइड्रेंट/आउटलेट असेंबली" है, निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक हाइड्रेंट/आउटलेट को 2.5 किग्रा/सेमी^{2} से 03 किग्रा/सेमी^{2} का न्यूनतम जल दबाव बनाए रखना चाहिए ताकि स्प्रिंकलर और ड्रिप माइक्रो सिंचाई प्रणालियों दोनों को संचालित किया जा सके।

यह देखा गया (दिसंबर 2023), कि 12 पूर्ण और छह चल रही माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं के मामले में, अनुबंधों में कार्यों के क्षेत्र में अनुशंसित न्यूनतम 2.5-3 कि.ग्रा./से.मी.^{2} के स्थान पर आवश्यक न्यूनतम दबाव 2.0 कि.ग्रा./से.मी.^{2} से 2.3 कि.ग्रा./से.मी.^{2} निर्धारित किया गया था, जिससे ड्रिप और स्प्रिंकलर माइक्रो सिंचाई प्रौद्योगिकियों की आधारित प्रभावशीलता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। स्प्रिंकलर प्रणालियों के लिए, कम दबाव प्रक्षेपण त्रिज्या को कम कर सकता है, जिससे सूखे धब्बों के साथ असमान आच्छादन, अत्यधिक अपवाह और समग्र सिंचाई दक्षता में कमी आ सकती है। ड्रिप सिस्टम के मामले में, अपर्याप्त दबाव से उत्सर्जकों के माध्यम से प्रवाह दर कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप असंगत पानी, सूखे धब्बे और संभावित कम सिंचाई होती है जो पौधे की जड़ों को सटीक नमी देने में विफल हो सकती है। ये सामूहिक रूप से निरंतर जल उपलब्धता को कमजोर करते हैं, संभावित रूप से फसल की पैदावार को कम करते हैं, परिचालन लागत में वृद्धि करते हैं और कृषि क्षेत्रों में कुशल संसाधन उपयोग के लिए माइक्रो सिंचाई के लाभों को नकारते हैं।

सदस्य (अभियांत्रिकी) ने बताया (दिसंबर 2023) कि दाबयुक्त माइक्रो सिंचाई प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु मुख्य अभियंता (ई-इन-सी) जल संसाधन विभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, एम.आई.पी. को आउटलेट पर 1.96 किग्रा/सेमी^{2} (20 मीटर का हेड[31]) दाब के साथ डिजाइन किया जा सकता है। सभी दाबयुक्त माइक्रो सिंचाई प्रणालियाँ एन.वी.डी.ए. और जल संसाधन विभाग दोनों में एक साथ अपनाई गई हैं, जो मानदंडों और अपनाए गए मानकों के अनुसार हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सी.डब्ल्यू.सी. के मानदंडों का पालन नहीं किया गया था, और ई-इन-सी द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 2.0 किग्रा/सेमी^{2} से 2.3 किग्रा/सेमी^{2} जल दाब पर ड्रिप और स्प्रिंकलर का संचालन कैसे संभव था, जबकि यह सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदंडों से भी कम था। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मुख्य अभियंता ने, अनुबंधों के अनुसार कार्यों के दायरे को मंजूरी देते हुए, सी.डब्ल्यू.सी.के दिशानिर्देशों का पालन करने में विफलता दिखाई।

➢ दोषपूर्ण डिजाइन के परिणामस्वरूप आवश्यकता से कम पानी की आपूर्ति

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा दिसंबर 2016 में जारी निर्देशों (दबावयुक्त माइक्रो सिंचाई प्रणाली के डिजाइन के संबंध में) के अनुसार, रबी फसलों के लिए डिजाइन को 0.35 लीटर प्रति सेकंड (एलपीएस) प्रति हेक्टेयर से कम नहीं होना चाहिए।

---

[30] जुलाई 2017 में केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित।

[31] हेड पानी के स्तंभ की ऊंचाई के संदर्भ में दबाव को व्यक्त करने का एक तरीका है जो किलोग्राम/सेमी^{2} के समान दबाव उत्पन्न करेगा। रूपांतरण के लिए, 1 मीटर हेड ≈ किलोग्राम/सेमी^{2} X 10.2

यह देखा गया कि निम्नलिखित परियोजनाओं के अनुमान 18 चयनित एम.आई.पी. में से चार में कम बहाव के साथ पानी की आपूर्ति के साथ तैयार किए गए थे, जैसा कि नीचे **तालिका 2.5** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:

तालिका 2.5: एलपीएस में डिजाइन की गई आपूर्ति का परियोजनावार विवरण

एम.आई.पी. का नाम	कमान क्षेत्र हेक्टेयर में	एलपीएस में डिजाइन की गई आपूर्ति	कमान क्षेत्र[32] में कमी
नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना (एनकेएमपी)	30,000	0.333	1,457
आईएसपी-कालीसिंध चरण-I	1,00,000	0.3204	8,457
बलवाड़ा	5,000	0.259	1,300
आईएसपी-पार्वती चरण III और IV	1,00,000	0.3204	8,457

इस प्रकार, अपर्याप्त डिजाइन के कारण एम.आई.पी. के कमान क्षेत्र में पानी की उपलब्धता कम हो गई, जिससे प्रभावी रूप से कमान क्षेत्र 19,671 हेक्टेयर से कम हो गया।

कार्यपालन यंत्रियों ने अपने उत्तरों (जुलाई 2023 से अगस्त 2023) में बताया कि:

- एन.के.एम.पी. में, परियोजना विशिष्टियों, आवश्यकता और अनुमोदित डीपीआर के अनुसार, परियोजना को 30,000 हेक्टेयर के सीसीए के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें जल उपलब्ध कराने के लिए प्रति हेक्टेयर 0.333 लीटर प्रति सेकंड की ड्यूटी थी।
- बलवाड़ा एम.आई.पी. में, डीपीआर तैयार करते समय परियोजना क्षेत्र की फसल जल आवश्यकता के अनुसार 0.259 लीटर प्रति सेकंड प्रति हेक्टेयर के स्थान पर 0.33 लीटर प्रति सेकंड प्रति हेक्टेयर के बहाब को अपनाया गया।
- आईएसपी-पार्वती चरण III और IV में, प्रति हेक्टेयर जल का बहाव सिंचित क्षेत्र की मिट्टी संरचना के अनुसार 0.3204 लीटर प्रति सेकंड प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया था और यह सिंचित क्षेत्र के लिए पर्याप्त/उपयुक्त था।

संभागों का यह दावा कि दाबानुकूलित माइक्रो सिंचाई प्रणालियों में रबी फसलों के लिए 0.259-0.333 एलपीएस/हेक्टेयर की कम डिजाइन प्रवाह दर प्रमुख अभियंता के 2016 के निर्देश के साथ-साथ सिंचाई इंजीनियरिंग सिद्धांतों दोनों के विपरीत है। प्रमुख अभियंता के 2016 के निर्देश में रबी फसलों के लिए न्यूनतम 0.35 एल.पी.एस./हेक्टेयर अनिवार्य किया गया है ताकि पर्याप्त जल वितरण, संचरण नुकसान (वाष्पीकरण), प्रणाली दक्षता आदि का लेखा-जोखा सुनिश्चित किया जा सके। इस सीमा से नीचे विचलन होने से सिंचाई प्रणाली के खराब प्रदर्शन का खतरा है क्योंकि 0.35 एल.पी.एस./हेक्टेयर से कम पानी का बहाव पर्याप्त पानी नहीं दे सकता है, जिससे फसल का विकास खराब हो सकता है और समय और संसाधनों का अक्षम उपयोग हो सकता है।

2.1.5.6 अवास्तविक लाभ लागत अनुपात

लाभ लागत (बी.सी.) अनुपात, सिंचाई के कारण होने वाले वार्षिक अतिरिक्त लाभ और उन लाभों को प्रदान करने की वार्षिक लागत का अनुपात है। यह परियोजना के कुल नकद लाभ को परियोजना की कुल नकद लागत से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। बीसी अनुपात की गणना डीपीआर में शामिल की जाती है, क्योंकि यह किसी सिंचाई परियोजना

[32] यदि एम.आई.पी. को प्रावधानों के अनुसार और अन्य कारकों जैसे पानी की उपलब्धता आदि को अपरिवर्तित रखते हुए 0.35 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी के लिए डिजाइन किया जाए।

की आर्थिक व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए एक आवश्यक आवश्यकता है। सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के दिशानिर्देशों के अनुसार, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए न्यूनतम बी.सी. अनुपात एक (खर्च किए गए प्रत्येक ₹ एक पर ₹ एक की कमाई) और अन्य क्षेत्रों में यह 1.5 (खर्च किए गए प्रत्येक ₹ एक पर ₹ 1.50 की कमाई) था।

यह देखा गया कि विभाग ने परियोजनाओं की व्यवहार्यता को उचित ठहराने के लिए बी.सी. अनुपात की गणना करते समय यथार्थवादी वार्षिक ओ एंड एम प्रभारों और बिजली प्रभारों पर व्यय को ध्यान में नहीं रखा, जिसके परिणामस्वरूप बी.सी. अनुपात की त्रुटिपूर्ण गणना हुई, जैसा कि नीचे **तालिका 2.6** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:

तालिका 2.6: परियोजनावार लाभ लागत अनुपात का विवरण

(राशि ₹ लाख में)

एम.आई.पी. का नाम	वार्षिक लाभ	वार्षिक लागत	लेखापरीक्षा के अनुसार वार्षिक लागत	विभाग के अनुसार बीसी अनुपात	लेखापरीक्षा के अनुसार बी.सी. अनुपात
नर्मदा झाबुआ पेटलाबाद थांदला सरदारपुर माइक्रो एलआईएस (सूखा प्रभावित क्षेत्र)	43,953	36,286.9	54,628.9	1.21	0.8
आईएसपी-कालीसिंध माइक्रो एलआईएस-चरण-I (अन्य क्षेत्र)	1,10,586	57,003.3	86,512.2	1.94	1.28
नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना (अन्य क्षेत्र)	72,450.2	37,247.4	52,154.3	1.95	1.39

(स्रोत: डीपीआर और ऑडिट का विश्लेषण)

लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित वास्तविक लागतों और यथार्थ बी.सी. अनुपात के आधार पर, तीन एम.आई.पी. वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं थे। इसलिए, लागत और अपेक्षित लाभों का पर्याप्त आकलन किए बिना इतनी बड़ी परियोजनाओं (कुल लागत ₹ 6,363.96 करोड़[33]) को शुरू करने से, विशेष रूप से बिजली शुल्क और संचालन एवं रखरखाव पर होने वाली भारी आवर्ती लागतों को देखते हुए, इन एम.आई.पी. के निरंतर संचालन और भविष्य की व्यवहार्यता पर गंभीर संदेह पैदा होता है।

विभाग ने निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2025) में कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में विद्युत प्रभारों को नहीं अपनाया जा सकता क्योंकि वे बदलते रहते हैं। इसके अलावा, बीसी अनुपात कमान क्षेत्र के स्थान और ऊँचाई के अनुसार बदलता रहता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परियोजनाओं को शुरू करने के लिए परियोजनाओं के लिए एक वास्तविक आधार पर पहुंचने के लिए सभी कारक ध्यान में रखते हुए बी.सी. अनुपात की गणना की जानी चाहिए थी। जिन बड़े पैमाने के आर्थिक परियोजनाओं में सार्वजनिक धन का महत्वपूर्ण निवेश होता है, उनके लिए 1.5 से कम का बीसी (BC) अनुपात पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि यह उचित प्रतिफल सुनिश्चित नहीं कर पाता और न ही लागत बढ़ने तथा बाद में लाभ कम होने की स्थिति में किसी प्रकार का सुरक्षा-आवरण प्रदान कर सकता है। ऊपर उल्लिखित तीन परियोजनाएं सीमा को पूरा करने में विफल रहीं। इस प्रकार, अनुकूल बीसी (BC) अनुपात दिखाने के लिए कम लागत का उपयोग करके भारी आर्थिक लागत/पूंजीगत व्यय को उचित ठहराने का प्रयास वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण नहीं था।

[33] एनजेपीटीएस: ₹ 1,699.83 करोड़, आईएसपी- कालीसिंध चरण-I: ₹ 2,807.43 करोड़ और एनकेएमपी: ₹ 1,856.70

2.1.6 कार्यान्वयन

2.1.6.1 एम.आई.पी. के कार्यान्वयन में विलंब

आईएसपी-पार्वती चरण- III और IV के पंप हाउस का दृश्य

एन.वी.डी.ए. ने टर्न-की आधार पर एम.आई.पी. के सभी कार्यों को सौंपा था। टर्न-की अनुबंध की धारा 115 के अनुसार, अनुबंध की शर्तों की धारा 71.1 के संदर्भ में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत कार्य कार्यक्रम की निगरानी, विभाग द्वारा सहमत और परिशिष्ट-एफ4 में दिए गए माइलस्टोन के अनुरूप हर छह महीने में की जाएगी। संबंधित छह महीने के स्लैब के लिए काम की वित्तीय प्रगति में 10 प्रतिशत से अधिक की कमी की स्थिति में, इस तरह की देरी के लिए ठेकेदार पर प्रारंभिक अनुबंध मूल्य के 0.2 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना कार्यक्रम की समीक्षा और पुनर्निर्धारण या निविदा दस्तावेज़ में कहीं और बताए गए कार्यक्रम और/या नकदी प्रवाह के अद्यतन के बावजूद लगाया जाएगा। हालांकि, संचयी जुर्माना अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत तक सीमित होगा।

टर्न-की अनुबंध के कार्य में सर्वेक्षण, जांच, रूपांकन करना, ड्राइंग, खरीद, निर्माण, लेईंग, स्थापना आदि से शुरू होने वाली सभी गतिविधियाँ सम्मिलित थीं। निर्माण सुविधाओं के निर्माण और बुनियादी ढांचे के काम, आवश्यक पूर्व-निर्माण सर्वेक्षण, जांच, मिट्टी की जांच पड़ताल, डिजाइन और इंजीनियरिंग निर्माण कार्य आदि के लिए आवश्यक समय सहित परियोजना को पूरा करने का समय, अनुबंध की तिथि से वर्षाकाल सहित 24 से 48 महीने से अधिक नहीं होगा। पूर्ण होने की निर्धारित अवधि अनुबंध का मुख्य सार है और इसका दृढता से पालन किया जाएगा। इसके अलावा, समझौते की शर्तों (अनुबंध की विशेष शर्तों की धारा-IV का पैरा 4.8) के अनुसार, वन भूमि की मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी और भूमि अधिग्रहण में विलंब के लिए टर्न-की एजेंसी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

यह देखा गया कि 18 परियोजनाओं (14 अनुबंध[34]) में से एक परियोजना (एक अनुबंध)[35] निर्धारित समय के भीतर पूरी हो गई और दो परियोजनाएँ (दो अनुबंध)[36] प्रगति पर हैं और निर्धारित समय सीमा के भीतर चल रही हैं। शेष 15 परियोजनाओं (11 अनुबंध) में से, आठ परियोजनाएँ (चार अनुबंध) 15 से 41 माहों के विलंब से पूर्ण हुईं और सात चल रहीं परियोजनाएँ (सात अनुबंध) निर्धारित समय सीमा से अंतिम समय वृद्धि की अंतिम तिथि तक 17 से 34 माह के विलंब से चल रही थी। विवरण **परिशिष्ट 2.4** में दर्शाया गया है।

यह देखा गया (अक्टूबर 2023) कि विभाग ने अनुबंधों की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों की ओर से विलंब के कारण कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की थी। कोविड महामारी के कारण वर्ष 2020 और 2021 के लिए प्रत्येक के लिए 17 सप्ताह के

[34] समूह एम.आई.एस. में पांच परियोजनाएं सम्मिलित हैं।
[35] बलवाड़ा एम.आई.पी.।
[36] आईएसपी पार्वती चरण-III और IV तथा पिपरी एम.आई.पी.।

विलंब का प्रावधान करने के बाद, परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलंब के लिए शास्ति[37] नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 818.14 करोड़ आंकलित होती है:

परियोजना की स्थिति	परियोजनाओं की कुल संख्या (अनुबंधों की संख्या)	विलंबों के साथ परियोजनाओं की संख्या (अनुबंधों की संख्या)	विलंब की अवधि माहों में	उद्ग्रहणीय शास्ति
पूर्ण	09 (05)	08 (04)	15-41	163.48
चल रहीं	09 (09)	07 (07)	17-34	654.66
योग	**18 (14)**	**15 (11)**		**818.14**

सदस्य (अभियांत्रिकी) ने बताया (अक्टूबर 2023) कि परियोजनाओं के समय विस्तार को सक्षम प्राधिकारी (एन.वी.डी.ए./ एन.सी.बी.) द्वारा वन और पर्यावरण मंजूरी, भूमि अधिग्रहण, धन की कमी, फसल मुआवजा और कोविड महामारी आदि के कारणों/समस्याओं/ के साथ उचित आधारों के साथ अनुमोदित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंधों के लिए कार्य के क्षेत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ठेकेदार को निर्धारित पूर्णता अवधि के भीतर अनापत्तियां प्राप्त कर लेनी थी और ठेकेदार अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार बिना किसी निर्भरता के कार्य करने के लिए सहमत हुए थे। इस प्रकार, भूमि अधिग्रहण, सर्वेक्षण, जांच, ड्राइंग, डिजाइन, अनुमान आदि के कारण मंजूरी में विलंब, सभी टर्नकी एजेंसी के कारण थे। इसलिए, विभाग द्वारा ठेकेदारों को उल्लिखित कारणों से अनुमत किए गए विलंब उचित नहीं थे।

प्रकरण शासन को अगस्त 2024 में इंगित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

2.1.6.2 मानक बोली दस्तावेजों को न अपनाना

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 21 के अनुसार, राज्य की संचित निधि से व्यय से संबंधित संविदा प्राधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। संविदा की शर्तें संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए, और उनमें अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए ताकि उनका गलत अर्थ न निकाला जा सके। संविदा के लिए मानक प्रारूप अपनाए जा सकते हैं और शर्तों का यथासंभव पूर्णतः पूर्व-परीक्षण किया जाना चाहिए। ऐसे संविदा जिनकी शर्तें अनिश्चित या अपूर्ण हों, वित्त विभाग और विधि विभाग की सहमति के बिना नहीं किए जाने चाहिए।

विभाग ने एम.आई.पी. के निष्पादन के लिए मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) को नहीं अपनाया। परिणामस्वरूप, नौ अनुबंधों में निविदा खुलने की तिथि से 28 दिन पहले के सूचकांकों को अपनाने का प्रावधान था और पाँच अनुबंधों में अनुबंध पर हस्ताक्षर के 180 दिन बाद के सूचकांकों को अपनाने का प्रावधान था। अनुबंधों में थोक मूल्य सूचकांक के सूचकांक भी भिन्न थे, एक ही कार्य के लिए अलग-अलग घटक दिए गए थे, और उनके प्रतिशत भी भिन्न थे। इस प्रकार, एकरूपता नहीं थी और परिणामस्वरूप मूल्य समायोजन के कारण अधिक भुगतान हुआ, जैसा कि आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

विभाग ने निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2025) में बताए गए तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि वर्तमान में एसबीडी को अपनाया जा रहा है तथा जारी की जा रही सभी नई निविदाओं में मूल्य समायोजन के प्रावधान समान हैं।

[37] प्रति सप्ताह विलंब की अनुबंध मूल्य के 0.2 प्रतिशत पर गणना अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित करते हुए की गई।

2.1.6.3 मूल्य समायोजन के कारण अधिक भुगतान

अनुबंधों में आर्थिक सलाहकार, श्रम ब्यूरो के सूचकांकों और हाई-स्पीड डीज़ल की दरों के आधार पर मूल्य समायोजन के भुगतान का प्रावधान था। मूल्य समायोजन की गणना माह/तिमाही के दौरान किए गए कार्य के कुल मूल्य पर आधारित थी। विभिन्न कारणों से मूल्य समायोजन के भुगतान के कारण अधिक भुगतान से संबंधित अवलोकनों की चर्चा नीचे की गई है:

I. त्रुटिपूर्ण आधार दर अपनाना

निर्माण विभाग के नियमावली में प्रावधान था कि आधार दर उस माह की सूचकांक संख्या/ दर होनी चाहिए जिसमें निविदाएं खोली गई थीं।

➢ **समूह एम.आई.पी. (बोलियों की प्राप्ति की तिथि: 20 मई 2018)**

समूह एम.आई.पी. के लिए अनुबंध में पांच एम.आई.पी. का निष्पादन शामिल था, अर्थात् भुरले (1,014 हेक्टेयर), पामाखेड़ी (1,080 हेक्टेयर), पुनासा एक्सटेंशन (975 हेक्टेयर), कोडवार (3,660 हेक्टेयर) और किल्लोद (10,000 हेक्टेयर) एम.आई.पी., जो अलग-अलग स्थानों पर स्थित थे।

मूल्य समायोजन की गणना के लिए आधार दर जुलाई 2018 के बजाय अप्रैल 2018 के महीने के लिए ली गई थी क्योंकि वित्तीय बोली जुलाई 2018 में खोली गई थी। परिणामस्वरूप, विभाग ने ₹ 6.48 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

➢ **आईएसपी कालीसिंध चरण- I (बोलियों की प्राप्ति की तिथि: 30 मार्च 2018)**

मूल्य समायोजन की गणना के लिए तकनीकी बोली खुलने की तिथि से 28 दिन पहले, यानी मार्च 2018 माह के लिए आधार दर ली गई थी। लेकिन इसकी गणना अप्रैल 2018 की आधार दर को ध्यान में रखकर की जानी थी, जिसमें वित्तीय बोली खोली गई थी। परिणामस्वरूप, आधार सूचकांक की गलत तिथि के कारण विभाग ने ₹ 14.89 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

➢ **नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना (बोलियों की प्राप्ति की तिथि: 20 मई 2018)**

मूल्य समायोजन की गणना के लिए तकनीकी बोली खुलने की तिथि से 28 दिन पहले, यानी अप्रैल 2018 माह के लिए आधार दर ली गई थी। लेकिन, मूल्य समायोजन की गणना मई 2018, जिसमें वित्तीय बोली खोली गई थी, की आधार दर को ध्यान में रखकर की जानी थी, इसलिए विभाग ने ₹ 11.46 करोड़ का अधिक भुगतान कर दिया।

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास (एन.डी.) संभाग 25 (समूह एम.आई.पी. के लिए), कार्यपालन यंत्री एन.डी. संभाग 32, बडवाह (आई.एस.पी. कालीसिंध चरण-1 के लिए) और विभाग (नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के लिए) ने बताया (जून 2023 और जनवरी 2025 के मध्य) कि आधार दर, समझौते के प्रावधानों के अनुसार ली गई थी, इसलिए कोई अधिक भुगतान नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मूल्य समायोजन के भुगतान के लिए अनुबंधों के प्रावधान एमपीडब्ल्यूडी नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं एवं ये इस प्रकार उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण थे।

II. त्रुटिपूर्ण लिंकिंग फेक्टर को अपनाना

एन.वी.डी.ए. द्वारा अपनाए गए टर्न-की अनुबंधों में, निर्धारित सूत्र के अनुसार मूल्य समायोजन के भुगतान हेतु आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित सूचकांकों के उपयोग का प्रावधान किया गया था। भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने (मई 2017) पिछले आधार वर्ष की पुरानी श्रृंखला को बाद के आधार वर्षों की नई श्रृंखला से बदल दिया। थोक मूल्य सूचकांक पर समय श्रृंखला आँकड़ों में निरंतरता बनाए रखने के लिए, आर्थिक सलाहकार[38] द्वारा एक लिंकिंग फेक्टर भी प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रदान किया गया लिंकिंग फेक्टर नीचे **तालिका 2.7** में दिया गया है:

तालिका 2.7: आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए लिंकिंग फेक्टर का विवरण

वस्तु	2011-12 के लिए डब्ल्यूपीआई (आधार वर्ष 2004-05)	लिंकिंग फेक्टर
सभी वस्तुएँ	156.1	1.561
प्राथमिक सामग्री	200.3	2.003
ईंधन और बिजली	169.0	1.690
निर्मित उत्पाद	139.5	1.395

(**स्रोत**: आर्थिक सलाहकार कार्यालय की वेबसाइट)

सीमेंट और स्टील दोनों ही विनिर्मित उत्पादों की श्रेणी में आते हैं और इसलिए मूल्य समायोजन की गणना करते समय 1.395 का लिंकिंग फेक्टर लागू किया जाना है। हालाँकि, दो एम.आई.पी. के मामले में यह देखा गया कि विभाग ने 1.395 के अलावा अन्य लिंकिंग फेक्टर अपनाए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

➢ बलवाड़ा एम.आई.पी.

मूल्य समायोजन की गणना करते समय, सीमेंट और स्टील के लिए लिंकिंग फेक्टर को गलती से क्रमशः 1.57 और 1.438 मान लिया गया और सीमेंट/स्टील के लिए क्रमशः (-) ₹ 1.70 लाख (अर्थात वसूली हुई) और ₹ 2.31 करोड़ की राशि वसूल/भुगतान की गई। 1.395 के सही लिंकिंग फेक्टर पर गणना करने पर, सीमेंट और स्टील के लिए वसूली योग्य/देय राशि क्रमशः (-) ₹ 32.31 लाख और ₹ 1.67 करोड़ थी। इस प्रकार, इन सामग्रियों के मूल्य समायोजन के लिए ₹ 95.13 लाख की अधिक राशि का भुगतान किया गया।

विभाग ने मूल्य समायोजन की गणना करते समय अंकगणितीय गणना में भी गलतियां कीं, साथ ही गलत लिंकिंग फेक्टर का प्रयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 7.11 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

उपरोक्त कमियों के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.02 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

कार्यपालन यंत्री एनडी, संभाग 8, सनावद ने बताया (जुलाई 2023) कि लिंकिंग फेक्टर मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार अपनाया गया था। इसके अलावा, विभाग ने बताया (जनवरी 2025) कि लेखापरीक्षा के इंगित किए जाने पर, ठेकेदार से ₹ 7.11 लाख की अधिक राशि वसूल कर ली गई है।

[38] आधार वर्ष के समतुल्य डब्ल्यूपीआई प्राप्त करने के लिए नए डब्ल्यूपीआई पर लिंकिंग फैक्टर लागू किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु के लिए 2011-12 की डब्ल्यूपीआई श्रृंखला 100 है और लिंकिंग फैक्टर 1.34 है, तो पिछले आधार वर्ष के लिए समतुल्य डब्ल्यूपीआई 100 x 1.34 = 134 होगा, जिसका उपयोग मूल्य समायोजन की गणना के लिए किया जाएगा।

➢ छैगांवमाखन एम.आई.पी.

विभाग ने सीमेंट और स्टील के लिए क्रमशः 1.625 और 1.522 के गलत लिंकिंग फेक्टर को अपनाकर मूल्य समायोजन (पीए) की गणना की, और सीमेंट और स्टील के लिए क्रमशः ₹ 2.33 करोड़ और ₹ 44.65 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। लागू लिंकिंग फेक्टर को 1.395 मानते हुए, सीमेंट और स्टील के लिए देय राशि क्रमशः (-) ₹ 2.33 करोड़ और ₹ 22.28 करोड़ थी। इस प्रकार, सीमेंट और स्टील के लिए क्रमशः पीए के लिए ₹ 27.02 करोड़ की अधिक राशि का भुगतान किया गया।

कार्यपालन यंत्री एनडी , संभाग 13, खंडवा ने कहा कि मूल्य समायोजन के निर्धारण के लिए गणना नियम के अनुसार और स्टील एवं सीमेंट के लिए एन.वी.डी.ए. द्वारा अनुमोदित और अपनाए गए लिंकिंग फेक्टर के अनुसार था।

उपरोक्त दोनों मामलों में, विभाग द्वारा सही लिंकिंग फेक्टर का आकलन करने और उसे लागू करने में विफलता के परिणामस्वरूप, सरकारी खजाने की लागत पर ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ।

त्रुटिपूर्ण लिंकिंग फेक्टर को अपनाने के लिए विभागीय स्तर पर हुई चूक की शासन जाँच कर सकता है और तदनुसार जिम्मेदारी तय कर सकता है।

III. त्रुटिपूर्ण सूचकांकों को अपनाना

मूल्य समायोजन के भुगतान हेतु टर्न-की अनुबंध की धारा 113 के अनुसार, अनुबंध मूल्य को श्रम, एचडीपीई, संयंत्र एवं मशीनरी, सीमेंट, स्टील, पीओएल और अन्य सामग्री की दरों और कीमतों में वृद्धि या कमी के लिए धारा में दिए गए सूत्र के अनुसार समायोजित किया जाएगा। समायोज्य मूल्य प्रत्येक माह के दौरान सूत्र से निर्धारित किया जाएगा। सूत्र में मूल्य समायोजन की गणना के आधार के रूप में माह के दौरान किए गए कार्य के कुल मूल्य के लिए "आर" अभिव्यक्ति शामिल थी। इस प्रकार, मूल्य समायोजन के भुगतान के सूचकांक उस माह के लिए विचार किए जाने थे जिसमें कार्य निष्पादित किया गया था।

➢ पाती एम.आई.पी.

यह पाया गया कि विभाग ने कार्य किए गए माह के सूचकांकों के बजाय, बिल भुगतान किए गए माह के सूचकांकों पर विचार किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 38.24 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ। विभाग ने बताया कि ठेकेदार को किए गए ₹ 38.24 लाख के अधिक भुगतान को 27वें चल देयक में समायोजित कर दिया गया था।

➢ नर्मदा झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर

नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर (एनजेपीटीएस) के मामले में, मूल्य समायोजन की गणना करते समय, घटक के लिए एक सूचकांक उस माह के सूचकांक से भिन्न लिया गया था जिसमें कार्य मूल रूप से कार्यान्वयित किया गया था। यह भी देखा गया कि विभाग ने घटकों के लिए सूचकांक अपनाने के लिए महीनों और तारीख के दौरान किए गए कार्य के गलत मूल्य पर विचार किया। हालाँकि, मूल्य समायोजन के भुगतान के लिए बिल तैयार करने की तिथियों के सूचकांकों पर विचारित करने पर, मूल्य समायोजन के भुगतान में ₹ 18.80 करोड़ का अंतर था। किए गए कार्य के मूल्य और मूल्य समायोजन के भुगतान का घटक-वार विवरण नीचे **तालिका 2.8** में दिया गया है:

तालिका 2.8: अतिरिक्त भुगतान का घटक-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

घटक	अनुबंध के अनुसार घटक का प्रतिशत	गणना के अनुसार मूल्य समायोजन की राशि	विभाग के अनुसार मूल्य समायोजन की राशि	भिन्नता
श्रम	12%	21.99	27.84	5.85
सीमेंट	7%	5.18	5.23	0.05
माइल्ड स्टील (फ्लैट उत्पाद)	45%	65.55	73.63	8.08
पेट्रोल, तेल और लूब्रकन्ट	17%	70.02	72.82	2.80
अन्य सामग्री	19%	24.71	26.73	2.02
कुल		**187.45**	**206.25**	**18.80**

(**स्रोत:** विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों पर आधारित गणना)

कार्यपालन यंत्री एनडी संभाग 30, मनावर ने बताया (अप्रैल 2023) कि तकनीकी बोली खोलने से 28 दिन पहले आधार दर अपनाई गई थी जो 25 अप्रैल 2018 थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अनुबंध में किए गए कार्य के मूल्य पर विचार करने के लिए आधार दर और मूल्य समायोजन से संबंधित प्रावधानों की तिथि का पालन मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधानों के अनुसार किया जाना था।

➢ छिपानेर एम.आई.पी.

छीपानेर में, घटक के लिए मूल्य समायोजन सूचकांक की गणना करते समय, कार्य के मूल निष्पादन माह के अलावा अन्य माह लिया गया। विभाग द्वारा ₹ एक करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

कार्यपालन यंत्री एनडी संभाग 23, भोपाल ने बताया (जुलाई 2023) कि अगले चलित देयक से वसूली की जाएगी।

वसूली का विवरण प्रतीक्षित है (जनवरी 2025)।

IV. औद्योगिक श्रमिकों के लिए गलत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अपनाना

➢ नर्मदा पार्वती लिंक एम.आई.पी. चरण III & IV

अनुबंध की धारा 113.4 के अनुसार, श्रम घटक का समायोजन, तकनीकी बोलियाँ खुलने की तिथि से 28 दिन पूर्व तथा किए गए कार्य के माह के लिए श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार (मध्य प्रदेश के लिए) द्वारा प्रकाशित औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए किया जाना था।

यह पाया गया कि विभाग ने मूल्य समायोजन की गणना के लिए दिसंबर 2019 को आधार तिथि माना और भोपाल के श्रम सूचकांक को आधार मानकर मूल्य समायोजन का भुगतान किया। विभाग ने 345 के बजाय 288 को गलत आधार सूचकांक माना और अन्य महीनों के सूचकांक भी गलत माने। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.78 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

कार्यपालन यंत्री एनडी संभाग 28, पुनासा ने बताया (मई 2023) कि मूल्य समायोजन की गणना निकटतम शहर यानि भोपाल के सूचकांक के आधार पर की गई है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कार्यपालन यंत्री पुनासा ने कहा कि श्रम का आधार जो 288 लिया गया था उसे ठीक कर दिया गया है और मूल्य समायोजन तदनुसार सही किया गया है।

सुधार की प्रतियाँ लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी (दिसंबर 2024)।

गलत लिंकिंग फेक्टर अपनाने के मामले में, विभाग ने बताया (जनवरी 2025) कि लिंकिंग कारक उच्च प्राधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के अनुसार अपनाया गया था, इसलिए ठेकेदार को कोई उचित लाभ नहीं दिया गया। इसके अलावा, तकनीकी बोली खुलने से 28 दिन पहले आधार मूल्य सूचकांक अपनाने के मामले में, यह कहा गया कि यह अनुबंध के अनुसार मूल्य समायोजन हेतु संशोधन के अनुरूप था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा आर्थिक सलाहकार, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सूचकांकों को तो अपनाया गया, परंतु आर्थिक सलाहकार द्वारा निर्धारित लिंकिंग फैक्टर का पालन नहीं किया गया, साथ ही, मानक लिंकिंग फैक्टर से विचलन के कारण अभिलेखों में भी उपलब्ध नहीं थे। तकनीकी निविदा खोलने की तिथि से 28 दिन पूर्व के आधार मूल्य सूचकांक को अपनाना, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधानों के विपरीत था।

2.1.6.4 सिक्योरिटी डिपाजिट अनियमित रूप से रिलीज़ के कारण ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय सहायता

अनुबंध की धारा 108.1 के अनुसार, सभी भुगतान अग्रिम भुगतान, सिक्योरिटी डिपाजिट, अनुबंध की अन्य अंतरिम वसूली और स्रोत पर करों की कटौती के माध्यम से समायोजित किए जाएँगे, जैसा कि प्रभारी यंत्री द्वारा यथोचित अंतराल पर लागू होता है, और मध्यवर्ती भुगतान, प्रमाणित किए गए कार्य के मूल्य के 95 प्रतिशत के बराबर राशि होगी और शेष 5 प्रतिशत राशि रोक ली जाएगी और प्रभारी यंत्री द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र के तहत ठेकेदार द्वारा किए गए दायित्वों की पूर्ति हेतु सिक्योरिटी के रूप में रखी जाएगी। अनुबंध के अंतर्गत संपूर्ण कार्य का निर्माण पूरा होने पर, सिक्योरिटी डिपाजिट ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी और मध्यवर्ती भुगतानों से काटी गई सिक्योरिटी डिपाजिट को किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी (बीजी) में परिवर्तित कर दिया जाएगा और सिस्टम के सफल समापन और दोष दायित्व अवधि की समाप्ति के बाद जारी कर दिया जाएगा।

सात एनडी संभाग के अंतर्गत कार्यान्वयित एम.आई.पी. के सात कार्यों[39] के प्रकरण में, यह देखा गया कि चल देयक से काटी गई एसडी की राशि को कार्य के पूर्ण होने से पहले ही समान राशि की बैंक गारंटी को प्राप्त करने के पश्चात विमुक्त कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, **परिशिष्ट 2.5** में वर्णित बैंक गारंटी के बदले ₹ 387.49 करोड़ की एसडी की राशि को अनियमित रूप से विमुक्त किया गया था और परिणामस्वरूप, ठेकेदारों को उस सीमा तक अनुचित वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

विभाग ने बताया (जनवरी 2025) कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी के विरूद्ध चल देयकों से काटी गई सिक्योरिटी डिपाजिट विमुक्त कर दी गई थी। सिक्योरिटी डिपाजिट को इसप्रकार विमुक्त करना विस्तृत एन.आई.टी. (भाग-II, खंड-V) की धारा 12.3 के अनुसार की गई है, जिसमें कहा गया है, "यदि ठेकेदार स्पष्ट रूप से लिखित रूप में अनुरोध करता है, तो प्रभारी अभियंता उसे अपने बिलों से प्राप्त सिक्योरिटी डिपाजिट को ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूतियों, बैंक

[39] अलीराजपुर (एनडी16 संभाग कुक्षी) ₹ 37.86 करोड़, छैगांवमाखन (एनडी-13 संभाग खंडवा) ₹ 25.04 करोड़, छीपानेर (एनडी-23 संभाग भोपाल) ₹ 20 करोड़, आईएसपी कालीसिंध चरण-1 (एनडी-32 संभाग बड़वाहा) ₹ 118.67 करोड़, नागलवाड़ी (एनडी-14 संभाग ठीकरी) ₹ 43.25 करोड़, नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर (एनडी-30 मनावर) ₹ 60.18 करोड़ और नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना (एनडी-08 संभाग सनावद) ₹ 82.49 करोड़।

गारंटी या ब्याज वाली जमा राशि में बदलने की अनुमति देगा। अनुबंध की उपरोक्त शर्तों के अनुसार प्रभारी अभियंता से विधिवत अनुमति के बाद सभी सिक्योरिटी डिपाजिट विमुक्त कर दी गई है।"

अनुबंध की धारा 12.3 और 12.4 के अनुसार एस.डी. को बैंक गारंटी में परिवर्तित कर दिया गया तथा तदनुसार बैंक गारंटी के विरूद्ध समय-समय पर सिक्योरिटी डिपाजिट के भुगतान को विमुक्त किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि धारा 12.3 और 12.4 में उल्लिखित गया है कि यदि ठेकेदार स्पष्ट रूप से लिखित रूप में अनुरोध करता है, तो प्रभारी यंत्री उसे बिलों से प्राप्त सिक्योरिटी डिपाजिट को ब्याज-सहित वाली प्रतिभूतियों या बैंक गारंटी में बदलने की अनुमति देगा। लेकिन धारा 108.1 में कहा गया है कि मध्यवर्ती भुगतानों से काटी गई सिक्योरिटी डिपाजिट को कार्य के पूर्ण होने के पश्चात अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी में परिवर्तित किया जाना था। इस प्रकार, कार्य के दौरान सिक्योरिटी डिपाजिट को बैंक गारंटी में परिवर्तित करना अनियमित था।

2.1.6.5 कम मोटाई वाले स्टील पाइप का कार्यान्वयन

अनुबंध की शर्तों के अनुसार, विनिर्देशों का तात्पर्य अनुबंध के खंड III में निर्दिष्ट सामग्री और कार्यों के विनिर्देशों से होगा। विभाग के विनिर्देशों और अपनाई जा रही मानक प्रक्रियाओं के बीच असहमति की स्थिति में, प्रभारी यंत्री द्वारा निर्धारित निर्णय ठेकेदार पर बाध्यकारी होंगे। यदि विनिर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, तो आईएस कोड के अंतर्गत प्रासंगिक विनिर्देश लागू होंगे।

सीडब्ल्यूसी द्वारा जारी पाइप सिंचाई नेटवर्क की योजना और डिजाइन के लिए दिशानिर्देशों के पैरा 5.12.1 के अनुसार, पाइप के लिए उपयोग की जाने वाली शीट (वॉल) की मोटाई निम्न में से अधिकतम होगी:

(i) डिजाइन दबाव का प्रतिरोध करने के लिए आवश्यक शीट की मोटाई की गणना हूप स्ट्रेस फार्मूला के अनुसार की जाएगी।

(ii) नॉमिनल मोटाई का प्रावधान प्रासंगिक मानक (स्टील पाइपों के लिए आईएस 3589/2001, डक्टाईल लौह पाइपों के लिए आईएस 8329/2000 आदि, आवश्यकतानुसार) के अनुसार किया जाना है।

(iii) ऊपर निर्दिष्ट मोटाई के बावजूद, दबाव की परवाह किए बिना, फब्रिकशन और ऐरेक्शन के दौरान विरूपण का प्रतिरोध करने के लिए लाइनर की न्यूनतम मोटाई प्रदान की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 अनुबंधों (18 चयनित एम.आई.पी. के लिए) में से आठ अनुबंधों (12 एम.आई.पी. के लिए) के प्रकरणों में राइजिंग मेन और ग्रेविटी मेन पाइपलाइनों में प्रदान की गई हल्के स्टील पाइप की मोटाई आईएस कोड 3589 (2001) में तालिका-5 में निर्दिष्ट न्यूनतम मोटाई से कम थी। यह भिन्नता 10 प्रतिशत और 51 प्रतिशत के बीच थी। इसके परिणामस्वरूप अनुमानित (1902.94 मीट्रिक टन) की तुलना में कम स्टील की मात्रा का उपयोग हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 1074.33 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ। विवरण **परिशिष्ट 2.6** दिया गया हैं। शेष छह अनुबंधों[40] में पाइप की मोटाई को लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि यह माप पुस्तकों में दर्ज नहीं थी।

[40] (1) नर्मदा झाबुआ पेटलावद थानला सरदारपुर (एनजेपीटीएस), मोटाई की माप दर्ज नहीं की गई (2) आईएसपी-पार्वती चरण-III और IV का लैइंग कार्य (स्थिति मार्च 2023) तक नहीं किया गया था, (3) रानी दुर्गावती, (4) नागलवाड़ी, (5) पिपरी, मोटाई की माप दर्ज नहीं की गई (6) मोटाई दर्ज नहीं की गई।

चूँकि स्टील के उपयोग से संबंधित विवरण विभागीय निर्माण माप पुस्तिकाओं में उपलब्ध था, इसलिए डिजाइन विनिर्देशों में विचलन की निगरानी संबंधित कार्यपालन यंत्री द्वारा की जानी चाहिए थी। निगरानी आवश्यकताओं का पालन न करने के परिणामस्वरूप न केवल ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ, बल्कि अवमानक कार्य भी हुआ, जिसका प्रभाव ऐसी बड़ी परियोजनाओं में निर्माण की गुणवत्ता पर पड़ सकता है।

विभाग ने बताया (जनवरी 2025) कि ई.पी.सी. के कार्य के क्षेत्र के अनुसार, ठेकेदार को कार्य को पूर्ण करने के लिए विशिष्टियों के अनुसार अपना सर्वश्रेष्ठ तकनीकी-आर्थिक डिजाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। तदनुसार, राइजिंग मेन/ग्रेविटी मेन का डिजाइन ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे सदस्य अभियांत्रिकी द्वारा अनुमोदित किया गया था। पाइप के स्वीकृत डिजाइन और मोटाई के अनुसार, कार्य को कार्यान्वयित किया गया है। आई.आई.एस.सी. बैंगलोर से विस्तृत एन.आई.टी. की धारा 1.18 (1.1) (11) के अनुसार सर्ज एनालिसिस भी प्राप्त किया गया है और तदनुसार आवश्यक वाल्व प्रदान किए जाते हैं। ठेकेदार को अनुचित वित्तीय लाभ का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि आईएस 3589 की तालिका 5 में एमएस पाइप के बाहरी व्यास के अनुसार पाइप के वजन और मोटाई का उल्लेख केवल वरीयता के लिए किया गया था और यह केवल एक दिशानिर्देश है; एमएस पाइपलाइन की मोटाई की गणना आईएस कोड 5822 के अनुसार की जानी है, इसके अलावा आईआईएससी बैंगलोर द्वारा पाइपलाइन की जांच की गई है, जिसमें सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के पश्चात मोटाई ली गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पाइप की न्यूनतम मोटाई के लिए अधिकतम तीन मानदंडों को ही लिया जाना था, जो विभाग द्वारा नहीं किया गया। इसके अलावा, विभाग ने केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारणों की व्याख्या नहीं किया है। आई.एस.कोड 5822 का उपयोग करके मोटाई की गणना के संबंध में उत्तर भ्रामक है क्योंकि आई.एस.कोड 5822 यह भी निर्धारित करता है कि आई.एस.कोड 3589 से प्राप्त न्यूनतम मोटाई के अधीन न्यूनतम नॉमिनल मोटाई की गणना की जानी चाहिए।

2.1.6.6 फीडर बे के कारण अधिक भुगतान

अनुबंध की शर्त 1.11 के अनुसार, सभी प्रस्तावित पंपिंग स्टेशनों को डेडिकेटेड लाइन द्वारा बिजली प्रदान की जाएगी और विभिन्न पंपिंग स्टेशनों के लिए एचटी/ एलटी बिजली लाइन, ट्रांसफार्मर, सब-स्टेशन उपलब्ध कराने की लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी। ट्रांसफार्मर, केबल, एचटी/ एलटी लाइन और संबंधित घटकों को प्रदान करना एवं इनमें कोई भी आधिक्य/ संशोधन कार्य क्षेत्र के भीतर होगा।

यह पाया गया कि एनडी संभाग 8, सनावद एवं एनडी संभाग 25, नर्मदा नगर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दो एम. आई. पी. (नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना और समूह एम. आई. पी.) में, फीडर बे/ फीडर पैनल की लागत को प्राक्कलनों में सम्मिलित किया गया था और इस प्रकार प्राप्त पी.ए.सी. को निविदा में सम्मिलित किया गया था। हालांकि, कार्य को सौंपे जाने के बाद, फीडर बे की लागत ₹ 4.52 करोड़ रुपये (₹ 4.10 करोड़ + ₹ 0.42 करोड़) को विभाग द्वारा मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को अलग से भुगतान किया गया। चूंकि अनुबंध एक टर्न-की अनुबंध था, फीडर बे की लागत को ठेकेदार द्वारा वहन किया जाना था। इस प्रकार, बिजली कंपनी को अलग से फीडर बे की लागत का भुगतान करने के परिणामस्वरूप विभाग द्वारा अधिक भुगतान किया गया और ठेकेदार को उस सीमा तक अनुचित लाभ हुआ।

विभाग ने निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2025) में बताया कि फीडर बे की लागत विभाग द्वारा वहन की जाएगी क्योंकि यह ट्रांसफार्मर का एक हिस्सा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फीडर बे, कार्य क्षेत्र में आने वाले विद्युत निर्माण कार्य का एक भाग था। इसका अनुमान इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि ठेकेदार से एक अन्य परियोजना (आई.एस.पी.-कालीसिंध चरण-1 एम.आई.पी.) के मामले में विभाग ने स्वयं ही फीडर बे (₹ 7.68 करोड़) के कारण त्रुटिपूर्ण रूप से भुगतान की गई लागत की वसूली की थी।

2.1.6.7 इन्टेक लेवल में परिवर्तन के कारण पानी की अनुपलब्धता

सभी एम.आई.पी. की योजना और कार्यान्वयन जल स्रोत की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, ताकि परियोजना की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके और रबी मौसम के दौरान 120 दिनों के लिए कमान क्षेत्र में पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पाती एम.आई.पी. को बड़वानी जिले की पाती तहसील में 5,940 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए डिजाइन किया गया था (प्रशासनिक स्वीकृति अक्टूबर 2017 में दी गई थी)। पाती एम.आई.पी. की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) और अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार, सरदार सरोवर बांध के बैकवाटर से अमलाली गाँव (बड़वानी जिले) के पास 110 मीटर की ऊँचाई पर स्थित स्थान से पानी को वितरण बिंदु पर 250 मीटर की ऊँचाई तक उठाया जाना था। यह कार्य जनवरी 2020 में मेसर्स राधे कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड को ₹ 111.11 करोड़ की कुल लागत पर सौंपा गया था।

हालाँकि, ठेकेदार ने 117 मीटर के संशोधित स्तर पर पानी उठाने के लिए अमलाली गाँव से बिजासन गाँव तक पंप हाउस का स्थान बदलने का प्रस्ताव (नवंबर 2020) रखा। मुख्य अभियंता, आईएसपी (नहर) ने तदनुसार पंप हाउस के स्थान में परिवर्तन को मंजूरी दे दी (नवंबर 2020)।

प्रस्ताव के पीछे कोई वैध कारण/औचित्य नहीं था और न ही मुख्य अभियंता ने अनुमोदन के समर्थन में कोई विवरण दिया, जिसके परिणामस्वरूप मूल रूप से नियोजित डिजाइन में विचलन हुआ।

जहाँ से पानी उठाया जाना था, वहाँ ऊँचाई बढ़ने के कारण पानी की उपलब्धता बहुत कम हो गई। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि सरदार सरोवर बाँध का जलस्तर 2015-16 से 2022-23 (2019-20 को छोड़कर) की अवधि में 76 सप्ताह तक 117 मीटर से नीचे रहा। इनमें से रबी सीज़न[41] के दौरान भी 117 मीटर की गहराई पर पानी उपलब्ध नहीं था।

परिणामस्वरूप, पंपहाउस के स्थान में अनुचित परिवर्तन के कारण जल की उपलब्धता कम हो गई, जिससे ₹ 109.01 करोड़ व्यय होने के बावजूद परियोजना निष्फल हो गई।

विभाग ने निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2025) में कहा कि प्रकरण की जांच की जाएगी।

यह अनुशंसा की जाती है कि बिना पर्याप्त औचित्य के कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन की अनुमति देने के लिए संबंधित मुख्य अभियंता की भूमिका की विस्तृत जाँच की जाए, जिससे परियोजना निष्फल हो गई। तदनुसार, उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता है।

2.1.6.8 कमान क्षेत्र के कवरेज में विचलन

एनआईटी में अनुबंध की शर्तों के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया था कि सफल बोलीदाता मानचित्र में दर्शाए गए क्षेत्र के भीतर सिंचाई कमान क्षेत्र चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा। उसे निम्न-स्तरीय क्षेत्रों को चुनने और उच्च-स्तरीय क्षेत्रों को

[41] 2015-16 (17 सप्ताह), 2017-18 (15 सप्ताह) और 2018-19 (पांच सप्ताह) = 37 सप्ताह।

छोड़ने की स्वतंत्रता नहीं होगी। सिंचित क्षेत्रों का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाएगा और बोलीदाता के लिए बाध्यकारी होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित 18 एम.आई.पी. [42] में से 16 में वास्तविक निष्पादन के दौरान कमान क्षेत्र के ग्रामों के कवरेज में विचलन था जैसा कि नीचे **तालिका 2.9** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.9: अनुमोदित डीपीआर से विचलन

परियोजना का नाम	अनुमोदित डीपीआर में शामिल किए जाने वाले गांवों की संख्या	अनुमोदित डीपीआर (हेक्टेयर) के अनुसार कवर किया जाने वाला सीसीए	वास्तव में कवर किए गए गांवों की संख्या	सीसीए ने वास्तव में कवर किया (हेक्टेयर)	डीपीआर और वास्तविक गांवों के बीच भिन्नता (संख्या में)	डीपीआर और वास्तविक के बीच सीसीए में भिन्नता (संख्या में)
किल्लोद	29	10,000	25	10,000	-4	0
छीपानेर	76	35,000	69	35,062	-7	62
नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना	162	30,000	100	30,234	-62	234

(**स्रोत:** विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए डीपीआर और रिकॉर्ड)

इस प्रकार, कार्य के दायरे में अनियमित परिवर्तन के परिणामस्वरूप सिंचाई के क्षेत्र में ग्रामों के कवरेज में विचलन हुआ था।

2.1.6.9 कार्यों के कार्यान्वयन में अवलोकित किए गए विचलन

- कमान एरिया को छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जिसे चक कहा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पानी (एम.आई.पी. से) सिंचाई के लिए इच्छित क्षेत्रों तक पहुंचे। 18 चयनित एम.आई.पी. के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक चक का क्षेत्र 20 हेक्टेयर है जिसका अर्थ है कि प्रत्येक 20 हेक्टेयर (यानी, चक में प्रत्येक 2.5 हेक्टेयर के लिए एक आउटलेट) में पानी के आठ आउटलेट प्रदान किए जाने हैं। चकों के कवरेज में कमियों का वर्णन नीचे किया गया है:

13 अप्रैल 2023 को पूर्ण हुई छैगांवमाखन एम.आई.पी. [43] के प्रकरण में, तकनीकी स्वीकृति और अनुबंध की शर्तों के अनुसार, 35,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के निर्माण के लिए 1,750 चक (20 हेक्टेयर) और 14,000 आउटलेट (1,750 x 8 आउटलेट) की आवश्यकता थी। अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार 35,000 हेक्टेयर में सिंचाई को 2.5 हेक्टेयर चक में विभाजित करके प्राप्त किया जाना था। अंतिम चक का आकार 2.5 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए।

यह पाया गया कि ठेकेदार ने 35,000 हेक्टेयर में सिंचाई प्रदान करने के लिए 1,650 चक और 13,200 आउटलेट बनाए हैं, जो दर्शाता है कि कमान क्षेत्र को कवर करने के लिए पर्याप्त आउटलेट का निर्माण नहीं किया गया था।

[42] रानी दुर्गावती एम.आई.पी. के मामले में, गाँवों की संख्या या कमांड क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालाँकि, ठेकेदार द्वारा कुछ गाँवों का कमांड क्षेत्र कम कर दिया गया, जबकि अन्य का बढ़ा दिया गया।

[43] सीएमएलआईएस के कार्य के लिए अनुबंध की कुल राशि ₹ 536.994 करोड़ थी।

कमान क्षेत्र के कम कवरेज के परिणामस्वरूप ठेकेदार को नहीं किये गए कार्य के लिए ₹ 30.68 करोड़[44] का अधिक भुगतान किया गया।

कार्यपालन यंत्री ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि अनुमान केवल टोपो शीट और गूगल सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया था। विभागीय डीपीआर और अनुमान केवल सांकेतिक थे ताकि बोलीदाताओं को परियोजना को समझने में मदद मिल सके। इसलिए, 13,200 आउटलेट (जैसा कि ठेकेदार द्वारा प्रदान किया गया था) 35,000 हेक्टेयर के कमान क्षेत्र के लिए पर्याप्त थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यपालन यंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अनुबंध में 2.5 हेक्टेयर के अंतिम चक आकार को ध्यान में रखते हुए 13,200 आउटलेट (जो सिंचाई के लिए अधिकतम 33,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर कर सकते हैं) 35,000 हेक्टेयर के अपेक्षित कवरेज क्षेत्र के लिए पर्याप्त कैसे थे।

- आईएसपी-कालीसिंध चरण 1 एम.आई.पी. के मामले में, समझौते की धारा 27 के अनुसार, अन्य वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्र को आईएसपी-कालीसिंध चरण 1 के कमान क्षेत्र से बाहर रखा जाना था और ओवरलैपिंग कमान क्षेत्र में छोटे टैंकों के लिए आउटलेट (एन.वी.डी.ए. द्वारा) प्रदान किए जाने थे।

यह देखा गया कि कार्यपालन यंत्री एनडी संभाग 32, बरवाह ने (अगस्त 2018) जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री देवास, शाजापुर और सीहोर से आईएसपी-कालीसिंध चरण-1 के कमान में ओवरलैपिंग हो रहे वृहद और मध्यम परियोजनाओं को सूचित करने का अनुरोध किया। एनडी संभाग नंबर 32 के रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी से संकेत मिलता है कि 54 एमसीएम के लाइव स्टोरेज वाले 40 छोटे टैंक डब्ल्यूआरडी, देवास के अधिकार क्षेत्र में थे। कार्यपालन यंत्री एनडी संभाग नंबर 32 ने यह भी पुष्टि की कि कमान क्षेत्र में 26.070 एमसीएम के लाइव स्टोरेज वाले 27 छोटे टैंक थे। हालांकि, इन छोटे टैंकों को आउटलेट प्रदान करने से संबंधित अभिलेख न तो अवधारणा रूपांकन रिपोर्ट में और न ही माप पुस्तिका में पाए गए।

कार्यपालन यंत्री ने बताया (अगस्त 2023) कि टैंकों के लिए आउटलेट उपलब्ध कराए जाएँगे। चूँकि वाल्वों की खरीद प्रक्रियाधीन है, इसलिए छोटे टैंकों के लिए आउटलेट लगाने का काम अभी शुरू नहीं हुआ है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि परियोजना के कमान क्षेत्र में आने वाले छोटे टैंकों को पानी की आपूर्ति के लिए कोई प्रावधान अवधारणा रूपांकन रिपोर्ट में नहीं किया गया था और रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था, जिससे पता चले कि आउटलेट प्रदान किए जाने चाहिए और वाल्व के क्रय का सीधे तौर से संबंध छोटे टैंकों को प्रदान किए जाने वाले आउटलेट से नहीं था।

2.1.7 एम.आई.पी. की निगरानी और रखरखाव

2.1.7.1 जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एम.आई.पी. की निगरानी

नर्मदा नियंत्रण बोर्ड की 27 जुलाई 2021 को आयोजित 70वीं बैठक में जारी निर्देशों के अनुसार, चालू एवं पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की निगरानी के लिए गठित समिति द्वारा पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के कमान क्षेत्र में अंतिम छोर तक जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, चालू एम.आई.पी. का निरंतर निरीक्षण किया जाए ताकि तकनीकी मापदण्ड एवं गुणवत्ता

[44] 2,000 हेक्टेयर X (₹ 536.994 करोड़ / 35,000 हेक्टेयर)

सुनिश्चित की जा सके, आगामी एम.आई.पी. में अपेक्षित सुधार के लिए किसानों से फीडबैक एवं सुझाव लिए जाएँ तथा जल उपयोगकर्ता संस्थाओं का गठन किया जाए।

पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं डेटा अधिग्रहण (स्काडा) प्रणाली में 2.5 हेक्टेयर तक स्वचालन, 20 हेक्टेयर चक आउटलेट तक प्रवाह और दाब नियंत्रण, और 2.5 हेक्टेयर चक आउटलेट पर केवल चालू/ बंद नियंत्रण, परिचालन विवरण सहित, शामिल है। यह अवधारणा में प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी कि संभाग 2.5 हेक्टेयर चक पर 20 मीटर का शीर्ष कैसे प्राप्त करेगा। केंद्रीय निगरानी को सक्षम बनाने के लिए, आउटलेट्स पर फील्ड कंट्रोलर यूनिट (एफ.सी.यू.) स्थापित की जाएंगी। ये इकाइयाँ परिचालन डेटा (जैसे वाल्व की स्थिति, प्रवाह दर, आदि) एकत्र करेंगी और इसे नियमित अंतराल पर रिमोट कंट्रोल सेंटर में स्थित मुख्य सर्वर को प्रेषित करेंगी।

आठ एम.आई.पी. से संबंधित एक लेखापरीक्षा प्रश्न[45] (सितंबर 2023) के उत्तर में, मुख्य अभियंता इंदिरा सागर परियोजना नहरें, सनावद, एन.वी.डी.ए. ने कहा (जून 2024) कि हरसूद, किल्लौद, पामाखेड़ी, भुरलाय, कोदवार, पुनासा- एक्स एम.आई.पी. (छह एम.आई.पी.) के मामले में, अंतिम छोर तक पानी की उपलब्धता का आश्वासन स्काडा और निरीक्षण के माध्यम से किया जा रहा है। छैगांवमाखन एम.आई.पी. के मामले में, यह कहा गया कि वर्ष 2022-23 में, छैगांवमाखन माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का परीक्षण किया गया था और परीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया गया था कि पूरे कमान क्षेत्र में सिंचाई के लिए उचित पानी की उपलब्धता थी। वर्ष 2023-24 के रबी सीजन में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पानी अंतिम छोर तक पहुंचे। स्काडा के माध्यम से उचित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि, उत्तरों के समर्थन में सहायक अभिलेख (लेखापरीक्षा द्वारा अनुरोध किए जाने के बावजूद भी) प्रस्तुत नहीं किए गए, इसलिए यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अंतिम छोर पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निगरानी की गई थी।

बलवाड़ा एम.आई.पी.[46] के मामले में, स्काडा प्रणाली निष्क्रिय पाई गई (लेखापरीक्षा द्वारा 10 जुलाई 2023 को संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया) और किसानों को दिए गए पानी से संबंधित रिकॉर्ड भी विभाग के पास उपलब्ध नहीं हैं। मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजना, इंदौर ने कार्यपालन यंत्री द्वारा निरीक्षण की तिथियों[47] की जानकारी दी। जून 2024 में बताया गया कि संचालन एवं रखरखाव एजेंसी के निर्धारण के बाद बलवाड़ा एम.आई.पी. की स्काडा प्रणाली का रखरखाव सफलतापूर्वक किया जाएगा, जिसके लिए निविदा जारी कर दी गई है।

इस प्रकार, सभी आठ पूर्ण हो चुकी एम.आई.पी. के मामले में, अंतिम छोर के क्षेत्र सहित संपूर्ण कमान क्षेत्र में सिंचाई के लिए समुचित जल उपलब्धता से संबंधित सूचना की अनुपलब्धता के कारण, लेखापरीक्षा यह आश्वासन नहीं प्राप्त कर सकती कि एम.आई.पी. के परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

स्काडा के अनुचित कार्य और गलत रिपोर्ट तैयार किए जाने के संबंध में, विभाग ने निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2025) में कहा कि चूंकि परियोजनाएँ नई हैं, इसलिए जो कमियां होंगी या पाई जाएंगी, उन्हें सुधारा जाएगा।

[45] आठ पूर्ण हो चुके एम.आई.पी. के मामले में विभाग द्वारा एनसीबी की 70वीं बैठक में जारी निर्देशों के अनुपालन की जानकारी प्राप्त करना।

[46] बलवाड़ा एम.आई.पी. को पानी की आपूर्ति नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक (एनकेएसएल) परियोजना के ब्रेक प्रेशर टैंक के माध्यम से की जाती है।

[47] 20-01-2020, 25-11-2021, 10-12-2022 एवं 08-01-2023 कार्यपालन यंत्री द्वारा।

2.1.7.2 वार्षिक निरीक्षण और स्काडा का अपर्याप्त सूचना प्रणाली

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के पैरा 8.016 के अनुसार, मुख्य अभियंता द्वारा वार्षिक/आवधिक निरीक्षण में (i) वृहद परियोजनाओं के सभी शीर्ष कार्य प्रतिवर्ष और (ii) मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य 4 वर्षों में कम से कम एक बार शामिल हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चले कि पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया था, यद्यपि मुख्य अभियंता (सीई), आईएसपी (नहर) सनावद और, मुख्य अभियंता एलएनपी इंदौर के अधीन क्रमशः दस एम.आई.पी. और दो एम.आई.पी. पूर्ण हो चुके थे।

यह भी देखा गया कि स्काडा प्रणाली के आउटलेट प्रबंधन प्रणाली (ओएमएस) बॉक्स 20 हेक्टेयर चक पर प्रदान किए गए थे, उसके बाद पाइपों को 2.5 हेक्टेयर चक तक बढ़ाया गया था और प्रत्येक परियोजना में ओएमएस बॉक्स से स्काडा नियंत्रण कक्ष तक डेटा ट्रांसमिशन डिजाइन किया गया था। हालांकि यह देखा गया कि 20 चकों में से कुछ आउटलेट में, आउटपुट हेड को 20 मीटर हेड के नीचे इस आधार पर डिजाइन किया गया था कि ओएमएस बॉक्स के बाद नीचे की ओर ढलान है, इसलिए 20 मीटर का आवश्यक हेड प्राप्त किया जाएगा। इस प्रकार, डिजाइन किया गया डेटा अधिग्रहण सिस्टम 2.5 हेक्टेयर चक में वितरित पानी का वास्तविक डेटा प्राप्त करने में असमर्थ था। इसलिए, 2.5 हेक्टेयर चक के आउटलेट पर आवश्यक हेड सुनिश्चित नहीं किया गया था और अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित दबाव मानकों की भी निगरानी नहीं की जा रही थी।

मुख्य अभियंता, आईएसपी, सनावद ने बताया (जून 2024) कि पूर्ण हो चुके एम.आई.पी. से किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, पूरे रबी सीजन के दौरान फील्ड स्टाफ द्वारा 20 हेक्टेयर/ 2.50 हेक्टेयर चक तक पानी के स्रोत, पंप, मोटर, राइजिंग मेन, ग्रेविटी मेन और वितरण प्रणाली से लेकर पूरी प्रणाली की निरंतर निगरानी की जा रही है। यह भी बताया गया कि आउटलेट मैनेजमेंट सिस्टम (ओएमएस) 20 हेक्टेयर चक के केंद्र के पास प्रदान किया गया है, ओएमएस स्थान और 2.50 हेक्टेयर चक स्थान पर हेड अंतर बहुत कम है क्योंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्यादा नहीं है। इसके अलावा, यदि 2.5 हेक्टेयर चक स्थान के वास्तविक डेटा को मापने का प्रावधान किया जाता है तो 2.5 हेक्टेयर चक पर अलग से ओएमएस उपलब्ध कराना होगा, जिसे उपलब्ध कराना और बनाए रखना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

मुख्य अभियंता, एलएनपी, इंदौर ने (जून 2024) बताया कि बलवाड़ा और अलीराजपुर लिफ्ट माइक्रो सिंचाई परियोजनाएँ हैं। मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के अनुसार बाँध और खुली नहर प्रणाली के लिए निरीक्षण दिशानिर्देश दिए गए हैं। पाइप सिंचाई नेटवर्क के लिए कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए आवश्यकतानुसार उच्च अधिकारियों द्वारा परियोजना का निरीक्षण किया गया। आगे बताया गया कि प्रत्येक 20 हेक्टेयर चक को 2.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले आठ चकों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक उप-चक पर न्यूनतम 20 मीटर के क्षेत्र में आवश्यक हेड सुनिश्चित करने के लिए परियोजना को टेल से हेड तक डिजाइन किया गया है और पानी की मात्रा/ डिस्चार्ज की गणना परियोजना के कार्य के साथ चक संचालन के समय को गुणा करके की जा सकती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के मामले में निरीक्षण का विवरण रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था। इसप्रकार के अभिलेखों की कमी सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता को कम करती है। इसके अलावा, स्काडा के माध्यम से 2.5 हेक्टेयर चक पर वितरित पानी का विवरण दर्ज नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप,

लेखापरीक्षा इस बात का पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ है कि निरीक्षण किए गए हैं और 2.5 हेक्टेयर चक में अपेक्षित आउटलेट प्रदान किए गए हैं।

2.1.7.3 अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार मापों की निगरानी

अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार, ठेकेदार को कार्य के विभिन्न घटकों के सभी मापों को माप पुस्तिकाओं/ स्तर फ़ील्ड पुस्तिकाओं में दर्ज करना होगा और आवश्यकतानुसार क्रॉस-सेक्शन शीटों में अंकित करना होगा और वास्तविक कार्यान्वयन के अनुसार प्राप्त मात्राओं को, तथा स्थायी संदर्भ के लिए उपयोगी क्रॉस-सेक्शन को अंकित करना होगा। अनुबंध की धारा 106.10 के अनुसार, भुगतान से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा सभी छिपे हुए मापों की 100 प्रतिशत जाँच की जाएगी। मापों को दर्ज करने की यही प्रक्रिया कार्य के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य सभी मदों और गतिविधियों के लिए भी लागू होगी।

➢ विस्तृत मापों का रिकॉर्ड न करना

अलीराजपुर, छीपानेर, छैगांवमाखन, पाती, एनजेपीटीएस, रानी दुर्गावती में माप पुस्तिकाओं में विस्तृत माप दर्ज नहीं पाए गए और पिपरी में ट्रेंच और बैकफिलिंग का माप केवल लंबाई के आधार पर किया गया था, जिसमें ट्रेंच की गहराई और चौड़ाई का उल्लेख नहीं था। इसके अलावा, माप दर्ज करने की तारीख माप पुस्तिका में दर्ज नहीं की गई थी। बलवाड़ा एम.आई.पी. और छैगांवमाखन एम.आई.पी. और हरसूद एम.आई.पी. की माप पुस्तिकाओं की नमूना जांच में पाया गया कि अनुबंध की शर्त के अनुसार, पाइपलाइन पर गनिटिंग[48] के लिए न्यूनतम मोटाई 30 मिमी होगी, लेकिन माप में मोटाई का उल्लेख/ रिकॉर्ड नहीं किया गया था। मिट्टी की खुदाई के लिए माप विस्तृत क्रॉस-सेक्शनल माप के बजाय रनिंग मीटर में दर्ज किए गए थे। विस्तृत माप के अभाव में, पाइपलाइन के ऊपर दोनों तरफ न्यूनतम स्थान और रेतीली या मुरुम मिट्टी के लिए प्रदान की गई कुशन को दिशानिर्देशों[49] के प्रावधानों के अनुरूप सत्यापित नहीं किया जा सका।

सदस्य (अभियांत्रिकी) ने बताया (दिसंबर 2023) कि रखरखाव अनुसूची में मदवार दरें निर्धारित करने के लिए मापों को संपूर्ण मद की इकाई के अनुसार दर्ज किया जाता है, न कि विस्तृत मापों के अनुसार। टर्न-की अनुबंध उन बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए अपनाया जाता है जिनमें मद दर के अनुसार आगे बढ़ना संभव नहीं होता। अनुबंध के अनुसार, कार्य विभाग में प्रचलित विनिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध में ही अनुमान तैयार करने और माप दर्ज करने के प्रावधान शामिल थे, जो नहीं किए गए थे। विस्तृत माप के बजाय समग्र माप की अनुमति देना, इस प्रकार अनियमित था।

➢ हार्ड रॉक का लेखा न होना

अनुबंध की विशेष शर्तों के अनुसार, ठेकेदार इस परियोजना पर निर्माण कार्य हेतु उत्खनित उपयोगी मिट्टी, पत्थर और अन्य निर्माण सामग्री का निःशुल्क उपयोग कर सकता है और उद्धृत दरों में इस उपयोग को शामिल किया जाएगा। इस अनुबंध

[48] यह शुष्क मिश्रित शॉटक्रीट लगाने की विधि है, शॉटक्रीट मोर्टार या कंक्रीट है जिसे एक नली के माध्यम से पहुंचाया जाता है और उच्च वेग से सतह पर प्रक्षेपित किया जाता है, जिसे एयर-ब्लोन मोर्टार भी कहा जाता है, इसे वायुचालित रूप से लगाया गया मोर्टार या कंक्रीट, स्प्रे मोर्टार और गन कंक्रीट भी कहा जाता है।

[49] जुलाई 2017 में भारत सरकार, सीडब्ल्यूसी जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण द्वारा पाइप सिंचाई नेटवर्क की योजना और डिजाइन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।

के अंतर्गत कार्यों में ठेकेदार द्वारा उपरोक्त सामग्री के उपयोग पर, खनन/ राजस्व विभाग के नियमों के अनुसार ठेकेदार से रॉयल्टी शुल्क लिया जाएगा।

आईएसपी-पार्वती चरण-III और IV के इनलेट चैनल का दृश्य

12 कार्यों की तकनीकी स्वीकृति में, हार्ड रॉक के उत्खनन मद में 16.85 लाख घन मीटर हार्ड रॉक का आंकलन किया गया। कार्यान्वयन के दौरान, सात कार्यों में उत्खनित हार्ड रॉक को न तो दर्ज किया गया और न ही एमएएस[50] खाते में लिया गया और न ही संभाग में यह दर्शाने के लिए कोई रिकॉर्ड रखा गया कि ठेकेदार द्वारा कितनी मात्रा में हार्ड रॉक का उपयोग किया गया। विवरण **परिशिष्ट 2.7** में दिया गया है। हार्ड रॉक का ढेर न लगाना और एमएएस खाते का रखरखाव न करना, कार्यों की अपर्याप्त निगरानी का संकेत देता है और रॉयल्टी शुल्क के रूप में ₹ 2.16 करोड़ की अनुमानित राशि के राजस्व के रिसाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

2.1.7.4 सुपरवाइजरी कंट्रोल और डेटा एक्विजिशन सिस्टम

सुपरवाइजरी कंट्रोल और डेटा अधिग्रहण प्रणाली (स्काडा) सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तत्वों की एक प्रणाली है जो वास्तविक समय के डेटा की निगरानी, एकत्रीकरण और प्रसंस्करण, स्थानीय या दूरस्थ स्थानों पर प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने, सेंसर, वाल्व, पंप, मोटर जैसे उपकरणों के साथ सीधे इन्टरैक्ट करने और लॉग फ़ाइल में घटनाओं को रिकॉर्ड करने की अनुमति देती है।

अनुबंध समझौते के भाग-III के अनुसार, योजना की तकनीकी निगरानी उपकरण, स्वचालन और स्थानीय स्काडा प्रणाली पर निर्भर है। स्काडा प्रणाली के उद्देश्यों में अन्य बातों के अलावा, हाइड्रोलिक मापदंडों की निगरानी और नियंत्रण, विद्युत ऊर्जा की निगरानी, 2.5 हेक्टेयर तक के चक में वितरण नेटवर्क में निगरानी और मापन, और उपकरणों, जैसे पंप, मोटर आदि की निगरानी शामिल थी। सभी 18 एम.आई.पी. परियोजनाओं में, उपकरणों की कार्यक्षमता की निगरानी और उनकी रिपोर्टिंग के लिए स्काडा प्रणाली का प्रावधान किया गया था। पूर्ण हो चुकी एम.आई.पी. के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान निम्नलिखित पाया गया:

अ. पाँच एम.आई.पी. वाले समूह एम.आई.पी. के प्रकरण में, मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित भुगतान अनुसूची की जाँच से पता चला कि समूह एमआईएस की भुगतान अनुसूची में कोई ऑन/ ऑफ वाल्व शामिल नहीं था। इसके अलावा, माप पुस्तिकाओं (एमबी) की जाँच में ऑन/ ऑफ वाल्वों की स्थापना के माप भी एमबी में दर्ज नहीं पाए गए, इसलिए प्रत्येक 2.5 हेक्टेयर चक पर आवश्यक ऑन/ ऑफ वाल्व की व्यवस्था लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी। ऑन/

[50] मटेरियल एट साइट।

ऑफ वाल्व के अभाव में, स्काडा के माध्यम से प्रत्येक 2.5 हेक्टेयर चक में छोड़े गए पानी की रिपोर्टिंग और उसका संचालन संभव नहीं था।

इसके अलावा, विभाग द्वारा समूह माइक्रो परियोजना और हरसूद एम. आई. पी. को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के बाद, ठेकेदार ने संचालन और रखरखाव का काम शुरू किया, लेकिन ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकरण और स्वचालन की निगरानी पर स्कॉडा के माध्यम से उत्पन्न रिपोर्ट संभाग के अभिलेखों में नहीं पाई गई। इस प्रकार, विभाग के पास मोटरों और पंपों के प्रदर्शन और प्रत्येक 2.5 हेक्टेयर आउटलेट पर पानी के निर्वहन का आकलन करने का कोई साधन नहीं था। ऐसी स्थिति में, लेखापरीक्षा पूरे रबी मौसम में पानी की मात्रा की आपूर्ति और दक्षता के बारे में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी।

कार्यपालन यंत्री एनडी संभाग क्रमांक 25, नर्मदा नगर ने (जून 2023) बताया कि जल की दक्षता और आपूर्ति की निगरानी स्काडा प्रणाली के माध्यम से की जा रही है और इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। हालाँकि, निगरानी के उद्देश्य से पंप हाउसों पर रजिस्टर बनाए जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह दावा कि स्कॉडा के माध्यम से निगरानी की जा रही थी, स्कॉडा द्वारा उत्पन्न रिपोर्टों की प्रतियों द्वारा समर्थित नहीं था। इसके अलावा, संभाग पंपों के संचालन से संबंधित उपरोक्त रजिस्टर प्रदान नहीं कर सका, इस दावे के बावजूद कि पंपहाउस में उनका संधारण किया जा रहा था।

ब. छैगांवमाखन परियोजना में स्काडा के माध्यम से जल प्रवाह से संबंधित गलत आँकड़े तैयार किए जा रहे थे। स्काडा के अपर्याप्त संचालन के कारण निगरानी अप्रभावी रही। विभाग ने संपूर्ण स्काडा प्रणाली के लिए ₹ 24.16 करोड़ का भुगतान किया था, जो कि एक निष्क्रिय व्यय के रूप में बना रहा।

कार्यपालन यंत्री एनडी संभाग 13, खंडवा ने कहा (अगस्त 2023) छैगांवमाखन लिफ्ट सिंचाई परियोजना के इन्टेक पॉइंट पर वनस्पति वृद्धि की सफाई अगले रबी सीजन पंपिंग से पहले यानी अगले नवंबर 2023 से पहले सुनिश्चित की जाएगी। आगे बताया गया कि दिसंबर-2022 और जनवरी 2023 के लिए पीएच-1 से डिस्चार्ज की रिपोर्ट में फ्लो मीटर सेंसर की खराबी और फ्लो मीटर की नॉन-कैलिब्रेटेड रीडिंग के कारण गलत डिस्चार्ज आँकड़े दिखाई दे रहे हैं। अगली रबी पंपिंग से पहले फ्लो मीटर के रि-कैलिब्रेशन द्वारा इसे ठीक कर लिया जाएगा।

बलवाड़ा माइक्रो सिंचाई योजना में, आउटलेट मैनेजमेंट सिस्टम (ओएमएस बॉक्स), ऑनलाइन बॉक्स और उसमें लगे सभी कंट्रोलिंग सिस्टम नष्ट हो गए थे। सिस्टम को स्काडा के बजाय मैन्युअल रूप से संचालित किया जा रहा था। ओएमएस बॉक्स से आठ आउटलेट उपलब्ध कराने के स्थान पर, ठेकेदार ने प्रत्येक10 हेक्टेयर के दो रिमोट टर्मिनल यूनिट (आरटीयू) उपलब्ध कराई। इन आरटीयू से 2.5 हेक्टेयर चक के लिए 04 आउटलेट दिए गए। आरटीयू भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त था और काम नहीं कर रहा था।

क्षतिग्रस्त ओएमएस बॉक्स (RBC229) का दृश्य
जुलाई 2023 तक की स्थिति

नोड R229 के क्षतिग्रस्त RTU2 का दृश्य
जुलाई 2023 की स्थिति

स्काडा की कार्यात्मकता की हानि के साथ ओ.एम.एस. बॉक्स और आर.टी.यू. के नष्ट होने का तात्पर्य है कि प्रणाली की निगरानी या नियंत्रण अब दूर से नहीं किया जा सकता है। चूँकि स्काडा प्रणाली वास्तविक समय में डेटा संग्रह, स्वचालित वाल्व संचालन और पानी की सटीक शेड्यूलिंग को सक्षम बनाती है, इसलिए उपकरण को नुकसान जल वितरण में सटीकता को कम कर सकता है और रिसाव, पाइप फटने या प्रणाली की विफलताओं का पता लगाने में विफलता हो सकती है।

कार्यपालन यंत्री एनडी संभाग क्रमांक 8, सनावद ने बताया (जुलाई 2023) कि वर्षा ऋतु में बलवाड़ा परियोजना का रखरखाव एवं संचालन कार्य असंचालित है, पिछले रबी सीजन की सिंचाई में स्काडा का उपयोग किया गया था। कृषकों द्वारा क्षतिग्रस्त ओएमएस एवं आरटीयू बॉक्स की मरम्मत एवं रखरखाव चालू रबी मौसम में संचालन एवं रखरखाव एजेंसी द्वारा किया जाएगा तथा स्काडा का उपयोग करके जल का नियमन किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संचालन एवं रखरखाव अनुबंध की धारा 15, "वित्तीय बोली" के अनुसार, संचालन एवं रखरखाव अनुबंध में संचालन के साथ-साथ सभी नियमित रखरखाव कार्य और ब्रेकडाउन रखरखाव भी शामिल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, धारा 8.1 के अनुसार, अनुबंध के निष्पादन के दौरान और उसके परिणामस्वरूप होने वाली भौतिक संपत्ति की हानि या क्षति तथा व्यक्तिगत चोट का जोखिम ठेकेदार की ज़िम्मेदारी है।

अलीराजपुर लिफ्ट सिंचाई योजना में, स्काडा कक्ष में प्रदर्शित 1,742 में से 538 ओएमएस बॉक्स डिस्कनेक्टेड पाए गए तथा इन ओएमएस बॉक्स के माध्यम से सिंचाई का डेटा भी 'शून्य' प्रदर्शित किया जा रहा था।

कार्यपालन यंत्री एनडी संभाग 16, कुक्षी ने बताया (सितंबर 2023) कि किसानों द्वारा कंट्रोल बॉक्स और सोलर पैनल से छेड़छाड़ के कारण 538 बक्सों डिस्कनेक्ट हुए थे जिनकी मरम्मत की जा रही है। हालांकि, ट्रायल रन के दौरान 21,160 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की गई है। इसे माप पुस्तिका में दर्ज नहीं किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि डिस्कनेक्ट किए गए ओएमएस बॉक्सों के कारण किसानों को पानी की आपूर्ति की निगरानी का अनुबंध में उल्लिखित उद्देश्य विफल रहा।

2.1.7.5 सिंचाई के लिए पानी का परीक्षण

केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी पाइप सिंचाई नेटवर्क की योजना और डिजाइन के दिशानिर्देशों के पैरा 5.3 के अनुसार, पाइप के किफायती आकार का निर्धारण करने के लिए, डिजाइनर को डिजाइन चरण में पाइप सामग्री पर पानी की गुणवत्ता के संभावित प्रभावों

और उम्र के साथ पाइपों के क्षरण पर विचार करना होगा। सिंचाई जल की गुणवत्ता का निर्धारण IS 11624:1986 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना था।

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 18 में से 10 एम.आई.पी. के संबंध में एनडी संभागों में से किसी ने भी जल गुणवत्ता परीक्षण नहीं किया। जल गुणवत्ता परीक्षण न किए जाने से यह संकेत मिलता है कि पाइप के किफायती आकार और पाइप सामग्री पर जल गुणवत्ता के संभावित प्रभावों के निर्धारण के लिए जल गुणवत्ता कारक पर विचार नहीं किया गया।

2.1.7.6 जल उपयोगकर्ता समूहों का गठन न होना

केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी पाइप सिंचाई नेटवर्क की योजना और डिजाइन के लिए दिशानिर्देशों के पैरा 2.6 के अनुसार, जब पाइप सिंचाई प्रणाली को एक ही समय में कमान में पूरे आउटलेट चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्रोत में पानी के स्तर को सख्ती से बनाए रखने के लिए उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। पानी के दुरुपयोग को तुरंत सही उपयोगकर्ता द्वारा पता लगाया जाता है, जिसकी आपूर्ति गायब हो जाती है क्योंकि चक/ ब्लॉक का क्षेत्र तुलनात्मक रूप से बहुत छोटा है। पाइप सिंचाई नेटवर्क के साथ, इसे आसानी से पाइप आउटलेट के निर्वहन को कृषि योग्य क्षेत्र के अनुपात में रखने के लिए डिजाइन किया जा सकता है, और सभी आउटलेट एक समय में चलते हैं, इसलिए कमान के शीर्ष, मध्य और अंतिम छोर में कोई अंतर नहीं है। पाइप सिंचाई नेटवर्क के कार्यान्वयन से पहले उपयोगकर्ता समूह को बनाना और आगे के पर्यवेक्षण और सुरक्षा के लिए नेटवर्क को तुरंत उपयोगकर्ता समूह को सौंपना आवश्यक है।

यह पाया गया कि किसी भी एम.आई.पी. के संबंध में कार्य कार्यान्वयन से पहले जल उपभोक्ता समूहों का गठन नहीं किया गया था। हालाँकि, चार एनडी संभागों के छह एम.आई.पी. के संबंध में परियोजनाओं के पूरा होने के बाद जल उपभोक्ता संथाओं का गठन किया गया। परिणामस्वरूप, ओएमएस बॉक्सों को हुए नुकसान, कमान कवरेज में विचलन से संबंधित मुद्दे सामने आए, जैसा कि ऊपर दी गई कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

मुख्य अभियंता, एलएनपी, इंदौर ने बताया (जून 2024) कि बलवाड़ा एम.आई.पी. के मामले में तीन जल उपयोगकर्ता संथाओं का गठन किया जा चुका है। मुख्य अभियंता, आईएसपी (नहर) सनावद ने बताया (जून 2024) कि छैगांवमाखन लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए, 35,000 सीसीए के लिए 19.09.2022 को कुल 20 जल उपयोगकर्ता संथाओं का गठन किया जा चुका है। नागलवाड़ी, पाती, पिपरी के लिए जल उपयोगकर्ता संथाओं का गठन प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा, विभाग ने निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2025) में बताया कि कार्य कार्यान्वयन से पहले यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था क्योंकि टर्न-की ठेकेदार अपना डिजाइन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र था।

उत्तरों से इंगित हुआ कि दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार समय पर पर्यवेक्षण और सुरक्षा के लिए पाइप सिंचाई नेटवर्क के कार्यान्वयन से पहले उपयोगकर्ता समूहों का गठन नहीं किया गया था। परियोजना कार्यान्वयन से पहले जल उपयोगकर्ता समूहों का गठन सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने, बुनियादी ढांचे की रक्षा करने, समान जल वितरण बनाए रखने और पाइप सिंचाई नेटवर्क की समग्र स्थिरता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

2.1.7.7 बलवाड़ा माइक्रो सिंचाई योजनाओं का संचालन और रखरखाव

बलवाड़ा माइक्रो सिंचाई योजना के संचालन एवं रखरखाव का कार्य मेसर्स लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 49.20 लाख की निर्धारित अनुबंध राशि पर 24 महीने की निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के लिए सौंपा गया था (18 अक्टूबर 2021)। अनुबंध के अनुसार, ठेकेदार को आवश्यकतानुसार कमान क्षेत्र के किसानों को सिंचाई जल उपलब्ध कराना था, कमान क्षेत्र के किसानों से संवाद स्थापित करना था, सिंचाई की रिपोर्टिंग एवं रखरखाव करना था, तथा अभिलेख एवं विभागीय नियमों के अनुसार सिंचाई के बिल तैयार करना था। किसानों को सिंचाई के बिलों का वितरण भी अनुबंध का एक भाग था।

यह पाया गया कि कार्य कार्यान्वयन ठेकेदार ने वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए वार्षिक संचालन योजनाएँ प्रस्तुत नहीं कीं। संचालन-पश्चात एवं रखरखाव कार्यों के मामले में, विभाग द्वारा ठेकेदार को कार्य के संचालन एवं रखरखाव हेतु नियमित मासिक भुगतान (कुल राशि ₹ 18.45 लाख) किया गया, परन्तु ठेकेदार द्वारा सिंचाई के बिलों की तैयारी एवं वितरण से संबंधित अभिलेख नहीं पाए गए। इस प्रकार, लेखा परीक्षा इस बात का पर्याप्त आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी कि आपूर्ति किए गए पानी की मात्रा को ठीक से दर्ज किया जा रहा है, और प्रत्येक किसानों को पानी की आपूर्ति के लिए बिल बनाए जा रहे हैं।

इसके अलावा, अनुबंध की शर्तों में यह भी कहा गया था कि प्रत्येक माह के अंत में, या एन.वी.डी.ए. की पहल पर, एक दौरा आयोजित किया जाएगा ताकि दोनों पक्ष संस्थापन के स्थल की स्थिति की जाँच कर सकें। दोनों पक्षों की राय दर्ज करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के लेखापरीक्षण के दौरान अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि ठेकेदार ने स्काडा के माध्यम से वितरण नेटवर्क संचालित किया था।

शासन का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2025)

2.1.8 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने 4.91 लाख हेक्टेयर सी.सी.ए. को कवर करने वाली 18 एम.आई.पी. के कार्यान्वयन की नमूना जांच की, इनमें से विभाग अगस्त 2024 तक 97,843 हेक्टेयर सी.सी.ए. (20 प्रतिशत) वाली नौ परियोजनाओं को पूर्ण कर सका और शेष नौ परियोजनाओं में से सात चल रही परियोजनाओं को 17 से 34 महीने के विलंब के साथ कार्यान्वित किया जा रहा था। टोपोग्राफी (स्थलाकृति) सर्वेक्षण के आधार पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप एकमुश्त आधार पर वस्तुओं को शामिल करने, पहले से ही यू.एस.आर. में शामिल वस्तुओं, विभाग द्वारा भुगतान की जाने वाली वस्तुओं और अनुमान से ठोस चट्टान के मूल्य में कटौती न करने के कारण प्राक्कलन बढ़े हुए थे।

कमांड क्षेत्र में विचलन देखा गया। 2.5 हेक्टेयर चक के निकास पर पानी का आवश्यक दबाव को सुनिश्चित नहीं किया गया था। ठेकेदारों द्वारा आवश्यक अनापत्तियाँ प्राप्त करने में विलंब के कारण एम.आई.पी. के कार्यान्वयन में विलंब हुए, हालाँकि, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुए विलंबों के लिए शास्ति को आरोपित नहीं किया गया। मूल्य समायोजन के भुगतान में उच्चतर लिंकिंग फेक्टर अपनाने, भुगतान के लिए पूर्व तिथि को अपनाने, अंकगणितीय त्रुटि और सूचकांकों के गलत मानों के उदाहरण अवलोकित किए गए। राइजिंग मेन और ग्रेविटी मेन बिछाने के लिए पाइपों की मोटाई सीडब्ल्यूसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित नहीं की गई थी।

सुपरवाइजरी कंट्रोल और डेटा एक्विजिशन सिस्टम की अपर्याप्त कार्यप्रणाली को अवलोकित किया गया, जो विभाग द्वारा एम.आई.पी. के कार्यप्रणाली की अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है।

2.1.9 अनुशंसाएं

यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग:

- विस्तृत स्थलाकृतिक, मिट्टी और जलवैज्ञानिक आंकलन के साथ पाइप सिंचाई कार्यों के लिए सटीक लागत प्राक्कलनों को तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधानों के अनुसार व्यापक सर्वेक्षण कर सकता है ;

(कंडिका 2.1.5.1)

- वित्त विभाग के समन्वय के साथ बजट और व्यय देनदारियों का मूल्यांकन कर सकता है ताकि पर्याप्त धन सुनिश्चित किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधि जारी करना परियोजना के माइलस्टोन के अनुरूप है ;

(कंडिका 2.1.5.4)

- पर्यावरणीय अनापत्ति एवं भूमि अधिग्रहण सहित प्रारंभिक कार्यों को समय के भीतर अंतिम रूप दे सकता है और ठेकेदार के विलंब के लिए शास्ति को सख्ती से लागू कर सकता है ;

(कंडिका 2.1.6.1)

- पर्याप्त औचित्य के बिना त्रुटिपूर्ण लिंकिंग फेक्टर को अपनाने और कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन के परिणामस्वरूप चूक और अनुचित चूक के कार्यों के लिए संबंधित अधिकारियों पर जांच और उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकता है ;

(कंडिका 2.1.6.3 एवं 2.1.6.8)

- एम.आई.पी. के वास्तविक समय के डाटा की निगरानी, संग्रहण और प्रसंस्करण हेतु स्काडा के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित कर सकता है।

लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

2.2 कार्य पूर्ण होने की तिथि के बाद मूल्य समायोजन के लिए ₹ 7.30 करोड़ का अनियमित भुगतान

एक ठेकेदार को कार्य पूरा होने की तिथि के बाद संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) पर मूल्य समायोजन के लिए अनियमित रूप से ₹ 7.30 करोड़ का भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को अधिक भुगतान और अनुचित लाभ हुआ।

नर्मदा मालवा गंभीर लिंक योजना के कार्यान्वयन के साथ ही एक पूर्णतः चालू प्रणाली के संचालन एवं रखरखाव हेतु 18 महीने की अवधि के लिए टर्न-की आधार पर निविदाएँ आमंत्रित (नवंबर 2014) की गईं। यह कार्य एक ठेकेदार को ₹ 1,842 करोड़ के अनुबंध मूल्य पर सौंपा गया (फरवरी 2015), जो निविदा में रखे गए कार्य के मूल्य, अर्थात ₹ 2,146.07 करोड़ से 14.168 प्रतिशत कम था। अनुबंध फरवरी 2015 में निष्पादित किया गया था, जिसमें वर्षा ऋतु सहित 36 महीने की निर्धारित अवधि थी, अर्थात कार्य 24 फरवरी 2018 तक पूरा किया जाना था। समझौते के धारा 31.8 में प्रावधान है कि ठेकेदार को भुगतान की गई राशि को वस्तुओं की लागत में वृद्धि या कमी के लिए त्रैमासिक रूप से समायोजित किया जाएगा। मूल्य समायोजन समझौते के धारा 113 में निर्धारित सूत्र के अनुसार किया जाएगा। मूल्य समायोजन धारा केवल उस कार्य के लिए लागू था जो ठेकेदार के लिए जिम्मेदार नहीं होने के कारणों के कारण निर्धारित अवधि या उसके विस्तार के भीतर किया जाता है।

समय-समय पर समय विस्तार दिया गया, 31 अक्टूबर 2020 तक का नवीनतम और पांचवां समय विस्तार अगस्त 2020 में दिया गया। सभी समय विस्तार अनुबंध भाग-II के धारा 74 के तहत मूल्य समायोजन के साथ प्रदान किए गए।

कार्यपालन यंत्री (ईई), ओ एस पी नहर संभाग, धामनोद के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2024) के दौरान पाया गया कि ईई ने 23 दिसंबर 2020 को कार्य के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया था, जिसमें प्रमाणित किया गया था कि कार्य 31 अक्टूबर 2020 को पूरा हो गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ओ एंड एम के लिए ठेकेदार को मार्च 2021 और जून 2022 के बीच 10 आर ए बिलों[51] के माध्यम से ₹ 7.30 करोड़ का मूल्य समायोजन का भुगतान किया गया था। चूँकि कार्य अक्टूबर 2020 में पूरा हो चुका था, इसलिए ओ एंड एम के लिए मूल्य समायोजन का भुगतान मान्य नहीं था।

सदस्य (वित्त) ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि सरकार के हितों की रक्षा के लिए, अनुबंध लागत का एक प्रतिशत रोक लिया जाना था और यह राशि संचालन एवं रखरखाव के दौरान ठेकेदार को मासिक आधार पर जारी की जानी थी। चूँकि संचालन एवं अनुरक्षण की 18 महीने की अवधि के दौरान ठेकेदार को मासिक आधार पर ₹ 1.02 करोड़ का भुगतान किया

[51]

आर ए बिल सं.	दिनांक	राशि
70	मार्च 2021	63,34,061
71	जून 2021	79,75,995
72 & 73	सितम्बर 2021	1,76,93,792
74 & 75	दिसंबर 2021	1,74,02,304
77	मार्च 2022	74,47,732
78, 79 और 80	जून 2022	1,61,07,365
	कुल	**7,29,61,249**

गया, जो कार्य का हिस्सा है जिसमें निर्माण के सभी घटक शामिल हैं। इसलिए, अनुमोदित भुगतान अनुसूची और अनुबंध धारा के अनुसार ओ एंड एम के लिए मूल्य समायोजन का भुगतान किया गया।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि अनुबंध लागत का एक प्रतिशत रोककर संचालन एवं रखरखाव अवधि के दौरान उसे जारी करने का प्रावधान मूल्य समायोजन धारा से अलग है। कार्य पूरा होने के बाद और ओ एंड एम अवधि के दौरान भी, मूल्य समायोजन के नाम पर ₹ 7.30 करोड़ का भुगतान स्पष्ट रूप से किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान हुआ। इसके अलावा, ओ एंड एम की लागत को कार्य के प्राक्कलन में अलग से शामिल किया गया था।

2.3 ठेकेदारों को ₹ 59.04 करोड़ का अनुचित लाभ

नर्मदा विकास संभाग 5, कटनी के ईई ने (i) अनुबंध के दायरे में काम को एक नए ठेकेदार को देने, (ii) अप्रत्याशित घटना के आधार पर अतिरिक्त भुगतान और (iii) सड़क की मरम्मत के लिए भुगतान की गई राशि की वसूली न करने के कारण ठेकेदारों को ₹ 59.04 करोड़ का अनुचित लाभ दिया।

टर्न-की आधार पर आर डी 104.00 किमी से 129.00 किमी तक बरगी डायवर्सन परियोजना के स्लीमनाबाद कैरियर नहर (बरगी राइट बैंक नहर पर) के कार्यान्वयन के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं (दिसंबर 2007)। कार्य मैसर्स पटेल-एसईडब्ल्यू (जेवी), हैदराबाद को ₹ 799.00 करोड़ के लिए प्रदान किया गया था, अर्थात 2007 के डब्ल्यूआरडी यूएसआर से 24.84 प्रतिशत अधिक। सम्पूर्ण कार्य को 40 महीनों में पूरा करने हेतु कार्यादेश 26 मार्च 2008 को जारी किया गया था। हालांकि, कार्य अभी भी प्रगति पर था (30 जून 2023) और ठेकेदार को सातवीं बार समय विस्तार दिया गया है। ठेकेदार को भुगतान की गई नवीनतम चालू बिल 338वां चलित देयक था, जिसमें किए गए कार्य का अद्यतन मूल्य ₹ 1,356.05 करोड़ था।

लेखापरीक्षा ने कार्य के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित मुद्दे देखे:

2.3.1 कार्य, जो मूल कार्य-सीमा के भीतर था, उसे नए ठेकेदार को देकर ठेकेदार को ₹ 13.24 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

एन आई टी शर्तों के धारा 1.6 के अनुसार, कार्य के दायरे में अन्य बातों के साथ-साथ डिजाइन के अनुसार सुदृढ़ीकरण के साथ कंक्रीट लाइनिंग, कान्ट्रैक्ट ग्राउटिंग, लाइनिंग के बाद समेकन ग्राउटिंग, खुदाई के दौरान व्यापक डी-वाटरिंग (अपेक्षित ग्राउंड वॉटर टेबल बेड लेवेल से 6-8 मीटर ऊपर था), शॉटक्रिटिंग[52], समेकन ग्राउटिंग[53], रॉक बोल्टिंग[54], आरसीसी लैगिंग, स्थायी स्टील सपोर्ट आदि शामिल थे।

ईई, एनडी संभाग 5, कटनी (सितंबर 2024) के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि निर्माणाधीन स्लीमनाबाद टनल के चयनित हिस्सों में आरडी 107.00 कि.मी. से 111.80 कि.मी. के बीच मिट्टी स्थिरीकरण के लिए सीमेंट कांक्रीट ग्राउट ब्लॉक्स[55] के निर्माण के लिए एक अनुबंध (मार्च 2023) अन्य ठेकेदार (एम/एस फ़ालौडी कंस्ट्रक्शन्स) के माध्यम से

[52] शॉर्टक्रेटिंग: ऊर्ध्वाधर सतह पर उच्च वेग कंक्रीट लगाना।

[53] समेकन ग्राउटिंग: समेकन ग्राउटिंग कमजोर या खंडित चट्टान द्रव्यमान को मजबूत करने और विसंगतियों (दरारें, छेद, आदि) में ग्राउट को इंजेक्ट करके पारगम्यता को कम करने के लिए है।

[54] रॉक बोल्टिंग: एक तकनीक जिसका उपयोग पत्थर के द्रव्यमानों को स्थिर करने के लिए ड्रिल किए गए छेदों में बोल्ट या केबल डालकर किया जाता है।

[55] सीमेंट ग्राउट ब्लॉक मिट्टी में तरल सीमेंट डालकर उसे कठोर बनाने तथा स्थिरीकरण हेतु उपयोग किए जाते हैं।

निष्पादित किया गया था, जिसकी अनुबंध राशि ₹ 9.76 करोड़ थी। मार्च 2023 में 17वें चलित देयक के भुगतान तक ₹ 13.24 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

कार्य के दायरे के अनुसार, यह कार्य मेसर्स पटेल-एसईडब्ल्यू (जेवी) द्वारा बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के किया जाना था, यह अनुबंध टर्न-की आधार पर था, लेकिन अनुबंध के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, कार्य आवंटित किया गया और अन्य ठेकेदार के माध्यम से कार्यान्वयित किया जा रहा था (नवंबर 2021)। इसके परिणामस्वरूप न केवल अतिरिक्त भुगतान हुआ, बल्कि मेसर्स पटेल-एसईडब्ल्यू (जेवी) को ₹ 13.24 करोड़ (मार्च 2023 तक) का अनुचित लाभ भी दिया।

इसे इंगित किए जाने पर (जुलाई 2024), एनवीडीए के सदस्य (वित्त) ने कहा (फरवरी 2025) कि स्लीमनाबाद सुरंग का निर्माण "खुदाई और बोर (पारंपरिक)" पद्धति के तहत प्रस्तावित किया गया था और जिन अनुमानों पर निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, वे उसी आधार पर तैयार किए गए थे। यद्यपि कार्य की वास्तविक लागत का आकलन करने के लिए वास्तविक भूवैज्ञानिक स्थितियों का पता लगाने के लिए अधिक भूवैज्ञानिक जाँच की आवश्यकता थी, लेकिन चूंकि कार्य टर्न-की आधार पर आमंत्रित किया गया था, इसलिए यह माना गया कि की गई जाँच पर्याप्त थी, यह मानते हुए कि सुरंग के संरेखण में भूवैज्ञानिक स्तर समान होंगे। लेकिन सुरंग निर्माण के दौरान, उच्च जल स्तर और विषम स्तरों के कारण, 2,700 मीटर लंबे क्षेत्र में फैले शहर के निवासियों को नुकसान होने की संभावना थी। चूंकि भूमि स्थिरीकरण का प्रावधान न तो अनुमान में किया गया था, न ही कार्य के दायरे में इसका उल्लेख किया गया था, इसलिए, ग्राउटिंग का काम अलग से किया गया और अलग से निविदा आमंत्रित की गई। यह कार्य 26 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में स्वीकृत किया गया।

उत्तर भ्रामक है क्योंकि कार्य की मद पहले से ही कार्यक्षेत्र में थी और विभाग द्वारा भूवैज्ञानिक स्तर की धारणा के संबंध में विभाग का तर्क न्यायोचित नहीं था क्योंकि भू-स्तर कार्य के वास्तविक विवरण का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण और जाँच की जिम्मेदारी टर्न-की ठेकेदार के पास थी। इस प्रकार, इस मद का कार्य किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से कराने के परिणामस्वरूप मूल ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ।

2.3.2 अप्रत्याशित घटना की दलील पर ₹ 39.60 करोड़ का अनियमित भुगतान

एन आई टी शर्तों के धारा 23 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी अप्रत्याशित घटना की परिस्थितियों में उचित समझे जाने पर अतिरिक्त समय की अनुमति देगा। हालाँकि, अप्रत्याशित घटना के कारण ठेकेदार को हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई मुआवजा देय नहीं होगा। इसके अलावा, अनुबंध के खंड II के अनुभाग III के धारा 31 के अनुसार, अप्रत्याशित घटना की परिभाषा नियोक्ता और ठेकेदार के नियंत्रण से परे एक ऐसी घटना है, जो किसी पक्ष के लिए कार्य करना असंभव या अवैध बना देती है।

इसके अलावा, उक्त अनुबंध के खंड II के अनुभाग III के धारा 31.5 में यह प्रावधान है कि यदि अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप कार्य को हानि या क्षति होती है, तो ठेकेदार अप्रत्याशित घटना से पूर्व अनुबंध के अनुसार कार्यान्वयित कार्य की लागत को अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र में शामिल करने का हकदार होगा।

बरगी डायवर्जन परियोजना का उद्देश्य बरगी बांध (नर्मदा नदी पर स्थित) के पानी को शुष्क क्षेत्र की ओर मोड़ना था। इस परियोजना में कटनी जिले की स्लीमनाबाद तहसील के पास 10 मीटर व्यास वाली 12 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण शामिल है। भूवैज्ञानिक जाँच पर आधारित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करते समय, खुदाई और बोरिंग स्थल का जल स्तर बहुत ऊँचा था, इसलिए जल निकासी को कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया। सुरंग खोदते समय, टनल

बोरिंग मशीन (टीबीएम) का उपयोग करते हुए पानी उच्च दाब के साथ आ रहा था और ठेकेदार को अपने संसाधनों से सुरंग से जल निकासी करनी पड़ी।

कार्य की जाँच के दौरान यह पाया गया कि एनवीडीए की 257वीं बैठक में विभाग ने सीई द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का संज्ञान लिया था, जिसमें अत्यधिक जल-निकासी से उत्पन्न स्थिति और उसके लिए अप्रत्याशित घटना के अंतर्गत किए जाने वाले भुगतान के बारे में बताया गया था। सीई ने अप्रत्याशित घटना के अंतर्गत अनुबंध की धारा 31.5 के अंतर्गत ₹ 20.81 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान करने की स्वीकृति दी (फरवरी 2023)। विभाग ने जल-निकासी के लिए 338वें आर ए बिल तक ₹ 39.60 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया।

विभाग द्वारा किया गया भुगतान अनुबंध के प्रावधानों के विरूद्ध था क्योंकि एन आई टी शर्तों के धारा 23 में केवल अप्रत्याशित परिस्थितियों में अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई थी, जैसा कि उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, सुरंग निर्माण के दौरान जल निकासी भी कार्य के दायरे में थी और यह अलग से देय नहीं था।

सदस्य (वित्त) ने बताया (फरवरी 2025) कि प्रारंभिक जाँच के बाद इस निविदा के लिए कार्यक्षेत्र निर्धारित किया गया और निविदा में शामिल किया गया। सुरंग के तल से 6-8 मीटर ऊपर वॉटर टेबल अपेक्षित था, जिसका उल्लेख अनुबंध समझौते में किया गया है। हालाँकि, वास्तव में सुरंग संरेखण के साथ वॉटर टेबल 12-18 मीटर के बीच पाया गया। चूँकि कार्य परिस्थितियाँ जैसा अनुबंध समझौते में उल्लिखित था, से पूरी तरह बदल चुकी थीं और ऐसी कठिन परिस्थिति के कारण, विभाग ने कार्य प्रगति में तेजी लाने के लिए धारा 31.5 को लागू करने का निर्णय लिया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जल निकासी कार्यक्षेत्र में थी और यह अलग से देय नहीं था।

2.3.3 सड़क पुनर्स्थापन के लिए एनएचएआई को किए गए भुगतान के लिए ठेकेदार से ₹ 6.20 करोड़ की राशि की वसूली न होना

अनुबंध के खंड-II के अनुभाग-IV के धारा 24 के अनुसार, एक नहर प्रणाली में एनएच, एसएच, अन्य सड़कों, रेलवे लाइनों, तेल पाइपलाइनों, गैस पाइपलाइनों और जल पाइपलाइनों आदि के लिए कई क्रॉसिंग होने की संभावना है, और इन परिसरों को क्रॉस करने की अनुमति देने हेतु आवश्यक पत्र प्रभारी अभियंता द्वारा संबंधित प्राधिकारियों को जारी किया जाएगा। हालाँकि, ठेकेदार को अनुवर्ती कार्य करना होगा और संबंधित प्राधिकारियों से समय पर अनुमति प्राप्त करनी होगी। इन क्रॉसिंग की लागत बोली में शामिल है।

इसके अलावा, अनुबंध के खंड-II के अनुभाग-IV के धारा 117.1 के अनुसार, कार्य प्रारंभ होने की तिथि और दोष सुधार अवधि के अंत के बीच कार्य में शामिल किए जाने वाले कार्यों या सामग्रियों को होने वाली हानि या क्षति की भरपाई ठेकेदार को स्वयं के खर्च पर करनी होगी, यदि हानि या क्षति ठेकेदार के कार्य या चूक से उत्पन्न होती है।

लेखापरीक्षा में देखा गया (सितंबर 2024) कि अप्रैल 2022 में एक सुरंग की खुदाई के दौरान, जिस राष्ट्रीय राजमार्ग के नीचे से सुरंग गुजर रही थी, वह क्षतिग्रस्त हो गया और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने मरम्मत कार्य के लिए ₹ 18.06 करोड़ की मांग की। विभाग द्वारा आंशिक भुगतान (सितंबर 2022 और जनवरी 2023) के रूप में ₹ 6.20 करोड़ दो किश्तों में अदा की गई।

चूँकि सड़क को नुकसान ठेकेदार के कार्य के कारण हुआ था, ठेकेदार को अपनी लागत से एनएचएआई को भुगतान करना था। इस प्रकार, एनएच की मरम्मत के लिए एनवीडीए द्वारा एनएचएआई को ₹ 6.20 करोड़ का भुगतान करने से ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ।

सदस्य (वित्त) ने बताया (फरवरी 2025) कि जब निविदा लागत का आकलन किया गया था, उस समय एनएचएआई बाईपास सड़क और पुल अस्तित्व में नहीं था। चूँकि जो पुल ढह गया था, वह सरकारी संपत्ति थी, इसलिए पुल के नीचे सुरंग बनाने की अनुमति मांगते समय, किसी भी नुकसान की स्थिति में क्षतिपूर्ति का वचन एनएचएआई को दिया गया था। पुल की लागत की क्षतिपूर्ति का निर्णय अनुभाग IV के धारा 25, अनुबंध समझौते की विशेष शर्त के तहत था, जिसमें इसे एक संपत्ति माना गया है जिसकी क्षतिपूर्ति विभाग द्वारा की जानी है।

सदस्य (वित्त) का उत्तर भ्रामक है क्योंकि विभाग ने अगस्त 2008 में राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के नीचे सुरंग निर्माण के लिए सीई, राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति मांगी थी, यह दर्शाता है कि उस समय सड़क अस्तित्व में थी। इसके अलावा, अनुबंध समझौते की विशेष शर्त, अनुभाग IV के धारा 25 में केवल भूमि अधिग्रहण का प्रावधान है और यह तथ्य कि सुरंग निर्माण कार्य राजमार्ग के नीचे किया गया था, यह दर्शाता है कि भूमि अधिग्रहण पहले ही किया जा चुका था।

अध्याय III

खनिज साधन विभाग

अध्याय III: खनिज साधन विभाग

3.1 "मध्य प्रदेश में मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क के निर्धारण के लिए खनन पट्टे, खदान पट्टे और व्यापार खदान (रेत) में प्रत्याशित रॉयल्टी का मूल्यांकन और रिपोर्टिंग" पर अनुपालन लेखापरीक्षा

3.1.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश राज्य (म. प्र.) खनिज संपदा से समृद्ध है और राष्ट्रीय स्तर पर खनिज संसाधनों की उपलब्धता के प्रकरण में चौथे स्थान[56] पर है। प्रचलित अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के खनिज साधन विभाग की अपने खनिज संसाधनों के संरक्षण, जांच और अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। खनिजों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, अर्थात, प्रमुख और गौण खनिज। मध्य प्रदेश में उपलब्ध बॉक्साइट, कोयला, तांबा, लौह अयस्क, हीरा, चूना पत्थर, मैंगनीज और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज प्रमुख खनिजों की श्रेणी में आते हैं। गौण खनिजों में पत्थर, फ्लैग स्टोन, रेत, मुरम और अन्य खनिज शामिल हैं, जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा गौण खनिज घोषित कर सकती है। भारत सरकार के आदेश (मार्च 2015) के अनुसार प्रमुख खनिजों के लिए पट्टे को अधिकतम 50 वर्ष की अवधि के लिए निष्पादित किया जा सकता है। मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 22 (बी) के अनुसार गौण खनिजों के लिए पट्टा 30 वर्षों तक निष्पादित किया जा सकता है, जबकि रेत के लिए, जिसे गौण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण तथा व्यापार) नियम 2019 के नियम 9 के अनुसार निर्दिष्ट अवधि तीन वर्ष है।

खनिज अधिकारी खनन पट्टे[57], खदान पट्टे[58] और व्यापार खदान[59] (रेत खदान) के अंतर्गत देय या प्रदेय प्रत्याशित रॉयल्टी की राशि के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है, जिसे मुद्रांक शुल्क के लिए लिया जाता है। पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17(1) (डी) के अनुसार, एक वर्ष से अधिक की किसी भी अवधि के लिए अचल संपत्ति के पट्टों को आवश्यक मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क का भुगतान करके पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के साथ पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है। मुद्रांक शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (स्टाम्प अधिनियम) की अनुसूची I-A (संशोधित, 28 मार्च 2020) के अनुच्छेद 38 (बी) के अंतर्गत लगाया जाता है। मध्य प्रदेश शासन, परिपत्र दिनांक 15 मार्च 1993 में स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुद्रांक शुल्क की गणना के लिए औसत वार्षिक रॉयल्टी निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का प्रावधान है।

तालिका 3.1: मुद्रांक शुल्क की गणना के लिए औसत वार्षिक रॉयल्टी निर्धारित करने की प्रक्रिया

क्र. सं.	खनिज का प्रकार	औसत वार्षिक रॉयल्टी- नए पट्टे के लिए	औसत वार्षिक रॉयल्टी- नवीनीकरण के लिए
1	प्रमुख खनिज	आवेदन पत्र खनन योजना के उत्खनन की मात्रा के आधार पर, जो भी अधिक हो।	आवेदन पत्र के अनुसार उत्खनन की मात्रा या खनन योजना या पिछले तीन वर्षों में उत्खनन की गई औसत मात्रा, जो भी अधिक हो, के आधार पर।

[56] खनिज साधन विभाग के वर्ष 2021-22 के प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार।

[57] खनन पट्टे का अर्थ है प्रमुख खनिजों के लिए खनन कार्य करने के उद्देश्य से दिया गया पट्टा।

[58] खदान पट्टे का अर्थ है गौण खनिजों के लिए खनन पट्टा।

[59] व्यापार खदान का मतलब है वह खदान जिसके लिए काम करने का अधिकार नीलाम किया जाता है। इस अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में केवल रेत खदान के प्रकरणों को ही शामिल किया गया है।

क्र. सं.	खनिज का प्रकार	औसत वार्षिक रॉयल्टी- नए पट्टे के लिए	औसत वार्षिक रॉयल्टी- नवीनीकरण के लिए
2	गौण खनिज	आवेदन पत्र के अनुसार उत्खनन की मात्रा के आधार पर, या अनिवार्य भाटक, जो भी अधिक हो।	आवेदन पत्र के अनुसार उत्खनन की मात्रा के आधार पर, या पिछले तीन वर्षों में उत्खनन की गई औसत मात्रा या अनिवार्य भाटक, जो भी अधिक हो।
3	खानों की नीलामी	नीलाम की गई खदान की बोली राशि को प्रीमियम माना जाता है	

हालांकि, प्रत्याशित रॉयल्टी की गणना के लिए मानक प्रक्रिया को विभाग द्वारा 1993 से अद्यतन नहीं किया गया है। लेकिन राज्य में 1,098 में से 1,076 पट्टा विलेखों की नमूना जांच के दौरान, हमने पाया कि 1,008 प्रकरणों में प्रत्याशित रॉयल्टी की गणना खनन योजना के अनुसार प्रारम्भ के पांच वर्षों के लिए खनिज के औसत वार्षिक उत्पादन को उस खनिज के संबंध में अनुसूची में निर्दिष्ट रॉयल्टी की दर से गुणा करके पट्टा अवधि के लिए की गई थी, जो कुल खनन योग्य आरक्षित मात्रा पर देय रॉयल्टी तक सीमित थी। विदित है, प्रत्याशित रॉयल्टी की गणना की मौजूदा प्रथा का पालन विभाग के किसी आदेश मे निहित नहीं था।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग खनन पट्टे/खदान पट्टे/व्यापार खदान पट्टा अनुबंधों सहित विभिन्न दस्तावेजों के पंजीयन के लिए उत्तरदायी है और उन पर मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क निर्धारित करने एवं एकत्र करने के लिए भी उत्तरदायी है।

3.1.2 संगठनात्मक संरचना

खनिज साधन विभाग, प्रमुख सचिव, खनिज साधन, मध्य प्रदेश शासन के समग्र प्रभार के अंतर्गत कार्य करता है। संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, विभाग का प्रमुख है जिसे मुख्यालय में उप संचालकों तथा ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और रीवा में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जिला कलेक्टर जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख है तथा जिला खनिज अधिकारी (डीएमओ), सहायक खनिज अधिकारी (एएमओ) और खनिज निरीक्षक (एमआईएस) जैसे विभागीय अधिकारी उनकी सहायता करते हैं। डीएमओ/एएमओ और एमआई रॉयल्टी एवं अन्य खनन प्राप्तियों के मूल्यांकन, उद्ग्रहण एवं संग्रह के लिए उत्तरदायी हैं और खानों का निरीक्षण करने, खनिजों के उत्पादन एवं प्रेषण की समीक्षा करने के लिए अधिकृत हैं।

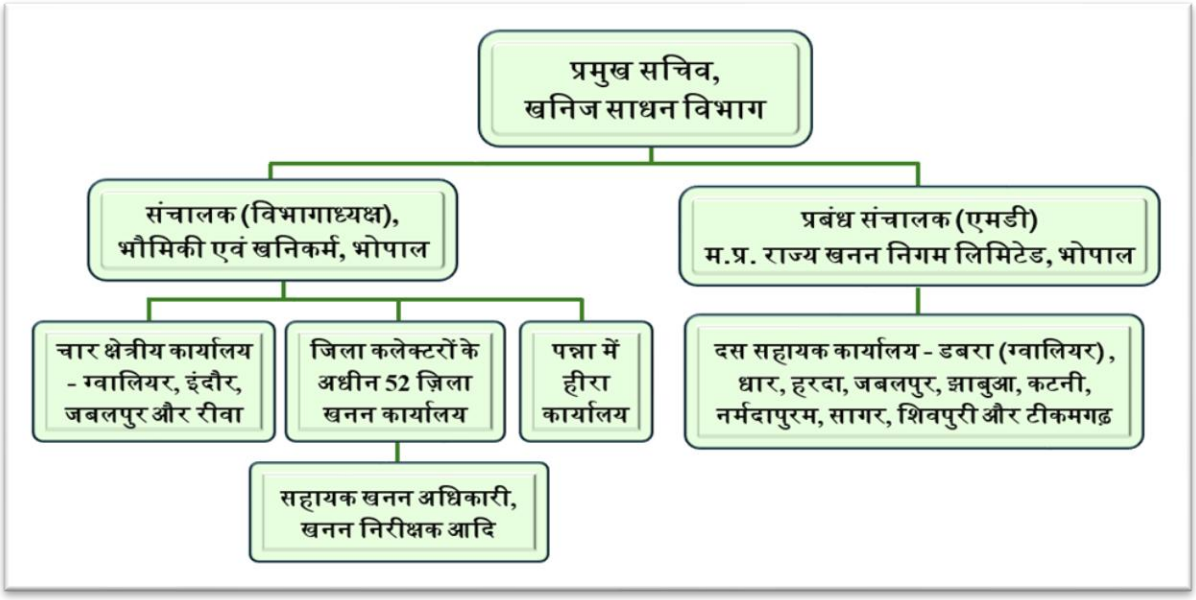

*(**स्रोत**: संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्य प्रदेश)*

3.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

लेखापरीक्षा यह मूल्यांकन करने के लिए की गई थी कि क्या खनन/खदान पट्टे/व्यापार खदान के अंतर्गत देय या प्रदेय रॉयल्टी की पूरी राशि का सही मूल्यांकन किया गया था और अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क आरोपित किया गया था।

लेखापरीक्षा मानदंड, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम), 1957 और मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 से प्राप्त किए गए थे। इसके अलावा, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, पंजीकरण अधिनियम, 1908 (संशोधनों के साथ) और मध्य प्रदेश उपकर अधिनयम (संशोधित), 2016 के प्रासंगिक प्रावधानों और उसके अंतर्गत नियमों को भी संदर्भित किया गया। इसके अलावा, रॉयल्टी, मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क और उपकर की लागू दर के लिए शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं, परिपत्रों और आदेशों का भी उल्लेख किया गया था।

मई 2023 से अक्टूबर 2023 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा के लिए 51 जिला खनिज कार्यालयों[60] (डीएमओ) में से 20 डीएमओ[61] का चयन सरल स्तरीकृत नमूना पद्धति द्वारा किया गया था। लेखापरीक्षा ने पट्टे की अवधि के अंतर्गत देय या प्रदेय रॉयल्टी के मूल्यांकन के लिए 2020-21 से 2022-23 की अवधि के बीच चयनित जिलों में पंजीकृत खनन और खदान पट्टा विलेख के आधार पर कुल 1,098 (135 प्रमुख खनिज, 947 गौण खनिज और रेत के 16 प्रकरण) में से 1,076 पट्टों (121 प्रमुख खनिज और 939 गौण खनिज और रेत के 16 प्रकरण) की जांच की। नमूना-जाँच डीएमओ में वर्ष 2020-21 से पूर्व स्वीकृत पट्टों की भी जांच की गई थी जिनमें या तो अनुबंधों को निष्पादित नहीं किया गया था, या इन अनुबंधों का पंजीयन मार्च 2023 के अंत तक लंबित था। एमपी स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमपीएसएमसीएल) से रेत खनन से संबंधित जानकारी/डेटा/अभिलेख भी एकत्र किए गए थे।
लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाईयाँ राज्य भर में फैली हुई हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

मानचित्र 3.1: लेखापरीक्षित इकाईयाँ (नीले रंग में दर्शायी गई)

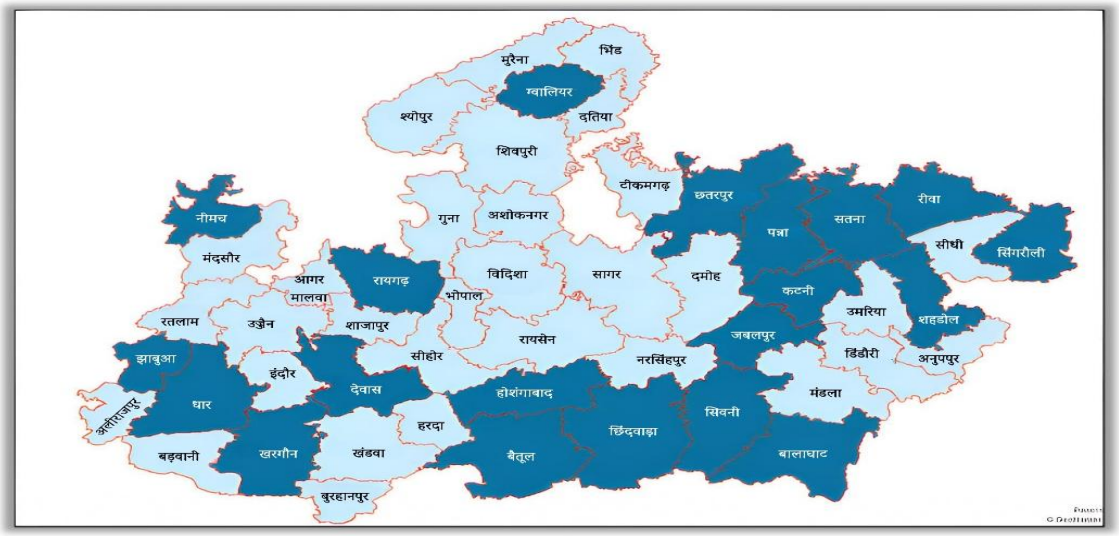

[60] वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान डीएमओ सागर में कोई खनन पट्टा पंजीकृत नहीं था, इसलिए 51 डीएमओ की नमूना संख्या से नमूना लिया गया था।

[61] डीएमओ बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, देवास, धार, ग्वालियर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खरगोन, नर्मदापुरम, नीमच, पन्ना, राजगढ़, रीवा, सतना, सिवनी, शहडोल और सिंगरौली।

संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म (एचओडी) और महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक (आईजीआरएस), मध्य प्रदेश (एचओडी) के साथ प्रवेश सम्मेलन क्रमशः 18 मई 2023 और 4 मार्च 2024 को आयोजित किया गया था। निर्गम सम्मेलन 19 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था।

लेखापरीक्षा के परिणामों को 18 सितंबर 2024 को विभाग/मध्य प्रदेश शासन को सूचित किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 2025)। हालांकि, विभागीय उत्तर, जहां भी प्राप्त हुए, उन्हें प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए प्रकरणों पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गयी है।

3.1.4 प्रत्याशित रॉयल्टी का गलत मूल्यांकन /मूल्यांकन न करना

3.1.4.1 खनिज की गलत मात्रा लेने के कारण प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 9 (2) के अनुसार, अधिनियम के लागू होने पर या उसके पश्चात दिए गए खनन पट्टे के धारक को किसी भी खनिज (उसके द्वारा या उसके एजेंट प्रबंधक कर्मचारी ठेकेदार या उप-पट्टेदार द्वारा निकाले गए या उपभोग किए गए) के संबंध में दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 (जनवरी 2021 में संशोधित) के नियम 29 (बी) के अनुसार खनिज के लिए अनुसूची III और VI में निर्दिष्ट दर पर करना होगा। इसके अलावा, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (28 मार्च 2020 को संशोधित) की अनुसूची I-ए के अनुच्छेद 38 (बी) में प्रमुख खनिज खनन पट्टे पर दो प्रतिशत और गौण खनिज खनन पट्टे पर 1.25 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क लगाने का प्रावधान है, जो ऐसे पट्टे के अंतर्गत देय या प्रदेय सम्पूर्ण राशि पर है। इसके अलावा, पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद II के अनुसार, पंजीयन शुल्क पट्टे पर मुद्रांक शुल्क के मूल्य के तीन-चौथाई की दर से लगाया जाएगा। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित देखा:

अ) अप्रैल 2020 और मार्च 2023 के बीच 20 जिला खनिज कार्यालयों (डीएमओ) के अंतर्गत अनुमोदित खनन योजना और पंजीकृत पट्टा विलेख के अनुसार 1,060 पट्टा फाइलों (121 प्रमुख खनिज और 939 गौण खनिज) की जांच के आधार पर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सात डीएमओ[62] से संबंधित 32 पट्टा विलेखों में, मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क के उद्देश्य के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी के निर्धारण के लिए खनिजों की मात्रा पर सही प्रकार से विचार नहीं किया गया था। गलत मूल्यांकन के कारण कम अवधि (वास्तविक कुल पट्टा अवधि की तुलना में) के लिए रॉयल्टी पर विचार, गलत औसत उत्पादन पर विचार, रॉयल्टी के स्थान पर अनिवार्य किराए की राशि पर विचार, कम क्षेत्रफल की मात्रा के अनुसार रॉयल्टी पर विचार आदि थे।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 130.96 करोड़ तक प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन हुआ, जिसके कारण ₹ 3.98 करोड़ का मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क और उपकर को कम वसूल किया गया था जैसा की **परिशिष्ट-3.1 (अ)** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

इसे इंगित किए जाने पर, छ:[63] डीएमओ ने बताया कि गहन जांच के पश्चात, प्रकरणों को उचित कार्रवाई के लिए जिला पंजीयक को भेजा जाएगा। श्री भूपेश रत्तीराम बावनकुडे, के प्रकरण में डीएमओ छिंदवाड़ा ने बताया है

[62] डीएमओ छतरपुर, छिंदवाड़ा, देवास, धार, जबलपुर, नीमच और सतना।

[63] डीएमओ छतरपुर, देवास, धार, जबलपुर, नीमच और सतना।

कि अनुमोदित खनन योजना का कवर पेज 25,000 घन मीटर खनिज की वार्षिक औसत मात्रा को इंगित करता है, जबकि खनन योजना के पृष्ठ संख्या 20 पर 12,500 घन मीटर की मात्रा निर्दिष्ट है। परिणामस्वरूप, खनिज की कुल मात्रा के आधार पर गणना की गई। कुल रॉयल्टी ₹ 1,50,00,000 (12,500 x 10 x 120) पर शुल्क लगाया गया था। खनन योजना के कवर पेज पर सूचीबद्ध मात्रा में सुधार का अनुरोध करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को एक पत्र भेजा जाएगा। एक प्रकरण (श्री विधान राकेश शर्मा) में यह कहा गया कि अनुमोदित पंचवर्षीय खनन योजना में प्रति वर्ष 1,04,861 टन की औसत खनिज मात्रा निर्दिष्ट की गई थी, जबकि औसत उत्पादन तालिका में इस आंकड़े को 1,00,000 टन प्रति वर्ष सूचीबद्ध किया गया था। परिणामस्वरूप, रॉयल्टी की गणना प्रति वर्ष 1,00,000 टन की औसत मात्रा के आधार पर की गई थी। मेसर्स मेघा मिनरल्स के प्रकरण में डीएमओ ने कहा कि जांच के पश्चात उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रथम प्रकरण के संदर्भ में डीएमओ छिंदवाड़ा का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 25,000 घन मीटर औसत वार्षिक मात्रा (स्वीकृत खनन योजना के अनुसार) के आधार पर न केवल खदान का जीवनकाल निर्धारित किया गया था, बल्कि भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति भी प्राप्त की गई थी। दूसरे प्रकरण में प्रत्याशित रॉयल्टी की राशि स्वीकृत खनन योजना में दी गई औसत मात्रा 1,04,861 प्रति टन के अनुसार गणना की जानी थी। अन्य उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 2025)।

ब) लेखापरीक्षा ने प्रत्याशित रॉयल्टी की गणना के लिए एक मानकीकृत प्रक्रिया की अनुपस्थिति भी पाई। यह देखा गया कि 1,060 में से 1,024 प्रकरणों में, प्रत्याशित रॉयल्टी खनन पट्टे के शुरुआती पांच वर्षों से उत्पादन के आंकड़ों को औसत करके निर्धारित की गई थी, जबकि सात डीएमओ[64] के अंतर्गत 36 प्रकरणों में, प्रत्याशित रॉयल्टी की गणना पांच वर्षों की अवधि की औसत के आधार पर नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप प्रत्याशित रॉयल्टी का ₹ 32.81 करोड़ रुपये कम मूल्यांकन हुआ है, जिसका मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क और उपकर की गणना पर ₹ 78.11 लाख रुपये का प्रभाव पड़ा जैसा कि **परिशिष्ट-3.1(ब)** में दर्शाया गया है।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, सभी सात डीएमओ ने कहा कि गहन जांच के पश्चात, प्रकरणों को उचित कार्रवाई के लिए जिला पंजीयक को भेज दिया जाएगा।

3.1.4.2 रॉयल्टी की गलत दर लागू करने के कारण प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 9 (1) और (2) के अनुसार, खनन पट्टे के प्रत्येक पट्टेदार को पट्टे के क्षेत्र से उसके द्वारा हटाए जाने या उपभोग किए जाने वाले खनिजों के संबंध में अनुसूची- II में निर्दिष्ट दरों पर रॉयल्टी का भुगतान करना होता है। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 (जनवरी 2021 में संशोधित) के नियम 29 (बी) के अनुसार अनुसूची-I और अनुसूची-II, में निर्दिष्ट खनिजों के लिए, चूना पत्थर को छोड़कर, अनुसूची- III में निर्दिष्ट दरों पर रॉयल्टी ली जाएगी। अनुसूची-V में निर्दिष्ट खनिजों के लिए, अनुसूची-VI में निर्दिष्ट दरों पर रॉयल्टी ली जाएगी। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की दूसरी अनुसूची (मद-9) के अनुसार तांबे की रॉयल्टी की दर उत्पादित अयस्क में निहित तांबा धातु पर प्रभार्य लंदन मेटल एक्सचेंज तांबा धातु मूल्य के 4.62 प्रतिशत की दर से देय है।

[64] डीएमओ बैतूल, छतरपुर, देवास, धार, ग्वालियर, जबलपुर और राजगढ़।

भारतीय स्टाम्प (आईएस) अधिनियम, 1899 की धारा 17 के अनुसार भारत में किसी भी व्यक्ति द्वारा शुल्क के साथ प्रभार्य और निष्पादित सभी अनुबंध को निष्पादन[65] के समय या उससे पहले मुद्रांकित किया जायेगा।

11 जिला खनन कार्यालयों[66] के अंतर्गत 1,060 पट्टा फाइलों, खनन योजनाओं और पट्टा विलेखों की लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि 28 पट्टा विलेखों में, जिला खनिज कार्यालयों ने ₹ 2,275.31 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1,012.41 करोड़ की प्रत्याशित रॉयल्टी का गलत निर्धारण किया था, ऐसा तांबे की लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) दर पर विचार न करने, गलत रॉयल्टी दरों को लागू करने और खनिज के लिए गलत औसत विक्रय मूल्य के उपयोग के कारण हुआ। जिसके कारण ₹ 1,262.90 करोड़ की प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन हुआ और परिणामस्वरूप ₹ 48.50 करोड़ के मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क और उपकर की कम वसूली हुई (**परिशिष्ट 3.2**)।

इंगित किये जाने पर 10 डीएमओ[67] ने कहा कि आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रकरणों की जांच की जाएगी। डीएमओ बालाघाट ने बताया कि मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क भविष्य में भुगतान की जाने वाली प्रत्याशित रॉयल्टी पर लगाए जाते हैं तथा तांबे की रॉयल्टी की दर लंदन मेटल एक्सचेंज द्वारा मासिक आधार पर निर्धारित की जाती है, जो अस्थिर है। इसलिए, पिछले दस वर्षों (2011 से 2020) में पट्टेदार द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी के आधार पर औसत रॉयल्टी की गणना की गई।

डीएमओ बालाघाट का उत्तर सही नहीं है, क्योंकि एमएमडीआर अधिनियम, 1957 (सितंबर 2014 में खान मंत्रालय द्वारा संशोधित) की दूसरी अनुसूची के अनुसार तांबे की प्रत्याशित रॉयल्टी की गणना उत्पादित अयस्क में निहित तांबे धातु पर प्रभार्य लंदन मेटल एक्सचेंज कॉपर धातु मूल्य के 4.62 प्रतिशत की दर से की जानी थी।

अन्य प्रकरणों में अंतिम उत्तर/कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2025)।

3.1.4.3 व्यापार खदान (रेत) के प्रकरण में ₹ 16.76 करोड़ की अनुबंध राशि के कम मूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 0.37 करोड़ के मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क की कम वसूली

मध्य प्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण और व्यापार) नियम, 2019 के नियम 9 में प्रावधान है कि समूह की खदानों की अनुबंध अवधि तीन वर्ष होगी और पहले वर्ष की गणना अनुबंधों के निष्पादन की दिनांक से वर्ष के 30 जून तक की जाएगी और अंतिम अवधि तीसरे वर्ष की 30 जून होगी। इसके अलावा, नियम 10 के अनुसार, निविदा में प्राप्त उच्चतम राशि वार्षिक अनुबंध राशि होगी और अनुबंध के पहले वर्ष में केवल वार्षिक अनुबंध राशि देय होगी। अनुबंध के दूसरे और तीसरे वर्ष में, अनुबंध राशि से 10 प्रतिशत अधिक देय होगा।

जैसा कि नीचे **तालिका 3.2** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है, तीन जिलों के अन्तर्गत तीन प्रकरणों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रत्याशित रॉयल्टी (अनुबंध राशि) की गलत गणना के कारण मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ था।

[65] उपकरण के संदर्भ में निष्पादित और निष्पादन का उपयोग, "हस्ताक्षरित" या "हस्ताक्षर" से होता है।

[66] डीएमओ बालाघाट, छतरपुर, देवास, धार, ग्वालियर, झाबुआ, कटनी, नर्मदापुरम, राजगढ़, रीवा और सतना।

[67] डीएमओ धार, झाबुआ, रीवा, छतरपुर, नर्मदापुरम, देवास, ग्वालियर, कटनी, राजगढ़ और सतना।

तालिका 3.2: अनुबंध राशि की गलत गणना दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	पट्टाकर्ता एवं पट्टाधारक का नाम	अनुबंध अवधि	वार्षिक अनुबंध राशि	मुद्रांक शुल्क के लिए विचार की गयी अनुबंध राशि	मुद्रांक शुल्क के लिए विचार की जाने वाली अनुबंध राशि	अंतर
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी=एफ-ई)
1	म.प्र. राज्य खनन निगम भोपाल और मेसर्स परम एजेंसीज	01/07/2022 से 30/06/2023	41.66	41.66	54.15[68]	12.49
2	डीएमओ, छतरपुर और पुष्पा एंटरप्राइसेस	12/05/2022 से 30/06/2023	30.11	35.72	38.14[69]	2.42
3	डीएमओ जबलपुर और मेसर्स शर्मा एसोसिएट्स	08/06/2022 से 30/06/2023	16.45	17.61	19.46[70]	1.85
योग			**88.22**	**94.99**	**111.75**	**16.76**
1.25 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क की कम वसूली						**0.21**
मुद्रांक शुल्क के 75 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क की कम वसूली						**0.16**

₹ 16.76 करोड़ की कम अनुबंध राशि पर विचार किए जाने के परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क के रूप में ₹ 0.37 करोड़ की कम वसूली हुई।

इस ओर इंगित किए जाने पर अतिरिक्त संचालक (भौमिकी) ने बताया कि एमपीएसएमसीएल से उत्तर प्राप्त होने के पश्चात लेखापरीक्षा को पृथक से उत्तर भेजा जाएगा और जिला खनिज अधिकारी, छतरपुर और जबलपुर ने बताया कि अभिलेखों की जांच के आधार पर ठेकेदारों से वसूली की जाएगी।

3.1.4.4 प्रत्याशित रॉयल्टी की गणना के दौरान विक्रय योग्य ओवरबर्डन की प्रत्याशित मात्रा पर विचार न करना

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (28 मार्च 2020 को संशोधित) की अनुसूची 1-ए के अनुच्छेद 38(बी) के अनुसार, खनन पट्टे (प्रमुख और गौण) को पंजीकृत करते समय ऐसे पट्टे के अन्तर्गत देय या वितरण योग्य पूरी राशि पर निर्दिष्ट दरों पर मुद्रांक शुल्क लगाने का प्रावधान है। खनिज साधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा अक्टूबर 2014 के आदेश द्वारा समस्त संभागीय अधिकारियों को अनुपयोगी खनिजों (ओवरबर्डन) की मात्रा एवं गुणवत्ता का मूल्यांकन कर निर्धारित दरों पर अग्रिम रॉयल्टी जमा करने के पश्चात ही विक्रय की अनुमति प्रदान करने के निर्देश जारी किये गये थे।

20 डीएमओ के अधीन 939 गौण खनिज पट्टा फाइलों, स्वीकृत खनन योजनाओं और पंजीकृत पट्टा विलेखों की लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि 12 डीएमओ[71] के अधीन 175 खदान पट्टा विलेखों में खदान पट्टा क्षेत्र में उपलब्ध ₹ 31.62 करोड़ मूल्य के खनिजों के विक्रय योग्य ओवरबर्डन की प्रत्याशित मात्रा पर देय रॉयल्टी के मूल्य पर डीएमओ

[68] प्रथम वर्ष के लिए देय अनुबंध राशि ₹ 41.65 करोड़ थी, दूसरे वर्ष के लिए ₹ 45.82 करोड़ (41.65+41.65x10%), तीसरे वर्ष के लिए ₹ 49.99 करोड़, चौथे वर्ष अर्थात विस्तारित अवधि के लिए ₹ 54.15 करोड़।

[69] देय मासिक अनुबंध राशि = ₹ 30,11,11,106/12 = ₹ 2,50,92,592, (₹ 5,01,85,184 "दो महीने के लिए" + ₹ 30,11,11,106x110%) = ₹ 38,14,07,401

[70] देय मासिक अनुबंध राशि = ₹ 16,44,55,000/12 = ₹ 1,37,04,583, (₹ 1,37,04,583 + ₹ 16,44,55,000x110%) = ₹ 19,46,05,083

[71] डीएमओ बैतूल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, देवास, धार, ग्वालियर, जबलपुर, झाबुआ, खरगोन, राजगढ़, सिवनी और सिंगरौली।

द्वारा विचार नहीं किया गया (**परिशिष्ट 3.3**)। अन्य आठ जिला खनिज कार्यालयों में स्वीकृत खदान पट्टों के क्षेत्र के अंतर्गत विक्रय योग्य ओवरबर्डन उपलब्ध नहीं था।

अधिकांश स्वीकृत खनिज योजनाओं में यह भी उल्लेख किया गया था कि ओवरबर्डन की मात्रा का विक्रय पट्टाधारक अक्टूबर 2014 के मध्य प्रदेश शासन के आदेश के अनुसार संबंधित प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर किया जाएगा। तदनुसार, कुछ प्रकरणों में ओवरबर्डन के रूप में उपलब्ध खनिज की मात्रा का विक्रय पट्टाधारक द्वारा जिला कलेक्टर से अनुमति प्राप्त कर निर्धारित दर पर अग्रिम रॉयल्टी जमा करने के पश्चात किया गया है।

हालांकि, प्रत्याशित रॉयल्टी में ओवरबर्डन के मूल्य को शामिल करने के लिए एमआरडी की ओर से स्पष्ट निर्देशों के अभाव के कारण, लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुबंध निष्पादित करते समय विक्रय योग्य ओवरबर्डन की मात्रा पर देय प्रत्याशित रॉयल्टी की राशि को मुद्रांक शुल्क के प्रयोजनार्थ कुल प्रत्याशित रॉयल्टी में शामिल नहीं किया जा रहा था। नमूना जांच किए गए प्रकरणों में पंजीयन के लिए कुल मूल्य में ओवरबर्डन (अर्थात, मुरम और खंडित संगमरमर) को शामिल नहीं करने का वित्तीय प्रभाव (मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क के रूप में ₹ 0.69 करोड़। (**परिशिष्ट 3.3**) है।

इंगित किए जाने पर,

- डीएमओ छतरपुर ने उत्तर दिया कि पट्टेधारकों से नियमानुसार वसूली के पश्चात इसकी सूचना लेखापरीक्षा को दी जाएगी।
- डीएमओ राजगढ़ ने उत्तर दिया कि प्रकरण आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला रजिस्ट्रार/पंजीयक को भेजे जाएंगे।
- डीएमओ धार ने बताया कि ओवरबर्डन की मात्रा पर देय रॉयल्टी को शामिल करने के लिए मुख्यालय कार्यालय भोपाल से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं तथा छः डीएमओ (बैतूल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, जबलपुर, खरगोन और सिवनी) ने बताया कि अभिलेखों की समुचित जांच के पश्चात लेखापरीक्षा को उत्तर से अवगत कराया जाएगा।
- डीएमओ देवास ने बताया कि लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही कि जाएगी।
- डीएमओ झाबुआ ने उत्तर दिया कि संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म से मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क की गणना के लिये ओवरबर्डन के रूप में उपलब्ध मुरम की मात्रा पर देय रॉयल्टी को शामिल करने के लिए कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं और मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम , 1996 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
- डीएमओ सिंगरौली ने उत्तर दिया कि ओवरबर्डन की मात्रा के लिए पट्टे को स्वीकृति नहीं दी गई है और ओवरबर्डन की मात्रा के परिवहन/ विक्रय के लिए पट्टेदार को कोई अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए इसे मुद्रांक शुल्क के उद्देश्य के लिये शामिल नहीं किया गया है।

निर्गमन सम्मेलन में प्रमुख सचिव खनिज विकास विभाग ने बताया कि ओवरबर्डन यह अस्थायी/ अनिश्चित प्रकृति का है, इसलिए इस पर मुद्रांक शुल्क नहीं लगता। इसके अलावा ओवरबर्डन का इस्तेमाल खदान को बंद करने के लिए भी किया जाता है। साथ ही, ओवरबर्डन की विक्रय के प्रकरण में रॉयल्टी विधिवत रूप से वसूली जाती है और पट्टेदार को ओवरबर्डन बेचने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, ऐसी कार्रवाई से मुकदमेबाजी हो सकती है, जिसका बचाव करना मुश्किल होगा।

प्रमुख सचिव और संबंधित डीएमओ के जवाब स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि माना गया ओवरबर्डन विक्रय योग्य मात्रा थी और इसलिए इसे अस्थायी या खदान बंद करने के लिए नहीं माना जा सकता। इस प्रकार, खनिज साधन विभाग द्वारा प्रासंगिक निर्देश जारी न करने के कारण, विक्रय योग्य मात्रा को मुद्रांक शुल्क के मूल्यांकन के उद्देश्य से शामिल नहीं किया गया।

आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2025)।

3.1.4.5 खनिजों की बढ़ी हुई मात्रा के लिए पूरक अनुबंधों के निष्पादन न करने के परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क की हानि

खनिज साधन विभाग द्वारा जारी निर्देशों[72] के अनुसार, यदि कोई पट्टेदार संशोधित मात्रा के लिए एक संशोधित खनन योजना प्रस्तुत करता है, तो पूरक अनुबंध निष्पादित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सात[73] डीएमओ के अन्तर्गत नौ प्रकरणों में मौजूदा पट्टों की खनन योजनाओं को संशोधित किया गया तथा पट्टा अवधि के दौरान खनिज की मात्रा में वृद्धि की गई, परन्तु खनिजों की बढ़ी हुई मात्रा के लिए पूरक अनुबंध निष्पादित नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त, बढ़ी हुई मात्रा के लिए पट्टे की शेष अवधि के दौरान कुल ₹ 85.44 करोड़ की अतिरिक्त रॉयल्टी देय थी, जिस पर अधिनियमों में निर्दिष्ट दरों पर ₹ 1.26 करोड़ की मुद्रांक शुल्क, ₹ 0.95 करोड़ की पंजीयन शुल्क तथा ₹ 0.08 करोड़ का उपकर लागू था। इस प्रकार, डीएमओ द्वारा पूरक अनुबंध निष्पादित न किए जाने के कारण शासन को ₹ 2.29 करोड़ के मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क तथा उपकर से वंचित होना पड़ा (**परिशिष्ट 3.4**)।

उत्तर में, सभी डीएमओ ने बताया (जुलाई 2023 से अक्टूबर 2023 तक) कि अभिलेखों की जाँच के बाद उत्तर/वसूली/कार्रवाई की सूचना लेखापरीक्षा को अलग से दी जाएगी। सभी डीएमओ से अंतिम उत्तर/वसूली/कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2025)।

निर्गमन सम्मेलन में उप संचालक (खनिज-प्रशासन) ने कहा कि यदि पर्यावरण स्वीकृति और सीटीओ की कमी के कारण पूरक अनुबंध निष्पादित नहीं किया जाता है, तो मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क लगाया नहीं किया जा सकता है। अन्य डीएमओ के प्रकरणों में, मामलों की जांच की जाएगी।

3.1.5 पंजीयन में विलंब/ निष्पादन न होने के प्रकरण में डीएमओ द्वारा कार्रवाई की कमी

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 26 के अनुसार, जहां खदान पट्टा स्वीकृत या नवीनीकृत किया जाता है, वहां पट्टा स्वीकृति आदेश के तीन माह के भीतर भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत प्रपत्र VII में पट्टा विलेख निष्पादित और पंजीकृत किया जाएगा और यदि उक्त अवधि के भीतर ऐसा कोई पट्टा निष्पादित नहीं किया जाता है, तो पट्टा स्वीकृति आदेश निरस्त माना जाएगा। परंतु, जहां स्वीकृति प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक पट्टा विलेख के निष्पादन में विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं है, वहां स्वीकृति प्राधिकारी उक्त तीन माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात पट्टा विलेख के निष्पादन की अनुमति दे सकेगा।

इसके अलावा, खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 31(1) के अनुसार, डीएमओ और संबंधित पट्टेदार के बीच निष्पादित प्रमुख खनिजों के लिए नए खनन पट्टे का पंजीयन या खनन पट्टे का नवीनीकरण ऐसे खनन पट्टे या नवीनीकरण

[72] एमआरडी पत्र संख्या 5489/45/11/12/2 दिनांक 10/08/2011

[73] डीएमओ बालाघाट, छतरपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, जबलपुर, सतना और शहडोल।

के आदेश जारी होने की दिनांक से छः महीने के भीतर किया जाना चाहिए। पट्टा विलेख निष्पादित करने में विफलता के प्रकरण में, राज्य शासन पट्टा देने के आदेश को रद्द कर सकता है और आवेदन शुल्क जब्त कर सकता है।

अभिलेखों की जांच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गईं:

3.1.5.1 अनुबंधों का निष्पादन नहीं होने के कारण पट्टों को निरस्त न करना

तीन डीएमओ[74] के अधीन पांच खदानों में लेखापरीक्षा ने पाया कि पट्टे की स्वीकृति की तिथि से 952 से 1,298 दिन बीत जाने (दिसंबर 2023 तक) के बावजूद न तो पट्टा निरस्त किया गया और न ही पट्टा अनुबंध निष्पादित किया गया। इन पट्टों में मुद्रांक प्रयोजन के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी के रूप में कुल ₹ 14.59 करोड़ की राशि देय थी। इस प्रकार पट्टा अनुबंध और उसके पंजीयन के निष्पादन न होने के कारण मध्य प्रदेश शासन ₹ 0.32 करोड़ के मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क से वंचित रहा (**परिशिष्ट 3.5**)।

3.1.5.2 पट्टा अनुबंध के पंजीयन में विलंब

छः डीएमओ[75] में पट्टा फाइलों की लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि एक प्रमुख खनिज और 15 गौण खनिजों के पट्टे स्वीकृत किये गये, और अनुबंध फरवरी 2019 से मार्च 2023 के बीच किए गए, जिनकी कुल देय रॉयल्टी राशि ₹ 423.63 करोड़ है। नियम विरुद्ध पट्टा विलेख को स्वीकृति की दिनांक से 138 से 1,163 दिनों की विलंब अवधि के साथ पंजीकृत किया गया। इस प्रकार, कुल ₹ 15.35 करोड़ के मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क और उपकर की वसूली (**परिशिष्ट 3.6**) विलब कि सीमा तक स्थगित हुई।

निर्गमन सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने इस तथ्य पर सहमति जताई कि पट्टे को समाप्त कर दिया जाना चाहिए था। (**कंडिका 3.1.5.1 और 3.1.5.2**) में संदर्भित सभी प्रकरणों में यह कहा गया कि पट्टेदार को अनुबंध करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है और विलंब का नियमितीकरण पट्टेदार द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर निर्भर है। अब ऐसे पट्टों को समाप्त करने और अलर्ट भेजने की प्रक्रिया लागू कर दी गई है। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है।

हालांकि, उत्तर में विलेखों के पंजीकरण में देरी (चार महीने से 38 महीने के बीच) के कारणों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, जिसके परिणामस्वरूप शासकीय राजस्व की प्राप्ति में देरी हुई।

3.1.6 उप-पंजीयक द्वारा मुद्रांक शुल्क की दरों का गलत अनुप्रयोग

3.1.6.1 मुद्रांक शुल्क की गलत दर के अनुप्रयोग के कारण मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क और उपकर का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (संशोधित, 28 मार्च 2020) की अनुसूची 1-ए के अनुच्छेद 38(बी) में प्रमुख खनिज खनन पट्टों पर दो प्रतिशत की दर से एवं गौण खनिज खनन पट्टों पर 1.25 प्रतिशत की दर से, ऐसे पट्टे के अन्तर्गत देय या प्रदेय पूरी राशि पर, मुद्रांक शुल्क लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा, पंजीकरण अधिनियम, 1908 (संशोधित, 08 अगस्त 2014) के अनुच्छेद II के अनुसार, पट्टे पर पंजीयन शुल्क मुद्रांक शुल्क के मूल्य के तीन-चौथाई की दर से लगाया जाएगा।

[74] डीएमओ छतरपुर, सतना एवं शहडोल।

[75] डीएमओ बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, पन्ना, रीवा और शहडोल।

अप्रैल 2020 और मार्च 2023 के बीच पंजीकृत 1,060 पट्टा विलेखों के लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि पाँच डीएमओ[76] (20 नमूना जाँच किए गए डीएमओ में से) के अन्तर्गत 13 पट्टा विलेखों में मुद्रांक शुल्क की गणना के लिए मुद्रांक शुल्क की गलत दर लागू की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.59 करोड़ (**परिशिष्ट 3.7**) के मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क के साथ-साथ ₹ 8.87 लाख का उपकर कम वसूला गया।

यह उप पंजीयक द्वारा अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता करता है, क्योंकि एक पंजीकरण प्राधिकारी होने के नाते, मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क की सही वसूली सुनिश्चित करना उप पंजीयक की जिम्मेदारी है।

उत्तर में उप संचालक (वित्त), आईजीआरएस, मध्य प्रदेश ने बताया (मार्च 2024) कि जिला पंजीयकों को पत्र जारी कर दिया गया है, तथा जानकारी प्राप्त होने पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा है (मार्च 2025)।

3.1.6.2 पट्टे के पंजीयन के समय उपकर नहीं लगाया जाना

मध्य प्रदेश उपकार (संशोधन) अधिनियम, 2016 (5 अप्रैल 2016 को संशोधित) की धारा 9 (1) में प्रावधान है कि 30 वर्ष या उससे अधिक अवधि के पट्टा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क के 10 प्रतिशत की दर से उपकर लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची I के अनुच्छेद 38 (बी) के स्पष्टीकरण नोट IV के अनुसार, नवीनीकरण अवधि, यदि पट्टा विलेख में विशेष रूप से उल्लिखित है, तो उसे वर्तमान पट्टा अवधि का भाग माना जाएगा।

सात डीएमओ[77] में 30 वर्ष या उससे अधिक अवधि (समय विस्तार सहित) की पट्टा अवधि वाले 121 पंजीकृत पट्टा विलेखों की लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि 51 पट्टा विलेखों में ₹ 36.60 करोड़ का मुद्रांक शुल्क लगाया गया। इस पर नियमों के अन्तर्गत ₹ 3.66 करोड़ का उपकर भी लगाया जाना था, लेकिन उप पंजीयक ने इन सभी पट्टा विलेखों में उपकर नहीं लगाया। यह उप पंजीयक द्वारा अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है, क्योंकि उप पंजीयक होने के नाते, मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क की सही वसूली सुनिश्चित करना उप पंजीयक की जिम्मेदारी है।

इसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 3.66 करोड़ की हानि हुई (**परिशिष्ट 3.8**) तथा पट्टेदार को अनुचित लाभ हुआ।

उप संचालक (वित्त), आईजीआरएस, मध्य प्रदेश ने उत्तर में बताया (मार्च 2024) कि इस संबंध में जिला पंजीयकों को पत्र जारी कर दिया गया है।

आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा है (मार्च 2025)।

3.1.7 भुगतान को बढ़ाने के लिए रसीदों की भौतिक प्रति में आंकड़ों से संदेहास्पद छेड़छाड़

3.1.7.1 डीएमओ, धार के पट्टा प्रकरणों की लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि मेसर्स रत्न संपदा स्टोन क्रशर उद्योग एवं ट्रेडिंग (पट्टाधारक) के पक्ष में दस वर्षीय खदान पट्टा आवंटित किया गया था तथा उप पंजीयक कार्यालय, धार में पंजीकृत किया गया था। पट्टा अनुबंध के अनुसार, संपूर्ण पट्टा अवधि (21/03/2022 से 20/03/2032) के दौरान ₹ 3.53 करोड़ की रॉयल्टी देय थी। तदनुसार, अधिनियमों में निर्दिष्ट दरों के अनुसार क्रमशः ₹ 4.41 लाख तथा ₹ 3.31 लाख का मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन शुल्क लगाया जाना था। डीएमओ, धार के पास मौजूद पट्टा विलेख की भौतिक प्रति में मुद्रांक शुल्क

[76] डीएमओ देवास, धार, ग्वालियर, कटनी और राजगढ़।
[77] डीएमओ बालाघाट, छतरपुर, ग्वालियर, झाबुआ, कटनी, नीमच और सतना।

तथा पंजीयन शुल्क लगाया जाना दर्शाया गया था। हालांकि, पंजीयन और मुद्रांक विभाग के सम्पदा[78] ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भौतिक दस्तावेज़ को सत्यापित करने पर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सेवा प्रदाता द्वारा जमा किया गया वास्तविक मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क क्रमशः ₹ 0.44 लाख और ₹ 0.33 लाख था, जिस पर कुल रॉयल्टी ₹ 35.32 लाख थी, जैसा कि नीचे दिए गए चित्रों में देखा जा सकता है।

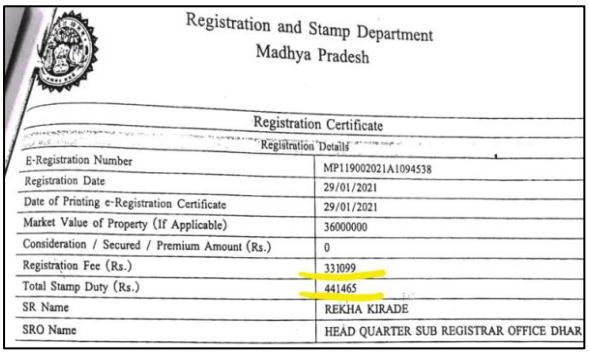

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Registration Certificate

Registration Details

E-Registration Number	MP119002021A1094538
Registration Date	29/01/2021
Date of Printing e-Registration Certificate	29/01/2021
Market Value of Property (If Applicable)	36000000
Consideration / Secured / Premium Amount (Rs.)	0
Registration Fee (Rs.)	331099
Total Stamp Duty (Rs.)	441465
SR Name	REKHA KIRADE
SRO Name	HEAD QUARTER SUB REGISTRAR OFFICE DHAR

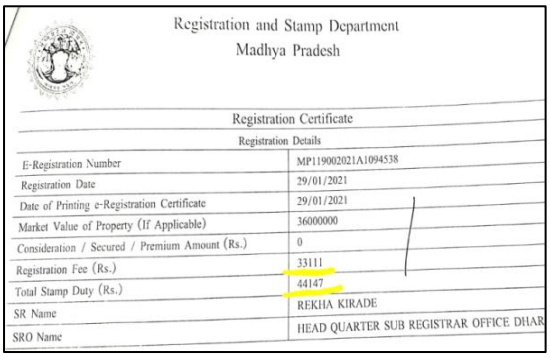

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Registration Certificate

Registration Details

E-Registration Number	MP119002021A1094538
Registration Date	29/01/2021
Date of Printing e-Registration Certificate	29/01/2021
Market Value of Property (If Applicable)	36000000
Consideration / Secured / Premium Amount (Rs.)	0
Registration Fee (Rs.)	33111
Total Stamp Duty (Rs.)	44147
SR Name	REKHA KIRADE
SRO Name	HEAD QUARTER SUB REGISTRAR OFFICE DHAR

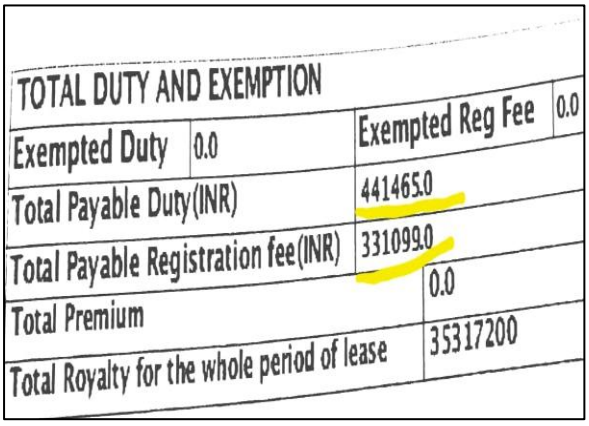

TOTAL DUTY AND EXEMPTION

Exempted Duty	0.0	Exempted Reg Fee	0.0
Total Payable Duty(INR)	441465.0		
Total Payable Registration fee(INR)	331099.0		
Total Premium	0.0		
Total Royalty for the whole period of lease	35317200		

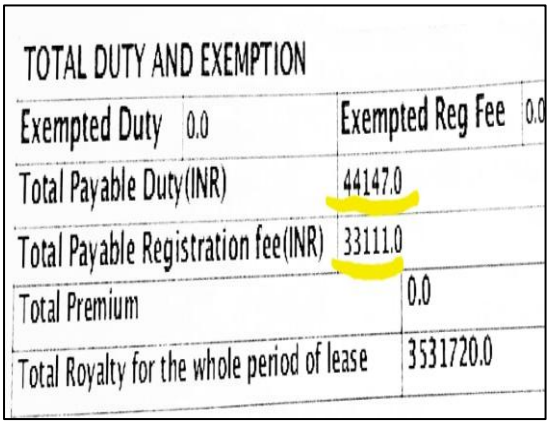

TOTAL DUTY AND EXEMPTION

Exempted Duty	0.0	Exempted Reg Fee	0.0
Total Payable Duty(INR)	44147.0		
Total Payable Registration fee(INR)	33111.0		
Total Premium	0.0		
Total Royalty for the whole period of lease	3531720.0		

डीएमओ, धार में उपलब्ध भौतिक पंजीयन

सम्पदा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑनलाइन पंजीयन

उपरोक्त चित्रों से इसे इस प्रकार देखा जा सकता है:

डीएमओ को प्रस्तुत भौतिक प्रति के अनुसार		ई-सम्पदा पोर्टल पर वास्तविक विवरण के अनुसार	
कुल रॉयल्टी	₹ 3,53,17,200	कुल रॉयल्टी	₹ 35,31,720
कुल देय मुद्रांक शुल्क	₹ 4,41,465	कुल देय मुद्रांक शुल्क	₹ 44,147
कुल देय पंजीयन शुल्क	₹ 3,31,099	कुल देय पंजीयन शुल्क	₹ 33,111

इससे पता चलता है कि सेवा प्रदाता ने (डीएमओ को) भौतिक रूप में पत्ता दस्तावेज़ प्रस्तुत किए, जिनसे रायल्टी राशि और मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क को बढ़ाकर दिखाया गया, जिससे मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क का ₹ 6,95,307 का कम भुगतान किया गया।

3.1.7.2 एक अन्य प्रकरण में, जो कि डीएमओ, धार से ही संबंधित है, अशोक पाटीदार (पट्टेदार) के पक्ष में दस वर्षीय खदान पट्टा आवंटित किया गया था तथा एसआर कार्यालय धार में पंजीकृत किया गया था। पट्टा अनुबंध के अनुसार, संपूर्ण पट्टा अवधि अर्थात 10/05/2021 से 09/05/2031 तक ₹ चार करोड़ की रॉयल्टी देय थी। तदनुसार, ₹ पाँच लाख का मुद्रांक शुल्क तथा ₹ 3.75 लाख का पंजीयन शुल्क (कुल ₹ 8.75 लाख) अधिरोपित किया जाना था। तथापि,

[78] सम्पदा पोर्टल मध्य प्रदेश शासन द्वारा संपत्ति पंजीकरण और संपत्ति से संबंधित सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।

लेखापरीक्षा के दौरान सम्पदा पोर्टल पर उपलब्ध पट्टा विलेख में यह पाया गया कि सेवा प्रदाता ने वास्तव में ₹ 50,000 का मुद्रांक शुल्क और ₹ 37,500 का पंजीयन शुल्क (कुल ₹ 87,500) जमा किया है, जबकि डीएमओ कार्यालय में उपलब्ध पट्टा विलेख की भौतिक प्रति में मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क जमा करने के आंकड़े (₹ 8,75,000) नीचे दर्शाए अनुसार बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए हैं:

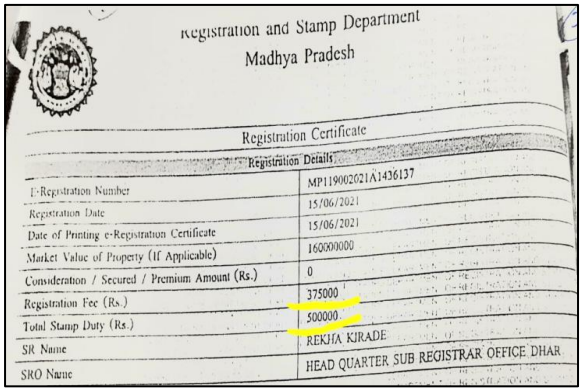

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Registration Certificate

Registration Details

E-Registration Number	MP119002021A1436137
Registration Date	15/06/2021
Date of Printing e-Registration Certificate	15/06/2021
Market Value of Property (If Applicable)	160000000
Consideration / Secured / Premium Amount (Rs.)	0
Registration Fee (Rs.)	375000
Total Stamp Duty (Rs.)	500000
SR Name	REKHA KIRADE
SRO Name	HEAD QUARTER SUB REGISTRAR OFFICE DHAR

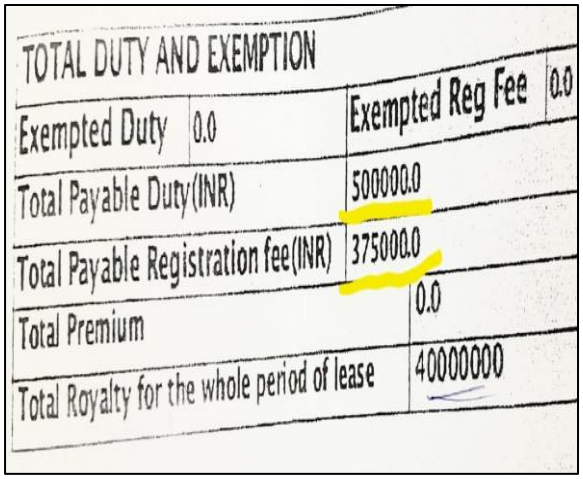

TOTAL DUTY AND EXEMPTION

Exempted Duty	0.0	Exempted Reg Fee	0.0
Total Payable Duty(INR)	500000.0		
Total Payable Registration fee(INR)	375000.0		
Total Premium	0.0		
Total Royalty for the whole period of lease	40000000		

डीएमओ,धार में उपलब्ध भौतिक पंजीयन

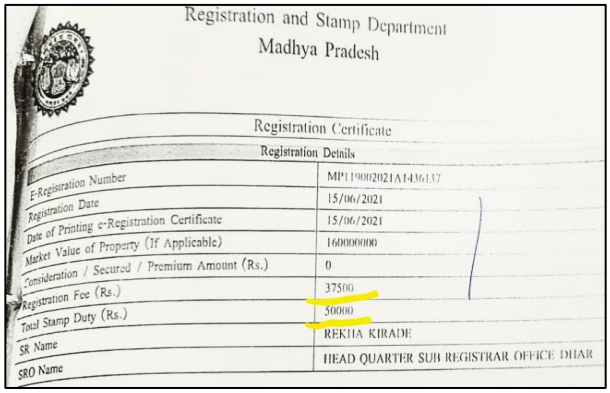

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Registration Certificate

Registration Details

E-Registration Number	MP119002021A1436137
Registration Date	15/06/2021
Date of Printing e-Registration Certificate	15/06/2021
Market Value of Property (If Applicable)	160000000
Consideration / Secured / Premium Amount (Rs.)	0
Registration Fee (Rs.)	37500
Total Stamp Duty (Rs.)	50000
SR Name	REKHA KIRADE
SRO Name	HEAD QUARTER SUB REGISTRAR OFFICE DHAR

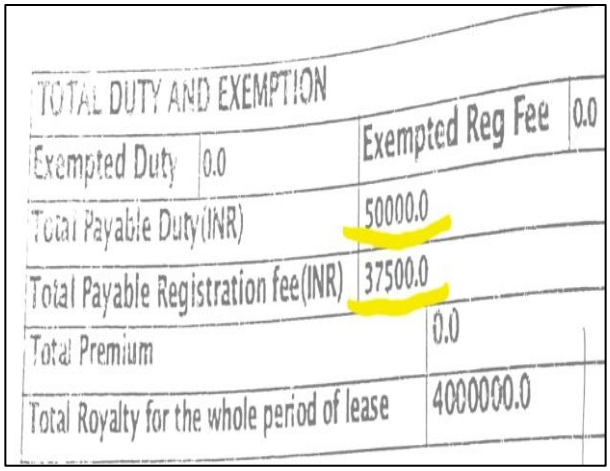

TOTAL DUTY AND EXEMPTION

Exempted Duty	0.0	Exempted Reg Fee	0.0
Total Payable Duty(INR)	50000.0		
Total Payable Registration fee(INR)	37500.0		
Total Premium	0.0		
Total Royalty for the whole period of lease	4000000.0		

एमपीआईजीआर के सम्पदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पंजीयन उपलब्ध

उपरोक्त चित्रों से इसे इस प्रकार देखा जा सकता है:

डीएमओ को प्रस्तुत भौतिक प्रति के अनुसार		ई-सम्पदा पोर्टल पर वास्तविक विवरण के अनुसार	
कुल रॉयल्टी	₹ 4,00,00,000	कुल रॉयल्टी	₹ 40,00,000
कुल देय मुद्रांक शुल्क	₹ 5,00,000	कुल देय मुद्रांक शुल्क	₹ 50,000
कुल देय पंजीयन शुल्क	₹ 3,75,000	कुल देय पंजीयन शुल्क	₹ 37,500

इससे ज्ञात होता है कि सेवा प्रदाता ने रॉयल्टी राशि, मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क को बढाकर दिखाते हुए पट्टा विलेख प्रस्तुत (डीएमओ को) किए, जिससे मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क का ₹ 7,87,500 कम भुगतान किया गया।

इस प्रकार, सेवा प्रदाताओं द्वारा पंजीकृत अभिलेखों में संदेहास्पद छेड़छाड़ के परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क में ₹ 14,82,807 की राशि कम जमा हुई।

यह संबंधित डीएमओ द्वारा ई-सम्पदा के अनुसार रसीद विवरण का वास्तविक आंकड़ों के साथ मिलान न करने के कारण संभव हुआ, जो आंतरिक नियंत्रण में चूक को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर उप महानिरीक्षक पंजीयन, मध्य प्रदेश ने उत्तर दिया कि दोनों प्रकरणों में कम मुद्रांक शुल्क की वसूली जुर्माने के साथ की गई है। साथ ही, खनिज साधन विभाग अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विलेख को उपलब्ध तथ्यों और मेटाडेटा से मिलान करके एसआर द्वारा विधिवत पंजीकृत किया गया है। उप महानिरीक्षक पंजीयन ने यह भी उत्तर दिया कि धोखाधड़ी का कार्य बाहरी लोगों द्वारा किया गया है।

उप संचालक का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दस्तावेजों के पंजीयन पर मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क निर्धारित करने और एकत्र करने के लिए उपपंजीयक जिम्मेदार है, और डीएमओ को दी गई पट्टा विलेख (छेड़छाड़) की भौतिक प्रति उपपंजीयक द्वारा विधिवत सत्यापित और मुहरबंद की गई थी। इसके अलावा, दोनों प्रकरणों में, डीएमओ द्वारा रॉयल्टी राशि का सही उल्लेख किया गया था, जो कि पट्टेदार और डीएमओ धार के बीच निष्पादित पट्टा अनुबंध के खंड-9 के बिंदु संख्या 7 के अन्तर्गत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार है। इसके अलावा, भुगतान विवरण उपपंजीयक के पास उपलब्ध थे और संपदा पोर्टल पर भी दिखाई देते हैं, इसलिए डेटा प्रामाणिकता का दायित्व पूरी तरह से पंजीयन और मुद्रांक विभाग के पास है।

इसके अलावा, मध्य प्रदेश दस्तावेज लेखक (अनुज्ञापन एवम् विनियमन) नियम, 2014 के नियम 2 (सी) के अनुसार, सेवा प्रदाता दस्तावेजों के लेखन के लिए सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति है। वह पंजीयन और मुद्रांक विभाग एप्लिकेशन में उपयोगकर्ता की ओर से पंजीयन शुरू करने के लिए अधिकृत है। इसलिए, सेवा प्रदाता, एक लाइसेंसधारी होने के नाते, पंजीयन और मुद्रांक विभाग के लिए जिम्मेदार माना जाता है और एक उपपंजीयक होने के नाते, सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेख की सत्यता की जांच करने के लिए बाध्य है। हालांकि, उपपंजीयक ने सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता की जांच नहीं की, जो उसकी ओर से लापरवाही का संकेत देता है, इस प्रकार प्रकरण में मिलीभगत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा प्रकरण में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ पंजीयन और मुद्रांक विभाग द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।

3.1.8 निष्कर्ष

चयनित डीएमओ के लेखापरीक्षा में प्रत्याशित रॉयल्टी की गणना में एकरूपता की कमी और रॉयल्टी की दर के गलत अनुप्रयोग के कारण प्रत्याशित रॉयल्टी का गलत मूल्यांकन, मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क की गलत दर, आदि के कारण मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क और उपकर की कम वसूली से संबंधित महत्वपूर्ण कमियां सामने आईं। डीएमओ और पंजीयन अधिकारी मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टे के अन्तर्गत देय या प्रदेय सही रॉयल्टी राशि को ध्यान में नहीं रखा। डीएमओ ने प्रत्याशित रॉयल्टी के मूल्यांकन के लिए खनिजों पर रॉयल्टी की गलत दर लागू की, जिससे मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क कम वसूला गया। एमपीएसएमसीएल ने अनुबंध अवधि के लिए सही अनुबंध राशि निर्धारित नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क कम वसूला गया। डीएमओ ने मुद्रांक शुल्क के प्रयोजन के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी के मूल्यांकन के लिए पट्टा क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध खनिजों के विक्रय योग्य ओवरबर्डन की मात्रा पर विचार नहीं किया। डीएमओ ने खनिजों की बढ़ी हुई मात्र के लिए अनुपूरक अनुबंध निष्पादित नहीं किए, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क की वसूली नहीं हो सकी। पंजीकरण प्राधिकारियों ने पट्टा अवधि के दौरान देय रॉयल्टी पर मुद्रांक शुल्क की सही दर लागू नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की काम वशूली हुई। पंजीकरण प्राधिकारियों ने 30 वर्ष या उससे अधिक अवधि के

पट्टों के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क पर उपकर भी नहीं लगाया। विभाग ने पंजीकृत दस्तावेज़ की भौतिक प्रति के साथ छेड़छाड़ के प्रकरणों में विभागीय या कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की।

3.1.9 अनुशंसाएं

यह अनुशंसा की जाती है कि:

- नए पट्टे, पट्टे के नवीनीकरण और पट्टे के विस्तार के अन्तर्गत प्रत्याशित रॉयल्टी की गणना में एकरूपता के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं ;

(कंडिका 3.1.4)

- अनुबंधों के पंजीयन में विलंब से बचने के लिए कार्रवाई की जा सकती है ;

(कंडिका 3.1.5)

- विलेख मूल्य/प्रत्याशित रॉयल्टी में हेराफेरी के प्रकरणों से बचने के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण तंत्र लागू किया जा सकता है। जहां भी लागू हो, लापरवाही या चूक के कृत्यों के लिए जिम्मेदारियां तय की जा सकती हैं।

(कंडिका 3.1.7)

अध्याय IV

विभिन्न विभागों से संबंधित लेखापरीक्षा कंडिकाएं

अध्याय IV: विभिन्न विभागों से संबंधित लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

वाणिज्यिक कर विभाग (वैट)

4.1 टर्नओवर के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के परिणामस्वरूप कर का कम अधिरोपण

25 प्रकरणों में, निर्धारण प्राधिकारियों (नि. प्रा.) ने ₹ 91.31 करोड़ के वास्तविक टर्नओवर के विरूद्ध ₹ 82.31 करोड़ के टर्नओवर का गलत निर्धारण किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9 करोड़ के टर्नओवर का कम निर्धारण हुआ तथा ₹ 91.63 लाख का कम अधिरोपण।

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 2 के अनुसार, किसी भी अवधि के संबंध में टर्नओवर का अर्थ उस अवधि के दौरान की गई किसी भी बिक्री या माल की आपूर्ति के संबंध में व्यापारी द्वारा प्राप्त और प्राप्य कुल बिक्री मूल्य है, जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर बिक्री रिटर्न की राशि शामिल नहीं है। कर योग्य टर्नओवर (टीटीओ) निर्धारित करने के लिए, धारा में कर भुगतान की गई वस्तुओं के विक्रय मूल्य और कर की राशि को टर्नओवर से घटाने का प्रावधान है, यदि बिक्री मूल्यों के योग में शामिल हो।

लेखापरीक्षा ने सात मंडलों[79] में निर्धारण आदेश, लेखापरीक्षित खाते, क्रय सूची आदि जैसे अभिलेखों की नमूना जाँच (अगस्त 2023 और मार्च 2024 के बीच) की और देखा कि 24 डीलरों के 25 प्रकरणों में, जिनका निर्धारण जून 2018 से सितंबर 2022 के बीच 2016-17 से 2017-18 के बीच की अवधि के लिए किया गया था, निर्धारण प्राधिकारियों (नि. प्रा.) ने खातों की पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों में दर्ज ₹ 91.31 करोड़ के वास्तविक टर्नओवर के विरूद्ध ₹ 82.31 करोड़ के टर्नओवर का गलत निर्धारण किया। इस प्रकार, कुल ₹ नौ करोड़ के टर्न-ओवर का कम निर्धारण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 91.63 लाख की कर राशि का कम आरोपण हुआ। विवरण **परिशिष्ट 4.1** में दिया गया है।

प्रकरण मध्य प्रदेश शासन को भेजे गए (जनवरी 2025); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2025)।

4.2 केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत कर न लगाना/कम लगाना

पाँच डीलरों के पाँच प्रकरणों में, ₹ 8.63 करोड़ की अंतरराज्यीय बिक्री के संबंध में 'सी' फॉर्म जमा नहीं किए गए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 53.41 लाख का कर नहीं/कम लगाया गया।

केंद्रीय बिक्री कर (आर एंड टी) नियम, 1957[80] की धारा 8 के साथ पठित नियम 12 के अंतर्गत, प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी, जो अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, किसी पंजीकृत व्यापारी को, क्रेता व्यापारी के पंजीकरण प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट श्रेणियों का माल बेचता है, तो ऐसे टर्न-ओवर के दो प्रतिशत की रियायती दर के लिए उत्तरदायी होगा, बशर्ते कि ऐसी बिक्री प्रपत्र 'सी' में घोषणा द्वारा समर्थित हो। यदि वह अपेक्षित घोषणा प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसे संबंधित राज्य के भीतर ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर लागू दर पर कर का भुगतान करना होगा।

लेखापरीक्षा ने चार मंडल कार्यालयों[81] में निर्धारण आदेश, लेखापरीक्षित खाते, क्रय सूची आदि जैसे अभिलेखों की नमूना जाँच (अगस्त 2023 और मार्च 2024 के बीच) की और पाया कि जून 2018 से अक्टूबर 2021 के बीच, 2016-17 से

---

79 एसीसीटी : इंदौर-12 और मुरैना, सीटीओ : ग्वालियर-4, इंदौर-15, इटारसी, राजगढ़ और सेंधवा।

80 केंद्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और टर्नओवर नियम) 1957

81 सीटीओ: ग्वालियर-4, इंदौर-8, इटारसी और सेंधवा।

2017-18 की अवधि के लिए निर्धारित पाँच डीलरों के पाँच प्रकरणों में, ₹ 8.63 करोड़ की अंतरराज्यीय बिक्री के संबंध में 'सी' फॉर्म प्रस्तुत नहीं किए गए थे। हालाँकि, नि. प्रा. ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय या तो रियायती दर पर कर लगाया या नहीं लगाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 53.41 लाख का कर नहीं या कम लगाया गया। विवरण **परिशिष्ट 4.2** में दिया गया है।

निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया कि प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी, और सत्यापन के बाद कार्रवाई की जाएगी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

प्रकरण मध्य प्रदेश शासन को भेजे गए (जनवरी 2025); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2025)।

4.3 प्रवेश कर का कम / न लगाना

11 प्रकरणों में प्रवेश कर ₹ 34.95 लाख या तो नहीं लगाया गया था या कम लगाया गया था।

मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 तथा उसके अधीन जारी नियमों और अधिसूचना के अंतर्गत, स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिए प्रवेश करने वाले माल पर निर्दिष्ट दरों पर प्रवेश कर (प्र. क.) लगाया जाता है।

लेखापरीक्षा ने छह मंडलों[82] में मूल्यांकन आदेश, लेखापरीक्षित खाते, क्रय सूचियाँ आदि जैसे अभिलेखों की (अगस्त 2023 और मार्च 2024 के बीच) नमूना जाँच की और देखा कि मई 2018 से अगस्त 2023 के बीच 2015-16 से 2017-18 की अवधि के लिए निर्धारित 11 डीलरों के 11 प्रकरणों में, लोहा और इस्पात, मशीनरी, तिलहन आदि जैसी वस्तुओं पर स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के समय निर्धारित दरों के अनुसार प्रवेश कर या तो नहीं लगाया गया था या निर्धारित राशि से कम लगाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 34.95 लाख का प्रवेश कर नहीं /कम लगाया गया। विवरण **परिशिष्ट 4.3** में दिया गया है।

निर्धारण प्राधिकारियों ने कहा कि इन प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी और सत्यापन के बाद कार्रवाई की जाएगी। आगे की प्रगति की प्रतीक्षा है (मार्च 2025)।

प्रकरण मध्य प्रदेश शासन को भेजे गए (जनवरी 2025); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2025)।

4.4 गलत दर के लागू होने के कारण कर का कम अधिरोपण

छह प्रकरणों में, नि.प्रा. ने ₹ 3.42 करोड़ के कुल टर्नओवर पर गलत दरों पर कर लगाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 30.97 लाख का कर कम लगाया गया।

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 9 में प्रावधान है कि अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर, तत्संबंधी प्रविष्टि के सामने उल्लिखित दर से कर लगाया जाएगा तथा ऐसा कर इस अधिनियम के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी डीलर के करयोग्य टर्नओवर पर लगाया जाएगा।

[82] एसीसीटी: इंदौर-12 और मुरैना, सीटीओ: ग्वालियर-4, इंदौर-8, इटारसी, और राजगढ़।

लेखापरीक्षा ने पाँचों मंडल कार्यालयों[83] में अगस्त 2023 से मार्च 2024 के बीच, कर निर्धारण आदेश, लेखापरीक्षित खाते, क्रय सूचियाँ आदि अभिलेखों की नमूना जाँच की (अगस्त 2023 से मार्च 2024 के बीच) और देखा कि सितंबर 2019 से जुलाई 2022 के बीच 2016-17 से 2017-18 की अवधि के लिए नि.प्रा. द्वारा छह डीलरों के छह प्रकरणों में, कुल ₹ 3.42 करोड़ के टर्नओवर पर गलत दरों पर कर लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.97 लाख का कर कम लगाया गया। विवरण **परिशिष्ट 4.4** में दिया गया है।

निर्धारण प्राधिकारियों ने कहा कि इन प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी और सत्यापन के बाद कार्रवाई की जाएगी। आगे की प्रगति की प्रतीक्षा है (मार्च 2025)।

प्रकरण मध्य प्रदेश शासन को भेजे गए (जनवरी 2025); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2025)।

4.5 अस्वीकार्य इनपुट टैक्स छूट (आईटीआर) की अनुमति

14 प्रकरणों में, निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 26.43 लाख की अस्वीकार्य आईटीआर की अनुमति दी, परिणामस्वरूप उस सीमा तक कर का कम निर्धारण हुआ।

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 14 के अनुसार, जहां कोई पंजीकृत डीलर अधिनियम की अनुसूची II में निर्दिष्ट कोई वस्तु, उक्त अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट वस्तु के अलावा, किसी अन्य पंजीकृत डीलर से इनपुट टैक्स के भुगतान के बाद खरीदता है, तो उसे ऐसे इनपुट टैक्स की राशि पर इनपुट टैक्स छूट (आईटीआर) दी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने चार मंडलों[84] में कर निर्धारण आदेश, लेखापरीक्षित खाते, क्रय सूचियाँ आदि अभिलेखों की नमूना जाँच (अगस्त 2023 और मार्च 2024 के बीच) की और देखा कि फरवरी 2018 से जनवरी 2022 के बीच 2015-16 से 2017-18 की अवधि के लिए कर निर्धारण किए गए 14 डीलरों के 14 प्रकरणों में, निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 26.43 लाख की अस्वीकार्य आयकर विवरणी (आईटीआर) की अनुमति दी जैसा कि **परिशिष्ट 4.5** में दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक कर का कम आंकलन हुआ।

निर्धारण प्राधिकारियों ने कहा कि इन प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी और सत्यापन के बाद कार्रवाई की जाएगी। आगे की प्रगति की प्रतीक्षा है (मार्च 2025)।

प्रकरण मध्य प्रदेश शासन को भेजे गए (जनवरी 2025); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2025)।

4.6 ठेकेदार द्वारा निष्पादित किए गए कार्य पर त्रुटिपूर्ण कटौती

उप-ठेकेदारों द्वारा निष्पादित कार्य की मात्रा पर कर कटौती की अनुमति देने के परिणामस्वरूप ₹ 13.47 लाख का कर नहीं लगाया गया।

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 7(1)(ए) के अनुसार, जहां एक डीलर जो किसी अन्य डीलर के माध्यम से निर्माण अनुबंध के निष्पादन के दौरान वस्तु की आपूर्ति का व्यवसाय करता है और उप-ठेकेदार ऐसे निर्माण अनुबंधों को कार्यान्वयित करता है, तो ठेकेदार और उप-ठेकेदार निर्माण अनुबंधों के कार्यान्वयन में शामिल संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा, धारा 7(1)(बी) के अनुसार, यदि

[83] एसीसीटी: ग्वालियर-4, इंदौर-8, इंदौर-15 सीटीओ: रामगढ़ और सेंधवा।

[84] सीटीओएस: ग्वालियर-4, इटारसी, राजगढ़ और सेंधवा।

ठेकेदार निर्धारित तरीके से आयुक्त की संतुष्टि के लिए साबित कर देता है कि उप-ठेकेदार द्वारा कर का भुगतान किया गया है, तो ठेकेदार ऐसे वस्तु के टर्नओवर पर फिर से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मध्य प्रदेश वैट नियम 2006 के नियम 7 के अनुसार, धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत ठेकेदार द्वारा किए गए दावे को उप-ठेकेदार द्वारा जारी किए जाने वाले फॉर्म-3 में घोषणा द्वारा समर्थित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने सीटीओ, मंडल राजगढ़ में कर निर्धारण आदेश, लेखापरीक्षित खाते, फॉर्म -3 आदि अभिलेखों की नमूना जाँच (मार्च 2024) की और देखा कि जून 2019 से जून 2021 के बीच 2016-17 से 2017-18 की अवधि के लिए कर निर्धारण किए गए दो डीलरों के दो प्रकरणों में, नि.प्रा. ने फॉर्म -3 में गलत घोषणाओं के आधार पर ₹ 2.69 करोड़ (उप-ठेकेदारों द्वारा निष्पादित) के कार्य के टर्नओवर की गलत कटौती की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.47 लाख का कर नहीं लगाया गया। विवरण **परिशिष्ट 4.6** में दिया गया है।

निर्धारण प्राधिकारियों ने कहा कि इन प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी और सत्यापन के बाद कार्रवाई की जाएगी। आगे की प्रगति की प्रतीक्षा है (मार्च 2025)।

प्रकरण मध्य प्रदेश शासन को भेजे गए (जनवरी 2025); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2025)।

वाणिज्यिक कर विभाग (पंजीकरण एवं स्टाम्प)

4.7 बाजार मूल्य का त्रुटिपूर्ण निर्धारण

29 प्रकरणों में 10 उप-पंजीयक ने संपत्ति का सही मूल्यांकन निर्धारित करने में गलती की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.60 करोड़ की राशि का पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क का कम अधिरोपण किया गया।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 के अनुसार, किसी दस्तावेज की प्रभार्यता को प्रभावित करने वाले तथ्य, जैसे कि प्रतिफल, यदि कोई हो, संपत्ति का बाजार मूल्य और अन्य सभी तथ्य और परिस्थितियाँ जो किसी लिखत पर शुल्क की प्रभार्यता या शुल्क के देय होने की सीमा को प्रभावित करती हैं, उस दस्तावेज पर प्रभार्य राशि पूरी तरह से और सटीक रूप से लिखत में निर्धारित की जाएगी। धारा 35 के अनुसार, शुल्क से प्रभार्य दस्तावेज तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि ऐसे दस्तावेज पर विधिवत स्टाम्प न लगा हो, बशर्ते कि, ऐसे किसी भी दस्तावेज को उस शुल्क के भुगतान पर पंजीकृत किया जाएगा जिससे वह प्रभार्य है, या अपर्याप्त रूप से स्टाम्प लगे लिखत के मामले में, ऐसे शुल्क को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि के साथ-साथ दस्तावेजों के निष्पादन की तिथि से प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए स्टाम्प शुल्क के कम हिस्से के दो प्रतिशत का जुर्माना देना होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में इस प्रकार गणना की गई जुर्माने की राशि, वसूल की जाने वाली कम स्टाम्प शुल्क की मूल राशि से अधिक नहीं होगी।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों के अनुसार, सभी शुल्क, दंड और अन्य देय राशियां जिनका भुगतान किया जाना अपेक्षित हैं, कलेक्टर द्वारा उस व्यक्ति की चल संपत्ति को जब्त करके और बेचकर, जिससे वे देय हैं, या किसी अन्य प्रक्रिया जो भूमि राजस्व के बकाया की वसूली के लिए वर्तमान में लागू हो, द्वारा वसूल की जा सकती है।

मध्य प्रदेश में, संपत्ति का बाजार मूल्य संपदा सॉफ्टवेयर[85] के माध्यम से सर्कल रेट/मार्गदर्शन मूल्य का उपयोग करके गणना किया जाता है, जो शासन द्वारा निर्धारित किया जाता है और स्थान, बुनियादी ढांचे और संपत्ति के प्रकार के आधार पर भिन्न होता है।

10 उप- पंजीयक कार्यालयों के अभिलेखों[86] की नमूना जाँच (जुलाई 2023 और फरवरी 2024 के बीच) से ज्ञात हुआ कि अप्रैल 2017 से मार्च 2023 के बीच 29 दस्तावेज पंजीकृत किए गए थे जिनका पंजीकृत मूल्य ₹ 98.44 करोड़ था, जिन पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क तदनुसार लगाया गया था। पंजीकृत दस्तावेज के अनुसार संपत्ति के विवरण का क्रॉस-सत्यापन इंगित करता है कि दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य ₹ 168.85 करोड़ था। इस प्रकार, आवेदकों ने असत्य घोषणाओं का उपयोग करते हुए अपनी संपत्ति का कम मूल्यांकन किया, जिसके परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क ₹ 6.59 करोड़ और पंजीकरण शुल्क ₹ 2.14 करोड़ का कम भुगतान हुआ। हालांकि, उप पंजीयक ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत संपत्ति दस्तावेजों में दर्शाए गए संपत्ति विवरणों को सत्यापित नहीं किया, और इन प्रकरणों को संपत्ति के सही मूल्य और उन पर लगाए जाने वाले शुल्क के निर्धारण के लिए 'कलेक्टर ऑफ स्टांप्स' को भेज दिया गया।

उप पंजीयकों की ओर से हुई चूक के परिणामस्वरूप कुल ₹ 8.73 करोड़ की कम वसूली हुई। इसका विवरण संलग्न **परिशिष्ट 4.7** में दिया गया है।

इसे इंगित किए जाने पर (सितंबर 2023 और जुलाई 2024 के बीच),महानिरीक्षक पंजीयन , मध्य प्रदेश (अगस्त 2024 और सितंबर 2024) ने बताया कि उप-पंजीयक, महू, कटनी, बुरहानपुर, सांवेर, नीमच, गोविंदपुरा, ग्वालियर-1 और ग्वालियर-2 के तहत 24 प्रकरण विचारधीन थे, जबकि उप-पंजीयक, इंदौर-1, विदिशा और गोविंदपुरा के तहत अन्य तीन प्रकरणों में, ₹ 12.53 लाख की वसूली की गई थी (₹ 49.01 लाख की आपत्ति राशि के विरूद्ध) और उप-पंजीयक विदिशा के शेष दो प्रकरणों में, कार्रवाई की गई है और वसूली प्रक्रियाधीन है।

उत्तर में उप-पंजीयकों/विभाग द्वारा गलत बाजार मूल्य का पता लगाने/रिपोर्ट करने में विफलता के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, जो कमजोर आंतरिक नियंत्रण और निगरानी को दर्शाता है।

4.8 अनियमित कटौती/छूट के कारण स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क और पंचायत शुल्क की कम वसूली

स्टाम्प शुल्क और पंचायत शुल्क में अनियमित कटौती तथा स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क पर गलत छूट प्रदान किए जाने के कारण शासकीय राजस्व की ₹ 1.23 करोड़ की कम वसूली हुई

4.8.1 स्टाम्प शुल्क और पंचायत शुल्क की अनियमित कटौती

मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 75 के साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1 'क' के अनुच्छेद 7 (क) के अनुसार, हक विलेख (टाइटल डीड) के जमा करने से संबंधित कोई अनुबंध या ऐसा कोई दस्तावेज जो किसी संपत्ति के संबंध में किसी अनुबंध या हक को साक्ष्यित करता है, जहाँ ऐसा जमा धन उधार दिए जाने के लिए या दिए जाने वाले धन के लिए या वर्तमान या भविष्य के ऋण के प्रतिदाय की प्रतिभूति के रूप में हो, वहाँ ऐसे डीड

[85] संपदा, संपत्ति पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

[86] संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा जारी किए गए पंजीकरण दस्तावेज और बाजार मूल्य दिशानिर्देश।

द्वारा प्रतिभूत राशि का 0.5 प्रतिशत (0.25 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क + 0.25 प्रतिशत पंचायत शुल्क) शुल्क देय होगा, जो अधिकतम ₹ 10 लाख (स्टाम्प शुल्क ₹ पाँच लाख + पंचायत शुल्क ₹ पाँच लाख) देय होगा।

इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना दिनांक 2 जनवरी, 2015 के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा आवासीय प्रयोजनों के लिए, जहां सुरक्षित ऋण की राशि ₹ 10 करोड़ तक है, वहां 0.25 प्रतिशत (0.125 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क + 0.125 प्रतिशत पंचायत शुल्क) स्टाम्प शुल्क के रूप में देय है।

छह उप पंजीयक कार्यालयों[87] में पंजीकृत दस्तावेजों की नमूना जाँच (दिसंबर 2023 से मार्च 2024) के दौरान, यह पाया गया कि 36 दस्तावेजों के प्रकरणों में, या तो सुरक्षित ऋण राशि ₹ 10 करोड़ से अधिक थी, या संपत्ति सूक्ष्म और लघु उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती थी। हालाँकि, जनवरी 2015 की उक्त अधिसूचना के तहत लागू लाभ इन प्रकरणों में अनियमित रूप से लागू किया गया था और 0.5 प्रतिशत की दर से ₹ 2.02 करोड़ के स्थान पर 0.25 प्रतिशत से ₹ 1.04 करोड़ का स्टाम्प शुल्क लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 97.63 लाख के स्टाम्प शुल्क की कम वसूली हुई। विवरण संलग्न **परिशिष्ट 4.8** में दिया गया है।

प्रकरण शासन को भेजे गए (सितम्बर 2024 और अक्टूबर 2024)। शासन का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2025)।

4.8.2 अनियमित छूट के कारण स्टाम्प शुल्क कम लगाया जाना

मध्य प्रदेश शासन की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 02 जनवरी 2015 के अनुसार, उन बिक्री विलेखों पर स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गई थी, जो संस्थानों, सरकारी एजेंसियों या निजी क्षेत्र द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी/बीपीओ कंपनियों की नई इकाई/विस्तारित इकाई/आधुनिकृत इकाई के पक्ष में सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में भूमि/परिसर का हस्तांतरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, मध्यप्रदेश शासन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने राजपत्र अधिसूचना दिनांक 14 मई 2013 द्वारा जिला भोपाल के ग्राम बड़वई की कुल 212 एकड़ भूमि को सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया था।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1(क) के अनुच्छेद 25 के अनुसार, जिसे 02 जनवरी 2015 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था, संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित विलेख पर संपत्ति के बाज़ार मूल्य का पाँच प्रतिशत, या विलेख में उल्लिखित प्रतिफल में से जो अधिक हो, उस पर स्टाम्प शुल्क देय है, और यदि प्रतिफल की राशि, दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाज़ार मूल्य से अधिक है, तो इस अतिरिक्त राशि के उस हिस्से पर एक प्रतिशत स्टाम्प शुल्क (01 जुलाई 2019 से लागू) देय होगा।

उप-पंजीयक कार्यालय, गोविंदपुरा, भोपाल-3 के पंजीकृत दस्तावेजों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि एक विक्रेता ने दिनांक 06 जनवरी 2021 के एक विलेख क्रमांक[88] के आधार पर आवासीय क्षेत्र[89] (कस्तूरबा नगर, भोपाल) में स्थित एक मंजिला मकान क्रेता मेसर्स एसएफए टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचा था। संपत्ति का पंजीकृत बाजार मूल्य

[87] भोपाल-3, देवास, ग्वालियर-2, जबलपुर-1, जबलपुर-2, एवं उज्जैन

[88] MP059712021A1016853

[89] कस्तूरबा नगर, भोपाल जो अधिसूचित आईटी निवेश क्षेत्र से लगभग 18 किलोमीटर दूर है।

₹ 1.01 करोड़ था, और बिक्री मूल्य ₹ 2.50 करोड़ था, जिस पर तदनुसार देय स्टाम्प शुल्क और सहायक शुल्क ₹ 17.23 लाख[90] था।

विलेख की जाँच से पता चला कि इस प्रकरण में संपूर्ण स्टाम्प शुल्क पर छूट दी गई थी, तथा संपत्ति को जनवरी 2015 की उपरोक्त अधिसूचना के तहत छूट प्राप्त माना गया था।

विलेख के विवरण के क्रॉस-सत्यापन से पता चला कि संपत्ति एक आवासीय कॉलोनी में स्थित एक आवासीय मकान था, न कि सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र (ग्राम बड़वई) में, और इस प्रकार, जनवरी 2015 की अधिसूचना के तहत स्टाम्प शुल्क छूट के लिए अपात्र थी। एक अपात्र विक्रय विलेख पर छूट मानदंडों के अनियमित रूप से लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 17.23 लाख की स्टाम्प शुल्क राशि का कम मूल्यांकन हुआ।

प्रकरण शासन को भेजे गए (सितम्बर 2024); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2025)।

4.8.3 अनियमित छूट के कारण स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का कम अधिरोपण

पंजीकरण शुल्क तालिका के अनुच्छेद 1 के नीचे नोट 1 के साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1(क) के अनुच्छेद 25 के नियम (घ) के अनुसार, जहाँ किसी एजेंट को अचल संपत्ति बेचने के लिए अभिकर्ता को अधिकृत करने वाले प्राधिकरण पत्र पर हस्तांतरण विलेख के लिए आवश्यक मूल्य के अनुसार स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है और जहाँ ऐसी प्राधिकरण पत्र के निष्पादक और जिस व्यक्ति के पक्ष में यह निष्पादित किया जाता है, के बीच बिक्री का बिल कार्यान्वित किया जाता है, ऐसे बिक्री बिल पर स्टाम्प शुल्क, न्यूनतम ₹ 1,000 के अधीन, पहले से भुगतान की गई राशि से कम किया जाएगा। इस अनुच्छेद के अंतर्गत स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क देय होंगे।

उप-पंजीयक, विदिशा कार्यालय के पंजीकृत दस्तावेज की नमूना जाँच (अक्टूबर 2023) के दौरान देखा गया कि एक भू-स्वामी ने प्राधिकरण पत्र विलेख संख्या MP452732023A41364441, दिनांक 16 जनवरी 2023 के माध्यम से, वार्ड 33, मिर्जापुर स्थित अपनी 1.884 हेक्टेयर सिंचित कृषि भूमि के विक्रय का अधिकार एक एजेंट को प्रतिफल के रूप में दिया था। एजेंट ने तत्पश्चात, विलेख संख्या MP452732023A11667711, दिनांक 29 मार्च 2023 के माध्यम से, ₹ 1.38 करोड़ की प्रतिफल राशि पर भूमि बेच दी, जो संपत्ति के मूल्यांकित बाजार मूल्य ₹ 1.36 करोड़ से अधिक थी।

इस प्रकरण में, नियमानुसार स्टाम्प शुल्क ₹ 13.02 लाख और पंजीयन शुल्क ₹ 1.38 लाख देय था। परन्तु विभाग ने अनियमित रूप से 29 मार्च 2023 की प्राधिकरण पत्र विलेख के पंजीयन हेतु पूर्व में भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क

[90]

1	बाजार मूल्य पर स्टांप शुल्क	1,01,91,318x 5 *प्रतिशत*	5,09,565.90
2	वास्तविक प्रतिफल और बाजार मूल्य के अंतर पर स्टांप शुल्क	2,50,00,000 - 1,01,91,318 = 1,48,08,682 x 1 *प्रतिशत*	1,48,086.82
3	कुल देय स्टाम्प शुल्क (1 + 2)		6,57,652.72
4	स्टाम्प शुल्क पूर्णांकित किया गया		6,57,653.00
5	नगर पालिका शुल्क प्रतिफल का 3 प्रतिशत	2,50,00,000 x 3 प्रतिशत	7,50,000.00
6	जनपद शुल्क प्रतिफल का 1 प्रतिशत	2,50,00,000 x 1 प्रतिशत	2,50,000.00
7	उपकर स्टाम्प शुल्क का 10 प्रतिशत	6,57,652.72 x 10 प्रतिशत	65,766.00
पूर्ण छूट (4 + 5 + 6 + 7)			**17,23,419.00**

(₹ 6.90 लाख) और पंजीयन शुल्क (₹ 1.13 लाख) कुल ₹ 8.03 लाख[91] की छूट देकर लागू शुल्क को घटाकर ₹ 6.37 लाख कर दिया।

प्रावधान (घ) के अनुसार, छूट केवल अभिकर्ता पत्र धारक के पक्ष में भूमि मालिक द्वारा बिक्री विलेख के निष्पादन/पंजीकरण पर ही स्वीकार्य थी, न कि किसी तीसरे पक्ष के साथ विलेख के निष्पादन के समय।

प्रकरण शासन को भेजे गए (सितम्बर 2024); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2025)।

4.9 दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का कम अधिरोपण

चार प्रकरणों में, तीन उप-पंजीयकों ने, उपहार विलेख पर स्टाम्प शुल्क की गलत दरों को लागू किया, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व ₹ 74.08 लाख का कम संग्रह हुआ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1(क) के अनुच्छेद 25 के अनुसार, संपत्ति का बाजार मूल्य दिशानिर्देशों के अनुसार या प्रतिफल की राशि (बिक्री विलेख में उल्लेखित) के अनुसार, जो भी अधिक हो, उसके पांच प्रतिशत के बराबर स्टाम्प शुल्क और यदि विक्रय विलेख में दिया गया प्रतिफल राशि, दिशानिर्देशों के अनुसार गणना किए गए बाजार मूल्य से अधिक है, तो उस अतिरिक्त राशि पर एक प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के हस्तांतरण विलेख पर देय है (दिनांक 01 जुलाई 2019 से लागू)।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1(क) के अनुच्छेद 36 के अनुसार, उपहार के साधन पर:

i. जब परिवार के किसी सदस्य को उपहार दिया जाता है, तो शुल्क का आधा हिस्सा (संबंधित संपत्ति के बाजार मूल्य का 2.5 प्रतिशत) संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण (अनुच्छेद संख्या 25) के रूप में, जो उपहार की विषय-वस्तु है; प्रभार्य है।

ii. अन्य सभी प्रकरण में, संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण (अनुच्छेद संख्या 25) के समान ही शुल्क, जो कि उपहार की विषय-वस्तु है; प्रभार्य है।

iii. भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1 (क) के अनुच्छेद 36 के स्पष्टीकरण के अनुसार, परिवार का अर्थ माता, पिता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पुत्रवधू, पोती और पोता होगा।

91

स. क्र.	विवरण	गणना	आरोपणीय राशि	आरोपित राशि कम गया	लगाया
1	बाजार मूल्य पर स्टाम्प शुल्क	1,35,71,448 x 5 *प्रतिशत*	6,78,572.40	6,11,945.00	6,90,000.00
2	वास्तविक प्रतिफल और बाजार मूल्य के अंतर पर स्टाम्प शुल्क	1,38,00,000 - 1,35,71,448 = 2,28,552 x 1 *प्रतिशत*	2,285.52		
3	सहमति		1000.00		
4	कुल देय स्टाम्प शुल्क (1 + 2)		6,81,858.92		
5	स्टाम्प शुल्क		6,81,859.00		
6	नगरपालिका शुल्क प्रतिफल का 3 प्रतिशत	1,38,00,000 x 3 *प्रतिशत*	4,14,000.00		
7	जनपद शुल्क प्रतिफल का 1 प्रतिशत	1,38,00,000 x 1 *प्रतिशत*	1,38,000.00		
8	उपकार स्टाम्प शुल्क का 10 प्रतिशत	6,80,859 x 10 *प्रतिशत*	68,086.00		
9	कुल स्टाम्प शुल्क (5 + 6 + 7 + 8)		13,01,945.00		
10	पंजीकरण शुल्क		1,38,000.00	25,480.00	1,12,520.00

इसके अलावा, 01 जुलाई 2019 को संशोधित पंजीकरण शुल्क तालिका के अनुच्छेद 1 (i) (ग) के अनुसार, परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य के पक्ष में अचल संपत्ति के उपहार के मामले में, बाजार मूल्य का तीन प्रतिशत पंजीकरण शुल्क के रूप में प्रभार्य है।

4.9.1 स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 54.08 लाख का कम अधिरोपण

उप-पंजीयक, उज्जैन कार्यालय के पंजीकृत दस्तावेजों की नमूना जाँच (नवंबर 2023) के दौरान, यह देखा गया कि विलेख क्रमांक MP432022023A11431465 दिनांक 02 फरवरी 2023 को एक उपहार दस्तावेज पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक संस्थान ने एक अन्य संस्था को संपत्ति उपहार में दी थी। विभाग ने दाता और दान प्राप्तकर्ता दोनों को एक परिवार का सदस्य मानते हुए 2.5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगाया। चूँकि संपत्ति एक ऐसी संस्था को उपहार में दी गई थी जो परिवार की परिभाषा में नहीं आती, इसलिए पाँच प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क देय था। उप पंजीयक की अनियमित कार्रवाई के परिणामस्वरूप ₹ 54.08 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम मूल्यांकन और कम अधिरोपण हुआ।

प्रकरण शासन को भेजे गए (अक्टूबर 2024); शासन का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (फरवरी 2025)।

4.9.2 स्टाम्प शुल्क की दर के गलत अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप ₹ 1.40 लाख का कम अधिरोपण

उप-पंजीयक कार्यालय, विदिशा के पंजीकृत दस्तावेजों की नमूना जाँच (अक्टूबर 2023) के दौरान, यह देखा गया कि दिनांक 26 अप्रैल 2022 को विलेख क्रमांक MP452732022A1432190 नामक एक उपहार दस्तावेज पंजीकृत किया गया था, जिसमें दानकर्ता ने एक आदाता को संपत्ति उपहार में दी थी, जिसने हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के "कर्ता" के रूप में संपत्ति प्राप्त की थी। विभाग ने दाता और दान प्राप्तकर्ता दोनों को सगे भाई मानते हुए 2.5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगाया, हालाँकि, संपत्ति HUF के "कर्ता" को उपहार में दी गई थी, और यह संबंध परिवार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए, पाँच प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क देय था, तदनुसार ₹ 1.40 लाख का कम स्टाम्प शुल्क वसूली योग्य है जैसा कि **परिशिष्ट 4.9** में विवरण दिया गया है।

उप महानिरीक्षक, पंजीयन भोपाल ने 18 जून 2024 के अपने उत्तर में कहा कि प्रकरण दर्ज किया गया है, और वसूली के लिए पार्टियों को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन अब तक (फरवरी 2025) कोई वसूली नहीं हुई है।

4.9.3 उपहार विलेख पर ₹ 8.07 लाख स्टाम्प शुल्क का कम अधिरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1(क) के अनुच्छेद 36 के अनुसार, जब किसी परिवार के किसी सदस्य को उपहार का साधन दिया जाता है, तो उपहार की विषय-वस्तु संपत्ति पर देय शुल्क का आधा बाजार मूल्य हस्तांतरण विलेख पर अधिरोपित किया जाता है। स्पष्टीकरण के अनुसार, इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, परिवार शब्द का अर्थ माता, पिता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पुत्रवधू, पोती और पौत्र होगा।

इसके अलावा, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्य प्रदेश के दिनांक 05 नवंबर 2008 के परिपत्र के अनुसार, "किसी दस्तावेज को हक-त्याग विलेख (रिलीज़ डीड) बनाने के लिए यह आवश्यक है कि त्यागकर्ता और त्याग-स्वीकारकर्ता, त्यागी जा रही संपत्ति के सह-स्वामी हों, यदि सह-स्वामी नहीं हैं तो ऐसे हस्तांतरण या उपहार के विलेख, जैसा भी मामला हो, को मान्य किया जाना चाहिए और स्टाम्प शुल्क लगाया जाना चाहिए। "सह-स्वामियों के बीच संपत्ति का

परित्याग केवल तभी त्याग माना जाएगा जब सह-स्वामी द्वारा त्यागी जा रही संपत्ति सभी शेष सह-स्वामियों के पक्ष में त्याग की जाती है, न कि कुछ सह-स्वामियों के पक्ष में"।

उप पंजीयक कार्यालय, गोविंदपुरा, भोपाल-3 के पंजीकृत दस्तावेजों की नमूना जाँच के दौरान देखा गया कि विलेख क्रमांक MP059712022A1469631, दिनांक 05 मई 2022 के तहत, त्यागकर्ता शशि अग्रवाल और त्याग-स्वीकारकर्ता श्री विजय कुमार अग्रवाल ने 334.40 वर्ग मीटर की एक मकान संपत्ति में अपना हिस्सा और एक अन्य संपत्ति में 20.45 वर्ग मीटर की एक अन्य मकान संपत्ति का हिस्सा, कुल 354.85 वर्ग मीटर, त्याग दिया। वास्तव में, यह अविभाजित संयुक्त संपत्ति का 1/5 हिस्सा था और इसका पंजीकृत बाजार मूल्य ₹ 1,99,19,404 था। तदनुसार, इस लेनदेन को किसी अन्य मालिक के पक्ष में उसके हिस्से के त्याग के रूप में वर्गीकृत करते हुए स्टाम्प शुल्क ₹ 99,598 और पंजीकरण शुल्क ₹ 1,59,357 लगाया गया।

इसके अलावा, विलेख के पृष्ठ संख्या 9 पर, त्यागकर्ता और त्याग-स्वीकारकर्ता के अलावा उक्त संपत्ति में चार अन्य सह-स्वामियों का भी उल्लेख किया गया था। इस मामले में, विलेख सभी सह-स्वामियों के पक्ष में त्यागा नहीं गया था, बल्कि केवल एक व्यक्ति के पक्ष में त्यागा गया था। इस प्रकार, यह विलेख त्यागा नहीं गया है, बल्कि महानिरीक्षक के उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार परिवार के भीतर (बहन और भाई के बीच) उपहार की श्रेणी में आता है। हस्तांतरण के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 8.07 लाख के स्टाम्प शुल्क की कम वसूली हुई। विवरण नीचे **तालिका 4.1** में दिए गए हैं:

तालिका 4.1: स्टाम्प शुल्क की कम वसूली का विवरण

मद	आरोपणीय राशि	आरोपित राशि	अंतर
स्टाम्प शुल्क 2.5%	99,598	99,598	0
नगरपालिका शुल्क 3%	5,97,582	0	5,97,582
पंचायत शुल्क 1%	1,99,194	0	1,99,194
देय स्टाम्प शुल्क का 10% उपकर	9,960	0	9,960
कुल स्टाम्प शुल्क	9,06,334	99,598	8,06,736
पंजीकरण शुल्क 0.8%	1,59,357	1,59,357	0
कुल स्टाम्प शुल्क की कम वसूली	**10,65,691**	**2,58,955**	**8,06,736**

प्रकरण शासन को भेजे गए (अक्टूबर 2024); शासन का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (फरवरी 2025)।

4.9.4 बिक्री अनुबंध पर ₹ 10.53 लाख स्टाम्प शुल्क का कम अधिरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1 (क) की कंडिका 6 (ङ) (i) के अनुसार, यदि मामला अचल संपत्ति की बिक्री से संबंधित है, तो जब संपत्ति का कब्ज़ा दिया जाता है या हस्तांतरण निष्पादित किए बिना सौंपे जाने पर सहमति होती है, तो संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण शुल्क (संख्या 25) के समान ही शुल्क देय होगा, अर्थात पाँच प्रतिशत देय था। जबकि अनुसूची 1(क) की कंडिका 6 (ङ) (ii) में प्रावधान है कि जब संपत्ति का कब्ज़ा नहीं दिया जाता है, तो एक हज़ार रुपये देय है।

कार्यालय उप-पंजीयक, ग्वालियर-2 के पंजीकृत दस्तावेजों की नमूना जाँच में देखा गया कि विलेख क्रमांक MP142592022A1126786, दिनांक 07 फरवरी 2022 के अंतर्गत ग्राम खेरिया केसर स्थित 2.634 हेक्टेयर भू-संपत्ति हेतु भूमि स्वामी एवं क्रेता के मध्य विक्रय अनुबंध संपादित किया गया था। विलेख के अनुसार अनुबंध मूल्य

₹ 6.25 करोड़ था तथा भूमि का पंजीकृत बाजार मूल्य ₹ 2.11 करोड़ था। निर्धारित समयावधि में भुगतान न किए जाने पर अनुबंध स्वतः निरस्त माना जाएगा तथा भूमि स्वामी को कब्जा वापस लेने का पूर्ण अधिकार होगा। इससे सिद्ध होता है कि अनुबंध के समय क्रेता को कब्जा दिया गया था।

यह विलेख संपत्ति के कब्जे वाले समझौते के समतुल्य है और ₹ 2,10,72,000 के पंजीकृत बाजार मूल्य पर पाँच प्रतिशत स्टाम्प शुल्क, यानी ₹ 10,53,600 देय था, लेकिन विभाग ने इस विलेख को संपत्ति के गैर-कब्जे वाला विक्रय विलेख मान लिया और उप पंजीयक द्वारा केवल ₹ 1,000 का शुल्क लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.53 लाख स्टाम्प शुल्क की कम वसूली हुई।

उपरोक्त सभी के परिणामस्वरूप विभाग द्वारा दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 74.08 लाख की राशि का स्टाम्प शुल्क का कम अधिरोपण।

प्रकरण शासन को भेजे गए (अक्टूबर 2024); शासन का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2025)।

4.10 विकास अनुबंधों पर स्टाम्प शुल्क का कम अधिरोपण

दो उप- पंजीयकों ने दो प्रकरणों में ₹ 23.81 लाख की स्टाम्प शुल्क का कम अधिरोपण किया

4.10.1 ₹ 15.59 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम अधिरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1(क) के अनुच्छेद 6 (घ) (i) के अनुसार, विकसित की जाने वाली प्रस्तावित संपूर्ण भूमि के विकासकर्ता के हिस्से के बाजार मूल्य पर पांच प्रतिशत शुल्क देय है, जो विकासकर्ता द्वारा धारित/बेची जाने वाली विकसित संपत्ति के अनुपात में होगा।

इसके अलावा, अनुच्छेद 6 (घ) (ii) के अनुसार, उपरोक्त खंड (i) में शामिल नहीं किए गए प्रकरण के लिए, विकसित या पुनर्विकास के लिए प्रस्तावित संपूर्ण भूमि के बाजार मूल्य का 0.25 प्रतिशत, न्यूनतम ₹ 1,000 देय है।

उप-पंजीयक, ग्वालियर-2 के पंजीकृत दस्तावेजों की नमूना जाँच (फरवरी 2024) से पता चला कि भूमि विकास विलेख संख्या MP142592022A1359347 दिनांक 31 मार्च 2022, विकास सह निर्माण के लिए एक भूमि मालिक और एक विकासकर्ता के बीच 6,900 वर्ग मीटर भूमि पर एक संपत्ति के निर्माण के लिए संपादित किया गया था। विलेख के अनुसार, भूमि मालिक पांच प्रतिशत लेगा और विकासकर्ता निर्मित संपत्ति का 95 प्रतिशत रखेगा। तदनुसार, उक्त अनुच्छेद के अनुसार, विकासकर्ता के हिस्से के 95 प्रतिशत पर पांच प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय था, हालांकि, विभाग ने दस्तावेज को गलत तरीके से वर्गीकृत किया और अनुच्छेद 6 (घ) (ii) के तहत पंजीकृत बाजार मूल्य का 0.25 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क[92] लगाया। विवरण नीचे **तालिका 4.2** में दिया गया है:

[92] वर्ष 2021-22 के दिशानिर्देश पृष्ठ संख्या 373 और क्रमांक 3158 के अनुसार विभाग द्वारा किया गया संपत्ति का मूल्यांकन = ₹ 3,43,60,000 | लेकिन उपर्युक्त अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार, विकासकर्ता के हिस्से के केवल एक भाग का बाजार मूल्य निम्नानुसार है:
विकासकर्ता का हिस्सा = 6,900 वर्ग मीटर का 95 प्रतिशत = 6,555 वर्ग मीटर = 0.6555 हेक्टेयर।
सिंचित भूमि के लिए दर ₹ 16,000 प्रति वर्ग मीटर या 3,60,00,000 प्रति हेक्टेयर होगी। दिशानिर्देशों के अनुसार, गणना इस प्रकार होगी:

(a)	पहले 1,000 वर्ग मीटर के लिए:	
	400 वर्ग मीटर x ₹ 16,000 प्रति वर्ग मीटर	= ₹ 64,00,000
	300 वर्ग मीटर x ₹ 16,000 प्रति वर्ग मीटर x 80%	= ₹ 38,40,000
	300 वर्ग मीटर x ₹ 16,000 प्रति वर्ग मीटर x 60%	= ₹ 28,80,000
(b)	शेष 0.555 हेक्टेयर प्रति वर्ग मीटर x ₹ 3,60,00,000	= ₹ 1,99,80,000
	कुल योग (a + b)	**= ₹ 3,31,00,000**

तालिका 4.2: स्टाम्प शुल्क के कम अधिरोपण का विवरण

स.क्र.	बाजार मूल्य दिशानिर्देश के अनुसार	पंजीकृत बाजार मूल्य	देय स्टांप शुल्क (5%) और पंजीयन शुल्क (0.8%)	लगाया गया स्टांप शुल्क (0.25%) और पंजीयन शुल्क (0.8%)	स्टांप शुल्क की कम वसूली
1	3,31,00,000	3,43,60,000	16,55,000	85,900	15,69,100
2			2,64,800	2,74,880	-10,080
	कुल		**19,19,800**	**3,60,780**	**15,59,020**

इसके परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क के रूप में ₹ 15.59 लाख का कम अधिरोपण किया गया।

प्रकरण शासन को भेजे गए (अक्टूबर 2024); शासन का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2025)।

4.10.2 ₹ 8.22 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम अधिरोपण

उप-पंजीयक, विदिशा (अक्टूबर 2023) के पंजीकृत दस्तावेजों की नमूना जाँच के दौरान, यह देखा गया कि भूमि विकास विलेख संख्या MP452732019A1569053 दिनांक 07 अगस्त 2019 को पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक भू-स्वामी और एक विकासकर्ता ने एक समझौता किया था। संपत्ति का स्थान विदिशा में था, और निर्माण अनुबंध कुल 4,897 वर्ग मीटर के भूखंड के विकास के लिए था। अनुबंध के अनुसार, भू-स्वामी को निर्मित संपत्ति के बिक्री मूल्य का 32 प्रतिशत और विकासकर्ता को 68 प्रतिशत मिलेगा। अनुच्छेद 6 (घ) (i) के अनुसार, विकासकर्ता के हिस्से के 68 प्रतिशत पर पांच प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय था, हालांकि, विभाग ने अनुच्छेद 6 (घ) (ii) में दस्तावेज को गलत तरीके से वर्गीकृत किया और पंजीकृत बाजार मूल्य का 0.25 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क[93] अधिरोपित किया। विवरण नीचे **तालिका 4.3** में दिया गया है:

तालिका 4.3: स्टाम्प शुल्क की कम वसूली का विवरण

सं.क्र.	बाजार मूल्य दिशानिर्देश के अनुसार	पंजीकृत बाजार मूल्य	लगाए जाने वाले स्टांप शुल्क और पंजीयन शुल्क	लगाया गया स्टांप शुल्क और पंजीयन शुल्क	स्टांप शुल्क की कम वसूली
1	1,93,13,768	2,84,02,600	9,65,689	71,007	8,94,682
2			1,54,510	2,27,221	-72,711
	कुल		**11,20,199**	**2,98,228**	**8,21,971**

इसके परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क के रूप में ₹ 8.22 लाख का कम अधिरोपण किया गया।

प्रकरण शासन को भेजे गए (अक्टूबर 2024); शासन का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2025)।

[93] वर्ष 2019-20 के दिशानिर्देश, पृष्ठ संख्या 360 क्रमांक 2581 के अनुसार विभाग द्वारा संपत्ति का मूल्यांकन इस प्रकार किया गया है:
4897 वर्ग मीटर x ₹ 5800 प्रति वर्ग मीटर = ₹ 2,84,02,600
किन्तु उपर्युक्त अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार, डेवलपर के हिस्से के केवल एक भाग का बाजार मूल्य निम्नानुसार है: -
डेवलपर का हिस्सा = ₹ 4,897 प्रति वर्ग मीटर का 68 प्रतिशत = ₹ 3,329.96 प्रति वर्ग मीटर।
मूल्यांकन 3329.96 वर्ग मीटर x ₹ 5800 प्रति वर्ग मीटर = ₹ 1,93,13,768।

जल संसाधन विभाग

4.11 त्रुटिपूर्ण आधार सूचकांक अपनाने के कारण अधिक भुगतान

मूल्य समायोजन की गणना के लिए गलत माह का आधार सूचकांक अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 16.40 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

4.11.1 सिंगरौली संभाग में ₹ 8.95 करोड़ का अधिक भुगतान

मंत्रिपरिषद, मध्य प्रदेश शासन द्वारा लिए गए निर्णय (मई 2022) के अनुसार, आधार दर निर्माण सामग्री की विभिन्न वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई), औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और पीओएल और बिटुमेन के लिए आईओसीएल की दरों की अनुसूची जारी करने की तिथि पर प्रचलित दर होगी (अधतन संशोधन के साथ)। इसने बोली जमा करने की दिनांक से 28 दिन पहले आधार सूचकांक लेने के मौजूदा प्रावधान को बदल दिया। मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने तदनुसार निर्माण कार्य से संबंधित निविदाएं आमंत्रित करने के लिए उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में 6 मई 2022 को एक आदेश जारी किया। इसे प्रमुख अभियंता (ई-इन-सी), जल संसाधन विभाग, भोपाल द्वारा 26 मई 2022 के आदेश के माध्यम से दोहराया गया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 01 सितंबर 2017 (यूएसआर 2017)[94] से लागू एम.पी.डब्ल्यू.आर.डी. की दरों की एकीकृत अनुसूची में दी गई दर के आधार पर रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए ₹ 672.25 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, गंगा बेसिन, रीवा द्वारा 27 मई 2022 को प्रदान की गई थी। टर्न-की आधार पर रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए एनआईटी 18 जुलाई 2022 को जारी की गई थी, और निविदा में रखे गए कार्य का मूल्य ₹ 640.06 करोड़ था। कार्य शुरू करने का अनुबंध 02 मार्च 2023 को किया गया था। कार्य पूर्ण होने की निर्धारित अवधि वर्षा ऋतु सहित 36 महीने थी। 12वीं आरए बिल के अनुसार किए गए कार्य का अद्यतन मूल्य ₹ 67.51 करोड़ (दिसंबर 2023) था।

अनुबंध की धारा 113 के अनुसार, अनुबंध मूल्य को श्रम, सीमेंट, स्टील, पीओएल, एचडीपीई, प्लांट और मशीनरी पुर्जों और अन्य सामग्री की दरों और मूल्य में वृद्धि या कमी के लिए समायोजित किया जाएगा और मूल्य समायोजन अनुबंध की धारा 113.4 में दिए गए सूत्र के आधार पर देय होगा। मूल्य समायोजन की गणना के लिए अनुबंध में उल्लिखित आधार दर मार्च 2021 के महीने के सूचकांक पर आधारित थी। तदनुसार, विभाग ने मार्च 2023 से दिसंबर 2023 के दौरान किए गए कार्यों के लिए मूल्य समायोजन की गणना की और सभी घटकों के लिए मूल्य समायोजन के लिए ₹ 5.17 करोड़ (₹ 0.79 करोड़ के जीएसटी सहित) का भुगतान किया गया।

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, सिंगरौली के कार्यालय के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2024) के दौरान, यह देखा गया कि विभाग ने मूल्य समायोजन की गणना के लिए गलत आधार दर माह अपनाया। यूएसआर 2017 (संशोधन संख्या 16) में अंतिम संशोधन, एनआईटी जारी होने की दिनांक से काफी पहले 30 मई 2022 को जारी किया गया था और इसलिए आधार दर की गणना मई 2022 के सूचकांक (6 मई 2022 के सरकारी आदेश के अनुसार) के अनुसार की जानी चाहिए थी। हालाँकि, विभाग ने अनुबंध में अनियमित रूप से मार्च 2021 की आधार दर को अपनाया। सभी घटकों

[94] नवीनतम संशोधन 30 मई 2022 को किया गया (संशोधन संख्या 16)।

(पीओएल को छोड़कर) के लिए मई 2022 के महीने के आधार दर पर गणना करने पर, मूल्य समायोजन (-) ₹ 3.78 करोड़ होता है, जिसके विरूद्ध विभाग ने ₹ 5.17 करोड़ का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.95 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 4.10** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

शासन ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में बताया कि मूल्य समायोजन की गणना के लिए आधार तिथि के रूप में मार्च 2021 को अपनाना, ई-इन-सी डब्ल्यूआरडी भोपाल द्वारा जारी आदेश, ज्ञापन क्रमांक/374/271/ई-टेंडरिंग/ई-इन-सी/ 2018-19/920, भोपाल दिनांक 26 मई 2022 के अनुरूप है। इसलिए इसमें कोई अनियमितता नहीं है।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि मध्य प्रदेश शासन के 6 मई 2022 के आदेश में ही यह प्रावधान था कि आधार तिथि विभिन्न निर्माण सामग्रियों के लिए दरों की अनुसूची (अद्यतन संशोधन सहित) जारी होने की तिथि का सूचकांक होगी। एनआईटी जारी होने से पहले अंतिम संशोधन मई 2022 में किया गया था, और तकनीकी स्वीकृति भी यूएसआर 2017 की दरों के अनुसार प्रदान की गई थी, जिसमें 2021-22 में संशोधन किया गया था। इसलिए, आधार तिथि होने के कारण मई 2022 माह के सूचकांकों का प्रावधान अनुबंध में होना चाहिए था जो नहीं किया गया था।

4.11.2 उज्जैन संभाग में ₹ 4.09 करोड़ का अधिक भुगतान

समाकोटा बैराज के निर्माण कार्य के अभिलेखों की जाँच के दौरान देखा गया कि 1 सितंबर 2017 (यूएसआर 2017) से लागू एम.पी.डब्ल्यू.आर.डी. की दरों की एकीकृत अनुसूची में दी गई दरों के आधार पर, जिसमें मार्च 2021 और फरवरी 2022 में संशोधन किए गए थे, कार्य हेतु ₹ 153.72 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, उज्जैन द्वारा (अप्रैल 2022) प्रदान की गई थी। बैराज के टर्न-की निर्माण हेतु एनआईटी 9 मई 2022 को जारी की गई थी, जबकि 31 अगस्त 2022 को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया था जिसमें क्रमशः बोली जमा करने की तिथि (2 सितंबर 2022) और बोली खोलने की तिथि (5 सितंबर 2022) का उल्लेख किया गया था। कार्य प्रारंभ करने का अनुबंध 11 जनवरी 2023 को संपादित किया गया था, जिसके लिए निविदा में रखे गए कार्य की कुल लागत ₹ 153.72 करोड़ थी। कार्य पूरा होने की निर्धारित अवधि वर्षा ऋतु सहित 24 महीने थी। ठेकेदार को कुल कार्य मूल्य (नवंबर 2023) का आठवाँ चलित देयक ₹ 82.90 करोड़ का भुगतान किया गया, जिसमें जीएसटी के रूप में भुगतान किए गए ₹ 3.97 करोड़ और मूल्य समायोजन के लिए भुगतान किए गए ₹ 4.79 करोड़ शामिल हैं।

अनुबंध की धारा 31 में यह प्रावधान था कि श्रम, सीमेंट, स्टील, एचडीपीई और अन्य सामग्री की दरों में वृद्धि या कमी के सूचकांक के आधार पर मूल्य समायोजन की राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। अनुबंध की शर्तों में निर्धारित सूत्र के आधार पर मूल्य समायोजन देय होगा। मूल्य वृद्धि की गणना के लिए अनुबंध में उल्लिखित आधार दर मार्च 2021 माह के सूचकांकों के अनुसार थी।

चूँकि 28 फरवरी 2022 को जारी संशोधन संख्या 15, एनआईटी जारी होने से पहले यूएसआर 2017 में किया गया अंतिम संशोधन था, इसलिए मूल्य समायोजन की गणना के लिए फरवरी 2022 को आधार माह माना जाना चाहिए था। हालाँकि, विभाग ने मूल्य समायोजन की गलत गणना के लिए अनियमित रूप से मार्च 2021 की आधार दर को अपनाया। गलत आधार मूल्य माह अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 4.09 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ, जैसा कि **तालिका 4.4** में दिया गया है:

तालिका 4.4: मूल्य समायोजन का अधिक भुगतान

(राशि ₹ में)

स.क्र.	मद	फरवरी 2022 के आधार सूचकांक को लेते हुए किया जाने वाला भुगतान	मार्च 2021 की आधार सूचकांक तिथि को लेते हुए किया गया भुगतान	अंतर
1	स्टील	-1,04,94,521.37	91,64,692.00	1,96,59,213.37
2	एचडीपीई	-29,68,147.62	18,30,151.00	47,98,298.62
3	अन्य सामग्री	22,57,264.01	1,41,08,616.00	1,18,51,351.99
4	सीमेंट	11,87,845.27	27,94,299.00	16,06,453.73
5	श्रम	36,09,943.81	55,04,943.82	18,95,000.01
6	संयंत्र और मशीनरी	37,76,895.06	48,63,297.00	10,86,401.94
	कुल	**-26,30,720.84**	**3,82,65,998.82**	**4,08,96,719.66**

इंगित किए जाने पर, शासन ने कहा (सितंबर 2024) कि मार्च 2021 में जारी 11वां संशोधन दबावयुक्त पाइप वितरण नेटवर्क से संबंधित था, इसलिए मूल्य समायोजन की गणना के लिए उसके लागू होने के माह को ही लिया गया है। इसलिए, किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश शासन के 6 मई 2022 के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मूल्य समायोजन (सभी प्रकार के कार्यों के लिए) की गणना के लिए यूएसआर में अंतिम संशोधन का महीना (एनआईटी जारी होने से पहले) माना जाएगा। इसलिए, मूल्य समायोजन की गणना के लिए आधार माह फरवरी 2022 (बोली खुलने की तिथि से पहले यूएसआर में अंतिम संशोधन होने के कारण) होना चाहिए था, न कि मार्च 2021।

4.11.3 शहडोल संभाग में ₹ 3.36 करोड़ का अधिक भुगतान

भन्नी माइक्रो सिंचाई प्रणाली के निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी की गई थी (मई 2022) और निविदाएँ आमंत्रित की गईं थी। निविदा में रखे गए कार्य का कुल मूल्य ₹ 327.70 करोड़ था, जो यूएसआर 2017 (मार्च 2021 तक 14वाँ संशोधन) के आधार पर अनुमानित लागत के अनुसार था। निविदा 21 जुलाई 2022 को खोली गई और जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 शहडोल द्वारा ₹ 327.51 करोड़ की अनुबंध राशि पर एक ठेकेदार को कार्य सौंपा गया। लागू यूएसआर 2017 में अंतिम संशोधन 28 फरवरी 2022 (संशोधन संख्या 15) को एनआईटी जारी होने से पहले जारी किया गया था।

अनुबंध के धारा 31.1 में यह प्रावधान है कि श्रम, सीमेंट, स्टील, पीओएल, एचडीपीई, संयंत्र एवं मशीनरी, पुर्जों एवं अन्य सामग्री की दरों में वृद्धि या कमी के लिए लागू सूचकांक के आधार पर मूल्य समायोजन की राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। अनुबंध की शर्तों में निर्धारित सूत्र और प्रक्रिया के आधार पर मूल्य समायोजन देय था। मूल्य वृद्धि की गणना के लिए अनुबंध में उल्लिखित आधार दर मार्च 2021 माह के सूचकांकों के अनुसार थी।

चूंकि 28 फरवरी 2022 को जारी किया गया संशोधन एनआईटी जारी होने से पहले यूएसआर 2017 में अंतिम संशोधन था, इसलिए मध्य प्रदेश शासन के 6 मई 2022 के आदेशों के अनुसार मूल्य समायोजन की गणना के उद्देश्य से फरवरी 2022 की आधार दर को आधार माह के रूप में लिया जाना चाहिए था। हालांकि, विभाग ने मूल्य समायोजन की गणना के लिए अनियमित रूप से मार्च 2021 की आधार दर को अपनाया। सभी घटकों (पीओएल को छोड़कर) के लिए फरवरी 2022 के महीने के आधार दर पर गणना करने पर, मूल्य समायोजन (-) ₹ 0.22 करोड़ होता है, जिसके विरूद्ध विभाग ने

₹ 3.14 करोड़ का भुगतान किया। गलत आधार मूल्य माह अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 3.36 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ, जैसा कि **तालिका 4.5** में विस्तृत है:

तालिका 4.5: मूल्य समायोजन के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान

(राशि ₹ में)

स.क्र.	मद	फरवरी 2022 के आधार सूचकांक को लेते हुए किया जाने वाला भुगतान	मार्च 2021 की आधार सूचकांक तिथि को लेते हुए किया गया भुगतान	कुल वसूली योग्य राशि/अधिक भुगतान
1	स्टील	- 74,32,007	1,65,13,838	2,39,45,845
2	एचडीपीई	-2,70,195	25,02,456	27,72,651
3	अन्य सामग्री	12,19,407	50,13,288	37,93,881
4	सीमेंट	28,050	87,281	59,231
5	संयंत्र और मशीनरी	27,99,782	39,04,586	11,04,804
6	श्रम	14,61,623	33,74,619	19,12,996
	कुल	**-21,93,340**	**3,13,96,068**	**3,35,89,408**

इंगित किए जाने पर (जून 2024), शासन ने बताया (नवंबर 2024) कि मार्च 2021 में जारी 11वां संशोधन दबावयुक्त पाइप वितरण नेटवर्क से संबंधित था, इसलिए मूल्य समायोजन की गणना के लिए इसके लागू होने का माह लिया गया है। इसलिए, कोई अनियमित भुगतान नहीं हुआ है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश शासन के 6 मई 2022 के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मूल्य समायोजन (सभी प्रकार के कार्यों के लिए) की गणना के लिए यूएसआर में अंतिम संशोधन का महीना (एनआईटी जारी होने से पहले) माना जाएगा। इसलिए, मूल्य समायोजन की गणना के लिए आधार माह फरवरी 2022 होना चाहिए था, न कि मार्च 2021।

4.12 मूल्य समायोजन की गणना के लिए आधार सूचकांक की गलत तिथि को अपनाने के कारण अधिक भुगतान

आधार दर के लिए गलत तिथि अपनाने के कारण मूल्य समायोजन के लिए ₹ 2.46 करोड़ के अधिक भुगतान के रूप में ठेकेदार को अनुचित वित्तीय सहायता।

मई 2018 में टर्न-की आधार पर (दमोह संभाग के अधिकार क्षेत्र में सोनार नदी पर) कॉम्पोज़िट ग्रैविटी बांध (एकल या बहुविकल्प) के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) ₹ 350.86 करोड़ की अनुमानित राशि पर जारी की गई थी। तकनीकी बोली खोलने की तिथि 30 जुलाई 2018 और वित्तीय बोली खोलने की तिथि 04 अगस्त 2018 थी। अनुबंध संख्या 3/2018-19, दिनांक 12 सितंबर 2018 के तहत ₹ 277.18 करोड़ की अनुबंध राशि पर अनुबंध संपादित किया गया। कार्य पूरा करने की निर्धारित अवधि वर्षा ऋतु सहित 36 माह थी। हालाँकि, ठेकेदार द्वारा फरवरी 2019 से काम शुरू किया गया। किए गए कार्य की कुल ₹ 292.22 करोड़ की मूल्य के लिए 50वां एवं अंतिम बिल का भुगतान (जनवरी 2023) किया गया, जिसमें ₹ 21.58 करोड़ मूल्य समायोजन का भुगतान सम्मिलित थे। कार्य पूर्ण हो गया और विभाग द्वारा मई 2023 में अधिगृहित कर लिया गया।

अनुबंध धारा 113 के अनुसार, अनुबंध मूल्य विभिन्न घटकों की दरों और कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर समायोजन के अधीन है। मूल्य समायोजन की गणना माह के दौरान किए गए कार्य के कुल मूल्य और अनुबंध में उल्लिखित सूत्र के आधार पर की जानी थी। विभिन्न घटकों के लिए मूल्य समायोजन को नियंत्रित करने वाले प्रतिशत[95] अनुबंध में दिए गए हैं।

अनुबंध की शर्तों के अनुसार, विभिन्न घटकों के लिए मूल्य समायोजन की गणना के लिए ली जाने वाली आधार दरें नीचे **तालिका 4.6** में उल्लिखित हैं:

तालिका 4.6: अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार मूल्य समायोजन की गणना के लिए आधार दर

स.क्र.	मद	(वह माह जिसके लिए मूल्य समायोजन की गणना के लिए आधार दर ली जाएगी) समझौते के प्रावधानों के अनुसार आधार दर का आधार	आधार दर ली गई
1	सीमेंट	(जुलाई 2018) आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित तकनीकी बोलियों के खुलने की तिथि से 28 दिन पहले पॉज़ोलाना सीमेंट के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक	जून 2018
2	स्टील	(जुलाई 2018) आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित तकनीकी बोलियों के खुलने की दिनांक से 28 दिन पहले माइल्ड स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स/फ्लैट्स के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक	
3	संयंत्र और मशीनरी पुर्जे	(जुलाई 2018) आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित तकनीकी बोलियों के खोलने की दिनांक से 28 दिन पहले खनन/उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनों के निर्माता के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक	
4	अन्य सामग्री	(जुलाई 2018) आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित तकनीकी बोलियों के खुलने की तिथि से 28 दिन पहले सभी वस्तुओं के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक	
5	पीओएल	(जुलाई 2018) तकनीकी बोलियों के खुलने से 28 दिन पहले कार्य स्थल के निकटतम आईओसी के मौजूदा उपभोक्ता पंपों पर हाई-स्पीड डीजल (एचएसडी) का आधिकारिक खुदरा मूल्य	
6	श्रम	(जुलाई 2018) श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित तकनीकी बोलियों के खुलने की तिथि से 28 दिन पहले राज्य के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।	
7	एचडीपीई	औद्योगिक विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित बोलियां खुलने की तिथि पर पॉलीथीन के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक।	अगस्त 2018

मूल्य समायोजन की गणना करते समय, कार्यपालन यंत्री, दमोह ने एचडीपीई को छोड़कर अन्य घटकों के लिए जून 2018 माह के सूचकांक को आधार सूचकांक माना। एचडीपीई घटक के लिए जुलाई 2018 माह का सूचकांक लिया गया। जबकि अनुबंध के प्रावधान के अनुसार, एचडीपीई को छोड़कर शेष सभी घटकों के लिए जुलाई 2018 माह का सूचकांक आधार सूचकांक माना जाना था। एचडीपीई के लिए अगस्त 2018 का सूचकांक लिया जाना था, क्योंकि वित्तीय बोली खुलने की तिथि 4 अगस्त 2018 थी।

अनुबंध के अनुसार निर्धारित आधार दरों के आधार पर, ठेकेदार को देय मूल्य समायोजन (फरवरी 2019 से मई 2023 तक की अवधि के लिए) ₹ 19.12 करोड़ था, जिसके विरूद्ध उसे ₹ 21.58 करोड़ का भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.46 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 4.11** में विस्तृत है।

[95] सीमेंट: 10, स्टील: 20, प्लांट एवं मशीनरी पुर्जे: 10, अन्य सामग्री: 20, एचडीपीई: 15, पीओएल: 15, श्रम: 10

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2024), जल संसाधन विभाग, दमोह के कार्यपालन यंत्री ने बताया (अक्टूबर 2024) कि संभाग के पास उपलब्ध सिक्योरिटी डिपाजिट को जब्त करके ₹ 1.92 करोड़ की वसूली कर ली गई है। शेष राशि भी ठेकेदार के संचालन एवं रखरखाव बिलों से समायोजित की जाएगी।

यद्यपि एस.डी. जप्त करके आंशिक वसूली की गई है, परंतु उत्तर में इस त्रुटि के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के बारे में मौन है।

वसूली पर रिपोर्ट तथा शासन से उत्तर प्रतिक्षित था (मई 2025)।

4.13 उत्खनित हार्ड रॉक के लिए शुल्क वसूल करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.76 करोड़ की कम/वसूली नहीं होना

कार्यपालन यांत्रियों ने 3.827 लाख घन मीटर हार्ड रॉक के उत्खनन के लिए दो ठेकेदारों से शुल्क वसूल नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.76 करोड़ की कम/ वसूली नहीं की गई।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ने एक आदेश जारी (मार्च 2015) किया जिसमें कहा गया कि उत्खनन से प्राप्त और विभाग द्वारा अप्रयुक्त बची हुई हार्ड रॉक ठेकेदार के स्वामित्व में रहेंगी। ठेकेदार इसका उपयोग उसी स्थल पर कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति या ठेकेदार को बेच सकता है। कर और अन्य शुल्क, यदि कोई हों, ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएँगे। यह निर्देश अनुबंध का एक भाग होना था।

4.13.1 डिंडोरी संभाग में ₹ 2.27 करोड़ की कम वसूली

एक कार्य (मुरकी परियोजना डिंडोरी के मिट्टी के बांध आदि के निर्माण का शेष कार्य) एक संयुक्त उद्यम[96] को (सितंबर 2017) सौंपा गया था। अनुबंध के परिशिष्ट-'के' के अनुसार, हार्ड रॉक की निर्गम दर ₹ 100 प्रति घन मीटर (घ. मी.) होगी। कार्य प्रगति पर था (सितंबर 2023 तक) और 17 नवम्बर 2022 को ठेकेदार को किए गए कार्य के अधतन मूल्य के ₹ 37.80 करोड़ के 30वें चलित देयक का भुगतान किया गया।

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिंडोरी के अभिलेखों की जाँच (सितंबर 2023) के दौरान यह देखा गया कि नवंबर 2022 तक, 1.85 लाख घन मीटर (घ. मी.) हार्ड रॉक की खुदाई के लिए ठेकेदार को ₹ 4.47 करोड़ का भुगतान किया गया था। उत्खनित हार्ड रॉक के लेखांकन के लिए दरों की एकीकृत अनुसूची (यूएसआर) 2009 के अनुसार, पुस्तकों में दर्ज की जाने वाली उपयोगी चट्टान की मात्रा खुदाई में भुगतान की गई मात्रा का 1.30 गुना होगी। इस प्रकार, 2.41 लाख घ. मी. (1.85 लाख घ. मी. x 1.3) हार्ड रॉक को दर्ज किया जाना था और ठेकेदार को ₹ 100 प्रति घ. मी. की दर से जारी किया जाना था और ठेकेदार से ₹ 2.41 करोड़ की राशि वसूल की जानी थी। इसके विपरीत, जल संसाधन संभाग, डिंडोरी के कार्यपालन यंत्री ने ठेकेदार से गलत तरीके से केवल ₹ 0.14 करोड़[97] की वसूली की। इसके परिणामस्वरूप हार्ड रॉक की खुदाई के विरूद्ध में ₹ 2.27 करोड़ की कम वसूली हुई, जो उस सीमा तक अनुचित लाभ था।

प्रकरण मध्य प्रदेश शासन को नवंबर 2024 में भेजे गए ; शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2025)।

---

[96] मेसर्स भगवत प्रसाद शर्मा एवं कुसुमकांत प्रभुलाल शाह

[97] ₹ 4,29,867 - 7वां आरए बिल, ₹ 2,00,000 - 18वां आर बिल, ₹ 3,00,000 - 21वां आरए बिल, ₹ 3,00,000 - 23वां आरए बिल, ₹ 2,00,000 - 25वां आरए बिल = कुल: ₹ 14,29,867

4.13.2 सिवनी संभाग में ₹ 1.49 करोड़ की वसूली न होना

एक ठेकेदार[98] को एक कार्य (ऊपरी तिलवाड़ा नहर के शेष कार्य का निर्माण और वितरण नेटवर्क) नवंबर 2017 में सौंपा गया था। अनुबंध परिशिष्ट –'के' के अनुसार, हार्ड रॉक की निर्गम दर ₹ 105 प्रति घन मीटर + रॉयल्टी शुल्क होगी। 29 दिसंबर 2022 के वाउचर के माध्यम से ठेकेदार को किए गए कार्य के अद्यतन मूल्य ₹ 22.50 करोड़ का 67वाँ और अंतिम बिल भुगतान किया गया।

कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, केवलारी, सिवनी के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2024) के दौरान यह पाया गया कि दिसंबर 2022 तक 1.09 लाख घन मीटर हार्ड रॉक के उत्खनन के लिए ठेकेदार को ₹ 2.45 करोड़ का भुगतान किया गया था। उत्खनित हार्ड रॉक के लेखांकन के लिए दरों की एकीकृत अनुसूची (यूएसआर), 2009 के अनुसार, पुस्तकों में दर्ज की जाने वाली उपयोगी चट्टान की मात्रा उत्खनन में भुगतान की गई मात्रा का 1.30 गुना होगी। इस प्रकार, 1.417 लाख घन मीटर (1.09 x 1.3) हार्ड रॉक को दर्ज किया जाना था और ठेकेदार को ₹ 105 प्रति घन मीटर की दर से जारी किया जाना था, लेकिन कार्यपालन यंत्री, सिवनी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार से हार्ड रॉक के उत्खनन के विरूद्ध ₹ 1.49 करोड़ (1.417 लाख घन मीटर x 105 प्रति घन मीटर) की वसूली नहीं हो सकी, जो उस सीमा तक अनुचित लाभ था।

इंगित किए जाने पर (फरवरी 2024), कार्यपालन यंत्री सिवनी ने बताया (फरवरी 2024) कि ठेकेदार ने जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें उत्खनित हार्ड रॉक को अनुपयोगी बताया गया है और राशि की वसूली न करने का अनुरोध किया गया है। कार्यपालन यंत्री ने आगे कहा कि यदि जल संसाधन विभाग द्वारा इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई की जाती है, तो ठेकेदार से वसूली की जाएगी।

इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2025)।

प्रकरण मध्य प्रदेश शासन को नवंबर 2024 में भेजे गए ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2025)।

4.14 बढ़े हुए मापों के कारण अधिक भुगतान

वास्तविक मापों की अभिलेखन में चूक के कारण ठेकेदार को ₹ 4.02 करोड़ का अधिक भुगतान।

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग (एमपीडब्ल्यूडी) नियमावली के नियम 4.017 से 4.026 माप पुस्तिकाओं (एमबी) से संबंधित प्रक्रियाएँ निर्धारित करते हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि माप पुस्तिकाएँ (एमबी) वे अभिलेख हैं जिन पर लेखा आधारित होता है। माप पुस्तिकाओं में कार्यों का विवरण इतना स्पष्ट होना चाहिए कि उनकी पहचान और जाँच सरल हो। सभी मापों पर उस अधिकारी के तिथि सहित हस्ताक्षर होने चाहिए जिसके द्वारा वे लिए गए हैं और भुगतान के समय माप के सभी पृष्ठों को काट दिया जाना चाहिए।

कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बाएँ तट नहर संभाग, केवलारी, सिवनी की लेखापरीक्षा (फरवरी 2024) के दौरान देखा गया कि संजय सरोवर परियोजना की ऊपरी तिलवारा नहर के निर्माण का कार्य मेसर्स एच.ई.एस. इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और मंटेना कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को टर्न-की आधार पर दिया गया था। अनुबंध 5 नवंबर 2013 को ₹ 33.10 करोड़ (1.43 प्रतिशत कम) की सहमत लागत पर संपादित किया गया। कार्यादेश 15 नवम्बर 2013 को जारी किया गया, जिसमें

[98] मेसर्स एस.एन.पाण्डेय

कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 18 माह थी, अर्थात् 4 मई 2015 तक। अनुबंध को 11 अगस्त 2017 को समाप्त कर दिया गया था। हालाँकि, किए गए कार्य के कुल/अधतन मूल्य ₹ 25.76 करोड़ का भुगतान वाउचर क्रमांक 38, दिनांक 30 जून 2016 के माध्यम से किया गया था।

यह देखा गया कि कार्य का अंतिम माप 15 जून 2020 को लिया गया था और वास्तव में किए गए कार्य का मूल्य ₹ 19,73,81,889 था, जिसके विरूद्ध, किए गए कार्य के कुल/अधतन मूल्य ₹ 25,76,24,281 का भुगतान वाउचर संख्या 38 दिनांक 30 जून 2016 के माध्यम से किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अनुमोदित भुगतान अनुसूची के अनुसार अग्रिम भुगतान किया गया था। इस प्रकार, ठेकेदार को ₹ 6,02,42,392 का अधिक भुगतान किया गया। यह भी देखा गया कि संभाग ने उपलब्ध परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से ₹ दो करोड़ वसूल किए और सिक्योरिटी डिपाजिट के रूप में संभाग के पास अभी भी ₹ 2.28 करोड़ की राशि उपलब्ध है। इस प्रकार, ₹ 6.02 करोड़ के कुल अतिरिक्त भुगतान के विरूद्ध, संभाग केवल ₹ 4.28 करोड़ ही वसूल सकता है।

वास्तविक मापों को दर्ज करने तथा एम.बी. में दर्ज मापों के आधार पर भुगतान करने में कार्यपालन यंत्री की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 4.02 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ (₹ 6.02 करोड़ अतिरिक्त भुगतान में से पहले से वसूले गए ₹ दो करोड़ घटाकर)।

इंगित किए जाने पर (फरवरी 2024) कार्यपालन यंत्री ने बताया (फरवरी 2024) कि शेष राशि की वसूली उपलब्ध सिक्योरिटी डिपाजिट राशि ₹ 2.28 करोड़ और अंतिम बिल से की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जून 2020 (अंतिम माप लेने के बाद) से यह पता होने के बावजूद कि ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया है, संभाग ने अंतिम बिल का निपटान करने और ठेकेदार से देय धनराशि को या तो उपलब्ध जमा राशि को जब्त करके या अन्य कानूनी तरीकों से वसूलने का कोई प्रयास नहीं किया है, यहां तक कि चार साल (जनवरी 2025) से अधिक समय बीत जाने के बाद भी।

विभाग/शासन विस्तृत माप के बिना भुगतान करने के परिणामस्वरूप अधिक व्यय होने पर संबंधित ईई की जिम्मेदारी तय कर सकती है।

प्रकरण मध्य प्रदेश शासन को नवंबर 2024 में भेजे गए ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2025)।

4.15 अतिरिक्त कार्य के कार्यान्वयन के लिए गलत दर अपनाने के कारण अधिक भुगतान

अतिरिक्त सीसीए के विकास के लिए गलत दरें अपनाने के कारण ठेकेदार को ₹ 1.63 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना[99] है कि अनुबंध की सामान्य शर्तों और अनुबंध की विशेष शर्तों के बीच टकराव की स्थिति में, बाद वाली शर्तें ही मान्य होंगी, क्योंकि वे समझौते के लिए विशेष रूप से बनाई गई हैं।

लगभग 17,785 हेक्टेयर (एचए) कृषि योग्य कमांड क्षेत्र (सीसीए) में स्प्रिंकलर माइक्रो सिंचाई हेतु दबावयुक्त पाइपलाइन प्रणाली के माध्यम से जल आपूर्ति हेतु पारसदोह बायीं एवं दायीं तट नहर प्रणाली (पारसदोह मध्यम सिंचाई परियोजना) के निर्माण हेतु एनआईटी फरवरी 2018 में जारी की गई थी। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अनुबंध संपादित (जून 2018)

[99] एस हरचरण सिंह बनाम भारत संघ (एआईआर 1991 एससी 945)

किया गया और 11 जून 2018 के कार्य आदेश के तहत टर्न-की आधार पर मेसर्स करण डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर को कार्य सौंपा गया, जिसकी निर्धारित अवधि वर्षा ऋतु सहित 24 महीने थी। अनुबंध की राशि ₹ 206.49 करोड़ थी।

जल संसाधन संभाग, मुलताई के अभिलेखों की जाँच (मई 2023) के दौरान देखा गया कि अनुबंध के धाराओं और अतिरिक्त सीसीए के विकास के लिए भुगतान करने के अनुबंध की विशेष शर्तों में अस्पष्टता थी। अनुबंध की अन्य विशेष शर्तों के धारा 40 में प्रावधान था कि यदि ठेकेदार 17,785 हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त क्षेत्र विकसित करता है, तो विभाग द्वारा अतिरिक्त क्षेत्र पर आनुपातिक आधार पर स्वीकृत बोली मूल्य के आधार पर प्रति हेक्टेयर लागत का 0.50 गुना भुगतान किया जाएगा। अनुबंध के धारा 27 में निर्धारित किया गया था कि ठेकेदार द्वारा बनाए गए और निर्मित अतिरिक्त सीसीए के प्रत्येक हेक्टेयर के लिए, उसे पहले 1,000 हेक्टेयर के लिए ₹ 0.82 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से और 1000 हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त सीसीए के लिए ₹ एक लाख प्रति हेक्टेयर की दर से भुगतान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग ने परियोजना के कुल सीसीए 19,785 हेक्टेयर के साथ अनुबंध के खंड 27 के अनुसार ठेकेदार द्वारा विकसित 2,000 हेक्टेयर के अतिरिक्त सीसीए के लिए राशि की गणना की और अतिरिक्त सीसीए विकसित करने के लिए ₹ 18.20 करोड़ की राशि की गणना की गई और मुख्य अभियंता द्वारा ₹ 224.69 करोड़ की अनुबंध राशि के साथ भुगतान अनुसूची के संशोधन के लिए मंजूरी दी गई, जिसमें अनुबंध के खंड 27 के तहत विभाग द्वारा गणना की गई ₹ 18.20 करोड़ की अतिरिक्त सीसीए की लागत शामिल थी। यह भी देखा गया कि संभागीय अधिकारी ने 54वें चलित देयक (सितंबर 2022) तक मूल अनुबंध राशि ₹ 206.49 करोड़ के विरूद्ध ₹ 219.73 करोड़ (मूल्य समायोजन और जीएसटी की राशि को छोड़कर) का भुगतान किया। इस प्रकार, संशोधित भुगतान अनुसूची के अनुसार, 54वें चालू बिल तक अतिरिक्त सीसीए के विकास हेतु ₹13.24[100] करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

लेखापरीक्षा ने अनुबंध की अन्य विशेष शर्तों (जो अनुबंध की विशेष शर्त होने के कारण मान्य होती) की धारा के अनुसार अतिरिक्त सीसीए के विकास के लिए ठेकेदार को वास्तव में देय अतिरिक्त लागत की गणना की और पाया कि अतिरिक्त लागत ₹ 11.61 करोड़ (अनुबंध राशि ₹ 206.48 करोड़/17,785 हेक्टेयर x 0.50 प्रति हेक्टेयर x 2,000 हेक्टेयर) होगी।

अनुबंध की शर्तों का पालन करने में संभाग की चूक के परिणामस्वरूप मुख्य अभियंता द्वारा अतिरिक्त सीसीए के विकास के लिए अतिरिक्त व्यय राशि ₹ 6.59[101] करोड़ को मंजूरी दी गई (दिसंबर 2020), जिसमें से ₹ 1.63[102] करोड़ का भुगतान ठेकेदार को पहले ही किया जा चुका था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023), शासन ने कहा (फरवरी 2024) कि विभाग के पास ₹ 11.71 करोड़ की सिक्योरिटी डिपाजिट (ठेकेदार द्वारा जमा) थी और किसी भी अधिक भुगतान की वसूली की जाएगी।

आगे के विकास की सूचना नहीं दी गई है (जनवरी 2025)।

[100] ठेकेदार को ₹ 219.73 करोड़ का भुगतान किया गया - ₹ 206.49 करोड़ = ₹ 13.24 करोड़।

[101] ₹ 18.20 करोड़ - ₹ 11.61 करोड़ = ₹ 6.59 करोड़

[102] ₹ 13.24 करोड़ - ₹ 11.61 करोड़ = ₹ 1.63 करोड़

ऊर्जा विभाग

4.16 विद्युत की सहायक खपत पर विद्युत शुल्क ₹ 12.09 करोड़ की वसूली न होना

उत्पदकों द्वारा की गई सहायक खपत पर ₹ 12.09 करोड़ की विद्युत शुल्क (ईडी) नहीं लगाया गया।

मध्य प्रदेश शासन ने उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति/विक्रय पर कर और शुल्क लगाने और संग्रह करने के लिए मध्य प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949, मध्य प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012[103] के अंतर्गत नियम बनाए हैं।

मध्य प्रदेश विद्युत शुल्क नियम 1949 के नियम 3 के अनुसार, विद्युत ऊर्जा के प्रत्येक उत्पादक104 और वितरक को प्रत्येक माह के संबंध में विद्युत शुल्क (ईडी) का भुगतान उसके उपभोक्ता वर्ग के अनुसार राजपत्रित अधिसूचना (अप्रैल 2016) में निर्दिष्ट दरों पर सरकार के खाते में अगले माह की समाप्ति से पहले करना होगा। साथ ही उन्हें ऐसे भुगतान के 15 दिनों के अंदर फॉर्म "जी" में ट्रेजरी रसीद के साथ प्रत्येक माह का रिटर्न विद्युत निरीक्षकों (ईआई) को जमा करना होगा। देय शुल्क की राशि और शेष बकाया भुगतान राशि पर जो ब्याज[105] लगेगा उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में एकत्र किया जाएगा। इसके अलावा, राजपत्र अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2016 के भाग-स के अनुसार, कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों, उत्पादकों या उत्पादक कंपनियों द्वारा उनकी सहायक खपत[106] और स्वयं की खपत के लिए खपत की गई विद्युत के संबंध में, विद्युत शुल्क टैरिफ के 12 प्रतिशत की दर से देय होगा, जो लागू होता, यदि विद्युत वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा आपूर्ति की जाती।

एक सतर्कता तंत्र के रूप में, विद्युत निरीक्षक को विद्युत शुल्क नियम 1949 के नियम 8 के तहत अधिकार प्राप्त है कि वह विद्युत ऊर्जा के वितरक या निर्माता को अधिनियम के तहत देय विद्युत शुल्क की राशि का पता लगाने या सत्यापित करने के लिए आवश्यक किताबें और दस्तावेज़ तैयार करने के लिए कह सकता है। इसके अलावा, नियम 9 के तहत, विद्युत निरीक्षक के पास वितरक या निर्माता द्वारा प्रस्तुत रिटर्न को सत्यापित करने के उद्देश्य से, विद्युत ऊर्जा वितरक या निर्माता के किसी भी परिसर में प्रवेश करने की शक्ति है।

इसके अलावा, मध्य प्रदेश शासन ने राज्य में औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने के अपने प्रयास में, कैप्टिव उपयोग के लिए उद्योगों द्वारा उत्पादित विद्युत ऊर्जा को विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट (फरवरी 2013)[107] दी है।

लेखापरीक्षा (फरवरी 2023 से अप्रैल 2024 के दौरान) में देखा गया कि मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) और मुख्य विद्युत निरीक्षक ने मेसर्स डायमंड सीमेंट (हीडलबर्ग सीमेंट) दमोह और मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट, सीधी (पूर्व में जे.पी. सीमेंट के नाम

---

103 2016 में संशोधित।

104 विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 की धारा 2(1) (क्यू) के अनुसार, "निर्माता" का अर्थ है, एक व्यक्ति जो सौ वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर बिजली उत्पन्न करता है और जनरेटर के किराये से बिजली उत्पादन की स्थिति में, जनरेटर के मालिक को निर्माता माना जाएगा।

105 विद्युत शुल्क नियम 1949 के नियम 5(ii) में यह निर्धारित किया गया है कि उप-नियम (1) के अंतर्गत देय ब्याज की दर ऐसी होगी जो प्रांतीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा अधिकतम 24 प्रतिशत प्रति वर्ष के अधीन तय की जा सकती है। इसे 4 जुलाई 2018 की अधिसूचना के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 12 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

106 सहायक उपभोग का अर्थ है उत्पादन स्टेशन के सहायक उपकरणों द्वारा ऊर्जा की खपत, जिसका उपयोग संयंत्र और मशीनरी के संचालन के उद्देश्य से किया जाता है।

107 मध्य प्रदेश शासन अधीसूचना संख्या एफ -1-01-2012 दिनांक 14-02-2013।

से जाना जाता था) को विद्युत के कैप्टिव उपयोग के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना तिथि[108] के माध्यम से 10 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट का प्रमाण पत्र जारी किया था। इसके अलावा, इन छूट प्रमाणपत्रों में यह भी प्रावधान है कि ईडी की यह छूट सहायक खपत पर लागू नहीं होगी।

उपरोक्त उत्पादकों के फॉर्म जी की जांच के दौरान यह पाया गया कि मेसर्स डायमंड सीमेंट, दमोह और मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट, सीधी ने अपने फॉर्म जी में सहायक खपत दर्शाई है लेकिन विभाग को विद्युत शुल्क का भुगतान नहीं किया। सहायक खपत के संबंध में इन उत्पादकों द्वारा विद्युत शुल्क का भुगतान न करने का विवरण नीचे **तालिका 4.7** में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 4.7: उत्पादकों द्वारा सहायक खपत पर विद्युत शुल्क का भुगतान न करने का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र.	उत्पादकों का नाम और जनरेटर का प्रकार	अवधि	उपलब्ध फॉर्म जी के अनुसार सहायक खपत की यूनिट की संख्या	विद्युत शुल्क की राशि जो जमा नहीं की गयी	देय ब्याज[109]	ईडी की राशि ब्याज सहित जमा नहीं की गई
1	मेसर्स डायमंड सीमेंट	जून 2017 से मई 2023	2,04,52,350	1,58,77,542	95,64,631	2,54,42,173
2	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट, सीधी	जून 2017 से अगस्त 2021	7,33,65,360	5,55,13,777	4,00,07,565	9,55,21,342
			कुल			**12,09,63,515**

*(**स्रोत**: उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत मासिक फॉर्म जी)*

इस प्रकार, अधिनियम के तहत देय विद्युत शुल्क की राशि की पुष्टि करने के लिए विद्युत शुल्क नियम, 1949 के नियम 8 और 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में विद्युत निरीक्षक की विफलता के कारण, इन उत्पादकों द्वारा विद्युत की सहायक खपत पर विद्युत शुल्क न लगाए जाने का पता नहीं चल पाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.09 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

शासन ने कहा (मार्च 2025) कि मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट, सीधी ने सहायक खपत पर विद्युत शुल्क के लिए ₹ 4.43 करोड़ जमा किए थे और उस पर देय ब्याज माफ करने का अनुरोध किया था। हालाँकि, दूसरी इकाई (मेसर्स डायमंड सीमेंट) के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2025)।

4.17 विद्युत शुल्क राशि ₹ 1.02 करोड़ का अधिरोपण न होना

विद्युत वितरण कंपनियों ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कटनी से ₹ 1.02 करोड़ के विद्युत शुल्क की वसूली नहीं की।

मध्य प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 की धारा 3(1) में प्रावधान है कि धारा 4 में निर्दिष्ट अपवादों के अधीन, प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी/ फ्रेंचाइजी को उपभोक्ता को बेची या आपूर्ति की गई बिजली की यूनिट पर अनुसूची के भाग-ए में

[108] हीडलबर्ग सीमेंट, अधिसूचना संख्या एफ-1-1-2012-13 दिनांक 14-02-2013 और अल्ट्राटेक सीमेंट, सीधी, अधिसूचना संख्या 4328-13-2006 दिनांक 12-07-2006।

[109] जून 2017 से जून 2018 तक 24 प्रतिशत की दर से और जुलाई 2018 से 12 प्रतिशत की दर से गणना की गई।

निर्दिष्ट दरों पर गणना किए गए विद्युत शुल्क का भुगतान प्रत्येक माह निर्धारित समय पर और निर्धारित तरीके से राज्य सरकार को करना होगा। अनुसूची ए (1 अप्रैल 2016 को संशोधित) में उल्लेखित दरों के अनुसार देय विद्युत शुल्क की दरें नीचे दी गई है:

उपधारा 3(1) के अंतर्गत अनुसूची ए की क्र.सं.	उपभोक्ता श्रेणी	प्रति माह बिजली की प्रति यूनिट टैरिफ के प्रतिशत में विद्युत शुल्क की दर
7	खदानें	40
8	सीमेंट उद्योग और सीमेंट उद्योग की कैप्टिव खदानें	15
9	स्टोन क्रशर (पत्थर समुच्चय-गिट्टी, गिट्टा, बजरी)	15
10	अन्य उद्योग जो क्रमांक 7 से 9 में शामिल नहीं हैं	9

इसके अलावा, विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 की धारा 4 में यह कहा गया है कि कोई शुल्क देय नहीं होगा यदि विद्युत विक्रय या आपूर्ति की गई हो :

(i) भारत सरकार द्वारा स्वयं के उपभोग के लिए;

(ii) भारत सरकार या भारत सरकार द्वारा प्रशासित किसी एक रेलवे कंपनी के रेलवे के निर्माण, रखरखाव या संचालन में खपत के लिए;

(iii) राज्य सरकार द्वारा स्वयं के उपभोग के लिए;

(iv) सार्वजनिक स्ट्रीट लैंप में उपभोग के लिए कोई स्थानीय प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकारी द्वारा बनाए गए किसी बाज़ार स्थान या सार्वजनिक रिसॉर्ट के अन्य स्थानों पर लैंप में;

(v) किसी कृषक को उसकी भूमि की सिंचाई के लिए पानी पंप करने में, या अपनी भूमि की उपज की पिटाई या उपचारित करने के विक्रय या उपयोग किया जाता है;

(vi) शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के सीवेज उपचार संयंत्रो में ; और

(vii) शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों की सार्वजनिक जल योजनाएं के लिए।

विद्युत वितरण कंपनियो के उच्च दाब उपभोक्ताओं के बिलिंग डेटा (फरवरी 2023 से अप्रैल 2024) की परीक्षण जांच के दौरान, यह देखा गया कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी[110] जो कि धारा 4 की उपर्युक्त छूट श्रेणियों में से किसी में नहीं आती है के दो कनेक्शनों को छोड़कर विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) से विद्युत शुल्क की वसूली की जा रही थी। विद्युत शुल्क छूट का विवरण नीचे **तालिका 4.8** में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 4.8: विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत नहीं आने वाले पीएसयू को दी गई छूट के कारण राजस्व की हानि

(राशि ₹ मे)

क्र.	पीएसयू कनेक्शन का नाम	कनेक्शन आईडी	बिजली बिल की अवधि	विद्युत शुल्क की राशि मे दी गई छूट
1	महाप्रबंधक, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कटनी	H8772832000	अक्टूबर 2021 से मार्च 2023	99,58,469

[110] भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कटनी अक्टूबर 2021 से यंत्र इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आती है।

क्र.	पीएसयू कनेक्शन का नाम	कनेक्शन आईडी	बिजली बिल की अवधि	विद्युत शुल्क की राशि मे दी गई छूट
2	महाप्रबंधक, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कटनी	H5062832000		2,02,076
	कुल			**1,01,60,545**

*(**स्रोत**: विद्युत वितरण कंपनियो द्वारा प्रदान किया गया बिलिंग डेटा)*

ऊर्जा विभाग के विद्युत सुरक्षा विंग ने उपरोक्त दो कनेक्शनों पर विद्युत शुल्क न लगाने के लिए विद्युत वितरण कंपनियो पर कभी आपत्ति नहीं जताई। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कटनी को दी गई अनियमित विद्युत शुल्क छूट के कारण राज्य कोष में ₹ 1.02 करोड़ का कम विद्युत शुल्क जमा हुआ।

मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) और मुख्य विद्युत निरीक्षक ने (फरवरी 2025 में) उत्तर दिया कि विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 की धारा 3(3) के अनुसार, उस विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा उपभोग की गई विद्युत इकाइयों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी हो। इसके अलावा, धारा 4(7) के अनुसार, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों की सार्वजनिक जल योजनाओं तथा उनको की गई विद्युत आपूर्ति पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कटनी को विद्युत उत्पादन व्यवसाय में संलग्न उत्पादक कंपनी नहीं माना जा सकता।

विभाग/शासन से आगे की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही थी (मार्च 2025)।

भोपाल
दिनांक : 20 दिसम्बर 2025

(राम हित)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 29 दिसम्बर 2025

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

परिशिष्ठ

परिशिष्ट 1.1

(कंडिका 1.6.4 में संदर्भित)

लोक लेखा समिति द्वारा जारी अनुशंसा रिपोर्टों की सूची जिनके संबंध में विभाग द्वारा एटीएन लंबित है

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विधान सभा	लोक लेखा समिति वर्ष	लोक लेखा समिति वर्ष	संदर्भ क्रमांक	कुल संदर्भ
			परिवहन विभाग		
2010-11	चौदहवां	2016-17	391	4.7 (4.7.14,4.7.15, 4.7.16), 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13	7
2011-12	चौदहवां	2016-17	392	4.7, 4.8, 4.9, 4.10	4
2012-13	चौदहवां	2017-18	469	4.7.7, 4.7.8, 4.7.9, 4.7.10, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14	8
2014-15	चौदहवां	2017-18	472	4.3, 4.4, 4.5	3
				योग	22
			संस्कृति विभाग		
2011-12	चौदहवां	2017-18	449	3.2	1
				योग	1
			जल संसाधन विभाग		
2007-08	चौदहवां	2016-17	433	3.4, 4.2.6	2
2008-09	चौदहवां	2015-16	76	8.2.7.1, 8.2.15	1
2009-10	चौदहवां	2016-17	389	1.2, 1.2, 1.3, 2.1.8, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7	6
2010-11	चौदहवां	2016-17	377	2.5, 3.2.4, 3.2.5	3
				योग	12
			नर्मदा घाटी विकास विभाग		
2015-16	पंद्रहवां	2019-20	10	3.3.4, 3.3.5	2
				योग	2
			वाणिज्य कर विभाग		
2005-06	चौदहवां	2016-17	383	2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10	7
2006-07	चौदहवां	2015-16	72	1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.11, 2.12	7
2007-08	चौदहवां	2016-17	384	2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.13, 2.15, 2.17	8
2008-09	चौदहवां	2016-17	385	2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13	11

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विधान सभा	लोक लेखा समिति वर्ष	लोक लेखा समिति वर्ष	संदर्भ क्रमांक	कुल संदर्भ
2009-10	चौदहवां	2016-17	388	2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.24, 2.25	10
2011-12	पंद्रहवां	2019-20	7	2.10.9, 2.10.10, 2.10.11, 2.10.12, 2.10.13, 2.10.14, 2.10.15, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20	11
				योग	54
			वाणिज्य कर विभाग (पंजीकरण और स्टाम्प)		
2005-06	चौदहवां	2016-17	383	5.2, 5.3, 5.4, 5.6	4
2006-07	चौदहवां	2015-16	72	5.2, 5.8	2
2007-08	चौदहवां	2016-17	384	5.2.8, 5.2.9, 5.2.11 to 5.2.21	1
2008-09	चौदहवां	2016-17	385	5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.17	11
2009-10	चौदहवां	2016-17	388	6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10	9
2010-11	चौदहवां	2017-18	463	6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19	13
2011-12	पंद्रहवां	2019-20	7	6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16	10
				योग	50
			वाणिज्य कर विभाग (राज्य आबकारी)		
2005-06	चौदहवां	2016-17	383	3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8,	6
2006-07	चौदहवां	2015-16	72	3.2	1
2007-08	चौदहवां	2016-17	384	3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11	8
2008-09	चौदहवां	2016-17	385	3.3, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.17, 3.19	9
2009-10	चौदहवां	2016-17	388	3.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.9, 3.10, 3.12, 3.14	6
2010-11	चौदहवां	2017-18	463	3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.13	5
2011-12	पंद्रहवां	2019-20	7	3.5.8, 3.5.9, 3.5.16, 3.5.17, 3.5.18, 3.5.20, 3.5.22	1
				योग	36
			वाणिज्य कर विभाग (वित्त)		
2006-07	चौदहवां	2015-16	70	7.2	1
				योग	1

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विधान सभा	लोक लेखा समिति वर्ष	लोक लेखा समिति वर्ष	संदर्भ क्रमांक	कुल संदर्भ
			वाणिज्य कर विभाग (मनोरंजन कर)		
2007-08	चौदहवां	2016-17	384	5.3, 5.5	2
2008-09	चौदहवां	2016-17	385	2.14, 2.15, 2.17, 2.18	4
2009-10	चौदहवां	2016-17	388	7.2, 7.3	2
2010-11	चौदहवां	2017-18	463	7.2, 7.3, 7.5	3
2011-12	पंद्रहवां	2019-20	7	7.3	1
				योग	12
			खनिज साधन विभाग		
2009-10	चौदहवां	2016-17	386	9.10, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19	9
2010-11	चौदहवां	2016-17	390	10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16	10
2011-12	चौदहवां	2016-17	393	8.6,8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.16, 8.17	10
2013-14	चौदहवां	2017-18	471	7.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11, 7.12	6
2014-15	पंद्रहवां	2019-20	9	7.3, 7.4,7.5.1, 7.5.2, 7.6.1, 7.6.2, 7.7, 7.10	6
				योग	41
			लोक निर्माण विभाग		
2003-04	चौदहवां	2003-04	49	4.2.2, 4.2.3, 4.3.2, 4.3.3	4
2004-05	चौदहवां	2015-16	52	3.2, 4.3.2, 4.3.3, 4.5.3	4
2005-06	चौदहवां	2016-17	360	3.7, 4.1.5, 4.2.5, 4.2.7	4
2006-07	चौदहवां	2016-17	366	4.2.8, 4.2.9, 4.5.4	3
2007-08	चौदहवां	2017-18	435	4.5.4	1
2008-09	पंद्रहवां	2019-20	1	1.2, 2.2.6, 2.2.7	3
2010-11	चौदहवां	2016-17	375	3.4.3	1
2011-12	चौदहवां	2017-18	466	2.1	1
				योग	21
			वन विभाग		
2006-07	चौदहवां	2016-17	365	3.2	1
2013-14	पंद्रवांह	2019-20	8	2.1	1
2016-17	पंद्रहवां	2021-22	25	3.2.1	1

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विधान सभा	लोक लेखा समिति वर्ष	लोक लेखा समिति वर्ष	संदर्भ क्रमांक		कुल संदर्भ
					योग	3
			लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग			
2005-06	चौदहवां	2016-17	364	4.1.3, 4.2.3, 4.3.4, 4.6.4		4
2012-13	चौदहवां	2017-18	454	2.1		1
					योग	5
			नगर विकास एवं आवास विभाग			
2013-14	चौदहवां	-	457	2.1, 3 2.1		2
					योग	2
			पशुपालन एवं डेयरी विभाग			
2005-06	तेरहवां	2015-16	53	5.1		1
2009-10	चौदहवां	2017-18	440	2.1.3, 3.2		2
					योग	3
			उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग			
2006-07	चौदहवां	2014-15	3	3.6, 4.1.2, 4.5.3		3
					योग	3
			किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग			
2008-09	चौदहवां	2016-17	369	2.1.3		1
2009-10	चौदहवां	2017-18	441	3.1		1
					योग	2
			सहकारिता विभाग			
2012-13	चौदहवां	2016-17	396	2.2		1
					योग	1
					कुल योग	**271**

परिशिष्ट 2.1

(कंडिका 2.1.2 में संदर्भित)

43 माईक्रो सिंचाई परियोजनाओं का विवरण दर्शाने वाला विवरण

सं.क्र.	योजना का नाम	सी.सी.ए हेक्टर में
1	हरसूद माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना	5,648
2	छैगांवमाखन लिफ्ट माइक्रो सिंचाई योजना	35,000
3	बलवाड़ा माइक्रो सिंचाई परियोजना	5,000
4	किल्लोद माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना	10,000
5	पामाखेड़ी माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना	1,080
6	भुरलाय माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना	1,480
7	कोदवार माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना	3,660
8	पुनासा-एक्स माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना	975
9	नागलवाड़ी लिफ्ट माइक्रो सिंचाई योजना	47,000
10	अलीराजपुर माइक्रो सिंचाई परियोजना	35,000
11	पाटी माइक्रो लिफ्ट सिंचाई	5,500
12	ढीमरखेड़ा माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना	15,000
13	दही माइक्रो एलआईएस	47,000
14	पिपरी माइक्रो लिफ्ट सिंचाई	17,000
15	रानी दुर्गावती माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना	1,200
16	नर्मदा झाबुआ पेटलाबाद थांदला सरदारपुर माइक्रो एलआईएस	57,422
17	बलकवाड़ा एमआईपी	9,000
18	चौंडी जमुनिया एमआईपी	4,000
19	छीपानेर लिफ्ट माइक्रो सिंचाई योजना	35,000
20	सिमरोल अम्बाचंदन एमआईपी	4,000
21	अम्बा रोडिया एमआईपी	9,915
22	बिस्टान माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन एमआईपी	22,000
23	जावर माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना	26,000
24	भीकनगाँव बिंजलवाड़ा माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना	50,000
25	आईएसपी-पार्वती लिंक परियोजना चरण I & II	1,00,000
26	आईएसपी-कालीसिंध माइक्रो एलआईएस-चरण-I	1,00,000
27	नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना	30,000
28	बदनावर माइक्रो एलआईएस	50,000
29	आईएसपी पार्वती एमआईपी (चरण-III & IV)	1,00,000
30	खालवा माइक्रो लिफ्ट सिंचाई	35,000
31	सांवेर माइक्रो एलआईएस	80,000
32	आईएसपी-कालीसिंध माइक्रो एलआईएस-चरण-II	1,10,000
33	मोरंड और गंजाल बांध दबावयुक्त पाइप सिंचाई परियोजना	48,874
34	चिंकी बोरस बैराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना	1,31,925
35	दूधी परियोजना	55,410
36	अपर नर्मदा परियोजना	45,600
37	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना	17,587
38	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना	8,780
39	शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना	95,839
40	झिरनिया माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना	39,520
41	हंडिया बैराज परियोजना।	35,000
42	डोबी सिंचाई योजना.	8,544
43	कुक्षी माइक्रो एलआईएस	75,000
	कुल	**16,14,959**

परिशिष्ट 2.2

(कंडिका 2.1.3 में संदर्भित)

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का संगठनात्मक चार्ट

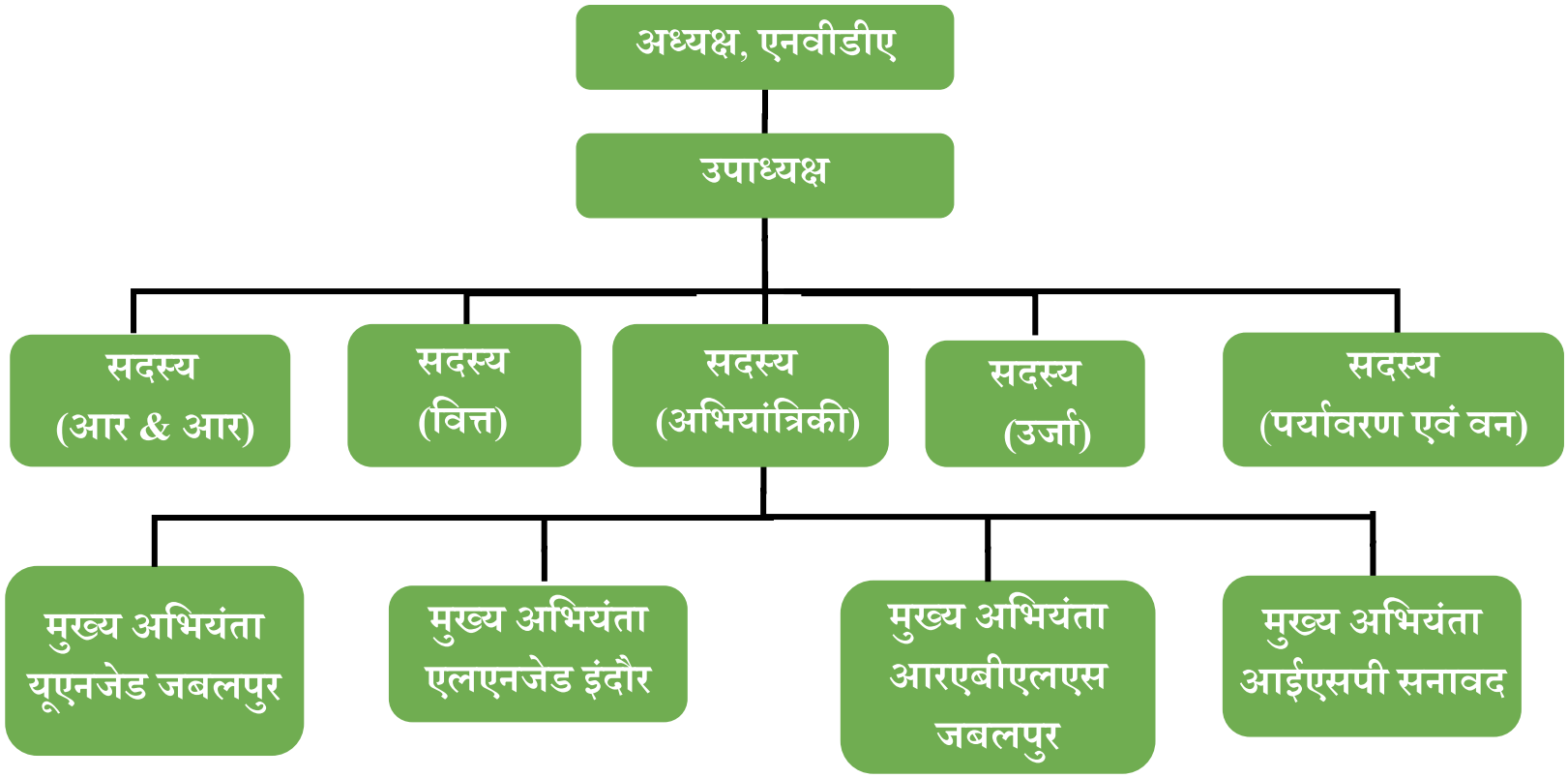

परिशिष्ट 2.3

(कंडिका 2.1.4 में संदर्भित)

नमूना जांच की गई 18 एम.आई.पी. का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

सं.क्र.	योजना का नाम	संभाग का नाम	हेक्टर में सी.सी.ए	स्थिति
1	हरसूद माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना	एन.डी. संभाग क्रमांक-25 नर्मदा नगर	5,640	पूर्ण
2	छैगांवमाखन लिफ्ट माइक्रो सिंचाई योजना	एन.डी. संभाग क्रमांक 13, धारावा	35,000	पूर्ण
3	बलवाड़ा माइक्रो सिंचाई परियोजना	एन.डी. संभाग क्रमांक 8 सनावद	5,000	पूर्ण
4	किल्लोद माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना	एन.डी. संभाग क्रमांक-25 नर्मदा नगर	10,000	पूर्ण
5	पामाखेड़ी माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना	एन.डी. संभाग क्रमांक-25 नर्मदा नगर	1,080	पूर्ण
6	भुरलाय माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना	एन.डी. संभाग क्रमांक-25 नर्मदा नगर	1,480	पूर्ण
7	कोदवार माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना	एन.डी. संभाग क्रमांक-25 नर्मदा नगर	3,660	पूर्ण
8	पुनासा-एक्स माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना	एन.डी. संभाग क्रमांक-25 नर्मदा नगर	970	पूर्ण
9	नागलवाड़ी लिफ्ट माइक्रो सिंचाई योजना	एन.डी. संभाग क्रमांक 14, ठीकरी	47,000	पूर्ण
10	अलीराजपुर माइक्रो सिंचाई परियोजना	एन.डी. संभाग क्रमांक 16 कुक्षी	35,000	पूर्ण
11	पाटी माइक्रो लिफ्ट सिंचाई	एन.डी. संभाग क्रमांक 12, राजपुर	5,940	पूर्ण
12	पिपरी माइक्रो लिफ्ट सिंचाई	एन.डी. संभाग क्रमांक 18 खरगोन	17,000	पूर्ण
13	रानी दुर्गावती माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना	एन.डी. संभाग क्रमांक 4, बरगी हिल्स, जबलपुर	1,200	कार्य प्रगति पर हैं
14	नर्मदा झाबुआ पेटलाबाद थांदला सरदारपुर माइक्रो एलआईएस	एन.डी. डिवीजन क्रमांक 30 मनावर	57,422	कार्य प्रगति पर हैं
15	छीपानेर लिफ्ट माइक्रो सिंचाई योजना	एन.डी. संभाग क्रमांक 23, भोपाल	35,000	कार्य प्रगति पर हैं
16	आईएसपी-कालीसिंध माइक्रो एलआईएस-चरण-I	एन.डी. संभाग क्रमांक 32 बड़वाह	1,00,000	कार्य प्रगति पर हैं
17	नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना	एन.डी. संभाग क्रमांक 8 सनावद	30,000	कार्य प्रगति पर हैं
18	आईएसपी पार्वती एमआईपी (चरण-III & IV)	एन.डी. संभाग क्रमांक 28, पुनासा	1,00,000	कार्य प्रगति पर हैं
		छह कार्य प्रगति पर हैं	**3,23,622**	
		12 पूर्ण	**1,67,770**	
		18 कुल	**4,91,392**	

परिशिष्ट 2.4

(कंडिका 2.1.6.1 में संदर्भित)

परियोजना की पूर्णता में विलंब

सं. क्र.	योजना का नाम	अनुबंध संख्या/दिनांक	विलंब से संबंधित धारा	पीएसी / अनुबंध राशि करोड़ में	महीनों में अवधि	निर्धारित समापन तिथि (डीओसी)	वास्तविक डीओसी / स्थिति	किए गए कार्य का कुल मूल्य	विस्तार की अवधि	महीनों में समय विस्तार (ईसी)	विलंब का कारण
1	समूह एमआईपी (5 एमआईपी से मिलकर)	3/2018-19/4.9.18	धारा 1.2 (B)	243.43/242.95	30	03.03.21	30.05.22/ पूर्ण	235.67	04.03.21 से 30.05.22	15	वन मंजूरी (एफसी) के कारण विलंब, कोदवार के लिए 20.05.2019 को वन मंजूरी के लिए आवेदन किया और 11.02.20 को मंजूरी प्राप्त की, पामाखेड़ी में 06.06.19 को एफसी के लिए आवेदन किया और 14.01.20 को मंजूरी प्राप्त की, आईएसपी के डूबने और कोविड के कारण किल्लौद और पामाखेड़ी परियोजना के पंप हाउस के निर्माण में विलंब।
2	हरसूद	3/2017-18/21.7.17	धारा 1.2 (B)	110.44/104.32	24	20.07.19	31.12.20/ पूर्ण	104.18	21-07-19 से 20-07-20 और 21-07-20 से 31-12-20	17=12+5	पहली बार विस्तार में विलंब के कारणों में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) में विलंब, वन भूमि अधिग्रहण में विलंब और इंदिरा सागर बांध में पानी का उच्च स्तर शामिल था।
3	एनकेएमपी	1/2018-19/5.7.18	धारा 1.2 (B)	1938/1856.7	42	04.01.22	कार्य प्रगति पर हैं	1753.82 50वें आरए बिल तक जून 2023	05.01.22 से 30.12.22 और 1.1.23 से 31.07.23	19=12+7	पहली बार ईसी में विलंब का कारण विधानसभा 2018 और लोकसभा 2019 के चुनाव थे। ईसी के लिए 12.07.18 को आवेदन किया और 20.06.19 को अनुमति मिली, कोविड और अक्टूबर-2019 से सितंबर-2020 के दौरान आवंटन में कमी। दूसरा टीई कारण एमपीपीटीसीएल से अनुमति में विलंब, भूमि आवंटित होने के बावजूद टावर लगाने में भूमि मालिकों की रुकावट, एसएच की स्थिति एनएच में बदलने के कारण स्टेट हाईवे से ट्रांसमिशन लाइन

सं. क्र.	योजना का नाम	अनुबंध संख्या/दिनांक	विलंब से संबंधित धारा	पीएसी / अनुबंध राशि करोड़ में	महीनों में अवधि	निर्धारित समापन तिथि (डीओसी)	वास्तविक डीओसी / स्थिति	किए गए कार्य का कुल मूल्य	विस्तार की अवधि	महीनों में समय विस्तार (ईसी)	विलंब का कारण
											क्रॉस करने की अनुमति मिलने में विलंब। अंडरग्राउंड पाइप लाइन बिछाने के लिए किसानों की सहमति न मिलना।
4	एनजेपीटीएस	06.07.2018	धारा 1.2 (B)	1758.55/ 1699.830	42	05.01.22	कार्य प्रगति पर हैं	1297.09	06-01-22 से 30-06-23	18	कोविड और बिलों के भुगतान में विलंब। ईसी में 6 महीने की विलंब।
5	अलीराजपुर	1/2016-17/14.02.2017	धारा 1.2 (B)	822.95/ 789.39	36	13.02.20	30.6.22/ पूर्ण	764.92	14.02.20 से 30.06.21 और 01.07.21 से 30.06.22	28=16+12	फरवरी 2017 को ईसी के लिए आवेदन किया गया और 07.12.2017 को अनुमति प्राप्त हुई। पाइप बिछाने के लिए वन मंजूरी में 18 महीने की विलंब, विधानसभा और लोकसभा चुनावों के कारण भूमि आवंटन में विलंब, फंड आवंटन और कोविड के कारण विलंब। दूसरा टीई का कारण सरदार सरोवर के बैकवाटर के कारण एप्रोच चैनल के निष्पादन में विलंब और कोविड की दूसरी लहर है।
6	छिपानेर	19/2017-18/18.8.17	धारा 1.2 (B)	502.24/ 441.54	36	17.08.20	कार्य प्रगति पर हैं	394.17	18.08.20 से 15.07.21 और16.07.21 से 30.06.22 और 01.07.22 से 30.06.23	34=11+11+12	ईसी में लगभग 11 महीने की विलंब, जल संसाधन विभाग की अन्य योजनाओं के कमांड क्षेत्र के ओवरलैप होने के कारण कमांड क्षेत्र को अंतिम रूप न दिया जाना। किसानों द्वारा पाइपलाइन बिछाने में उत्पन्न बाधाएँ और कोविड महामारी। दूसरी टीई में ईसी में विलंब, कमांड क्षेत्र को अंतिम रूप देने में विलंब, कोविड महामारी और पाइपलाइन बिछाने में किसानों का असहयोग। तीसरी टीई उसी आधार पर जिसका उल्लेख पहले और दूसरे टीई मामले में किया गया था।
7	नागलवाड़ी	2/2018-19/6.7.18	धारा 4.8	1039.69/ 949.55	36	05.07.21	कार्य प्रगति पर हैं	912.65	01.07.22 से 30.06.23	11	कोविड के कारण विलंब, किसानों द्वारा बाधा उत्पन्न करने, निधि की अनुपलब्धता के कारण एमपीपीटीसीएल को पर्यवेक्षण शुल्क और फीडर बे शुल्क जमा करने में विलंब।

सं. क्र.	योजना का नाम	अनुबंध संख्या/दिनांक	विलंब से संबंधित धारा	पीएसी / अनुबंध राशि करोड़ में	महीनों में अवधि	निर्धारित समापन तिथि (डीओसी)	वास्तविक डीओसी / स्थिति	किए गए कार्य का कुल मूल्य	विस्तार की अवधि	महीनों में समय विस्तार (ईसी)	विलंब का कारण
8	पाटी	1/2019-20/24.1.20	धारा 1.2 (B)	124.31/ 111.11	24	23.01.22	कार्य प्रगति पर हैं	100.47	24.01.22 से 31.12.22 और 01.01.23 से 30.06.23	17=11+6	पहली बार विस्तार का कारण 24.2.21 को ईसी के लिए आवेदन किया गया और 19.12.21 को अनुमति प्राप्त हुई और नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ताओं द्वारा बाधा उत्पन्न की गई और दूसरी बार विस्तार का कारण नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ता द्वारा बाधा उत्पन्न करना था।
9	रानी दुर्गावती	1/2019-20/5.10.19	धारा 1.2 (B)	20.54/ 20.32	24	04.10.21	कार्य प्रगति पर हैं	17.61	05.10.21 से 31.10.22 और 1.11.22 से 30.04.23 और 01.05.23 से 31.07.23	22=13+6+3	फंड के आवंटन और कोविड के कारण चार महीने की विलंब हुआ, दूसरी टीई खेतों में फसलों की बुवाई के कारण थी, और टीई का कारण फिर से खेतों में फसलों की बुवाई थी जिसके कारण पाइपलाइन बिछाने के काम में विलंब हुआ।
10	छैगांवमाखन	01/2016-17 01.12.2016		536.99	36	30.11.19	पूर्ण (13.04.2023)	536.99	01.12.19 से 31.05.21	41	पर्यावरण मंजूरी और राज्य राजमार्ग मंजूरी में विलंब, भूमि अधिग्रहण (एलए) में विलंब
11	आईएसपी कालीसिंध चरण-1	01/2018-19 07.05.18		2807.43	48	06.05.22	कार्य प्रगति पर हैं	2630.29 जुलाई 2023	07.05.22 से 31.10.23	17	पर्यावरण मंजूरी में 11 महीने की विलंब, राज्य चुनाव के कारण 3 महीने, फंड की कमी और कोविड के कारण 3 महीने का विलंब।

परिशिष्ट 2.5

(कंडिका 2.1.6.4 में संदर्भित)

सिक्योरिटी डिपाजिट की वापसी

संभाग का नाम	एमआईपी योजना का नाम	पूरा होने की निर्धारित अवधि	पूरा होने की वास्तविक तिथि	एसडी रिलीज होने की संख्या	एसडी राशि रिलीज की गई। (करोड़ में)	कार्यपालन यंत्री (ईई) के उत्तर
एनडी संभाग 13 खंडवा	छैगांवमाखन एमआईपी	30.11.19	13.4.23	**7**	25.04	अनुबंध के भाग II धारा II के अनुच्छेद 12.3 के अनुसार, "यदि ठेकेदार स्पष्ट रूप से लिखित में अनुरोध करता है, तो उसे प्रभारी अभियांत्रिकी द्वारा उसके बिल से प्राप्त सिक्योरिटी डिपॉजिट को ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूतियों या बैंक गारंटी में परिवर्तित करने की अनुमति होगी, क्योंकि इस धारा में कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं है, ठेकेदार से प्राप्त सिक्योरिटी डिपॉजिट को बैंक गारंटी में परिवर्तित कर दिया जाएगा।
एनडी संभाग 8 सनावद	नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना एमआईपी	04.01.22	कार्य प्रगति पर हैं	10	82.49	अनुबंध खण्ड क्रमांक-12.3 एवं 12.4 (भाग-2, धारा-2, पृष्ठ क्रमांक-41) के अनुसार बिलों से प्राप्त सिक्योरिटी डिपॉजिट को बैंक गारंटी में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसके आधार पर समय-समय पर बैंक गारंटी के विरूद्ध सिक्योरिटी डिपॉजिट भुगतान जारी किया जाता रहा है।
एनडी संभाग 32 बड़वाह	आईएसपी कालीसिंध चरण-1 एमआईपी	06.05.22	कार्य प्रगति पर हैं	9	118.67	चल रहे बिल से काटी गई सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि ठेकेदार द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी के विरुद्ध जारी की गई थी। सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि की यह रिलीज एन.आई.टी. (भाग-II धारा-V पृष्ठ-41) के धारा 12.3 के अनुसार की गई है, जिसमें कहा गया है कि "यदि ठेकेदार स्पष्ट रूप से लिखित रूप में अनुरोध करता है तो उसे प्रभारी अभियंता द्वारा उसके बिलों से वसूल की गई सिक्योरिटी डिपॉजिट को ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूतियों या बैंक गारंटी या ब्याज वाली जमा राशि में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाएगी। सभी सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि प्रभारी अभियंता से विधिवत अनुमति के बाद जारी की गई है। यानी अधीक्षण अभियंता, नर्मदा विकास सर्कल नंबर 11,खेड़ीघाट अनुबंध की उपरोक्त शर्त के अनुसार।

संभाग का नाम	एमआईपी योजना का नाम	पूरा होने की निर्धारित अवधि	पूरा होने की वास्तविक तिथि	एसडी रिलीज होने की संख्या	एसडी राशि रिलीज की गई। (करोड़ में)	कार्यपालन यंत्री (ईई) के उत्तर
एनडी संभाग 30 मनावर	नर्मदा झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर एमआईपी	11.10.21	कार्य प्रगति पर हैं	6	60.18	अनुबंध के धारा 12.3 के अनुसार ठेकेदार के अनुरोध पर सिक्योरिटी डिपॉजिट को बैंक गारंटी में परिवर्तित कर दिया गया था।
एनडी संभाग 16 कुक्षी	अलीराजपुर एमआईपी	25.06.19	30.6.22	10	37.86	जुलाई 2020 के बाद बिलों से काटी गई सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि को बैंक गारंटी में परिवर्तित नहीं किया गया है।
एनडी संभाग 23 भोपाल	छीपानेर एमआईपी	17.08.20	कार्य प्रगति पर हैं	4	20.00	अनुबंध के धारा 12.3 के अनुसार ठेकेदार के अनुरोध पर सिक्योरिटी डिपॉजिट को बैंक गारंटी में परिवर्तित कर दिया गया था।
एनडी संभाग 14 ठीकरी	नागलवाड़ी एमआईपी	05.07.21	कार्य प्रगति पर हैं	1	43.25	भुगतान निविदा भाग-II के धारा 12.3 के अनुसार किया गया और तदनुसार भुगतान किया गया।
				कुल	**387.49**	

परिशिष्ट 2.6

(कंडिका 2.1.6.5 में संदर्भित)

हल्के स्टील पाइपों की कम मोटाई को अपनाए जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

एमआईपी का नाम/ संभाग का नाम	आंतरिक व्यास मिमी में	पाइप की लंबाई मीटर में	मोटाई मिमी में	मोटाई मिमी में IS 3589 के अनुसार प्रदान की जानी है	वास्तविक वजन मीट्रिक टन में दिया गया	आईएस कोड 3589 के अनुसार मीट्रिक टन में कुल वजन	मीट्रिक टन में कम वजन प्रदान किया गया	निविदा प्रतिशत से नीचे	यूएसआर के अनुसार स्टील की दर और उद्धृत दर	अंतर राशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7-6)	9	10	11= (8*10)
आईएसपी-कालीसिंध चरण 1/ एनडी संभाग 32 बड़वाह	3110	68,210.082	13	20	68321.63	105345.794	37024.164	7.01	54,924.04	2,03,35,16,665
	3110	2650	14	20	2859.428	4092.74329	1233.315	7.01	54,924.04	6,77,38,658
	3110	8,187.303	16	20	10102.85	12644.7281	2541.878	7.01	54,924.04	13,96,10,214
	2200	663	10	16	361.4932	579.959364	218.466	7.01	54,924.04	1,19,99,044
	400	1,39,186.69	3	4	4151.627	5549.23812	1397.611	7.01	54,924.04	7,67,62,449
	450	21,167.65	3	4	709.7189	948.380876	238.662	7.01	54,924.04	1,31,08,280
	500	45,758.206	3	4	1703.541	2275.90335	572.362	7.01	54,924.04	3,14,36,453
	600	41,837.799	3	5	1867.247	3122.39977	1255.153	7.01	54,924.04	6,89,38,061
	700	25,374.753	4	5.8	1762.904	2562.74721	799.843	7.01	54,924.04	4,39,30,620
	800	26,598.48	4	5.8	2110.412	3066.94772	956.536	7.01	54,924.04	5,25,36,806
	900	20,125.045	4	7.1	1795.393	3197.75122	1402.358	7.01	54,924.04	7,70,23,179
	1000	10,724	5	8	1329.496	2133.54409	804.048	7.01	54,924.04	4,41,61,569
	1100	10,589.038	5	8	1443.388	2315.6907	872.303	7.01	54,924.04	4,79,10,388
	1200	17,807.634	6	8.8	3179.063	4673.45045	1494.387	7.01	54,924.04	8,20,77,796
	1300	1,163	6	10	224.8373	375.876616	151.039	7.01	54,924.04	82,95,689
	1400	3,219	6	10	669.9646	1119.78433	449.820	7.01	54,924.04	2,47,05,917
	1600	10,223	7	12.5	2837.178	5083.72904	2246.551	7.01	54,924.04	12,33,89,659
	1700	687	8	14.2	231.5948	412.573063	180.978	7.01	54,924.04	99,40,057
	1800	7,020	8	14.2	2505.07	4461.74676	1956.677	7.01	54,924.04	10,74,68,593
	1900	5,176	9	14.2	2194.002	3471.07679	1277.075	7.01	54,924.04	7,01,42,107
	2000	15,365	9	14.2	6854.082	10842.2096	3988.128	7.01	54,924.04	21,90,44,080
	2200	4,198	10	16	2288.912	3672.20122	1383.289	7.01	54,924.04	7,59,75,832
	2300	314	10	17.5	178.9517	314.182316	135.231	7.01	54,924.04	74,27,412

एमआईपी का नाम/ संभाग का नाम	आंतरिक व्यास मिमी में	पाइप की लंबाई मीटर में	मोटाई मिमी में	मोटाई मिमी में IS 3589 के अनुसार प्रदान की जानी है	वास्तविक वजन मीट्रिक टन में दिया गया	आईएस कोड 3589 के अनुसार मीट्रिक टन में कुल वजन	मीट्रिक टन में कम वजन प्रदान किया गया	निविदा प्रतिशत से नीचे	यूएसआर के अनुसार स्टील की दर और उद्धृत दर	अंतर राशि (₹ में)
	2500	4,927	11	17.5	3357.502	5355.30719	1997.805	7.01	54,924.04	10,97,27,532
	2800	2,633	12	20	2192.006	3663.73675	1471.731	7.01	54,924.04	8,08,33,399
	2900	6,647	13	20	6210.175	9577.07357	3366.899	7.01	54,924.04	18,49,23,672
	3000	1,899	13	20	1835.108	2829.80299	994.695	7.01	54,924.04	5,46,32,667
	3100	24,210.11	13	20	24172.05	37271.3952	13099.345	7.01	54,924.04	71,94,68,960
एनडी संभाग 25 नर्मदा नगर समूह एमआईपी	350	905	3	4	23.64497	31.6159423	7.971	0.194	63,270.8	5,04,330
	450	7,105	3	4	238.2198	318.327548	80.108	0.194	63,270.8	50,68,481
	500	7,724	3	5	287.5582	481.169339	193.611	0.194	63,270.8	1,22,49,932
	600	1,815	3.5	5	94.58369	135.455395	40.872	0.194	63,270.8	25,85,985
	700	20,500	4	5.8	1424.232	2070.41691	646.185	0.194	63,270.8	4,08,84,636
	900	10,405	4.5	7.1	1044.858	1653.29327	608.435	0.194	63,270.8	3,84,96,186
	1000	2,170	5	8	269.0234	431.722368	162.699	0.194	63,270.8	1,02,94,094
	1200	3,140	6	8.8	560.5605	824.064241	263.504	0.194	63,270.8	1,66,72,092
	1400	795	7	10	193.1762	276.554379	83.378	0.194	63,270.8	52,75,404
	1500	745	7.5	12.5	207.8113	347.500926	139.690	0.194	63,270.8	88,38,274
एनडी संभाग 8 सनावद एनकेएमपी*	1000	28,229.7	5	8.8	3499.747	6182.84425	2683.097	4.195	58,299.7	15,64,23,765
	400	37,027	3	4	1104.432	1476.23052	371.799	4.195	58,299.7	2,16,75,742
	450	12,241	3	4	410.422	548.43737	138.015	4.195	58,299.7	80,46,255
	500	13,336	3	5	496.4884	830.770883	334.282	4.195	58,299.7	1,94,88,568
	600	48,156.64	3	5	2149.26	3593.98164	1444.722	4.195	58,299.7	842,26,838
	700	23,103.93	4	5.8	1605.14	2333.40329	728.263	4.195	58,299.7	4,24,57,531
	800	25,160.31	4	7.1	1996.302	3557.09924	1560.797	4.195	58,299.7	9,09,94,011
	900	4,372.5	4	8	390.079	783.609967	393.531	4.195	58,299.7	2,29,42,737
	1000	1,688	5	8	209.268	335.828275	126.560	4.195	58,299.7	73,78,426
	1000	22,827.5	6	8.8	3399.397	4999.65912	1600.262	4.195	58,299.7	9,32,94,802
	1100	7,776.28	5	8.8	1059.982	1871.98376	812.002	4.195	58,299.7	4,73,39,459
	1200	10,184.5	6	10	1818.162	3040.32059	1222.159	4.195	58,299.7	7,12,51,479
	1300	3,437	6	10	664.4591	1110.82367	446.365	4.195	58,299.7	2,60,22,921
	1400	42,591.51	7	10	10349.26	14816.1869	4466.927	4.195	58,299.7	26,04,20,498

एमआईपी का नाम/ संभाग का नाम	आंतरिक व्यास मिमी में	पाइप की लंबाई मीटर में	मोटाई मिमी में	मोटाई मिमी में IS 3589 के अनुसार प्रदान की जानी है	वास्तविक वजन मीट्रिक टन में दिया गया	आईएस कोड 3589 के अनुसार मीट्रिक टन में कुल वजन	मीट्रिक टन में कम वजन प्रदान किया गया	निविदा प्रतिशत से नीचे	यूएसआर के अनुसार स्टील की दर और उद्धृत दर	अंतर राशि (₹ में)
	1400	4,624	7	10	1123.581	1608.53767	484.957	4.195	58,299.7	2,82,72,828
	1500	8,187	7	12.5	2130.74	3818.77864	1688.039	4.195	58,299.7	9,84,12,146
	1500	2,521	9	12.5	844.693	1175.90582	331.213	4.195	58,299.7	1,93,09,608
	1600	1,420	7	14.2	394.091	803.023638	408.933	4.195	58,299.7	2,38,40,650
	2500	1,198	11	20	816.3765	1489.64112	673.265	4.195	58,299.7	3,92,51,125
	2700	1,992	12	20	1599.391	2673.51442	1074.123	4.195	58,299.7	6,26,21,073
	2700	38,257	12	20	30716.81	51345.7035	20628.894	4.195	58,299.7	1,20,26,58,302
	3000	53,699.5	13	20	51892.79	80020.5401	28127.750	4.195	58,299.7	1,63,98,39,393
	3000	7,839.65	16	20	9333.452	11682.288	2348.836	4.195	58,299.7	13,69,36,434
	3000	281	18	20	376.6104	418.733354	42.123	4.195	58,299.7	24,55,756
एनडी संभाग 12 राजपुर पाटी	800	2,710	7	7.1	377.6897	383.132757	5.443	10.62	50,742.36	2,76,194
	1000	5,560	7	8.8	966.9335	1217.74635	250.813	10.62	50,742.36	1,27,26,836
	1200	285	9	10	76.5082	85.0794214	8.571	10.62	50,742.36	4,34,924
एनडी संभाग 16 कुक्षी अलीराजपुर	400	60,316	3.15	4	1889.749	2404.74033	514.991	4.08	58,439.75	3,00,95,965
	450	16,102	3.15	4	567.0569	721.422967	154.366	4.08	58,439.75	90,21,114
	500	37,513	3.15	5	1466.845	2336.88573	870.041	4.08	58,439.75	5,08,44,963
	600	21,368	3.15	5	1001.599	1594.71673	593.118	4.08	58,439.75	3,46,61,652
	700	23,053	4	5.8	1601.601	2328.25956	726.659	4.08	58,439.75	4,24,65,745
	750	1,634	4	7.1	121.5844	216.699518	95.115	4.08	58,439.75	55,58,504
	800	12,760	4	7.1	1012.421	1803.97564	791.555	4.08	58,439.75	4,62,58,255
	900	8,033	5	8	896.7898	1439.62009	542.830	4.08	58,439.75	3,17,22,866
	900	121	6	8	16.22778	21.6848041	5.457	4.08	58,439.75	3,18,907
	1000	23,512	5	8.8	2914.875	5149.57771	2234.703	4.08	58,439.75	13,05,95,468
	1100	6,397	6	8.8	1047.314	1539.94971	492.636	4.08	58,439.75	2,87,89,508
	1200	4,837	7	10	1008.267	1443.96197	435.695	4.08	58,439.75	2,54,61,905
	1300	5,398	8	10	1393.558	1744.61047	351.052	4.08	58,439.75	2,05,15,419
	1400	5,181	8	12.5	1439.795	2256.86904	817.074	4.08	58,439.75	4,77,49,603
	1500	2,173	9	12.5	728.0912	1013.58324	285.492	4.08	58,439.75	1,66,84,083
	1600	1,071	9	14.2	382.6329	605.660786	223.028	4.08	58,439.75	1,30,33,694

एमआईपी का नाम/ संभाग का नाम	आंतरिक व्यास मिमी में	पाइप की लंबाई मीटर में	मोटाई मिमी में	मोटाई मिमी में IS 3589 के अनुसार प्रदान की जानी है	वास्तविक वजन मीट्रिक टन में दिया गया	आईएस कोड 3589 के अनुसार मीट्रिक टन में कुल वजन	मीट्रिक टन में कम वजन प्रदान किया गया	निविदा प्रतिशत से नीचे	यूएसआर के अनुसार स्टील की दर और उद्धृत दर	अंतर राशि (₹ में)
	1800	7,010	10	14.2	3130.336	4455.39099	1325.055	4.08	58,439.75	7,74,35,882
	1860	15,453	10	16	7129.33	11443.5275	4314.198	4.08	58,439.75	25,21,20,623
	1900	1,991	11	16	1032.569	1505.84768	473.279	4.08	58,439.75	2,76,58,288
	2770	9,773	16	20	10747.89	13454.154	2706.264	4.08	58,439.75	15,81,53,392
एनडी संभाग 13 खंडवा छैगांवमाखन	1300	176	7	10	39.72653	56.8824457	17.156	5.31	56,950.59	9,77,040
	2310	8,804	12	17.5	6052.263	8847.12309	2794.860	5.31	56,950.59	15,91,68,931
	2440	5,512	12	17.5	4001.338	5848.37324	1847.035	5.31	56,950.59	10,51,89,747
	2760	3,000	16	20	3287.419	4115.19429	827.775	5.31	56,950.59	4,71,42,291
	2760	1,700	14	20	1628.837	2331.94343	703.106	5.31	56,950.59	4,00,42,326
एनडी संभाग 23, भोपाल छीपानेर	700	8,700	4	5.8	604.4303	878.664738	274.234	12.086	49,091.48	1,34,62,574
	800	7,889	5	7.1	783.3974	1115.32632	331.929	12.086	49,091.48	1,62,94,882
	900	4,212	5	8	470.2202	754.846239	284.626	12.086	49,091.48	1,39,72,714
	1000	10,045	6	8	1495.869	1998.45677	502.588	12.086	49,091.48	2,46,72,777
	1100	11,737	6	8.8	1921.577	2825.44782	903.871	12.086	49,091.48	4,43,72,356
	1200	18,093	7	10	3771.466	5401.1999	1629.734	12.086	49,091.48	8,00,06,049
	1300	18,997	7	10	4287.982	6139.74898	1851.767	12.086	49,091.48	9,09,05,982
	1400	11,926	8	12.5	3314.223	5195.02417	1880.801	12.086	49,091.48	9,23,31,313
	1500	746	8	12.5	222.0365	347.967371	125.931	12.086	49,091.48	61,82,133
एनडी संभाग 25 नर्मदा नगर हरसूद	750	1,053.29	5	6.3	98.09779	123.81604	25.718	5.541	56,673.06	14,57,532
	1100	1,063.18	6	8.8	174.0634	255.939304	81.876	5.541	56,673.06	46,40,158
	1200	2,216	7	8.8	461.9228	581.568904	119.646	5.541	56,673.06	67,80,711
कुल		**13,70,136.28**			**3,63,738.758**	**5,54,032.560**	**1,90,293.804**			**10,74,33,38,825**

नोट: राशि की गणना यूएसआर 2017 में प्रदान की गई दर के अनुसार की गई है

परिशिष्ट 2.7

(कंडिका 2.1.7.3 में संदर्भित)

प्राक्कलनों में हार्ड रॉक के अतिरिक्त प्रावधान और कार्यान्वयन के दौरान मापों को अभिलिखित न किए जाने का विवरण

सं.क्र.	एमआईपी का नाम	हार्ड रॉक की अनुमानित मात्रा घनमीटर में	यूएसआर के अनुसार ली गई दरें	उत्खनित हार्ड रॉक	अतिरिक्त प्रावधान	राशि (₹ में)	संभाग द्वारा उत्तर
	1	2	3	4	5 (2-4)	6=(3*5)	
1	**नागलवाड़ी**	8,12,336	147 (252-105)	86,815	7,25,521	10,66,51,587	इंगित किए जाने पर ईई ने बताया (मार्च 2023) कि ठेकेदार द्वारा कुल 86,815 घन मीटर हार्ड रॉक की खुदाई की गई लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया। रॉयल्टी पर्चियां जमा नहीं करने पर विभाग ने आरए बिल से राशि काट ली है।
2	**एनजेपीटीएस**	3,70,819.75	147 (252-105)	अभिलिखित नहीं किया गया			ईई का उत्तर है कि उत्खनन के दौरान निकली हार्ड रॉक का उपयोग अनुबंध में दिए गए प्रावधान के अनुसार निर्माण एजेंसी को करना है, जिसका उपयोग उसी स्थान पर किया जाता है। निर्माण कार्य में उत्खनन से प्राप्त सामग्री पर रॉयल्टी देय नहीं है।
3	**अलीराजपुर**	2,75,045	280	अभिलिखित नहीं किया गया			ईई ने बताया कि पाइप की खुदाई से प्राप्त हार्ड रॉक की कुछ मात्रा का उपयोग खाई भरने में किया गया था और शेष का उपयोग ठेकेदार द्वारा समझौते की शर्तों के अनुसार अन्य आवश्यक स्थानों पर किया गया है।
4	**छीपानेर**	1,50,568	180 (280-100)	किसी हार्ड रॉक की खुदाई नहीं की गई	1,50,568	2,71,02,240	परियोजना की डीपीआर तैयार करते समय प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार अनुमान के आधार पर हार्ड रॉक की मात्रा का आकलन किया गया। चूँकि उत्खनन के दौरान कोई हार्ड रॉक नहीं मिली इसलिए ठेकेदार से रॉयल्टी वसूलने का प्रश्न ही नहीं उठता।
5	**छैगांवमाखन**	31,520	184 (284-100)	1,608	29,912	55,03,808	ईई एनडी संभाग 13, खंडवा ने बताया कि पंप हाउस-1 (पीएच-1) के निर्माण के लिए हार्ड रॉक उत्खनन के लिए जिला कलेक्टर से ब्लास्टिंग की अनुमति ली गई थी। पीएच-2 के निर्माण के

सं.क्र.	एमआईपी का नाम	हार्ड रॉक की अनुमानित मात्रा घनमीटर में	यूएसआर के अनुसार ली गई दरें	उत्खनित हार्ड रॉक	अतिरिक्त प्रावधान	राशि (₹ में)	संभाग द्वारा उत्तर
							दौरान कोई हार्ड रॉक प्राप्त नहीं हुई और पीएच-1 के निर्माण के दौरान प्राप्त हार्ड रॉक की मात्रा 1,608 घन मीटर थी। नियमानुसार हार्ड रॉक का रॉयल्टी शुल्क एजेंसी के अगले बिल से वसूल किया जाएगा।
6	**किल्लोद समूह एमआईपी**	14,592.67	252	अभिलिखित नहीं किया गया			इंगित किए जाने पर ईई ने कहा कि उत्खनन किए गए हार्ड रॉक का परियोजनावार उपभोग विवरण और रॉयल्टी शुल्क की वसूली के बारे में लेखापरीक्षा को जल्द ही सूचित किया जाएगा।
7	**कोदवार समूह एमआईपी**	7,200.99	252	अभिलिखित नहीं किया गया			इंगित किए जाने पर ईई ने बताया कि उत्खनन किए गए हार्ड रॉक का परियोजनावार उपभोग विवरण और रॉयल्टी शुल्क की वसूली के बारे में लेखापरीक्षा को जल्द ही सूचित किया जाएगा।.
8	**भुरलाय समूह एमआईपी**	3,430.67	147(252-105)	अभिलिखित नहीं किया गया			इंगित किए जाने पर ईई ने बताया कि उत्खनन किए गए हार्ड रॉक का परियोजनावार उपभोग विवरण और रॉयल्टी शुल्क की वसूली के बारे में लेखापरीक्षा को जल्द ही सूचित किया जाएगा।
9	**पामाखेड़ी समूह एमआईपी**	2,098.67	147(252-105)	अभिलिखित नहीं किया गया			इंगित किए जाने पर ईई ने बताया कि उत्खनन किए गए हार्ड रॉक का परियोजनावार उपभोग विवरण और रॉयल्टी शुल्क की वसूली के बारे में लेखापरीक्षा को जल्द ही सूचित किया जाएगा।
10	**पिपरी**	6,815	147(252-105)	33,782	(-) 26,967	-39,64,149	ईई एनडी संभाग 18 खरगोन ने कहा (मार्च 2023) कि पंप हाउस उत्खनन, पाइप बिछाने आदि सहित काम के विभिन्न घटकों से खोदी गई हार्ड रॉक का उपयोग ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है और उसकी रॉयल्टी ठेकेदार के चालू बिल से काटी जा रही है और अतिरिक्त हार्ड रॉक को साइट पर ढेर किया जा रहा है।

सं.क्र.	एमआईपी का नाम	हार्ड रॉक की अनुमानित मात्रा घनमीटर में	यूएसआर के अनुसार ली गई दरें	उत्खनित हार्ड रॉक	अतिरिक्त प्रावधान	राशि (₹ में)	संभाग द्वारा उत्तर
11	**रानी दुर्गावती**	1,382.99	147(252-105)	अभिलिखित नहीं किया गया (निरंक)			अनुबंध के अनुसार निर्धारित मद में भुगतान की जाने वाली राशि के निर्धारित प्रतिशत के भीतर भुगतान ब्रेकअप और मद स्वीकृत किए गए हैं। तदनुसार, भुगतान किया गया है। किसी भी मद में निर्धारित प्रतिशत से अधिक भुगतान नहीं किया गया है। परियोजना को टर्न टेंडर में आमंत्रित किया गया था। जिसमें डिजाइन, तकनीकी सामान आदि तैयार कर निविदाकर्ता द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अनुबंध के अनुसार, डीपीआर का उपयोग निविदाकर्ता के लिए मार्गदर्शन के रूप में किया जाता है। डीपीआर स्वीकृत के अनुसार कार्य करने की बाध्यता नहीं है।
12	**पाटी**	9830	147(252-105)	24,733	(-) 14903	-21,90,741	ईई एनडी संभाग 12 राजपुर ने कहा (सितंबर 2023) कि हार्ड रॉक रजिस्टर के अनुसार खुदाई की गई कुल मात्रा 6,183 घन मीटर थी, जिसके अनुसार ठेकेदार से ₹ 9,64,548[1] वसूल किए जाने थे, जिसमें से ₹ 4,39,632 ठेकेदार से वसूल किए गए और ₹ 5,24,916 की शेष राशि अगले चालू बिल से वसूल की जाएगी।
	कुल	**16,85,640**				**अतिरिक्त प्रावधान 13,31,02,745**	

[1] 6,183 घनमीटर*1.3*120= ₹ 9,64,548

परिशिष्ट - 3.1(अ)

(कंडिका 3.1.4.1 (अ) में संदर्भित)

खनिज की त्रुटिपूर्ण मात्रा के कारण प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पंजीकरण की तारीख/पट्टेदार का नाम, पट्टा क्षेत्र	पट्टा अवधि/ विस्तार अवधि	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	खनिज की मात्रा पर विचार किया जाना था (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (प्रति घन मीटर / टन)	संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क के लिए विचार की जाने वाली प्रत्याशित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	आरोपण योग्य				आपत्ति की प्रकृति
											मुद्रांक शुल्क (कॉलम "10" का गौण खनिज के प्रकरण में 1.25% तथा प्रमुख खनिज प्रकरण में 2%)	पंजीयन शुल्क (कॉलम "11" का 75%)	उपकर (कॉलम 11 का 10% जो 30 वर्ष या उससे अधिक की लीज़ अवधि पर लागू है)	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	छतरपुर	MP06432021A110 31093/07/12/2021 मेसर्स श्रेया ग्रेनाइट, 4.170 हेक्टेयर	03/12/2021 से 20/04/2027	गिट्टी (गौण)	1213760	1643633	120	197235960	145651200	51584760	644810	483608	0.00	1128418	पांच वर्ष और पांच माह के स्थान पर चार वर्ष की अवधि के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी पर विचार किया गया (हस्तांतरण मामला)।
2	छतरपुर	MP06432021A19 32974/02/11/2021, मेसर्स जय बजरंग स्टोन क्रशर, 3.490 हेक्टेयर	10/10/2021 से 09/10/2031	गिट्टी (गौण)	160000	843276	120	101193120	19200000	81993120	1024914	768686	0.00	1793600	नई खनन योजना के औसत उत्पादन पर विचार नहीं किया गया
3	छतरपुर	MP046432020A1 338836/27/06/2020, मेसर्स चैतन्य ट्रेडर्स,1.840 हेक्टेयर	12/06/2020 से 15/03/2028	गिट्टी (गौण)	163650.75	661714	120	79405680	19638090	59767590	747095	560321	0.00	1307416	सात वर्ष और नौ महीने (हस्तांतरण मामले) के स्थान पर एक वर्ष और 11 महीने की प्रत्याशित

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पंजीकरण की तारीख/पट्टेदार का नाम, पट्टा क्षेत्र	पट्टा अवधि/ विस्तार अवधि	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	खनिज की मात्रा पर विचार किया जाना था (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (प्रति घन मीटर / टन)	संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क के लिए विचार की जाने वाली प्रत्याशित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	आरोपण योग्य				आपत्ति की प्रकृति
											मुद्रांक शुल्क (कॉलम "10" का गौण खनिज के प्रकरण में 1.25% तथा प्रमुख खनिज प्रकरण में 2%)	पंजीयन शुल्क (कॉलम "11" का 75%)	उपकर (कॉलम 11 का 10% जो 30 वर्ष या उससे अधिक की लीज़ अवधि पर लागू है)	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
															रॉयल्टी पर विचार किया गया था।
4	छतरपुर	MP06432021A1976930/23/11/2021, बंधवेश प्रताप सिंह, 3.850 हेक्टेयर	24/01/2021 से 23/01/2031	गिट्टी (गौण)	363240	408645	120	49037400	43588800	5448600	68108	51081	0.00	119189	सही औसत उत्पादन पर विचार नहीं किया गया
5	छतरपुर	MP06432022A1215266/02/03/2022, मेसर्स एएसआर एंटरप्राइजेज 3.00 हेक्टेयर	25/02/2022 से 24/02/2032	गिट्टी (गौण)	220027	440054	120	52806480	22002700	30803780	385047	288785	0.00	673832	दस वर्ष की खनन अवधि के स्थान पर पांच वर्ष की मात्रा पर विचार किया गया था।
6	छतरपुर	MP06432021A1805899/21/09/2021, श्री विनायक श्रीवास्तव 4.00 हेक्टेयर	12/06/2019 से 11/06/2029	गिट्टी (गौण)	102600	136800	120	16416000	12312000	4104000	51300	38475	0.00	89775	सही औसत वार्षिक उत्पादन पर विचार नहीं किया गया

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पंजीकरण की तारीख/पट्टेदार का नाम, पट्टा क्षेत्र	पट्टा अवधि/ विस्तार अवधि	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	खनिज की मात्रा पर विचार किया जाना था (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (प्रति घन मीटर / टन)	संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क के लिए विचार की जाने वाली प्रत्याशित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	आरोपण योग्य				आपत्ति की प्रकृति
											मुद्रांक शुल्क (कॉलम "10" का गौण खनिज के प्रकरण में 1.25% तथा प्रमुख खनिज प्रकरण में 2%)	पंजीयन शुल्क (कॉलम "11" का 75%)	उपकर (कॉलम 11 का 10% जो 30 वर्ष या उससे अधिक की लीज़ अवधि पर लागू है)	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	छतरपुर	MP06432021A1805905/21/09/2021, श्री विनायक श्रीवास्तव 4.00 हेक्टेयर	05/12/2018 से 04/12/2028	गिट्टी (गौण)	127840	223734	120	26848080	15340800	11507280	143841	107881	0.00	251722	
8	छतरपुर	MP06432021A1805888/21/09/2021, संजय सिंह राजपूत, 2.00 हेक्टेयर	06/12/2019 से 05/12/2029	गिट्टी (गौण)	80670	107560	120	12907200	9680400	3226800	40335	30251	0.00	70586	
9	छतरपुर	MP06432021A1621617/26/07/2021, गुंजन मिनरल्स, 2.00 हेक्टेयर	03/03/2020 से 20/08/2027	गिट्टी (गौण)	101457.83	124385	120	14926200	12174940	2751260	34391	25793	0.00	60184	सात वर्ष और साढ़े पांच महीने के स्थान पर छह वर्ष और एक महीने की रॉयल्टी पर विचार किया गया। (हस्तांतरण मामला)
10	छिंदवाड़ा	MP078202022A1801144 /29/07/2022, भूपेशरतिराम बावनकुड 3.45 हेक्टेयर	07/03/2022 से 06/03/2032	गिट्टी (गौण)	125000	250000	120	30000000	15000000	15000000	187500	140625	0.00	328125	खनिज के औसत वार्षिक उत्पादन पर विचार नहीं किया गया

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पंजीकरण की तारीख/पट्टेदार का नाम, पट्टा क्षेत्र	पट्टा अवधि/ विस्तार अवधि	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	खनिज की मात्रा पर विचार किया जाना था (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (प्रति घन मीटर / टन)	संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क के लिए विचार की जाने वाली प्रत्याशित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	आरोपण योग्य				आपत्ति की प्रकृति
											मुद्रांक शुल्क (कॉलम "10" का गौण खनिज के प्रकरण में 1.25% तथा प्रमुख खनिज प्रकरण में 2%)	पंजीयन शुल्क (कॉलम "11" का 75%)	उपकर (कॉलम 11 का 10% जो 30 वर्ष या उससे अधिक की लीज़ अवधि पर लागू है)	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11	छिंदवाड़ा	MP078202022A1452380/29/04/2022, विधान राकेश शर्मा 5.639 हेक्टेयर	17/10/2022 से 16/10/2052	डोलोमाइट (31-(गौण)	3000000	3145830	100	314583000	300000000	14583000	182288	136716	18229	337233	
12	छिंदवाड़ा	MP078202022A1043238/13/01/2022, मेघा मिनरल्स, (स्वामित्व में परिवर्तन) 10.00 हेक्टेयर	11/01/2022 से 09/08/2048	डोलोमाइट (31-(गौण)	1891701	2478639	100	247863900	189170100	58693800	733673	550255	73367	1357295	खनिज का औसत वार्षिक उत्पादन, पट्टे की शेष अवधि के लिए कुल खनन योग्य आरक्षित मात्रा तक सीमित नहीं माना गया था
13	देवास	MP108942022A11000559/03/10/2022, हरसिद्धि स्टोन क्रशर (करण भाटिया द्वारा हस्तांतरित)2.25 हेक्टेयर	09/09/2022 से 19/09/2028	गिट्टी (गौण)	105000	108000	120	12960000	12600000	360000	4500	3375	0.00	7875	पट्टे की शेष अवधि के लिए खनिज के औसत वार्षिक उत्पादन पर विचार नहीं किया गया (पट्टे का हस्तांतरण)
14	धार	MP119042021A1095580/29/01/2021, मेसर्स सतगुरु सीमेंट प्रा. लिमिटेड , 95.00 हेक्टेयर	25/01/2021 से 24/01/2071	चूना पत्थर (प्रमुख)	3328319	5325310	80	426024800	266265520	159759280	3195186	2396390	319519	5911095	संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी की गणना के लिए खनिज के औसत वार्षिक उत्पादन पर विचार नहीं किया गया,

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पंजीकरण की तारीख/पट्टेदार का नाम, पट्टा क्षेत्र	पट्टा अवधि/ विस्तार अवधि	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	खनिज की मात्रा पर विचार किया जाना था (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (प्रति घन मीटर / टन)	संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क के लिए विचार की जाने वाली प्रत्याशित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	आरोपण योग्य				आपत्ति की प्रकृति
											मुद्रांक शुल्क (कॉलम "10" का गौण खनिज के प्रकरण में 1.25% तथा प्रमुख खनिज प्रकरण में 2%)	पंजीयन शुल्क (कॉलम "11" का 75%)	उपकर (कॉलम 11 का 10% जो 30 वर्ष या उससे अधिक की लीज़ अवधि पर लागू है)	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
															इसके अतिरिक्त खनन योग्य भंडार की गणना कम क्षेत्र (अर्थात पट्टा क्षेत्र के 95.00 हेक्टेयर में से 44.1842 हेक्टेयर) पर की गई।
15	जबलपुर	MP182542022A1 514108/ 19/05/2022, मेसर्स एमकेएस इंजीनियरिंग प्रा. लिमिटेड, 3.50 हेक्टेयर	21/04/2022 से 20/04/2032	गिट्टी & मरुम (गौण)	-	49130 (Gitti) +2063((Murrum)	120	30927100	21094260	9832840	122911	92183	0.00	215094	गिट्टी के लिए प्रथम पंचवर्षीय खनन योजना के औसत उत्पादन तथा मुरूम के लिए तीन वर्षों के औसत उत्पादन पर विचार नहीं किया गया।
16	नीमच	MP279462021A1 527180/05/07/20 21, दरबार & दरबार, 1.420 हेक्टेयर	01/07/2021 से 30/06/2031	गिट्टी (गौण)	NA	97392	120	11687040	2000000	9687040	121088	90816	0.00	211904	मुद्रांक के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी के स्थान पर अनिवार्य भाटक की राशि पर विचार किया गया
17	नीमच	MP279462021A1 693807/13/08/20 21, मोइनुद्दीन छीपा, 4.00 हेक्टेयर	02/07/2021 से 01/07/2031	गिट्टी (गौण)	NA	300000	120	36000000	4000000	32000000	400000	300000	0.00	700000	

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पंजीकरण की तारीख/पट्टेदार का नाम, पट्टा क्षेत्र	पट्टा अवधि/ विस्तार अवधि	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	खनिज की मात्रा पर विचार किया जाना था (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (प्रति घन मीटर / टन)	संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क के लिए विचार की जाने वाली प्रत्याशित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	आरोपण योग्य				आपत्ति की प्रकृति
											मुद्रांक शुल्क (कॉलम "10" का गौण खनिज के प्रकरण में 1.25% तथा प्रमुख खनिज प्रकरण में 2%)	पंजीयन शुल्क (कॉलम "11" का 75%)	उपकर (कॉलम 11 का 10% जो 30 वर्ष या उससे अधिक की लीज़ अवधि पर लागू है)	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
18	नीमच	MP279462021A1532439/05/07/2021, वकील बंजारा, 4.00 हेक्टेयर	25/06/2021 से 24/06/2031	गिट्टी (गौण)	NA	200000	120	24000000	4000000	20000000	250000	187500	0.00	437500	
19	नीमच	MP279462020A1830416/10/12/2020, भगवत सिंह हाड़ा, 4.00 हेक्टेयर	07/12/2020 से 06/12/2030	गिट्टी (गौण)	NA	300000	120	36000000	4000000	32000000	400000	300000	0.00	700000	
20	नीमच	MP279462020A1864375/22/12/2020, गोटू लाल गुर्जर, 2.00 हेक्टेयर	21/12/2020 से 20/12/2030	गिट्टी (गौण)	NA	100000	120	12000000	2000000	10000000	125000	93750	0.00	218750	
21	नीमच	MP279462020A1809405/03/12/2020, मधुबाला पट्टीदार, 1.03 हेक्टेयर	02/12/2020 से 01/12/2030	गिट्टी (गौण)	NA	100000	120	12000000	2000000	10000000	125000	93750	0.00	218750	
22	नीमच	MP279462020A1823686/08/12/20	07/12/2020 से 06/12/2030	गिट्टी (गौण)	NA	300000	120	36000000	4000000	32000000	400000	300000	0.00	700000	

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पंजीकरण की तारीख/पट्टेदार का नाम, पट्टा क्षेत्र	पट्टा अवधि/ विस्तार अवधि	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	खनिज की मात्रा पर विचार किया जाना था (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (प्रति घन मीटर / टन)	संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क के लिए विचार की जाने वाली प्रत्याशित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	आरोपण योग्य				आपत्ति की प्रकृति
											मुद्रांक शुल्क (कॉलम "10" का गौण खनिज के प्रकरण में 1.25% तथा प्रमुख खनिज प्रकरण में 2%)	पंजीयन शुल्क (कॉलम "11" का 75%)	उपकर (कॉलम 11 का 10% जो 30 वर्ष या उससे अधिक की लीज़ अवधि पर लागू है)	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		20, मोइनुद्दीन छीपा, 4.00 हेक्टेयर													
23	नीमच	MP279462020A1 848209/16/12/20 20, मेसर्स बालाजी माइंस एंड मिनरल्स, 4.00 हेक्टेयर	11/12/2020 से 10/12/2030	गिट्टी (गौण)	NA	300000	120	36000000	4000000	32000000	400000	300000	0.00	700000	
24	नीमच	MP279462020A1 864025/22/12/20 20, राजमल बंजारा, 2.00 हेक्टेयर	18/12/2020 से 17/12/2030	गिट्टी (गौण)	NA	200000	120	24000000	2000000	22000000	275000	206250	0.00	481250	
25	नीमच	MP279462022A1 541386/25/05/20 22, मनोहर लाल अंजना, 1.00 हेक्टेयर	24/05/2022 से 23/05/2032	गिट्टी (गौण)	NA	200000	120	24000000	2400000	21600000	270000	202500	0.00	472500	मुद्रांक के लिए दस वर्ष की पट्टा अवधि की राशि के स्थान पर एक वर्ष की प्रत्याशित रॉयल्टी की राशि पर विचार किया गया
26	नीमच	MP279462022A1 893622/31/08/20 22, मधुबाला पट्टीदार , 1.00 हेक्टेयर	31/08/2022 से 30/08/2032	गिट्टी (गौण)	NA	80000	120	9600000	960000	8640000	108000	81000	0.00	189000	

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पंजीकरण की तारीख/पट्टेदार का नाम, पट्टा क्षेत्र	पट्टा अवधि/ विस्तार अवधि	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	खनिज की मात्रा पर विचार किया जाना था (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (प्रति घन मीटर / टन)	संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क के लिए विचार की जाने वाली प्रत्याशित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	आरोपण योग्य				आपत्ति की प्रकृति
											मुद्रांक शुल्क (कॉलम "10" का गौण खनिज के प्रकरण में 1.25% तथा प्रमुख खनिज प्रकरण में 2%)	पंजीयन शुल्क (कॉलम "11" का 75%)	उपकर (कॉलम 11 का 10% जो 30 वर्ष या उससे अधिक की लीज़ अवधि पर लागू है)	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
27	सतना	MP348622021A1 310333/ 26/03/2021, एएए रिसोर्सेज प्रा.लिमिटेड., 266.302 हेक्टेयर	28/01/2021 से 27/01/2071	चूना पत्थर (प्रमुख)	30562295	3358106	80	2716648480	2444983600	271664880	5433298	4074974	543330	10051602	खनन हानि की मात्रा को कम करने के बाद खनन योग्य आरक्षित मात्रा पर विचार किया गया
28	सतना	MP348622022A1 593109/ 03/06/2022, मेसर्स राकेश एजेंसीज, 5.10 हेक्टेयर	02/09/2013 से 01/09/2043	बॉक्साइट (प्रमुख)	22379	605070	192.75	116627243	3558261	113068982	2261380	1696035	226138	4183553	मुद्रांक के लिए 5.101 हेक्टेयर क्षेत्र के स्थान पर 0.0395 हेक्टेयर क्षेत्र पर विचार किया गया।
				लेटेराइट (31-गौण)	15762	426180	80	34094400	1260960	32833440	656669	492502	65667	1214838	
29	सतना	MP348622022A1 770751/ 21/07/2022,	22/12/2021 से 21/12/2031	चूना पत्थर (प्रमुख)	305163	502910	80	40232800	24413040	15819760	316395	237296	31640	585331	मुद्रांक के लिए 4.047 हेक्टेयर क्षेत्र के स्थान पर 0.1162 हेक्टेयर क्षेत्र पर विचार किया गया।

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पंजीकरण की तारीख/पट्टेदार का नाम, पट्टा क्षेत्र	पट्टा अवधि/ विस्तार अवधि	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	खनिज की मात्रा पर विचार किया जाना था (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (प्रति घन मीटर / टन)	संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क के लिए विचार की जाने वाली प्रत्याशित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	आरोपण योग्य				आपत्ति की प्रकृति
											मुद्रांक शुल्क (कॉलम "10" का गौण खनिज के प्रकरण में 1.25% तथा प्रमुख खनिज प्रकरण में 2%)	पंजीयन शुल्क (कॉलम "11" का 75%)	उपकर (कॉलम 11 का 10% जो 30 वर्ष या उससे अधिक की लीज़ अवधि पर लागू है)	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		मेसर्स एसएनएस मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड., 4.047 हेक्टेयर													
30	सतना	MP348622022A1 593127/03/06/2022, मेसर्स मध्य मिनरल्स सप्लाई कंपनी, 7.41 हेक्टेयर	01/10/2005 से 30/09/2035	बॉक्साइट (प्रमुख)	26295	233550	192.75	45016763	4180905	40835858	816717	612538	81672	1510927	मुद्रांक के लिए 7.41 हेक्टेयर क्षेत्र के स्थान पर 0.0363 हेक्टेयर क्षेत्र पर विचार किया गया
31	सतना	MP348622022A1 593104 /03/06/2022, मेसर्स राकेश एजेंसीज, 16.187 हेक्टेयर	19/08/2008 से 18/08/2028	बॉक्साइट (प्रमुख)	5616	58328	192.75	11242722	892944	10349778	206996	155247	20700	382943	मुद्रांक के लिए कम मात्रा पर विचार किया गया।
				लेटेराइट (31-(गौण)	25057	479304	80	38344320	2004560	36339760	726795	545096	72680	1344571	

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पंजीकरण की तारीख/पट्टेदार का नाम, पट्टा क्षेत्र	पट्टा अवधि/ विस्तार अवधि	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	खनिज की मात्रा पर विचार किया जाना था (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (प्रति घन मीटर / टन)	संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क के लिए विचार की जाने वाली प्रत्याशित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	आरोपण योग्य				आपत्ति की प्रकृति
											मुद्रांक शुल्क (कॉलम "10" का गौण खनिज के प्रकरण में 1.25% तथा प्रमुख खनिज प्रकरण में 2%)	पंजीयन शुल्क (कॉलम "11" का 75%)	उपकर (कॉलम 11 का 10% जो 30 वर्ष या उससे अधिक की लीज़ अवधि पर लागू है)	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
32	सतना	MP348622022A1 593146/ 03/06/2022, मेसर्स राकेश एजेंसीज, 10.76 हेक्टेयर	28/03/2003 से 27/03/2033	बॉक्साइट (प्रमुख)	47634	295409	192.75	56940085	7573806	49366279	987326	740495	98733	1826554	मुद्रांक के लिए 10.76 हेक्टेयर के स्थान पर 0.05143 हेक्टेयर क्षेत्र पर विचार किया गया।
		कुल -32 प्रकरण और 7 जिला खनिज कार्यालय						**4,93,35,68,773**	**3,62,39,46,886**	**1,30,96,21,887**	**2,18,45,563**	**1,63,84,174**	**15,51,675**	**3,97,81,412**	

परिशिष्ट -3.1 (ब)

(कंडिका 3.1.4.1 (ब) में संदर्भित)

प्रत्याशित रॉयल्टी के कम मूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क और उपकर के कम आरोपित राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पंजीकरण की तारीख/पट्टेदार का नाम, पट्टा क्षेत्र	पट्टा अवधि/ विस्तार अवधि	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	विचार की गई खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (घन मीटर /टन में)	संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क के लिए विचार की गई अनुमानित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	आरोपण योग्य				आपत्ति की प्रकृति
											मुद्रांक शुल्क. (गौण खनिज के प्रकरण में @ 1.25% तथा प्रमुख खनिज कॉलम "10" के प्रकरण में 2%)	पंजीयन शुल्क (कॉलम "11" का 75%)	उपकर (कॉलम 11 का 10% जो 30 वर्ष या उससे अधिक की लीज़ अवधि पर लागू है)	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	बैतूल	MP039742021A1047243/15/01/2021, निर्मल सिंह सलूजा, 1.00 हेक्टेयर	24/12/2020 से 23/12/2030	गिट्टी (गौण)	74367	92420	120	11090400	8924040	2166360	27080	20310	0.00	47390	
2	बैतूल	MP039742022A1403495/18/04/2022, राजेश रे, 1.1540 हेक्टेयर	12/04/2022 से 11/04/2032	गिट्टी (गौण)	65414	90160	120	10819200	7849680	2969520	37119	27839	0.00	64958	प्रत्याशित रॉयल्टी की गणना प्रथम पंचवर्षीय खनन योजना मात्रा
3	बैतूल	MP039742022A1161957/16/02/2022, महेंद्र	09/02/2022 से 08/02/2032	गिट्टी (गौण)	439317	729474	120	87536880	52718040	34818840	435236	326427	0.00	761663	

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पंजीकरण की तारीख/पट्टेदार का नाम, पट्टा क्षेत्र	पट्टा अवधि/ विस्तार अवधि	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	विचार की गई खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (घन मीटर /टन में)	संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क के लिए विचार की गई अनुमानित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	आरोपण योग्य				आपत्ति की प्रकृति
											मुद्रांक शुल्क. (गौण खनिज के प्रकरण में @ 1.25% तथा प्रमुख खनिज कॉलम "10" के प्रकरण में 2%)	पंजीयन शुल्क (कॉलम "11" का 75%)	उपकर (कॉलम 11 का 10% जो 30 वर्ष या उससे अधिक की लीज़ अवधि पर लागू है)	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		कुमार मालवीय, 6.433 हेक्टेयर													के स्थान पर प्रथम पांच एवं द्वितीय पंचवर्षीय खनन योजना मात्रा के औसत उत्पादन के अनुसार की गई (जहां भी लागू हो, आरक्षित
4	बैतूल	MP039742023A11560 277/06/03/2023, पूर्वांश तिवारी, 1.00 हेक्टेयर	27/02/2023 से 26/02/2033	गिट्टी (गौण)	439317	729474	120	87536880	52718040	34818840	435236	326427	0.00	761663	
5	बैतूल	MP039742020A12467 43/01/06/2020, मेसर्स तिरुपति बालाजी एसोसिएट्स, 1.00 हेक्टेयर	20/03/2020 से 19/03/2030	गिट्टी (गौण)	439317	729474	120	87536880	52718040	34818840	435236	326427	0.00	761663	
6	बैतूल	MP039742023A11595 160/16/03/2023, विजय रघुवंशी, 1.950 हेक्टेयर	14/03/2023 से 13/03/2033	गिट्टी (गौण)	439317	729474	120	87536880	52718040	34818840	435236	326427	0.00	761663	

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पंजीकरण की तारीख/पट्टेदार का नाम, पट्टा क्षेत्र	पट्टा अवधि/ विस्तार अवधि	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	विचार की गई खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (घन मीटर /टन में)	संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क के लिए विचार की गई अनुमानित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	आरोपण योग्य				आपत्ति की प्रकृति
											मुद्रांक शुल्क. (गौण खनिज के प्रकरण में @ 1.25% तथा प्रमुख खनिज कॉलम "10" के प्रकरण में 2%)	पंजीयन शुल्क (कॉलम "11" का 75%)	उपकर (कॉलम 11 का 10% जो 30 वर्ष या उससे अधिक की लीज़ अवधि पर लागू है)	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	बैतूल	MP039742020A19119 32/31/12/2020, शारिका भावसार, 2.00 हेक्टेयर	29/12/2020 से 28/12/2030	गिट्टी (गौण)	439317	729474	120	87536880	52718040	34818840	435236	326427	0.00	761663	मात्रा तक सीमित)
8	बैतूल	MP039742021A11141 96/03/02/2021, प्रज्ञा कौल, 1.00 हेक्टेयर	19/01/2021 से 18/01/2031	गिट्टी (गौण)	439317	729474	120	87536880	52718040	34818840	435236	326427	0.00	761663	
9	बैतूल	MP039742020A12562 59/04/06/2020, सत्येन्द्र मोहन सक्सेना, 1.00 हेक्टेयर	20/03/2019 से 19/03/2029	गिट्टी (गौण)	439317	729474	120	87536880	52718040	34818840	435236	326427	0.00	761663	
10	बैतूल	MP039742021A10832 60/25/01/2021, मेसर्स अंकुर कंस्ट्रक्शन्स, 2.00 हेक्टेयर	13/01/2021 से 12/01/2031	गिट्टी (गौण)	439317	729474	120	87536880	52718040	34818840	435236	326427	0.00	761663	

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पंजीकरण की तारीख/पट्टेदार का नाम, पट्टा क्षेत्र	पट्टा अवधि/ विस्तार अवधि	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	विचार की गई खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (घन मीटर /टन में)	संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क के लिए विचार की गई अनुमानित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	आरोपण योग्य				आपत्ति की प्रकृति
											मुद्रांक शुल्क. (गौण खनिज के प्रकरण में @ 1.25% तथा प्रमुख खनिज कॉलम "10" के प्रकरण में 2%)	पंजीयन शुल्क (कॉलम "11" का 75%)	उपकर (कॉलम 11 का 10% जो 30 वर्ष या उससे अधिक की लीज़ अवधि पर लागू है)	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11	बैतूल	MP039742021A18070 14/21/09/2021, देवेन्द्र मालवीय, 2.906 हेक्टेयर	16/09/2021 से 15/09/2031	गिट्टी (गौण)	153580	197700	120	23724000	18429600	5294400	66180	49635	0.00	115815	
12	बैतूल	MP039742023A11415 755/30/01/2023, मीरा बाई बोडखे, 1.00 हेक्टेयर	27/01/2023 से 26/01/2033	गिट्टी (गौण)	48374	56204	120	6744480	5804880	939600	11745	8809	0.00	20554	
13	बैतूल	MP039742020A13031 37/19/06/2020, जीवन परते, 1.00 हेक्टेयर	18/06/2020 से 17/06/2030	गिट्टी (गौण)	35817	39696	120	4763520	4298040	465480	5819	4364	0.00	10183	
14	बैतूल	MP039742020A12904 06/ 17/06/2020, मनोज कुमार त्यागी, 1.296 हेक्टेयर	15/06/2020 से 14/06/2030	गिट्टी (गौण)	80207	123986	120	14878320	9624840	5253480	65669	49252	0.00	114921	

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पंजीकरण की तारीख/पट्टेदार का नाम, पट्टा क्षेत्र	पट्टा अवधि/ विस्तार अवधि	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	विचार की गई खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (घन मीटर /टन में)	संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क के लिए विचार की गई अनुमानित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	आरोपण योग्य				आपत्ति की प्रकृति
											मुद्रांक शुल्क. (गौण खनिज के प्रकरण में @ 1.25% तथा प्रमुख खनिज कॉलम "10" के प्रकरण में 2%)	पंजीयन शुल्क (कॉलम "11" का 75%)	उपकर (कॉलम 11 का 10% जो 30 वर्ष या उससे अधिक की लीज़ अवधि पर लागू है)	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15	बैतूल	MP039742020A1286849/ 15/06/2020, मंजू अग्रवाल, 1.00 हेक्टेयर	12/06/2020 से 11/06/2030	गिट्टी (गौण)	36367	51982	120	6237840	4364040	1873800	23423	17567	0.00	40990	
16	बैतूल	MP039742021A1549532/ 08/07/2021, अमित चांडक, 2.00 हेक्टेयर	27/04/2021 से 26/042031	गिट्टी (गौण)	82530	86623	120	10394760	9903600	491160	6140	4605	0.00	10745	
17	बैतूल	MP039742023A11670691/30/03/2023, प्रेम लता अग्रवाल, 1.522 हेक्टेयर	14/03/2023 से 13/03/2033	गिट्टी (गौण)	121682	129978	120	15597360	14601840	995520	12444	9333	0.00	21777	
18	छतरपुर	MP06432020A1418307/22/07/2020, शिवोम ग्रेनाइट, 1.425 हेक्टेयर	26/06/2020 से 06/04/2026	गिट्टी (गौण)	92530	257601	120	30912120	11103600	19808520.00	247607	185705	0.00	433312	पंचवर्षीय योजना के औसत उत्पादन पर विचार नहीं

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पंजीकरण की तारीख/पट्टेदार का नाम, पट्टा क्षेत्र	पट्टा अवधि/ विस्तार अवधि	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	विचार की गई खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (घन मीटर /टन में)	संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क के लिए विचार की गई अनुमानित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	आरोपण योग्य				आपत्ति की प्रकृति
											मुद्रांक शुल्क. (गौण खनिज के प्रकरण में @ 1.25% तथा प्रमुख खनिज कॉलम "10" के प्रकरण में 2%)	पंजीयन शुल्क (कॉलम "11" का 75%)	उपकर (कॉलम 11 का 10% जो 30 वर्ष या उससे अधिक की लीज़ अवधि पर लागू है)	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
															किया गया (खनन योग्य आरक्षित मात्रा तक सीमित (हस्तांतरण मामला)
19	छतरपुर	MP06432021A158735 6/16/07/2021, जीत सिंह बुंदेला, 2.00 हेक्टेयर	01/04/2021 से 31/03/2026	गिट्टी (गौण) व्यापार खदान	उपलब्ध नहीं	336620	120	29009400	2503440	26505960	331325	248494	0.00	579819	पंचवर्षीय योजना के औसत उत्पादन पर विचार नहीं किया गया

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पंजीकरण की तारीख/पट्टेदार का नाम, पट्टा क्षेत्र	पट्टा अवधि/ विस्तार अवधि	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	विचार की गई खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (घन मीटर /टन में)	संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क के लिए विचार की गई अनुमानित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	आरोपण योग्य				आपत्ति की प्रकृति
											मुद्रांक शुल्क. (गौण खनिज के प्रकरण में @ 1.25% तथा प्रमुख खनिज कॉलम "10" के प्रकरण में 2%)	पंजीयन शुल्क (कॉलम "11" का 75%)	उपकर (कॉलम 11 का 10% जो 30 वर्ष या उससे अधिक की लीज़ अवधि पर लागू है)	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
20	देवास	MP108942022A1369189/ 04/04/2022, विजेन्द्र टेबे, 2.00 हेक्टेयर	30/03/2022 से 29/03/2032	गिट्टी (गौण)	80000	137936	120	16552320	9600000	6952320	86904	65178	0.00	152082	प्रथम पंचवर्षीय खनन योजना के औसत उत्पादन पर विचार नहीं किया गया
21	धार	MP119042021A1095536/ 29/01/2021, सतगुरु सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 14.424 हेक्टेयर	25/01/2021 से 24/01/2071	चूना पत्थर (प्रमुख)	832206.25	1008642	80	80691360	66576500	14114860	282297	211723	28230	522250	प्रथम पंचवर्षीय खनन योजना का औसत उत्पादन पर विचार न कर

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पंजीकरण की तारीख/पट्टेदार का नाम, पट्टा क्षेत्र	पट्टा अवधि/ विस्तार अवधि	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	विचार की गई खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (घन मीटर /टन में)	संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क के लिए विचार की गई अनुमानित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	आरोपण योग्य				आपत्ति की प्रकृति
											मुद्रांक शुल्क. (गौण खनिज के प्रकरण में @ 1.25% तथा प्रमुख खनिज कॉलम "10" के प्रकरण में 2%)	पंजीयन शुल्क (कॉलम "11" का 75%)	उपकर (कॉलम 11 का 10% जो 30 वर्ष या उससे अधिक की लीज़ अवधि पर लागू है)	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
															के खनन योग्य भंडार तक सीमित किया गया
22	ग्वालियर	MP142592021A1817221/ 23/09/2021, हरेन्द्र सिंह भदौरिया, 1.450 हेक्टेयर	28/06/2021 से 27/06/2031	गिट्टी (गौण)	375920	398463	120	47815560	45110400	2705160	33815	25361	0.00	59176	प्रत्याशित रॉयल्टी की गणना प्रथम पंचवर्षीय खनन योजना मात्रा के स्थान पर प्रथम पांच और द्वितीय पंचवर्षीय खनन
23	ग्वालियर	MP142582020A11881061/ 24/12/2020, अमरनाथ शर्मा, 7.818 हेक्टेयर	01/12/2020 से 30/11/2030	गिट्टी (गौण)	2108079	2110400	120	253248000	252969480	278520	3482	2612	0.00	6094	

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पंजीकरण की तारीख/पट्टेदार का नाम, पट्टा क्षेत्र	पट्टा अवधि/ विस्तार अवधि	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	विचार की गई खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (घन मीटर /टन में)	संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क के लिए विचार की गई अनुमानित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	आरोपण योग्य				आपत्ति की प्रकृति
											मुद्रांक शुल्क. (गौण खनिज के प्रकरण में @ 1.25% तथा प्रमुख खनिज कॉलम "10" के प्रकरण में 2%)	पंजीयन शुल्क (कॉलम "11" का 75%)	उपकर (कॉलम 11 का 10% जो 30 वर्ष या उससे अधिक की लीज़ अवधि पर लागू है)	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
															योजना मात्रा के औसत उत्पादन के अनुसार की गई थी
24	जबलपुर	MP182552022A15056 89/17/05/2022, भसीन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, 2.89 हेक्टेयर	21/06/2021 से 20/06/2026	गिट्टी (गौण)	'	307680	120	36921600	9572520	27349080	341864	256398	0.00	598262	प्रथम पंचवर्षीय खनन योजना के औसत उत्पादन पर विचार नहीं किया गया

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पंजीकरण की तारीख/पट्टेदार का नाम, पट्टा क्षेत्र	पट्टा अवधि/ विस्तार अवधि	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	विचार की गई खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (घन मीटर /टन में)	संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क के लिए विचार की गई अनुमानित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	आरोपण योग्य				आपत्ति की प्रकृति
											मुद्रांक शुल्क. (गौण खनिज के प्रकरण में @ 1.25% तथा प्रमुख खनिज कॉलम "10" के प्रकरण में 2%)	पंजीयन शुल्क (कॉलम "11" का 75%)	उपकर (कॉलम 11 का 10% जो 30 वर्ष या उससे अधिक की लीज़ अवधि पर लागू है)	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
25	जबलपुर	MP182552022A15075 15/17/05/2022, भसीन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड. 1.98 हेक्टेयर	09/11/2020 से 08/11/2025	गिट्टी (गौण)	-	258340	120	31000800	8481960	22518840	281486	211115	0.00	492601	मुद्रांक शुल्क के लिए प्रथम पंचवर्षीय खनन योजना के औसत उत्पादन पर विचार नहीं किया गया।
26	राजगढ़	MP309852020A15384 71/ 02/09/2020, सुनील कुमार झा, 1.00 हेक्टेयर	31/08/2020 से 30/08/2030	गिट्टी (गौण)	47092	61258	120	7350960	5651040	1699920	21249	15937	0.00	37186	प्रत्याशित रॉयल्टी की गणना प्रथम

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पंजीकरण की तारीख/पट्टेदार का नाम, पट्टा क्षेत्र	पट्टा अवधि/ विस्तार अवधि	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	विचार की गई खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (घन मीटर /टन में)	संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क के लिए विचार की गई अनुमानित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	आरोपण योग्य				आपत्ति की प्रकृति
											मुद्रांक शुल्क. (गौण खनिज के प्रकरण में @ 1.25% तथा प्रमुख खनिज कॉलम "10" के प्रकरण में 2%)	पंजीयन शुल्क (कॉलम "11" का 75%)	उपकर (कॉलम 11 का 10% जो 30 वर्ष या उससे अधिक की लीज़ अवधि पर लागू है)	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
27	राजगढ़	MP309852020A1538461/ 02/09/2020, दीपक कुमार झा, 1.00 हेक्टेयर	31/08/2020 से 30/08/2030	गिट्टी (गौण)	47023	51934	120	6232080	5642760	589320	7367	5525	0.00	12892	पंचवर्षीय खनन योजना मात्रा के स्थान पर प्रथम पांच एवं द्वितीय पंचवर्षीय खनन योजना मात्रा के औसत उत्पादन के अनुसार की गई (जहां भी लागू हो, आरक्षित
28	राजगढ़	MP309852020A1616081/ 29/09/2020, रमेश कलमोरिया, 1.00 हेक्टेयर	25/08/2020 से 24/08/2030	गिट्टी (गौण)	58500	60073	120	7208760	7020000	188760	2360	1770	0.00	4130	
29	राजगढ़	MP309852020A1819544/ 07/12/2020, आनंद ए शर्मा, 2.00 हेक्टेयर	03/12/2020 से 02/12/2030	गिट्टी (गौण)	85865	148770	120	17852400	10303800	7548600	94358	70769	0.00	165127	

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पंजीकरण की तारीख/पट्टेदार का नाम, पट्टा क्षेत्र	पट्टा अवधि/ विस्तार अवधि	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	विचार की गई खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (घन मीटर /टन में)	संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क के लिए विचार की गई अनुमानित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	आरोपण योग्य				आपत्ति की प्रकृति
											मुद्रांक शुल्क. (गौण खनिज के प्रकरण में @ 1.25% तथा प्रमुख खनिज कॉलम "10" के प्रकरण में 2%)	पंजीयन शुल्क (कॉलम "11" का 75%)	उपकर (कॉलम 11 का 10% जो 30 वर्ष या उससे अधिक की लीज़ अवधि पर लागू है)	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
															मात्रा तक सीमित)
30	ग्वालियर	MP142592021A1012154/ 05/01/2021, राधा रानी स्टोन इंडस्ट्रीज, 1.820 हेक्टेयर	24/12/2020 से 23/12/2030	गिट्टी (गौण)	उपलब्ध नहीं	436300	120	52356000	28419240	23936760	299210	224408	0.00	523618	प्रथम पंचवर्षीय खनन योजना के औसत वार्षिक उत्पादन के स्थान पर प्रीमियम राशि पर विचार किया गया (जहां भी लागू हो,
31	ग्वालियर	MP142592021A1817203/ 23/09/2021, सुरेन्द्र सिंह परमार, 1.612 हेक्टेयर	28/06/2021 से 27/06/2031	गिट्टी (गौण)	उपलब्ध नहीं	468881	120	56265720	53761920	2503800	31298	23474	0.00	54772	
32	ग्वालियर	MP142592021A1817214/ 23/09/2021, केदार सिंह यादव, 1.470 हेक्टेयर	28/06/2021 से 27/06/2031	गिट्टी (गौण)	उपलब्ध नहीं	320000	120	38400000	33055440	5344560	66807	50105	0.00	116912	
33	ग्वालियर	MP142592020A1504296/ 22/08/2020, गिर्राज	19/08/2020 से 21/01/2029	गिट्टी (गौण)	उपलब्ध नहीं	714330	120	85719600	60000000	25719600	321495	241121	0.00	562616	

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पंजीकरण की तारीख/पट्टेदार का नाम, पट्टा क्षेत्र	पट्टा अवधि/ विस्तार अवधि	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	विचार की गई खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (घन मीटर /टन में)	संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क के लिए विचार की गई अनुमानित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	आरोपण योग्य				आपत्ति की प्रकृति
											मुद्रांक शुल्क. (गौण खनिज के प्रकरण में @ 1.25% तथा प्रमुख खनिज कॉलम "10" के प्रकरण में 2%)	पंजीयन शुल्क (कॉलम "11" का 75%)	उपकर (कॉलम 11 का 10% जो 30 वर्ष या उससे अधिक की लीज़ अवधि पर लागू है)	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		सिंह परमार (सुरेन्द्र सिंह द्वारा स्थानांतरित), 3.66 हेक्टेयर													खनन योग्य आरक्षित मात्रा तक सीमित)
34	ग्वालियर	MP142592021A1183033/ 22/02/2021, रामनिवास शर्मा, 3.00 हेक्टेयर	23/04/2020 से 22/04/2030	गिट्टी (गौण)	उपलब्ध नहीं	614660	120	73759200	57826200	15933000	199163	149372	0.00	348535	
35	ग्वालियर	MP142602022A1567823/ 30/05/2022, निशार खान, 1.00 हेक्टेयर	26/05/2022 से 25/05/2032	फ्लैग स्टोन (गौण)	उपलब्ध नहीं	42780	350	14973000	2187500	12785500	159819	119864	0.00	279683	प्रथम पंचवर्षीय खनन
36	ग्वालियर	MP142602022A11281110/22/12/2022, कुंवर रानी अयोध्या सिंह, 10.718 हेक्टेयर	13/01/1982 to 12/01/2032	लौह अयस्क (प्रमुख)	उपलब्ध नहीं	306586	172.95	53024049	25258450	27765599	555312	416484	55531	1027327	योजना के औसत वार्षिक उत्पादन के स्थान पर प्रीमियम

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पंजीकरण की तारीख/पट्टेदार का नाम, पट्टा क्षेत्र	पट्टा अवधि/ विस्तार अवधि	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	विचार की गई खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (घन मीटर /टन में)	संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क के लिए विचार की गई अनुमानित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	आरोपण योग्य				आपत्ति की प्रकृति
											मुद्रांक शुल्क. (गौण खनिज के प्रकरण में @ 1.25% तथा प्रमुख खनिज कॉलम "10" के प्रकरण में 2%)	पंजीयन शुल्क (कॉलम "11" का 75%)	उपकर (कॉलम 11 का 10% जो 30 वर्ष या उससे अधिक की लीज़ अवधि पर लागू है)	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
															राशि पर विचार किया गया (जहां भी लागू हो, खनन योग्य आरक्षित मात्रा तक सीमित)।
		कुल-36 प्रकरण और 7 जिला खनिज अधिकारी						**1,24,24,34,265**	**91,43,40,895**	**32,80,93,370**	**44,15,280**	**33,11,461**	**83,761**	**78,10,502**	

परिशिष्ट -3.2

(कंडिका 3.1.4.2 में संदर्भित)

रॉयल्टी की त्रुटिपूर्ण दर लागू होने के कारण प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

क्र सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पट्टे के दस्तावेज की तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव, क्षेत्र	पट्टा अवधि	खनिज का नाम	विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (घन मीटर ब/टन में)	मुद्रांक के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी पर विचार किया गया	रॉयल्टी की लागू दर (घन मीटर ब/टन में)	मुद्रांक के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क और उपकर का अल्प अधिरोपण कॉलम 10 के प्रमुख खनिज के प्रकरण में मुद्रांक शुल्क @ 2% तथा गौण खनिज के प्रकरण में 1.25% कॉलम:11 के मुद्रांक शुल्क के 75% पर पंजीयन शुल्क जहां पट्टा अवधि 30 वर्ष या उससे अधिक है, वहां मुद्रांक शुल्क का 10% उपकर		
											मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	उपकर
	1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9=(5x8)	10= (9-7)	11	12	13
1	बालाघाट	MP011672023A12224 340/04/08/2023, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मलाजखंड,479.90 हेक्टेयर	28/08/1973 से 27/08/2023, (28/08/2023 से 27/08/2043)	ताँबा (प्रमुख)	60000000	154	9240000000	-	21732369214.00	12492369214.00	249847384.00	187385538	43464738.00
2	छतरपुर	MP064032021A12315 10/05/03/2021, मेसर्स श्री शारदा माँ रॉक ब्रोकर्स, पहारा, 1.775 हेक्टेयर	26/02/2021 से 25/02/2031	गिट्टी (गौण)	146300	100	14630000.00	120	17556000.00	2926000.00	36575.00	27431.00	0.00

क्र सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पट्टे के दस्तावेज की तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव, क्षेत्र	पट्टा अवधि	खनिज का नाम	विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (घन मीटर ब/टन में)	मुद्रांक के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी पर विचार किया गया	रॉयल्टी की लागू दर (घन मीटर ब/टन में)	मुद्रांक के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क और उपकर का अल्प अधिरोपण कॉलम 10 के प्रमुख खनिज के प्रकरण में मुद्रांक शुल्क @ 2% तथा गौण खनिज के प्रकरण में 1.25% कॉलम:11 के मुद्रांक शुल्क के 75% पर पंजीयन शुल्क जहां पट्टा अवधि 30 वर्ष या उससे अधिक है, वहां मुद्रांक शुल्क का 10% उपकर		
											मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	उपकर
	1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9=(5x8)	10= (9-7)	11	12	13
3	छतरपुर	MP064032022A1215266/02/03/2022, मेसर्स एएसआर एंटरप्राइजेज, भैरा, 3.00 हेक्टेयर	25/02/2022 से 24/02/2032	गिट्टी	220027	100	22002700.00	120	26403240.00	4400540.00	55007.00	41255.00	0.00
4	देवास	MP108942022A11028540/12/10/2022, विनोद कुमार लोहाटी (तुलसी स्टोन क्रशर), मोरुखेड़ी, 1.06 हेक्टेयर	16/09/2022 से 31/08/2028	गिट्टी (गौण)	48000	100	4800000	120	5760000	960000	19200	14400	0.00
5	धार	MP119002020A1875839/24/12/2020, मैसर्स विजय लक्ष्मी स्टोन क्रशर, मुलथान,4.00 हेक्टेयर	20/04/2020 से 19/04/2030	गिट्टी (गौण)	57000	100	5700000.00	120	6840000.00	1140000.00	14250	10688	0.00
6	धार	MP119002020A1797319/28/11/2020, हेमंत शर्मा, खेड़ा, 3.00 हेक्टेयर	05/07/2018 से 04/07/2028	गिट्टी (गौण)	140600	100	14060000.00	120	16872000.00	2812000.00	35150	26363	0.00

क्र सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पट्टे के दस्तावेज की तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव, क्षेत्र	पट्टा अवधि	खनिज का नाम	विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (घन मीटर ब/टन में)	मुद्रांक के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी पर विचार किया गया	रॉयल्टी की लागू दर (घन मीटर ब/टन में)	मुद्रांक के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क और उपकर का अल्प अधिरोपण कॉलम 10 के प्रमुख खनिज के प्रकरण में मुद्रांक शुल्क @ 2% तथा गौण खनिज के प्रकरण में 1.25% कॉलम:11 के मुद्रांक शुल्क के 75% पर पंजीयन शुल्क जहां पट्टा अवधि 30 वर्ष या उससे अधिक है, वहां मुद्रांक शुल्क का 10% उपकर		
											मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	उपकर
	1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9=(5x8)	10= (9-7)	11	12	13
7	धार	MP119002021A1016165/06/01/2021, विजय बहादुर सिंह, बरकछा, 1.50 हेक्टेयर	05/01/2021 से 30/09/2026	गिट्टी (गौण)	55775	100	5577500.00	120	6693000.00	1115500.00	13944	10458	0.00
8	ग्वालियर	MP142582022A1368906/ 04/04/2022, मेसर्स सुदामा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड रफादपुरा, 1.00 हेक्टेयर	11/10/2021 से 10/10/2031	गिट्टी (गौण)	235200	100	23520000.00	120	28224000.00	4704000.00	58800.00	44100.00	0.00
9	झाबुआ	MP199172021A1967687/18/11/2021, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, ग्वाली, 9.12 हेक्टेयर	08/12/1998 से 06/12/2048	रॉक फॉस्फेट (प्रमुख)	732420	51	37353420.00	56.40	41308488.00	3955068.00	79101	59326	7910.00
10	झाबुआ	MP199172021A1967550/18/11/2021, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, कचलदरा 37.70 हेक्टेयर	09/03/2009 से 08/03/2059	रॉक फॉस्फेट (प्रमुख)	10320520	51	526346520.00	56.40	582077328.00	55730808.00	1114616	835962	111462.00

क्र सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पट्टे के दस्तावेज की तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव, क्षेत्र	पट्टा अवधि	खनिज का नाम	विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (घन मीटर ब/टन में)	मुद्रांक के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी पर विचार किया गया	रॉयल्टी की लागू दर (घन मीटर ब/टन में)	मुद्रांक के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क और उपकर का अल्प अधिरोपण कॉलम 10 के प्रमुख खनिज के प्रकरण में मुद्रांक शुल्क @ 2% तथा गौण खनिज के प्रकरण में 1.25% कॉलम:11 के मुद्रांक शुल्क के 75% पर पंजीयन शुल्क जहां पट्टा अवधि 30 वर्ष या उससे अधिक है, वहां मुद्रांक शुल्क का 10% उपकर		
											मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	उपकर
	1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9=(5x8)	10= (9-7)	11	12	13
11	झाबुआ	MP199172021A1967602/18/11/2021, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, ग्वाली,2.29 हेक्टेयर	27/09/2003 से 26/09/2053	रॉक फॉस्फेट (प्रमुख)	1048650	51	53481150.00	56.40	59143860.00	5662710.00	113254	84941	11325.00
12	झाबुआ	MP199172021A1004969/02/01/2021, नितेश पोरवाल, खरदुबड़ी/महुदा,2.50 हेक्टेयर	06/07/2019 से 05/07/2029	गिट्टी (गौण)	38800	100	3880000.00	120	4656000.00	776000.00	9700	7275	0.00
13	कटनी	MP208052021A1451099/18/06/2021, योगेश खरे, रूपौंद, 1.87 हेक्टेयर	12/09/1994 से 11/09/2044	डोलोमाइट (31-(गौण)	242334	75	18175050.00	100	24233400.00	6058350.00	75729.00	56797.00	7573.00
14	नर्मदापुरम	MP169782020A1516048/26/08/2020, महावीर एसोसिएट्स, सिरुपुरा, 1.80 हेक्टेयर	05/12/2019 से 04/12/2029	गिट्टी (गौण)	100940	100	10094000.00	120	12112800.00	2018800.00	25235.00	18926.00	0.00

क्र सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पट्टे के दस्तावेज की तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव, क्षेत्र	पट्टा अवधि	खनिज का नाम	विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (घन मीटर ब/टन में)	मुद्रांक के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी पर विचार किया गया	रॉयल्टी की लागू दर (घन मीटर ब/टन में)	मुद्रांक के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क और उपकर का अल्प अधिरोपण कॉलम 10 के प्रमुख खनिज के प्रकरण में मुद्रांक शुल्क @ 2% तथा गौण खनिज के प्रकरण में 1.25% कॉलम:11 के मुद्रांक शुल्क के 75% पर पंजीयन शुल्क जहां पट्टा अवधि 30 वर्ष या उससे अधिक है, वहां मुद्रांक शुल्क का 10% उपकर		
											मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	उपकर
	1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9=(5x8)	10= (9-7)	11	12	13
15	नर्मदापुरम	MP169782020A1516074/26/08/2020, जैन स्टोन क्रशर, सीताचिकली, 1.619 हेक्टेयर	05/12/2019 से 04/12/2029	गिट्टी (गौण)	93590	100	9359000.00	120	11230800.00	1871800.00	23398.00	17549.00	0.00
16	राजगढ़	MP309852020A1239063/29/05/2020, मुकेश कुमार डांगी, वरुखेड़ी, 2.00 हेक्टेयर	28/03/2020 से 27/03/2030	गिट्टी (गौण)	50000	100	5000000.00	120	6000000.00	1000000.00	12500.00	9375.00	0.00
17	रीवा	MP328492022A11249753/15/12/2022, श्रीमती अमिता गुप्ता, अंसरा, 8.393 हेक्टेयर	09/03/1983 से 08/03/2033	सिलिकारेत (31-(गौण)	290622	40	11624880.00	50	14531100.00	2906220.00	36328	27246	3633
18	रीवा	MP328492021A1013783/ 05/01/2021, अनिल कुमार पटेल, गुदड़ी, 1.167 हेक्टेयर	06/03/2020 से 05/03/2030	फ़्लैगस्टोन (गौण)	40320	300	12096000.00	350	14112000.00	2016000.00	25200	18900	0.00
19	रीवा	MP328492020A1599550/24/09/2020, डी.एल मिश्रा, पहाड़िया, 0.809 हेक्टेयर	29/05/2020 से 28/05/2030	गिट्टी (गौण)	11120	100	1112000.00	120	1334400.00	222400.00	2780	2085	0.00

क्र सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पट्टे के दस्तावेज की तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव, क्षेत्र	पट्टा अवधि	खनिज का नाम	विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (घन मीटर ब/टन में)	मुद्रांक के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी पर विचार किया गया	रॉयल्टी की लागू दर (घन मीटर ब/टन में)	मुद्रांक के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क और उपकर का अल्प अधिरोपण कॉलम 10 के प्रमुख खनिज के प्रकरण में मुद्रांक शुल्क @ 2% तथा गौण खनिज के प्रकरण में 1.25% कॉलम:11 के मुद्रांक शुल्क के 75% पर पंजीयन शुल्क जहां पट्टा अवधि 30 वर्ष या उससे अधिक है, वहां मुद्रांक शुल्क का 10% उपकर		
											मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	उपकर
	1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9=(5x8)	10= (9-7)	11	12	13
20	सतना	MP348622022A1593109/03/06/2022, मेसर्स राकेश एजेंसीज, बरुई, 5.101 हेक्टेयर	02/09/1993 से 01/09/2043	बॉक्साइट (प्रमुख)	22379	159	3558261.00	192.75	4313552.00	755291.00	15106	11330.000	1511.00
21	सतना	MP348622022A1593077/03/06/2022, मेसर्स मध्य प्रदेश मिनरल्स सप्लाई कंपनी, कारिगोही,15.62 हेक्टेयर	16/12/2003 से 15/12/2053	बॉक्साइट (प्रमुख)	38320	159	6092880.00	192.75	7386180.00	1293300.00	25866	19400.000	2587.00
22	सतना	MP348622022A1593067/03/06/2022, मेसर्स मध्य प्रदेश मिनरल्स सप्लाई कंपनी, घाटनिया,4.792 हेक्टेयर	07/08/1985 से 06/08/2035	बॉक्साइट (प्रमुख)	312246.25	159	49647154.00	192.75	60185465.00	10538311.00	210766	158075.000	21077.00
23	सतना	MP348622022A1593127/03/06/2022, मेसर्स मध्य प्रदेश मिनरल सप्लाई कंपनी, नौगांवा, 7.41 हेक्टेयर	01/10/1985 से 30/09/2035	बॉक्साइट (प्रमुख)	26295	159	4180905.00	192.75	5068361.00	887456.00	17749	13312.000	1775.00

क्र सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पट्टे के दस्तावेज की तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव, क्षेत्र	पट्टा अवधि	खनिज का नाम	विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (घन मीटर ब/टन में)	मुद्रांक के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी पर विचार किया गया	रॉयल्टी की लागू दर (घन मीटर ब/टन में)	मुद्रांक के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क और उपकर का अल्प अधिरोपण कॉलम 10 के प्रमुख खनिज के प्रकरण में मुद्रांक शुल्क @ 2% तथा गौण खनिज के प्रकरण में 1.25% कॉलम:11 के मुद्रांक शुल्क के 75% पर पंजीयन शुल्क जहां पट्टा अवधि 30 वर्ष या उससे अधिक है, वहां मुद्रांक शुल्क का 10% उपकर		
											मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	उपकर
	1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9=(5x8)	10= (9-7)	11	12	13
24	सतना	MP348622022A1593104 /03/06/2022, मेसर्स राकेश एजेंसीज, सिद्धकोठार, 16.187 हेक्टेयर	19/08/1978 से 18/08/2028	बॉक्साइट (प्रमुख)	5616	159	892944.00	192.75	1082484.00	189540.00	3791	2843.000	379.00
25	सतना	MP348622022A1593094/03/06/2022, मेसर्स मध्य प्रदेश मिनरल्स सप्लाई कंपनी, घाटनिया, 5.005 हेक्टेयर	06/10/1982 से 05/10/2032	बॉक्साइट (प्रमुख)	104885.38	159	16676775.00	192.75	20216657.00	3539882.00	70798	53099.000	7080.00
26	सतना	MP348622022A1593146/03/06/2022, मेसर्स राकेश एजेंसीज, नौगावां,10.76 हेक्टेयर	28/03/1983 से 27/03/2033	बॉक्साइट (प्रमुख)	47634	159	7573806.00	192.75	9181454.00	1607648.00	32153	24115.000	3215.00
27	सतना	MP348622021A1364036/20/04/2021, शरद कुमार बंसल, 8.00 हेक्टेयर	01/09/2004 से 31/08/2054	ओचर (32-(गौण)	421200	24	10108800.00	50	21060000.00	10951200.00	136890.00	102668.000	13689.00

क्र सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण क्रमांक और पट्टे के दस्तावेज की तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव, क्षेत्र	पट्टा अवधि	खनिज का नाम	विचार किए गए खनिज की मात्रा (घन मीटर /टन में)	रॉयल्टी की दर (घन मीटर ब/टन में)	मुद्रांक के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी पर विचार किया गया	रॉयल्टी की लागू दर (घन मीटर ब/टन में)	मुद्रांक के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी	प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन	मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क और उपकर का अल्प अधिरोपण कॉलम 10 के प्रमुख खनिज के प्रकरण में मुद्रांक शुल्क @ 2% तथा गौण खनिज के प्रकरण में 1.25% कॉलम:11 के मुद्रांक शुल्क के 75% पर पंजीयन शुल्क जहां पट्टा अवधि 30 वर्ष या उससे अधिक है, वहां मुद्रांक शुल्क का 10% उपकर		
											मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	उपकर
	1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9=(5x8)	10= (9-7)	11	12	13
28	सतना	MP348622022A11198 246/01/12/2022, मेसर्स विजय एंड कंपनी, तमोरिया, 3.610 हेक्टेयर	28/11/2022 से 27/11/2032	एम-रेत (गौण)	262684	25	6567100.00	50	13134200.00	6567100.00	82089.00	61567.00	0.00
		कुल (11 जिला खनिज अधिकारी , 28 प्रकरण)					**10,12,41,10,845**		**22,75,30,85,983**	**12,62,89,75,138**	**25,21,93,359**	**18,91,45,024**	**4,36,57,954**
							मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क और उपकर का कुल योग						

परिशिष्ट -3.3

(कंडिका 3.1.4.4 में संदर्भित)

विक्रय योग्य ओवरबर्डन की अनुमानित मात्रा पर विचार न करने के कारण प्रत्याशित रॉयल्टी का कम मूल्यांकन दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

क्र सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव का नाम जहां पट्टा स्थित है/खसरा संख्या)/क्षेत्र	ओवरबर्डन (घन मीटर) के रूप में उपलब्ध खनिज का नाम	अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ओवरबर्डन की मात्रा (घन मीटर में)	रॉयल्टी की दर/घन मीटर	प्रत्याशित रॉयल्टी देय	देय मुद्रांक शुल्क. मुद्रांक शुल्क.=कॉलम "7" का 1.25%	पंजीयन शुल्क =कॉलम "8" का 75%
1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9
1	देवास	MP108942022A11000559/03/10/2022, हरसिद्धि स्टोन क्रशर (करण भाटिया द्वारा हस्तांतरित), बरखेड़ी, 2.250 हेक्टेयर	मरुम	22824	50	1141200	14265	10699
2	देवास	MP108942022A1369189/04/04/2022, विजेंद्र तेबे, निपान्या हुर हुर, 2.00 हेक्टेयर	मरुम	30420	50	1521000	19013	14260
3	देवास	MP108942023A11688101/31/03/2023, मेसर्स वी.के. इंटरप्राइजेज, पार्टनर गोविंद, पिटावली, 4.00 हेक्टेयर	ओवरबर्डन (ओबी)	44644	50	2232200	27903	20927
4	देवास	MP108942023A11688090/31/03/2023, मैसर्स टी.एन.सी इंटरप्राइजेज, पार्टनर रोहित, पिथावली, 3.980 हेक्टेयर	ओबी	40830	50	2041500	25519	19139
5	देवास	MP108942023A11683698 /31/03/2023, एसबीए स्टोन प्रा. लिमिटेड श्री बने सिंह पिथावली, 3.00 हेक्टेयर	ओबी	31857	50	1592850	19911	14933
6	देवास	MP108942022A11073162 /27/10/2022, मैसर्स शिवाय मिनरल्स, अगरबुजुर्ग, 2.10 हेक्टेयर	संगमरमर को अस्वीकार करना	30375	200	6075000	75938	56954
7	देवास	MP108942023A11661703 /29/03/2023, नवीन सिंह, जालेरिया,2.00 हेक्टेयर	ओबी	11515	50	575750	7197	5398
8	देवास	MP108942022A11028496/12/10/2022, हर्ष विजयवर्गीय द्वारा विनोद लाहोटी को हस्तांतरण, मोरुखेड़ी, 1.90 हेक्टेयर खसरा-748,753	ओबी	21110	50	1055500	13194	9896

क्र सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव का नाम जहां पट्टा स्थित है/खसरा संख्या)/क्षेत्र	ओवरबर्डन (घन मीटर) के रूप में उपलब्ध खनिज का नाम	अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ओवरबर्डन की मात्रा (घन मीटर में)	रॉयल्टी की दर/घन मीटर	प्रत्याशित रॉयल्टी देय	देय मुद्रांक शुल्क. मुद्रांक शुल्क.=कॉलम "7" का 1.25%	पंजीयन शुल्क =कॉलम "8" का 75%
1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9
9	देवास	MP108942022A 11028540/12/10/2022, विनोद लाहोटी, मेसर्स तुलसी स्टोन क्रशर, मोरुखेड्डी द्वारा स्थानांतरित, 1.06 हेक्टेयर, खसरा-750	मरुम	10611	50	530550	6632	4974
10	देवास	MP108942020A1812620/04/12/2020, -जितेंद्र सिंह परमार, विजेपुर, 1.91 हेक्टेयर	मरुम	60000	50	3000000	37500	28125
11	देवास	MP108942020A1500683/21/08/2020, अमन पटेल, कांकरिया, 3.60 हेक्टेयर	मरुम	87372	50	4368600	54608	40956
12	देवास	MP108942020A1512084/25/08/2020, अजय फुलेरिया, उपड्डी, 1.00 हेक्टेयर	मरुम	10592	50	529600	6620	4965
13	देवास	MP108942020A1509482/25/08/2020, नरसिंह बिंदल, नानसा, 1.99 हेक्टेयर	मरुम	15744	50	787200	9840	7380
14	देवास	MP108942020A1343425/03/07/2020, सुनील पाटीदार, गुराड़ियाकला, 1.00 हेक्टेयर	मरुम	5417	50	270850	3386	2540
15	देवास	MP108942020A1246339/01/06/2020, जावेद कुरैशी, अंबाडा, 1.00 हेक्टेयर	मरुम	2206	50	110300	1379	1034
16	देवास	MP108942022A1790419/16/09/2021, मेसर्स माँ लक्ष्मी स्टोन क्रशर सिखेडी, 2.00 हेक्टेयर	अपक्षयित सामग्री (ओबी)	11500	50	575000	7188	5391
17	देवास	MP108942022A1045508/14/01/2022, राम सिंह, नानसा,2.990 हेक्टेयर	अपक्षयित सामग्री (ओबी)	50772	50	2538600	31733	23800
18	देवास	MP108942021A1636409/28/07/2021, मेसर्स नेचुरल माइनिंग एंड मिनरल्स, सोबीलियापुरा, 2.50 हेक्टेयर	विक्रय योग्य खंडित संगमरमर	156750	200	31350000	391875	293906
19	देवास	MP108942021A1636419/28/07/2021, मैसर्स नेचुरल माइनिंग एंड मिनरल्स, बिसाली,2.90 हेक्टेयर, खसरा-176/2/2	विक्रय योग्य खंडित संगमरमर	270750	200	54150000	676875	507656
20	देवास	MP108942021A1468389/22/06/2021, मेसर्स अरमान और अरहम, बिसाली, 2.00 हेक्टेयर, खसरा-176/1/3	विक्रय योग्य खंडित संगमरमर	247950	200	49590000	619875	464906

क्र सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव का नाम जहां पट्टा स्थित है/खसरा संख्या)/क्षेत्र	ओवरबर्डन (घन मीटर) के रूप में उपलब्ध खनिज का नाम	अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ओवरबर्डन की मात्रा (घन मीटर में)	रॉयल्टी की दर/घन मीटर	प्रत्याशित रॉयल्टी देय	देय मुद्रांक शुल्क. मुद्रांक शुल्क.=कॉलम "7" का 1.25%	पंजीयन शुल्क =कॉलम "8" का 75%
1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9
21	झाबुआ	MP199172021A1195266/25/02/2021, अलकेश बाकलिया, बट्ठ, 2.30 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	17200	50	860000	10750	8063
22	झाबुआ	MP199172021A1123579/05/02/2021, अनिल कुमार जैन, पालेड़ी, 3.80 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	8750	50	437500	5469	4102
23	झाबुआ	MP199172021A1223324/04/03/2021, मनोहरलाल भंडारी, पिपलादेहाला, 3.95 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	6600	50	330000	4125	3094
24	झाबुआ	MP199172021A1109627/02/02/2021, मूलशंकर लोहार, अनंतखेड़ी, 3.00 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	8000	50	400000	5000	3750
25	झाबुआ	MP199172021A1073248/22/01/2021, संजय राठौर, खोरिया -1, 1.940 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	9000	50	450000	5625	4219
26	झाबुआ	MP199172020A1514688/26/08/2020, सुशील शर्मा, धेवाझारीपांड, 1.80 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	9750	50	487500	6094	4571
27	झाबुआ	MP199172021A1113444/03/02/2021, सुमेर सिंह अजनार, पिपलादेहाला, 1.12 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	2900	50	145000	1813	1360
28	झाबुआ	MP199172021A1004924/02/01/2021, अर्पित गौड़, खरडूबड़ी, 1.75 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	9500	50	475000	5938	4454
29	झाबुआ	MP199172021A1004969/02/01/2021, नितेश पोरवाल, महुद्दा, 2.50 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	4000	50	200000	2500	1875
30	झाबुआ	MP199172021A1096026/29/01/2021, रेखा मेरावत, नवपाड़ा, 1.20 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	6000	50	300000	3750	2813
31	झाबुआ	MP199172022A1045173/14/01/2022, रविन्द्र पडवाल, कालदेवा, 4.00 हेक्टेयर	मरुम	45000	50	2250000	28125	21094
32	झाबुआ	MP199172021A1436736/ 15/06/2021, ब्रजेन्द्र शर्मा, नवपाड़ा, 1.00 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	6000	50	300000	3750	2813
33	झाबुआ	MP199172021A1386499/27/05/2021, मारुति माइंस, अर्पित गौड़, खरदुबडी, 2.00 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	9750	50	487500	6094	4571
34	झाबुआ	MP199172021A1474294/23/06/2021, मनोज पवार, राणापुर, 2.00 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	5760	50	288000	3600	2700

क्र सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव का नाम जहां पट्टा स्थित है/खसरा संख्या)/क्षेत्र	ओवरबर्डन (घन मीटर) के रूप में उपलब्ध खनिज का नाम	अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ओवरबर्डन की मात्रा (घन मीटर में)	रॉयल्टी की दर/घन मीटर	प्रत्याशित रॉयल्टी देय	देय मुद्रांक शुल्क. मुद्रांक शुल्क.=कॉलम "7" का 1.25%	पंजीयन शुल्क =कॉलम "8" का 75%
1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9
35	झाबुआ	MP199172021A1909947/28/10/2021, अलकेश बाखलिया, नवपाड़ा, 1.00 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	8000	50	400000	5000	3750
36	झाबुआ	MP199172021A1552709/09/07/2021, लता मेरावत, भीमफलिया, 1.80 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	1200	50	60000	750	563
37	झाबुआ	MP199172021A1360455/16/04/2021, जयेश कुमार राठौर, खड़कुई, 4.00 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	40000	50	2000000	25000	18750
38	झाबुआ	MP199172021A1552700/09/07/2021, नीलेश कटारा, पारा, 0.960 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	2400	50	120000	1500	1125
39	झाबुआ	MP199172021A1623676/26/07/2021, बाबूसिंह कटारा, नवपाड़ा, 0.90 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	7260	50	363000	4538	3404
40	झाबुआ	MP199172022A11093622/03/11/2022, अनट्रा माइंस एंड मिनरल्स, मानपुर, 4.00 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	30000	50	1500000	18750	14063
41	झाबुआ	MP199172022A1477792/09/05/2022, रविन्द्र पडवाल, सटर, 1.80 हेक्टेयर	मरुम	18000	50	900000	11250	8438
42	झाबुआ	MP199172022A11242654/14/12/2022, प्रज्ञा नायक, मोराझारी, 2.50 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	16800	50	840000	10500	7875
43	झाबुआ	MP199172023A11474866/13/02/2023, रघुनंदन सिंह भदौरिया, झकेला, 0.90 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	1200	50	60000	750	563
44	झाबुआ	MP199172022A1822968/05/08/2022, लता मेरावत, भीमफलिया, 1.61 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	24300	50	1215000	15188	11391
45	झाबुआ	MP199172022A1521589/20/05/2022, लाखन सिंह सोलंकी, भेसागुवाड़ा, 2.00 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	28500	50	1425000	17813	13360
46	झाबुआ	MP199172022A1812278/03/08/2022, मैसर्स विनायक एंटरप्राइज, गजेंद्र सिंह चौहान, पीलिया, 1.25 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	5052	50	252600	3158	2369
47	झाबुआ	MP199172023A11474886 /13/02/2023, अंकित गुप्ता, पीपलदेहला, 2.00 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	8400	50	420000	5250	3938

क्र सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव का नाम जहां पट्टा स्थित है/खसरा संख्या)/क्षेत्र	ओवरबर्डन (घन मीटर) के रूप में उपलब्ध खनिज का नाम	अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ओवरबर्डन की मात्रा (घन मीटर में)	रॉयल्टी की दर/घन मीटर	प्रत्याशित रॉयल्टी देय	देय मुद्रांक शुल्क. मुद्रांक शुल्क.=कॉलम "7" का 1.25%	पंजीयन शुल्क =कॉलम "8" का 75%
1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9
48	धार	MP119002021A11044363/10/12/2021, अशोक जायसवाल, उपदी, 2.00 हेक्टेयर	मरुम	5325	50	266250	3328	2496
49	धार	MP119002021A1383797/25/05/2021, सौरभ गौराना, तालनपुर, 1.00 हेक्टेयर	ओबी	10060	50	503000	6288	4716
50	धार	MP119002022A1220220/03/03/2022, मोनिका कामेदेया, कंजारोटा, 2.80 हेक्टेयर	मरुम	109596	50	5479800	68498	51374
51	धार	MP119002021A1382323/24/05/2021, मुन्नालाल पुरोहित, राजोद, 4.00 हेक्टेयर	मरुम	12000	50	600000	7500	5625
52	धार	MP119002021A1495854/28/06/2021, अनूप कौशल, अमझेरा, 2.00 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	12480	50	624000	7800	5850
53	धार	MP119002021A1480543/24/06/2021, त्रिलोक चंद्र जायसवाल, पनवा, 3.00 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	12927	50	646350	8079	6059
54	धार	MP119002022A1186496/23/02/2022, मेसर्स बी आर स्टोन क्रशर, खंडवा, 4.00 हेक्टेयर	मरुम	19781	50	989050	12363	9272
55	धार	MP119002021A1660712/04/08/2021, राजकुमार भट्ट, सुल्तानपुर, 2.00 हेक्टेयर	मरुम	47355	50	2367750	29597	22198
56	धार	MP119002021A1656307/03/08/2021, महेंद्र व्यास, मोरगाँव, 2.00 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	12000	50	600000	7500	5625
57	धार	MP119002021A1386198/27/05/2021, श्री श्याम इंफ्रा टेक, सलकनपुर, 2.00 हेक्टेयर	मरुम	31400	50	1570000	19625	14719
58	धार	MP119002022A1081778/25/01/2022, - कुलदीप चौधरी, कल्याणसिखेड़ी, 4.00 हेक्टेयर	मरुम	71095	50	3554750	44434	33326
59	धार	MP119002021A1699711/16/08/2021, कृष्णा स्टोन क्रशर, रानीपुरा, 2.00 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	3600	50	180000	2250	1688
60	धार	MP119002021A1526374/02/07/2021, मैसर्स बी आर स्टोन क्रशर, कल्याणसी खेड़ी,4.00 हेक्टेयर, खसरा-162 (पेकी)	मरुम	21302	50	1065100	13314	9986

क्र सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव का नाम जहां पट्टा स्थित है/खसरा संख्या)/क्षेत्र	ओवरबर्डन (घन मीटर) के रूप में उपलब्ध खनिज का नाम	अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ओवरबर्डन की मात्रा (घन मीटर में)	रॉयल्टी की दर/घन मीटर	प्रत्याशित रॉयल्टी देय	देय मुद्रांक शुल्क. मुद्रांक शुल्क.=कॉलम "7" का 1.25%	पंजीयन शुल्क =कॉलम "8" का 75%
1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9
61	धार	MP119002021A 11049561/13/12/2021, मेसर्स बी आर स्टोन क्रशर, खेड़ी, 4.00 हेक्टेयर, खसरा-162	मरुम	16609	50	830450	10381	7786
62	धार	MP119002021A1525895/02/07/2021, मैसर्स बी आर स्टोन क्रशर, कल्याणसी खेड़ी, 4.00 हेक्टेयर, खसरा-162 (पेकी)	मरुम	8662	50	433100	5414	4061
63	धार	MP119002021A1405205/04/06/2021, मनबहादुर सिंह (अग्रवाल स्टोन क्रशर द्वारा स्थानांतरित), सलकनपुर, 2.00 हेक्टेयर	मरुम	14770	50	738500	9231	6923
64	धार	MP119002021A11101460/28/12/2021, आकाश सिंह राठौड़ (मन्नालाल पुरोहित द्वारा स्थानांतरित), राजोद, 4.00 हेक्टेयर	मरुम	12000	50	600000	7500	5625
65	धार	MP119002021A1783044/14/09/2021, मनबहादुर सिंह (मेसर्स अग्रवाल स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्रीज द्वारा स्थानांतरित), सलकनपुर, 1.313 हेक्टेयर	ओबी	8390	50	419500	5244	3933
66	धार	MP119002022A1788658/27/07/2022, अमजद खान, (आभा मौर्या द्वारा स्थानांतरित), खंडवा, 4.00 हेक्टेयर	ओबी	18000	50	900000	11250	8438
67	धार	MP119002022A1969206/22/09/2022, धनलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स, (आशा जयसवाल द्वारा स्थानांतरित), खराजुन्नी, 2.00m हेक्टेयर	ओबी	6672	50	333600	4170	3128
68	धार	MP119002023A11328406/05/01/2023, कामरान खान, निमोला, 4.00 हेक्टेयर	ओबी	140951	50	7047550	88094	66071
69	धार	MP119002022A1796810/29/07/2022, लक्ष्मी स्टोन क्रशर एवं माइंस, (लखन मौर्य द्वारा स्थानांतरित), रहमानपुर, 2.00 हेक्टेयर	ओबी	7500	50	375000	4688	3516
70	धार	MP119002022A1822248/05/08/2022, मकसूद अली, मनावर, 2.00 हेक्टेयर	ओबी	10392	50	519600	6495	4871

क्र सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव का नाम जहां पट्टा स्थित है/खसरा संख्या)/क्षेत्र	ओवरबर्डन (घन मीटर) के रूप में उपलब्ध खनिज का नाम	अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ओवरबर्डन की मात्रा (घन मीटर में)	रॉयल्टी की दर/घन मीटर	प्रत्याशित रॉयल्टी देय	देय मुद्रांक शुल्क. मुद्रांक शुल्क.=कॉलम "7" का 1.25%	पंजीयन शुल्क =कॉलम "8" का 75%
1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9
71	धार	MP119002022A 11193844/30/11/2022, मुकेश पाटीदार, ताना, 2.00 हेक्टेयर	ओबी	8000	50	400000	5000	3750
72	धार	MP119002022A1804037/29/07/2022, निरंजन डावर, पिपल्या, 4.00 हेक्टेयर	ओबी	45000	50	2250000	28125	21094
73	धार	MP119002022A11193827/30/11/2022, पवन चौधरी, देहरी, 2.00 हेक्टेयर	ओबी	6000	50	300000	3750	2813
74	धार	MP119002022A1650496/17/06/2022, राकेश अग्रवाल (रमा भील, खंडवा द्वारा स्थानांतरित, 4.00 हेक्टेयर	ओबी	24000	50	1200000	15000	11250
75	धार	MP119002023A11527301/27/02/2023, यज्ञ जाट, खरेली, 2.00 हेक्टेयर	ओबी	72811	50	3640550	45507	34130
76	धार	MP119002021A1054617/18/01/2021, शाहनवाज खान, खंडवा, 1.750 हेक्टेयर	मरुम	55691	50	2784550	34807	26105
77	धार	MP119002021A1027344/08/01/2021, राहुल झानिया, मिन्यापुरा, 2.50 हेक्टेयर	मरुम	8928	50	446400	5580	4185
78	धार	MP119002021A1096331/29/01/2021, सुरेश छाड़ोदी, खंडवा, 3.00 हेक्टेयर	मरुम	100006	50	5000300	62504	46878
79	धार	MP119002021A1272431/17/03/2021, आशीष रघुवंशी (सिंह), जमोदी, 1.750 हेक्टेयर	मरुम	59299	50	2964950	37062	27797
80	धार	MP119002021A1020296/06/01/2021, श्री राम स्टोन क्रशर आली, सुसारी, 1.00 हेक्टेयर	अपक्षयित बेसाल्ट	11312	50	565600	7070	5303
81	धार	MP119002021A1096409/29/01/2021, माही स्टोन क्रशर एवं माइंस, धोत्रया, 2.00 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	12000	50	600000	7500	5625
82	धार	MP119002020A1875837/24/12/2020 दिलीप रघुवंशी, दादुर, 2.95 हेक्टेयर	मरुम	57625	50	2881250	36016	27012
83	धार	MP119002020A1797319/28/11/2020, हेमंत शर्मा, खेड़ा, 3.00 हेक्टेयर	मरुम	14060	50	703000	8788	6591

क्र सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव का नाम जहां पट्टा स्थित है/खसरा संख्या)/क्षेत्र	ओवरबर्डन (घन मीटर) के रूप में उपलब्ध खनिज का नाम	अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ओवरबर्डन की मात्रा (घन मीटर में)	रॉयल्टी की दर/घन मीटर	प्रत्याशित रॉयल्टी देय	देय मुद्रांक शुल्क. मुद्रांक शुल्क.=कॉलम "7" का 1.25%	पंजीयन शुल्क =कॉलम "8" का 75%
1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9
84	धार	MP119002020A1875838/24/12/2020, बाबा स्टोन क्रशर, पासावाड़ा, 2.00 हेक्टेयर	मरुम	28985	50	1449250	18116	13587
85	धार	MP119062020A1791733/27/11/2020 मुक्ता सिंह, (दिलीप शर्मा द्वारा स्थानांतरित), झराखेड़ा, 4.00 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	20000	50	1000000	12500	9375
86	धार	MP119062021A1177736/19/02/2021, मुक्ता सिंह (रमित जैन, मांगलिया द्वारा स्थानांतरित, 2.00 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	6000	50	300000	3750	2813
87	धार	MP119002021A1016165/06/01/2021 विजय बहादुर सिंह (करुणा जैन द्वारा स्थानांतरित), बरकछा, 1.50 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	25000	50	1250000	15625	11719
88	सिंगरौली	MP508452022A1039580/13/01/2022, अमित द्विवेदी, उखरावल, 3.00 हेक्टेयर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	10000	50	500000	6250	4688
89	सिंगरौली	MP508452021A1696708/13/08/2021, संजीव कुमार सिंह, सिंगरावल, 3.55 हेक्टेयर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	10000	50	500000	6250	4688
90	सिंगरौली	MP508452022A1260537/11/03/2021, देवेन्द्र कुमार चौबे, भरसेड़ी, 1.210 हेक्टेयर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	8000	50	400000	5000	3750
91	सिंगरौली	MP508462021A1921444/30/10/2021 मेसर्स शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन, कथेरी, 4.00 ha खसरा 1309,1314	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	10000	50	500000	6250	4688
92	सिंगरौली	MP508462021A1921467/30/10/2021, मेसर्स शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन, कथेरी, 4.00 हेक्टेयर, खसरा-1382	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	10000	50	500000	6250	4688
93	सिंगरौली	MP508462021A1921455/30/10/2021 मेसर्स शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन, कथेरी, 2.58 हेक्टेयर , खसरा-1308, 1310	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	10000	50	500000	6250	4688

क्र सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव का नाम जहां पट्टा स्थित है/खसरा संख्या)/क्षेत्र	ओवरबर्डन (घन मीटर) के रूप में उपलब्ध खनिज का नाम	अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ओवरबर्डन की मात्रा (घन मीटर में)	रॉयल्टी की दर/घन मीटर	प्रत्याशित रॉयल्टी देय	देय मुद्रांक शुल्क. मुद्रांक शुल्क.=कॉलम "7" का 1.25%	पंजीयन शुल्क =कॉलम "8" का 75%
1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9
94	सिंगरौली	MP508462021A1921436/30/10/2021, मेसर्स शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन, कथेरी, 4.00 हेक्टेयर, खसरा-1307	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	10000	50	500000	6250	4688
95	सिंगरौली	MP508452022A1152488/14/02/2022, जय माँ धनुजा स्टोन क्रशर, झारा, 2.00 हेक्टेयर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	10000	50	500000	6250	4688
96	सिंगरौली	MP508452021A1497501/29/06/2021, सुभाष बंसल, बसौदा, 3.620 हेक्टेयर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	10000	50	500000	6250	4688
97	सिंगरौली	MP508452021A1701390/17/08/2021, सुनील कुमार सिंह, मकरोहर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	10000	50	500000	6250	4688
98	सिंगरौली	MP508452021A1497497/29/06/2021, सुशील कुमार बंसल, भाऊखंड, 2.90 हेक्टेयर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	10000	50	500000	6250	4688
99	सिंगरौली	MP508472021A1882168/21/10/2021, अर्चना सिंह, बड़कुड़, 2.60 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	9000	50	450000	5625	4219
100	सिंगरौली	MP508452022A1240829/08/03/2022, आशीष कुमार तिवारी, झारा, 1.25 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	10000	50	500000	6250	4688
101	सिंगरौली	MP508462021A1668215/05/08/2021, अवंतिका ग्रुप, बंजारी, 2.00 हेक्टेयर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	19000	50	950000	11875	8906
102	सिंगरौली	MP508472021A1783060/14/09/2021, ध्रुवेन्द्र नाथ चतुर्वेदी, पिपरावां, 2.75 हेक्टेयर	ओबी	8000	50	400000	5000	3750
103	सिंगरौली	MP508452021A 11091488/24/12/2021, ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर, गडरिया, 3.16 हेक्टेयर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	10000	50	500000	6250	4688
104	सिंगरौली	MP508452021A1768585/09/09/2021, के. एन इंटरनेशनल लिमिटेड, फुलवारी, 1.02 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	7000	50	350000	4375	3281
105	सिंगरौली	MP508452021A1696706/13/08/2021, महेंद्र कुमार बैस, थियारा, 4.00 हेक्टेयर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	9500	50	475000	5938	4454
106	सिंगरौली	MP508472021A1882192/21/10/2021, नागेन्द्र प्रताप सिंह, बड़ाकुड, 4.00 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	9000	50	450000	5625	4219

क्र सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव का नाम जहां पट्टा स्थित है/खसरा संख्या)/क्षेत्र	ओवरबर्डन (घन मीटर) के रूप में उपलब्ध खनिज का नाम	अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ओवरबर्डन की मात्रा (घन मीटर में)	रॉयल्टी की दर/घन मीटर	प्रत्याशित रॉयल्टी देय	देय मुद्रांक शुल्क. मुद्रांक शुल्क.=कॉलम "7" का 1.25%	पंजीयन शुल्क =कॉलम "8" का 75%
1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9
107	सिंगरौली	MP508452021A1344783/08/04/2021, सदन प्रसाद जायसवाल, झारा, 2.00 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	10000	50	500000	6250	4688
108	सिंगरौली	MP508452022A1271108/15/03/2022, मेसर्स सरस्वती स्टोन क्रशर, गड़िहार, 0.65 हेक्टेयर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	5000	50	250000	3125	2344
109	सिंगरौली	MP508452022A1123690/05/02/2021, श्यामलाल जायसवाल, झारा, 4.00 हेक्टेयर खसरा 3130 पार्ट	ओबी/मरुम	24000	50	1200000	15000	11250
110	सिंगरौली	MP508452022A1344770/08/04/2021, श्यामलाल जायसवाल, झारा, 2.00 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	15000	50	750000	9375	7031
111	सिंगरौली	MP508472021A1469159/23/06/2021, मेसर्स नारायण एसोसिएट्स, पिपरावां, 1.25 हेक्टेयर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	4000	50	200000	2500	1875
112	सिंगरौली	MP508452021A1366916/27/04/2021, विशाखा जालान चौरसिया/मयंक शर्मा, झगरौहा, 1.40 हेक्टेयर	ओबी	10529	50	526450	6581	4936
113	सिंगरौली	MP508452021A1332904/01/04/2021, मेसर्स टेक्नोब्लास्ट माइनिंग कॉर्पोरेशन, गडरिया, 1.51 हेक्टेयर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	6000	50	300000	3750	2813
114	सिंगरौली	MP508452021A1001284/01/01/2021, कालिंदी सिंह, पिपरावन, 2,00 हेक्टेयर	ओबी	5000	50	250000	3125	2344
115	सिंगरौली	MP508452020A1226030/19/05/2020, शंकर प्रसाद बैस, फुलवारी, 1.20 हेक्टेयर	ओबी /मरुम	5000	50	250000	3125	2344
116	सिंगरौली	MP508452021A1183673/23/02/2021, सर्वेश्वरी माइंस, सेमरिया, 1.67 हेक्टेयर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	7500	50	375000	4688	3516
117	सिंगरौली	MP508452020A1238626/28/05/2020, सर्वेश्वरी माइंस, सेमरिया, 3.07 हेक्टेयर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	5000	50	250000	3125	2344
118	सिंगरौली	MP508472020A1423290/23/07/2020, मेसर्स इशिता बिल्डकॉन, धोराजकला, 3.95 हेक्टेयर	ओबी	15000	50	750000	9375	7031

क्र सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव का नाम जहां पट्टा स्थित है/खसरा संख्या)/क्षेत्र	ओवरबर्डन (घन मीटर) के रूप में उपलब्ध खनिज का नाम	अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ओवरबर्डन की मात्रा (घन मीटर में)	रॉयल्टी की दर/घन मीटर	प्रत्याशित रॉयल्टी देय	देय मुद्रांक शुल्क. मुद्रांक शुल्क.=कॉलम "7" का 1.25%	पंजीयन शुल्क =कॉलम "8" का 75%
1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9
119	सिंगरौली	MP508462021A1228060/05/03/2021, मेसर्स बी के इंजीनियरिंग वर्क्स, बंजारी, 2.15 हेक्टेयर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	15000	50	750000	9375	7031
120	सिंगरौली	MP508452021A1311183/26/03/2021, मेघनाथ बैस, मुड़वानिया, 2.12 हेक्टेयर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	6000	50	300000	3750	2813
121	सिंगरौली	MP508472020A1410555/20/07/2020, पंकज कुमार शर्मा, पिपरावां, 2.02 हेक्टेयर	ओबी	5000	50	250000	3125	2344
122	सिंगरौली	MP508452020A1552689/07/09/2020, शशांक मिश्रा, जोगियानी,1.83 हेक्टेयर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	5000	50	250000	3125	2344
123	सिंगरौली	MP508452020A1837383/14/12/2020, राकेश कुमार गोयल, जोगियानी, 1.10 हेक्टेयर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	2000	50	100000	1250	938
124	सिंगरौली	MP508452021A1100272/30/01/2021, मेसर्स शिवम कंस्ट्रक्शन कंपनी, करामी, 1.35 हेक्टेयर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	8000	50	400000	5000	3750
125	सिंगरौली	MP508472020A1879093/24/12/2020, मेसर्स विंध्य माइनिंग वर्क्स, गांगी, 2.00 हेक्टेयर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	5000	50	250000	3125	2344
126	सिंगरौली	MP508452020A1477449/14/08/2020, जगबली बैस, सिद्दिकला, 2.21 हेक्टेयर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	9500	50	475000	5938	4454
127	सिंगरौली	MP508452022A1860537/23/08/2022, राज कुमार सिंह, भरसेड़ी, 4.00 हेक्टेयर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	8000	50	400000	5000	3750
128	सिंगरौली	MP508452022A1491000/12/05/2022, मेसर्स जायसवाल स्टोन क्रशर, जालहटानी, 1.85 हेक्टेयर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	10000	50	500000	6250	4688
129	सिंगरौली	MP508452022A11264479/21/12/2022, अमित द्विवेदी, उखरावल, 3.00 हेक्टेयर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	6000	50	300000	3750	2813
130	सिंगरौली	MP508452022A1768179/21/07/2022, मेसर्स गिरिराज स्टोन क्रशर, पोंडी, 3.00 हेक्टेयर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	10000	50	500000	6250	4688
131	सिंगरौली	MP508452022A1859412/23/08/2022, उदित इंफ्रावर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, गडरिया, 1.86 हेक्टेयर	ओबी मिट्टी / मरुम	12250	50	612500	7656	5742
132	सिंगरौली	MP508452022A1444475/28/04/2022, सर्वेश्वरी माइंस, सेमरिया, 1.34 हेक्टेयर	लैटेराइट मिट्टी ओवरबर्डन	10000	50	500000	6250	4688

क्र सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव का नाम जहां पट्टा स्थित है/खसरा संख्या)/क्षेत्र	ओवरबर्डन (घन मीटर) के रूप में उपलब्ध खनिज का नाम	अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ओवरबर्डन की मात्रा (घन मीटर में)	रॉयल्टी की दर/घन मीटर	प्रत्याशित रॉयल्टी देय	देय मुद्रांक शुल्क. मुद्रांक शुल्क.=कॉलम "7" का 1.25%	पंजीयन शुल्क =कॉलम "8" का 75%
1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9
133	छिंदवाड़ा	MP078202021A1033947/11/01/2021, प्रवीण सूर्यवंशी, इटावा, 1.00 हेक्टेयर	मरुम	6060	50	303000	3788	2841
134	छिंदवाड़ा	MP078202021A1063317/20/01/2021, रोहित कैथवास, सियाल घोगरी, 1.00 हेक्टेयर	ओबी	14614	50	730700	9134	6851
135	छिंदवाड़ा	MP078202020A1621489/30/09/2020, मेसर्स शिवदर्शन कंस्ट्रक्शन, वनगाँव, 1.73 हेक्टेयर	मरुम	2700	50	135000	1688	1266
136	छिंदवाड़ा	MP078202021A1033883/11/01/2021, जयप्रकाश साहू, गरादेही, 1.00 हेक्टेयर	मरुम	11241	50	562050	7026	5270
137	छिंदवाड़ा	MP078202020A1556935/08/09/2020, राजेश बत्रा, खड़ुआ, 2.00 हेक्टेयर	मिट्टी /मरुम	14630	50	731500	9144	6858
138	छिंदवाड़ा	MP078202020A1621542/30/09/2020, - जगदीश त्रिवेदी, हिवारासेन्दवार, 1.813 हेक्टेयर	मरुम	11200	50	560000	7000	5250
139	छिंदवाड़ा	MP078202021A1216402/02/03/2021 धीरज शाह, सिरागौरा, 1.00 हेक्टेयर	ओबी	3747	50	187350	2342	1757
140	छिंदवाड़ा	MP078202020A1511250/25/08/2020, मेसर्स सिकरवार माइनिंग एंड मिनरल्स, खुनाझिर खुर्द, 1.00 हेक्टेयर, खसरा- 545/1	मरुम	6945	50	347250	4341	3256
141	छिंदवाड़ा	MP078202021A1034018/11/01/2021 मेसर्स सिकरवार माइनिंग एंड मिनरल्स, खुनाझिर खुर्द, 1.00 हेक्टेयर, खसरा-500,543/4	मरुम	6454	50	322700	4034	3026
142	छिंदवाड़ा	MP078202021A1266319/16/03/2021 विनोद कुमार साहू, मोहाली भारत, 0.80 हेक्टेयर	मरुम	3185	50	159250	1991	1493
143	छिंदवाड़ा	MP078202020A1534332/01/09/2020, रामनिवास कुशवाह, सजाकुही, 2.00 हेक्टेयर	मरुम	10510	50	525500	6569	4927
144	छिंदवाड़ा	MP078202020A11319566/ 03/01/2023 अपूर्व शर्मा, गरादेही, 1.00 हेक्टेयर	मरुम	4736	50	236800	2960	2220
145	छिंदवाड़ा	MP078202021A1994438/26/11/2021 महेंद्र सिंह सलूजा, भौराखापा, 1.00 हेक्टेयर	ओबी	5262	50	263100	3289	2467

क्र सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव का नाम जहां पट्टा स्थित है/खसरा संख्या)/क्षेत्र	ओवरबर्डन (घन मीटर) के रूप में उपलब्ध खनिज का नाम	अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ओवरबर्डन की मात्रा (घन मीटर में)	रॉयल्टी की दर/घन मीटर	प्रत्याशित रॉयल्टी देय	देय मुद्रांक शुल्क. मुद्रांक शुल्क.=कॉलम "7" का 1.25%	पंजीयन शुल्क =कॉलम "8" का 75%
1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9
146	छिंदवाड़ा	MP078202021A1893078/22/10/2021 रचना जैन, चिचोलीबाद, 2.00 हेक्टेयर	ओबी	9726	50	486300	6079	4559
147	छिंदवाड़ा	MP078202021A1892490/22/10/2021 राजेश बत्रा, अलीवाड़ा, 0.90 हेक्टेयर	ओबी	2438	50	121900	1524	1143
148	राजगढ़	MP309852020A1561364/09/09/2020, कन्हेयालाल तंवर, भगवतीपुर, 1.00 हेक्टेयर	मरुम	5660	50	283000	3538	2654
149	राजगढ़	MP309852020A1538471/02/09/2020, सुनील कुमार झा, पिल्लूखेड़ी, 1.00 हेक्टेयर	मरुम	7700	50	385000	4813	3610
150	राजगढ़	MP309852022A1250704/09/03/2022, अंकेश नगर, बांसखेड़ा, 3.00 हेक्टेयर	मरुम	17874	50	893700	11171	8378
151	राजगढ़	MP309852021A1060860/19/01/2021, कालूराम डांगी, सनखेड़ी, 1.00 हेक्टेयर	मरुम	6356	50	317800	3973	2980
152	राजगढ़	MP309852021A1509806/30/06/2021, जयराज सिंह, हरिपुर, 1.00 हेक्टेयर	मिट्टी/मरुम	3305	50	165250	2066	1550
153	छतरपुर	MP06432021A155200/15/02/2021, विकास मुखरिया, बरखेड़ी, 1.70 हेक्टेयर	मरुम	15960	50	798000	9975	7481
154	सिवनी	MP368082020A1647689/09/10/2020, सरला बघेल, डुंगरिया, 4.00 हेक्टेयर	मरुम	4000	50	200000	2500	1875
155	ग्वालियर	MP142602022A1567823/30/05/2022, निसार खान, डबका, 1.00 हेक्टेयर	ओबी के रूप में फ्लैगस्टोन (जिसका उपयोग फर्श और स्लैब के लिए नहीं किया जाता है)	6264	120	751680	9396	7047
156	ग्वालियर	MP142602021A1307139/26/03/2021, सीमा शर्मा, सिमरिया टंका, 1.871 हेक्टेयर	बोल्डर (149680) + ओबी/मरुम (3650)	153330	50	7666500	95831	71873
157	ग्वालियर	MP142582020A1881061/24/12/2020, अमरनाथ शर्मा, बिलौआ, 7.818 हेक्टेयर	एम-रेत ओबी	339525	50	16976250	212203	159152
158	ग्वालियर	MP142592020A1504296/22/08/2020, गिर्राज सिंह परमार, पारसेन, 3.66 हेक्टेयर	मरुम	217157	50	10857850	135723	101792

क्र सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव का नाम जहां पट्टा स्थित है/खसरा संख्या)/क्षेत्र	ओवरबर्डन (घन मीटर) के रूप में उपलब्ध खनिज का नाम	अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ओवरबर्डन की मात्रा (घन मीटर में)	रॉयल्टी की दर/घन मीटर	प्रत्याशित रॉयल्टी देय	देय मुद्रांक शुल्क. मुद्रांक शुल्क.=कॉलम "7" का 1.25%	पंजीयन शुल्क =कॉलम "8" का 75%
1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9
159	बैतूल	MP039742021A1358550/15/04/2021, विजय केवाडकर, बरखेड, 1.00 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	11130	50	556500	6956	5217
160	बैतूल	MP039742021A1808518/21/09/2021, महेश सरोदे, चांदोराखुर्द,1.00 हेक्टेयर	मरुम	10752	50	537600	6720	5040
161	बैतूल	MP039742021A1549532/08/07/2021, अमित चांडक, बनखेड़ी, 2.00 हेक्टेयर	मरुम	18236	50	911800	11398	8549
162	बैतूल	MP039742023A11670691/30/03/2023, प्रेम लता अग्रवाल, मालेगाँव, 1.522 हेक्टेयर	मरुम	5896	50	294800	3685	2764
163	बैतूल	MP039742022A11273012/21/12/2022, देवराज बोबन, चारघाटी, 1.00 हेक्टेयर	मरुम	2745	50	137250	1716	1287
164	बैतूल	MP039742023A11662316/29/03/2023, देवेन्द्र इंगले, अबादरा, 2.00 हेक्टेयर	मरुम	20250	50	1012500	12656	9492
165	बैतूल	MP039742023A11560277/06/03/2023, पूर्वांश तिवारी, जूनावाणी, 1.00 हेक्टेयर	मरुम	8255	50	412750	5159	3869
166	बैतूल	MP039742023A11534400/01/03/23, शैलेश पनकर, जगधार, 1.651 हेक्टेयर	मरुम	18120	50	906000	11325	8494
167	बैतूल	MP039742023A11595160/16/03/2023, विजय रघुवंशी, गेहुंरास, 1.95 हेक्टेयर	मिट्टी/मरुम	15306	50	765300	9566	7175
168	बैतूल	MP039742023A11415755/30/01/2023, मीरा बाई बोडखे, हरदोली, 1.00 हेक्टेयर	मरुम	10950	50	547500	6844	5133
169	जबलपुर	MP182542021A1230945/05/03/2021, वैभव कुमार जैन, भाका देवरी, 1.82 हेक्टेयर	मरुम	31546	50	1577300	19716	14787
170	खरगोन	MP229302020A1606964/26/09/2020, जे.पी. ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन, महुमनदली, 1.983 हेक्टेयर	मरुम	29195	50	1459750	18247	13685
171	खरगोन	MP229302020A1272767/17/03/2021, प्रथ्वीराज सिंह सोलंकी, साधुपुरा, 2.00 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	8500	50	425000	5313	3985
172	खरगोन	MP229302020A1272730/17/03/2021, चंदा स्टोन क्रशर, रोडिया, 2.00 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	1684	50	84200	1053	790

क्र सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव का नाम जहां पट्टा स्थित है/खसरा संख्या)/क्षेत्र	ओवरबर्डन (घन मीटर) के रूप में उपलब्ध खनिज का नाम	अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ओवरबर्डन की मात्रा (घन मीटर में)	रॉयल्टी की दर/घन मीटर	प्रत्याशित रॉयल्टी देय	देय मुद्रांक शुल्क. मुद्रांक शुल्क.=कॉलम "7" का 1.25%	पंजीयन शुल्क =कॉलम "8" का 75%
1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9
173	खरगोन	MP229302020A1671974/06/08/2021, कैरा कंस्ट्रक्शन, अकवाल्या, 4.00 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	17632	50	881600	11020	8265
174	खरगोन	MP229302020A1122497/05/02/2021, आनंद जायसवाल, श्यामलीपुरा, 1.00 हेक्टेयर	ओबी/मरुम	5200	50	260000	3250	2438
175	खरगोन	MP229302020A11037688/09/12/2021, विमल डांगी, मुख्तयारा, 1.00 हेक्टेयर	ओबी	9019	50	450950	5637	4228
12 जिला खनिज अधिकारी के अंतर्गत 175 मामलों में देय प्रत्याशित रॉयल्टी, मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क का कुल योग						**31,62,33,180**	**39,52,915**	**29,64,686**
प्रत्याशित रॉयल्टी पर देय कुल मुद्रांक शुल्क और पंजीकरण शुल्क							**69,17,601**	

परिशिष्ट -3.4

(कंडिका 3.1.4.5 में संदर्भित)

खनिजों की बढ़ी हुई मात्रा के लिए पूरक समझौते के गैर-निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क का नुकसान हुआ

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण संख्या और पट्टे की तारीख	पट्टे की अवधि	संशोधित खनन योजना की स्वीकृति तिथि	खनिज का नाम	मूल खनन योजना के अनुसार खनिज की औसत वार्षिक मात्रा	संशोधित खनन योजना के अनुसार खनिज की औसत वार्षिक मात्रा	वार्षिक औसत मात्रा में अंतर (घन मीटर/टन में)	शेष पट्टा अवधि (वर्ष में)	रॉयल्टी की दर	शेष पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी में अंतर	मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क और उपकर की अल्प वसूली प्रमुख खनिज के प्रकरण में मुद्रांक शुल्क @ 2% और गौण खनिज के प्रकरण में 1.25%, पंजीयन शुल्क@ एसडी का 75% एसडी का 10% उपकर जहां पट्टा अवधि 30 या उससे अधिक वर्ष है			
												मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	उपकर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (8-7)	10	11	12	13	14	15	16
01	बालाघाट	MP011672021A1181757/22/02/2021, मेसर्स अनुराग मिनरल्स, 2.955 हेक्टेयर	23/02/2001 to 22/02/2021 23/02/2021 to 22/02/2051 (extended period)	24/01/2023	डोलोमाइट (गौण)	7375	47085	39710	28	100	111188000	1389850	1042388	138985	2571223
02	छतरपुर	MP06432020A1868622/ 22/12/2020, मेसर्स जटाशंकर मिनरल्स, 3.95 हेक्टेयर	02/11/2020 to 01/11/2030	29/06/2021	गिट्टी (गौण)	28000	198067	170067	09	120	183672360	2295905	1721929	0	4017834

क्र.सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण संख्या और पट्टे की तारीख	पट्टे की अवधि	संशोधित खनन योजना की स्वीकृति तिथि	खनिज का नाम	मूल खनन योजना के अनुसार खनिज की औसत वार्षिक मात्रा	संशोधित खनन योजना के अनुसार खनिज की औसत वार्षिक मात्रा	वार्षिक औसत मात्रा में अंतर (घन मीटर/टन में)	शेष पट्टा अवधि (वर्ष में)	रॉयल्टी की दर	शेष पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी में अंतर	मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क और उपकर की अल्प वसूली प्रमुख खनिज के प्रकरण में मुद्रांक शुल्क @ 2% और गौण खनिज के प्रकरण में 1.25%, पंजीयन शुल्क@ एसडी का 75% एसडी का 10% उपकर जहां पट्टा अवधि 30 या उससे अधिक वर्ष है			
												मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	उपकर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (8-7)	10	11	12	13	14	15	16
		MP06432021A1976930/ 23/11/2021, बन्धवेश प्रताप सिंह, 3.85 हेक्टेयर	24/01/2021 to 23/01/2031	13/12/ 2021	गिट्टी (गौण)	45405	75810	30405	09	120	32837400	410468	307851	0	718319
		MP06432021A1120999/ 04/02/2021, रुचिर जैन, 1.50 हेक्टेयर	25/03/2020 to 24/03/2030	16/02/ 2021	गिट्टी (गौण)	10000	84000	74000	09	120	79920000	999000	749250	0	1748250
03	छिंदवाड़ा	MP078202021A11040136/09/12/2021, क्वालिटी मिनरल्स, 10.00 हेक्टेयर	24/11/1999 to 09/11/2049	10/02/ 2023	डोलोमाइट (गौण)	30040	84897	54857	27	100	148113900	1851424	1388568	185142	3425134
04	ग्वालियर	MP142592021A1183033/ 22/02/2021, राम निवास शर्मा, 03.00 हेक्टेयर	23/04/2020 to 22/04/2030	26/07/ 2021	गिट्टी (गौण)	75597.20	100000	24402.80	9	120	26355024	329438	247079	0.00	576517
05	जबलपुर	MP182542017A1356075/ 28/06/2017, मेसर्स निर्मला मिनरल्स, 20.141 हेक्टेयर	06/03/1987 to 05/03/2037	29/10/ 2020	लौह अयस्क (प्रमुख)	92690	389951	297261	02	67.65 (451*15%)	40219413	804388	603291	80439	1488118

क्र.सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण संख्या और पट्टे की तारीख	पट्टे की अवधि	संशोधित खनन योजना की स्वीकृति तिथि	खनिज का नाम	मूल खनन योजना के अनुसार खनिज की औसत वार्षिक मात्रा	संशोधित खनन योजना के अनुसार खनिज की औसत वार्षिक मात्रा	वार्षिक औसत मात्रा में अंतर (घन मीटर/टन में)	शेष पट्टा अवधि (वर्ष में)	रॉयल्टी की दर	शेष पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी में अंतर	मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क और उपकर की अल्प वसूली प्रमुख खनिज के प्रकरण में मुद्रांक शुल्क @ 2% और गौण खनिज के प्रकरण में 1.25%, पंजीयन शुल्क@ एसडी का 75% एसडी का 10% उपकर जहां पट्टा अवधि 30 या उससे अधिक वर्ष है			
												मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	उपकर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (8-7)	10	11	12	13	14	15	16
				18/08/2022		389951	489801	99850	15	135.90 (906*15%)	203544225	4070885	3053164	407089	7531138
06	सतना	MP348622022A1593077/ 33/06/2022 मेसर्स मध्य प्रदेश मिनरल्स सप्लाई कंपनी (मेसर्स राकेश एजेंसीज, 15.62 हेक्टेयर)	16/12/2023 to 15/12/2053	22/03/2023	बॉक्साइट (प्रमुख)	7299.00	9964.27	2665.27	30	204 (एएसपी का 25%)	16311452	326229	244672	32623	603524
07	शहडोल	MP378582016A1534663/ 15/09/2016 शेखर मिश्रा, 4.00 हेक्टेयर , मैकी	03/09/2016 to 02/09/2026	21/05/2021	गिट्टी (गौण)	23334	43806	20472	05	120	12283200	153540	115155	0	268695
		कुल- 07 जिला खनिज अधिकारी (09 प्रकरण)									**85,44,44,974**	**1,26,31,127**	**94,73,347**	**8,44,278**	**2,29,48,752**

परिशिष्ट -3.5

(कंडिका 3.1.5.1 में संदर्भित)

समझौतों के निष्पादन न होने के कारण पट्टों को रद्द न करने का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पट्टेदार का नाम	खनिज का नाम	पट्टे की अवधि	गाँव का नाम, खसरा संख्या और पट्टे का क्षेत्रफल	पट्टे की स्वीकृति की तिथि	दिनों में विलंब (31/12/2023 तक)	संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	देय मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क
1	छतरपुर	चैतन्य गोगाजी कंस्ट्रक्शन एंड स्टोन क्रशर प्राइवेट लिमिटेड	गिट्टी (गौण)	26/03/2021 से 25/03/2031	प्रकाश बमहौरी, 2812 और 1 हेक्टेयर	16/02/2021	1049	43920000	549000 411750
		चैतन्य गोगाजी कंस्ट्रक्शन एंड स्टोन क्रशर प्राइवेट लिमिटेड	गिट्टी (गौण)	18/04/2022 से 17/04/2032	प्रकाश बमहौरी 2812 और 1.525 हेक्टेयर	16/02/2021	1049	9600000	120000 90000
		चैतन्य गोगाजी कंस्ट्रक्शन एंड स्टोन क्रशर प्राइवेट लिमिटेड	गिट्टी (गौण)	05/12/2021 से 04/12/2031	मुधारा, 1436 और 1.130 हेक्टेयर	16/02/2021	1049	6480000	81000 60750
2	सतना	श्रवण कुमार पाठक	रिजेक्टिड स्टोन (गौण)	01/10/2008 से 21/07/2029	रामस्थान, 32.374 हेक्टेयर	12/06/2020(खनन योजना अनुमोदन तिथि)	1298	78384000	979800 734850
3	शहडोल	गुरुकृपा कंस्ट्रक्शन	गिट्टी (गौण)	24/05/2021 से 28/08/2027	लखनपुर, 191/1, 2.5 हेक्टेयर .	24/05/2021	952	7532280	94154 70616
कुल- 03 जिला खनिज अधिकारी और 05 प्रकरण								**14,59,16,280**	**31,91,920**

परिशिष्ट -3.6

(कंडिका 3.1.5.2 में संदर्भित)

पट्टा समझौते के पंजीकरण में विलंब को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण संख्या और पट्टे की तारीख	पट्टे की अवधि	खनिज का नाम	पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	पट्टे की स्वीकृति की तिथि	समझौते की तिथि	पंजीकरण में विलंब (दिनों में)
1	बालाघाट	MP011672022A1448047/ 29/04/2022/ राजेश कुमार शाह / खसरा-284/0.607 हेक्टेयर	03/11/2021 से 02/11/2031	गिट्टी (गौण)	10260000	14/09/2021	16/09/2021	227
		MP011672021A1532225/ 05/07/2021/ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड /खसरा-479.90 हेक्टेयर	28/08/2013 से 27/08/2023	ताँबा (प्रमुख)	4020000000	07/06/2019	25/06/2021	759
2	छिंदवाड़ा	MP078202020A1556935/08/09/2020/ राजेश बत्रा /खसरा-59/ 2.00 हेक्टेयर	15/09/2018 से 14/09/2028	गिट्टी (गौण)	23279280	15/09/2018	07/09/2020	724
3	जबलपुर	MP182542021A1099454/30/01/2021/ अजय त्रिपाठी/खसरा-27/1.20 हेक्टेयर	10/01/2021 से 09/01/2031	गिट्टी (गौण)	21515400	17/06/2019	10/01/2021	593
		MP182542022A1383265/11/04/2022/ राकेश राय /खसरा-179/2.00 हेक्टेयर	02/01/2022 से 01/01/2032	गिट्टी (गौण)	12348000	18/10/2021	28/03/2022	175
		MP182542021A1815826/23/09/2021/ अमर मिश्रा /खसरा-294/1.19 हेक्टेयर	12/08/2021 से 11/08/2031	गिट्टी (गौण)	10333080	15/03/2021	12/08/2021	192
		MP182542022A1964778/21/09/2022/ बघेल कंस्ट्रक्शन/खसरा-574,575/ 3.55 हेक्टेयर	08/09/2022 से 07/09/2027	मरुम (गौण)	5213500	25/04/2022	08/09/2022	149
4	पन्ना	MP283052022A1831974/08/08/2022/ मेसर्स नीलम कंस्ट्रक्शन / खसरा-1703/ 0.180 हेक्टेयर	13/09/2020 से 12/09/2030	गिट्टी (गौण)	1538400	07/03/2022	06/05/2022	154
		MP283052021A1340830/06/03/2021/ परमलाल आदिवासी / खसरा-608/ 3.00 हेक्टेयर	06/03/2021 से 05/03/2031	गिट्टी (गौण)	30000000	16/06/2019	06/03/2021	666
		MP283052022A1364476/06/07/2020/ श्रीमती सबरा बानो / खसरा-15/2/1.00 हेक्टेयर	22/06/2020 से 21/06/2030	फ्लैग्स्टोन (गौण)	14112000	30/08/2019	22/06/2020	676

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पंजीकरण संख्या और पट्टे की तारीख	पट्टे की अवधि	खनिज का नाम	पट्टा अवधि के दौरान देय प्रत्याशित रॉयल्टी	पट्टे की स्वीकृति की तिथि	समझौते की तिथि	पंजीकरण में विलंब (दिनों में)
		MP283052021A11045654/10/12/2021/ मुफ़्ती मोहम्मद /खसरा-178/ 1.00 हेक्टेयर	16/11/2021 से 15/11/2031	फ्लैम्स्टोन (गौण)	7938000	31/03/2021	16/11/2021	254
		MP283052023A11546154/02/03/2023/ नरेश त्रिपाठी /खसरा-1305/2.00 हेक्टेयर	06/02/2023 से 05/02/33	गिट्टी (गौण)	18001200	02/09/2022	06/02/2023	181
		MP283052021A1135039/08/02/2021/ श्रीमती रश्मि वैध /खसरा-1084,87/3.890 हेक्टेयर	18/12/2020 से 17/12/2030	गिट्टी (गौण)	15841200	23/09/2020	18/12/2020	138
5	रीवा	MP328492021A1917532/29/10/2021/ अमित कुमार पांडे / खसरा-554/ 01.272 हेक्टेयर	07/02/2019 से 06/02/2029	गिट्टी (गौण)	15833520	23/08/2018	07/02/2019	1163
6	शहडोल	MP378582021A1855946/08/10/2021/ आशीष तिवारी /खसरा-1728/1, 13.040 हेक्टेयर	11/02/2021 से 10/02/2031	गिट्टी (गौण)	30092640	08/12/2020	10/02/2021	304
		कुल	प्रमुख (01)		4020000000	मुद्रांक शुल्क @2% पंजीयन शुल्क @ मुद्रांक शुल्क का 75% मुद्रांक शुल्क का 10% उपकर	80400000 60300000 8040000	
			गौण (14)		216306220	मुद्रांक शुल्क 1.25% पंजीयन शुल्क @ मुद्रांक शुल्क का 75%	2703828 2027871	
		कुल- छह जिला खनिज अधिकारी और 15 प्रकरण			**4,23,63,06,220**		**15,34,71,699**	

परिशिष्ट -3.7

(कंडिका 3.1.6.1 में संदर्भित)

मुद्रांक शुल्क की त्रुटिपूर्ण दर लागू होने के कारण मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क और उपकर की कम वसूली दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पट्टा दस्तावेज का पंजीकरण क्रमांक और तारीख, पट्टेदार का नाम, क्षेत्रफल	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी पर विचार किया गया	निर्धारित मुद्रांक शुल्क की दर %	% में मुद्रांक शुल्क की लागू दर	आरोपण योग्य			उद्ग्रहीत			कमी			योग
							मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	उपकर	मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	उपकर	मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	उपकर	
	1	2	3	4	5	6	7= (कॉलम "4" x % कॉलम "6" में दिखाया गया है	8= (कॉलम "7" का 75%	9= (कॉलम "7 का 10%"	10= (कॉलम "4" x % कॉलम "5" में दिखाया गया है	11 = (कॉलम "10" का 75%	12 = (कॉलम "10 " का 10%	13= (7-10)	14= (8-11)	15= (9-12)	16= (13+14+15)
1	देवास	MP108942020A1246339/01/06/2020, जावेद कुरैशी, अंबाडा, 1.00 हेक्टेयर	गिट्टी (गौण)	6738000	0.75	1.25	84225	63169	0	50535	37902	0.00	33690	25267	0.00	58957
2	धार	MP119042021A1095666/29/01/2021, सतगुरु सीमेंट प्रा. लिमिटेड, रोडाडा, 44.465 हेक्टेयर	चूना पत्थर (प्रमुख)	563104800	1.307685	2.00	11262096	8446572	1126210	7363637	5522728	736364	3898459	2923844	389846	7212149

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पट्टा दस्तावेज का पंजीकरण क्रमांक और तारीख, पट्टेदार का नाम, क्षेत्रफल	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी पर विचार किया गया	निर्धारित मुद्रांक शुल्क की दर %	% में मुद्रांक शुल्क की लागू दर	आरोपण योग्य			उद्ग्रहीत			कमी			योग
							मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	उपकर	मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	उपकर	मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	उपकर	
	1	2	3	4	5	6	7= (कॉलम "4" x % कॉलम "6" में दिखाया गया है	8= (कॉलम "7" का 75%	9= (कॉलम "7 का 10%"	10= (कॉलम "4" x % कॉलम "5" में दिखाया गया है	11 = (कॉलम "10" का 75%	12 = (कॉलम "10 " का 10%	13= (7-10)	14= (8-11)	15= (9-12)	16= (13+14+15)
3	ग्वालियर	MP1422582022A11258572/16/12/2022, मीरेन्द्र गुप्ता, बिलौआ, 2.00 हेक्टेयर	गिट्टी (गौण)	48900000	1.2395849	1.25	611250	458438	0.00	606157	454618	0.00	5093	3820	0.00	8913
4	कटनी	MP208052020A1442887/29/07/2020, एन.एम. दुबास स्टोन एंड लाइम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, विस्तारा, 17.07 हेक्टेयर	चूना पत्थर (प्रमुख)	184880000	1.25	2	3697600	2773200	369760	2311000	1733250	231100	1386600	1039950	138660	2565210
5	कटनी	MP208052021A1691964/13/08/2021, रंजन ग्रोवर, अमेहता, 18.33 हेक्टेयर	चूना पत्थर (प्रमुख)	84003920	1.25	2	1680078	1260059	168008	1050049	787537	105005	630029	472522	63003	1165554
			डोलोमाइट (31- (गौण)	25777500	1.25	1.25	322219	241664	32222	322219	241664	32222	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पट्टा दस्तावेज का पंजीकरण क्रमांक और तारीख, पट्टेदार का नाम, क्षेत्रफल	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी पर विचार किया गया	निर्धारित मुद्रांक शुल्क की दर %	% में मुद्रांक शुल्क की लागू दर	आरोपण योग्य			उद्ग्रहीत			कमी			योग
							मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	उपकर	मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	उपकर	मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	उपकर	
	1	2	3	4	5	6	7= (कॉलम "4" x % कॉलम "6" में दिखाया गया है	8= (कॉलम "7" का 75%	9= (कॉलम "7 का 10%"	10= (कॉलम "4" x % कॉलम "5" में दिखाया गया है	11 = (कॉलम "10" का 75%	12 = (कॉलम "10 " का 10%	13= (7-10)	14= (8-11)	15= (9-12)	16= (13+14+15)
6	कटनी	MP208052021A1451099/18/06/2021, योगेश खरे, रूपौंद, 1.870 हेक्टेयर	चूना पत्थर (प्रमुख)	20395040	0.75	2	407901	305926	40790	152963	114722	15297	254938	191204	25493	471635
			डोलोमाइट (31-(गौण)	18175050	0.75	1.25	227188	170391	22719	136313	102235	13631	90875	68156	9088	168119
7	कटनी	MP208052020A1441841/30/07/2020, एन.एम. डुवास स्टोन एंड लाइम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, अमेहता, 1.518 हेक्टेयर	चूना पत्थर (प्रमुख)	78008000	1.25	2	1560160	1170120	156016	975100	731325	97510	585060	438795	58506	1082361
8	कटनी	MP208052020A1442893/29/07/2020, एन. एम दुबाश स्टोन एंड लाइम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, विस्तारा, 4.57 हेक्टेयर	चूना पत्थर (प्रमुख)	99142400	1.25	2	1982848	1487136	198285	1239280	929460	123928	743568	557676	74357	1375601

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पट्टा दस्तावेज का पंजीकरण क्रमांक और तारीख, पट्टेदार का नाम, क्षेत्रफल	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी पर विचार किया गया	निर्धारित मुद्रांक शुल्क की दर %	% में मुद्रांक शुल्क की लागू दर	आरोपण योग्य			उद्ग्रहीत			कमी			योग
							मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	उपकर	मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	उपकर	मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	उपकर	
	1	2	3	4	5	6	7= (कॉलम "4" x % कॉलम "6" में दिखाया गया है	8= (कॉलम "7" का 75%	9= (कॉलम "7 का 10%"	10= (कॉलम "4" x % कॉलम "5" में दिखाया गया है	11 = (कॉलम "10" का 75%	12 = (कॉलम "10 " का 10%	13= (7-10)	14= (8-11)	15= (9-12)	16= (13+14+15)
9	कटनी	MP208052020A1442886/29/07/2020, एन.एम. दुवास स्टोन एंड लाइम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कच्छगावा, 7.42 हेक्टेयर	चूना पत्थर (प्रमुख)	67729600	1.25	2	1354592	1015944	135459	846620	634965	84662	507972	380979	50797	939748
10	कटनी	MP208052020A1241891/29/05/2020, नवाब मोहम्मद, परसवाड़ा, 1.93 हेक्टेयर	गिट्टी (गौण)	26952000	0.75	1.25	336900	252675	0.00	202140	151605	0.00	134760	101070	0.00	235830
11	कटनी	MP208052020A1282470/12/06/2020, -शारदा प्रसाद जायसवाल, पड़रेही, 2.50 हेक्टेयर	चूना पत्थर (प्रमुख)	55512000	1.25	2	1110240	832680	111024	693900	520425	69390	416340	312255	41634	770229

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पट्टा दस्तावेज का पंजीकरण क्रमांक और तारीख, पट्टेदार का नाम, क्षेत्रफल	खनिज का नाम	मुद्रांक के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी पर विचार किया गया	निर्धारित मुद्रांक शुल्क की दर %	% में मुद्रांक शुल्क की लागू दर	आरोपण योग्य			उद्ग्रहीत			कमी			योग
							मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	उपकर	मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	उपकर	मुद्रांक शुल्क	पंजीयन शुल्क	उपकर	
	1	2	3	4	5	6	7= (कॉलम "4" x % कॉलम "6" में दिखाया गया है	8= (कॉलम "7" का 75%	9= (कॉलम "7 का 10%"	10= (कॉलम "4" x % कॉलम "5" में दिखाया गया है	11 = (कॉलम "10" का 75%	12 = (कॉलम "10 " का 10%	13= (7-10)	14= (8-11)	15= (9-12)	16= (13+14+15)
12	कटनी	MP208052020A1223477/14/05/2020, राजीव/लक्ष्मी चमड़िया, मल्हान, 7.90 हेक्टेयर	डोलोमाइट & क्वार्ट्ज (31-(गौण)	71279250	0.75	1.25	890991	668243	89099	534595	400947	53460	356396	267296	35639	659331
13	राजगढ़	MP309852020A1235686/27/05/2020, मोहम्मद मकसूद खान, दंड, 1.00 हेक्टेयर	गिट्टी (गौण)	3600000	0.7502222	1.25	45000	33750	0.00	27008	20256	0.00	17992	13494	0.00	31486
		कुल- पांच जिला खनिज अधिकारी और 13 प्रकरण											**90,61,772**	**67,96,328**	**8,87,023**	**1,67,45,123**

परिशिष्ट -3.8

(कंडिका 3.1.6.2 में संदर्भित)

पट्टा पंजीकरण के दौरान उपकर न लगाए जाने का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पट्टा दस्तावेज का पंजीकरण क्रमांक और तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव का नाम, क्षेत्र	मूल पट्टा अवधि	पट्टे की विस्तार अवधि, यदि कोई हो	वर्ष में कुल पट्टा अवधि	मुद्रांक शुल्क के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी पर विचार किया गया	लगाया गया मुद्रांक शुल्क	देय उपकर (मुद्रांक शुल्क का 10%)
1	बालाघाट	MP011672021A1532225/05/07/2021, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, पिंडकेपर, 479.90 हेक्टेयर	28/08/1993 से 27/08/2013	28/08/2013 से 27/08/2023	30	4020000000.00	80400000.00	8040000.00
2	बालाघाट	MP011672022A1701809/30/06/2022, एमओआईएल (मैंगनीज अयस्क इंडिया लिमिटेड), गुदमा, 199.0673 हेक्टेयर	01/07/1962 से 30/06/2022	01/07/2022 से 30/06/2032	70	654360000.00	13087200.00	1308720.00
3	बालाघाट	MP011672022A1702515/30/06/2022, एमओआईएल, तिरोडी, 254.593 हेक्टेयर	01/07/1962 से 30/06/2022	01/07/2022 से 30/06/2032	70	625660000.00	12513200.00	1251320.00
4	बालाघाट	MP011672022A1701766/30/06/2022, एमओआईएल, भरवेली, 0.789 हेक्टेयर	01/07/1962 से 30/06/2022	01/07/2022 से 30/06/2032	70	2870000.00	57400.00	5740.00
5	बालाघाट	MP011672022A1995728/30/09/2022, ए.पी त्रिवेदी संस, रामरामा, 43.086 हेक्टेयर	01/07/2002 से 30/06/2022	01/07/2022 से 30/06/2032	30	168097996.00	3361960.00	336196.00
6	बालाघाट	MP011672022A1386405/11/04/2022, बालाघाट फेरो मैंगनीज, मिरगापुर, 8.097 हेक्टेयर	10/06/1992 से 09/06/2022	10/06/2022 से 09/06/2042	50	59506000.00	1190121.00	119012.00
7	बालाघाट	MP011672022A1701851/30/06/2022, एमओआईएल, भरवेली, 182.3004 हेक्टेयर	01/07/1962 से 30/06/2022	01/07/2022 से 30/06/2032	70	2870000000.00	57400000.00	5740000.00
8	बालाघाट	MP011672021A1099894/30/01/2021, एमओआईएल, सीतापथौर, 4.734 हेक्टेयर	01/07/1962 से 31/03/2020	01/04/2020 से 30/06/2032	70	8341668.00	166834.00	16683.00
9	बालाघाट	MP011672021A1099793/30/01/2021, एमओआईएल, तिरोडी, 37.09 हेक्टेयर	15/09/1973 से 31/03/2020	01/04/2020 से 14/09/2043	70	50039996.00	1000800.00	100080.00
10	बालाघाट	MP011672021A1131695/08/02/2021, एमओआईएल, सुकली, 79.55 हेक्टेयर	27/09/1974 से 31/03/2020	01/04/2020 से 26/09/2044	70	150120000.00	3002400.00	300240.00
11	बालाघाट	MP011672022A1701935/30/06/2022, एमओआईएल, सीतापथोरे, 43.353 हेक्टेयर	01/07/1962 से 30/06/2022	01/07/2022 से 30/06/2032	70	106760000.00	2135200.00	213520.00
12	छतरपुर	MP06432022A11096935/03/11/2022, मेसर्स एस.बी ग्रेनाइट लिमिटेड, सिलपटपुरा, 5.00 हेक्टेयर	09/11/2003 से 08/11/2023	09/11/2023 से 08/11/2043	40	138872000.00	1736025.00	173603.00

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पट्टा दस्तावेज का पंजीकरण क्रमांक और तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव का नाम, क्षेत्र	मूल पट्टा अवधि	पट्टे की विस्तार अवधि, यदि कोई हो	वर्ष में कुल पट्टा अवधि	मुद्रांक शुल्क के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी पर विचार किया गया	लगाया गया मुद्रांक शुल्क	देय उपकर (मुद्रांक शुल्क का 10%)
13	छतरपुर	MP06432021A1206891/01/03/2021, मेसर्स किसान मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, सिलपटपुरा, 22.50 हेक्टेयर	05/05/2009 से 04/05/2029	05/05/2029 से 04/05/2039	30	92870000.00	1160875.00	116088.00
14	ग्वालियर	MP142602022A1311572/ 25/03/2022, एमराल्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पनिहार, 14.70 हेक्टेयर	06/10/1982 से 05/10/2022	06/10/2022 से 05/10/2032	50	187669910.00	3753399.00	375340.00
15	ग्वालियर	MP142602022A11281110/22/12/2022, कुँवरानी अयोध्या सिंह, सतऊ, 10.718 हेक्टेयर	13/01/1982 से 12/01/2022	13/01/2022 से 12/01/2032	50	25258450.00	505169.00	50517.00
16	झाबुआ	MP199172021A1967550/18/11/2021, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, कचलदरा,37.70 हेक्टेयर	09/03/2009 से 08/03/2039	09/03/2039 से 08/03/2059	50	526346520.00	10526930.00	1052693.00
17	कटनी	MP208052021A1415209/09/06/2021, सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड), गैरतलाई, 944.89 हेक्टेयर	10/06/1971 से 09/06/2021	10/06/2021 से 09/06/2041	70	5939200000.00	74240000.00	7424000.00
18	कटनी	MP208052021A1691964/13/08/2021, रंजन ग्रोवर, अमेहता, 18.33 हेक्टेयर	06/03/1976 से 05/03/2016	06/03/2016 से 05/03/2026	50	109781420.00	1372268.00	137227.00
19	कटनी	MP208052020A1223477/14/05/2020, राजीव/लक्ष्मी चमड़िया, मल्हान, 7.90 हेक्टेयर	05/05/1979 से 04/05/2009	05/05/2009 से 04/05/2029	50	71279250.00	534595.00	53460.00
20	कटनी	MP208052021A1780053/13/09/2021, मेसर्स एस.एन.एस. मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, जमुवानीकलां, 8.584 हेक्टेयर	23/09/1975 से 22/09/2015	23/09/2015 से 22/09/2025	50	122075200.00	2441504.00	244150.00
21	कटनी	MP208052020A1874459/23/12/2020, भंवर सिंह चौहान, भारौली, 3.50 हेक्टेयर	07/02/1986 से 06/02/2026	07/02/2026 से 06/02/2036	50	555640.00	69455.00	6946.00
22	कटनी	MP208052022A1635233/14/06/2022, मेसर्स डी.ए. माइंस एंड मिनरल्स, मलहान, 3.420 हेक्टेयर	28/09/1978 से 27/09/2018	28/09/2018 से 27/09/2028	50	34995100.00	437439.00	43744.00
23	कटनी	MP208052022A1365206/31/03/2022, सेल, कुटेश्वर, 91.14 हेक्टेयर	15/05/1982 से 14/05/2022	15/05/2022 से 14/05/2032	50	47995520.00	960000.00	96000.00
24	कटनी	MP208052023A11349071/11/01/2023, मेसर्स जे. पी अग्रवाल, खदरा, 10.52 हेक्टेयर	12/05/2005 से 11/05/2025	12/05/2025 से 11/05/2035	30	250000000.00	3125000.00	312500.00
25	कटनी	MP208052022A1963817/21/09/2022, मेसर्स तेजस्विनी माइनिंग्स, छपरा, 3.910 हेक्टेयर	06/05/2002 से 05/05/2022	06/05/2022 से 05/05/2032	30	71950000.00	899375.00	89938.00
26	कटनी	MP208052022A1661143/21/06/2022, मेसर्स माइक्रो मिनरल्स, बड़ागाँव, 5.470 हेक्टेयर	07/12/2007 से 06/12/2037	07/12/2037 से 06/12/2057	50	8200000.00	126500.00	12650.00
27	कटनी	MP208052021A1989115/25/11/2021, मेसर्स एस.एन. एस मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड जमुवानीखुर्द, 4.42 हेक्टेयर	07/04/1983 से 06/04/2023	07/04/2023 से 06/04/2033	50	63547200.00	1270944.00	127094.00

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पट्टा दस्तावेज का पंजीकरण क्रमांक और तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव का नाम, क्षेत्र	मूल पट्टा अवधि	पट्टे की विस्तार अवधि, यदि कोई हो	वर्ष में कुल पट्टा अवधि	मुद्रांक शुल्क के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी पर विचार किया गया	लगाया गया मुद्रांक शुल्क	देय उपकर (मुद्रांक शुल्क का 10%)
28	कटनी	MP208052021A1953939/12/11/2021, मेसर्स एस.एन. एस मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, जमुवानीखुर्द, 7.89 हेक्टेयर	14/09/1982 से 13/09/2022	14/09/2022 से 13/09/2032	50	149687200.00	2993744.00	299374.00
29	कटनी	MP208052020A1479230/14/08/2020, सुमित्रा ग्रोवर, अमेहता, 10.01 हेक्टेयर	03/01/1987 से 02/01/2027	03/01/2027 से 02/01/2037	50	138079200.00	2761584.00	276158.00
30	कटनी	MP208052020A1482299/17/08/2020, मदनलाल ग्रोवर, कच्छगाँव, 8.30 हेक्टेयर	04/05/1982 से 03/05/2022	04/05/2022 से 03/05/2032	50	51788800.00	1035776.00	103578.00
31	कटनी	MP208052020A1442887/29/07/2020, एन.एम. दुबास स्टोन एंड लाइम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, विस्तारा, 17.07 हेक्टेयर	06/09/1980 से 05/09/2020	06/09/2020 से 05/09/2030	50	184880000.00	2311000.00	231100.00
32	कटनी	MP208052020A1441841/30/07/2020, एन.एम. दुबास स्टोन एंड लाइम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, अमेहता, 1.518 हेक्टेयर	06/03/1987 से 05/03/2017	06/03/2017 से 05/03/2037	50	78008000	975100.00	97510.00
33	कटनी	MP208052020A1442893/29/07/2020, एन.एम. दुबास स्टोन एंड लाइम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, विस्तारा, 4.57 हेक्टेयर	02/11/1977 से 01/11/2017	02/11/2017 से 01/11/2027	50	99142400	1239280.00	123928.00
34	कटनी	MP208052020A1442886/29/07/2020, एन.एम. दुबास स्टोन एंड लाइम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कछगाँव, 7.42 हेक्टेयर	06/09/1980 से 05/09/2020	06/09/2020 से 05/09/2030	50	67729600	846620.00	84662.00
35	नीमच	MP279462020A1380145/09/07/2020, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड विक्रम सीमेंट वर्क्स, नयागाँव, 564.106 हेक्टेयर	01/12/2010 से 30/11/2040	01/12/2040 से 30/11/2060	50	1593365840.00	31867317.00	3186732.00
36	सतना	MP348622021A1692759/13/08/2021, मेसर्स के.जे. एस सीमेंट लिमिटेड, बठिया, 45.888 हेक्टेयर	26/10/1991 से 25/10/2031	26/10/2031 से 25/10/2041	50	1157498880.00	23149978.00	2314998.00
37	सतना	MP348622021A1883631/21/10/2021, मेसर्स के.जे. एस सीमेंट लिमिटेड, बठिया, 8.094 हेक्टेयर	15/08/1979 से 14/08/2019	15/08/2019 से 14/08/2029	50	23880896.00	477618.00	47762.00
38	सतना	MP348622021A11086584/23/12/2021 मेसर्स के.जे. एस सीमेंट लिमिटेड, बरहिया, 7.102 हेक्टेयर	26/10/1991 से 25/10/2031	26/10/2031 से 25/10/2041	50	52280640.00	1045613.00	104561.00
39	सतना	MP348622021A11086617/23/12/2021, मेसर्स के.जे. एस सीमेंट लिमिटेड, देवरी, 23.123 हेक्टेयर	17/07/2009 से 16/07/2039	17/07/2039 से 16/07/2059	50	31418640.00	628373.00	62837.00
40	सतना	MP348622021A11077830/21/12/2021, अनुभव अग्रवाल, कथरा कोठार, 7.025 हेक्टेयर	22/01/2004 से 21/01/2034	22/01/2034 से 21/01/2054	50	12139120.00	151739.00	15174.00
41	सतना	MP348622020A1297704/18/06/2020, मेसर्स के.जे. एस सीमेंट लिमिटेड, सागमा, 93.57 हेक्टेयर	03/07/1974 से 02/07/2014	03/07/2014 से 31/03/2030	55	408684000.00	8173680.00	817368.00
42	सतना	MP348622020A1297603/18/06/2020, मेसर्स के.जे. एस सीमेंट लिमिटेड, बठिया, 10.431 हेक्टेयर	24/06/1982 से 23/06/2022	24/06/2022 से 23/06/2032	50	118593440.00	2371869.00	237187.00
43	सतना	MP348622020A1297646/18/06/2020, मेसर्स के.जे.एस सीमेंट लिमिटेड, बठिया, 18.165 हेक्टेयर	17/07/1982 से 16/07/2022	17/07/2022 से 16/02/2032	50	81459680.00	1629194.00	162919.00

क्र. सं.	जिला खनिज कार्यालय का नाम	पट्टा दस्तावेज का पंजीकरण क्रमांक और तारीख, पट्टेदार का नाम, गाँव का नाम, क्षेत्र	मूल पट्टा अवधि	पट्टे की विस्तार अवधि, यदि कोई हो	वर्ष में कुल पट्टा अवधि	मुद्रांक शुल्क के लिए प्रत्याशित रॉयल्टी पर विचार किया गया	लगाया गया मुद्रांक शुल्क	देय उपकर (मुद्रांक शुल्क का 10%)
44	सतना	MP348622020A1297741/18/06/2020, मेसर्स के.जे. एस सीमेंट लिमिटेड, बठिया, 4.290 हेक्टेयर	28/06/1983 से 27/06/2023	28/06/2023 से 27/06/2033	50	71268480.00	1425370.00	142537.00
45	सतना	MP348622020A1221338/08/05/2020, श्रवण कुमार पाठक, रामस्थान, 32.374 हेक्टेयर	22/07/1979 से 21/07/2019	22/07/2019 से 21/07/2029	50	207129600.00	1553472.00	155347.00
46	सतना	MP348622020A1819724/07/12/2020, लता सिंह, अबर, 4.253 हेक्टेयर	15/04/2015 से 01/12/2020	02/12/2020 से 14/04/2045	30	23830300.00	297879.00	29788.00
47	सतना	MP348622020A1883046/26/12/2020, मेसर्स कुंजीलाल ईश्वरीप्रसाद अग्रवाल, खोमरहा 1, 15.30 हेक्टेयर	21/07/1998 से 20/07/2028	21/07/2028 से 20/07/2048	50	5951578.00	74395.00	7440.00
48	सतना	MP348622021A1302625/24/03/2021, मेसर्स नियोगी एंड संस, लाडेरा, 16.196 हेक्टेयर	17/11/1978 से 16/11/2008	17/11/2008 से 16/11/2028	50	172229875.00	2152874.00	215287.00
49	सतना	MP348622022A1593067/03/06/2022, मेसर्स मध्य प्रदेश मिनरल्स सप्लाई कंपनी, घाटनिया, 4.792 हेक्टेयर	07/08/1985 से 06/08/2015	07/8/2015 से 06/08/2035	50	49647154.00	992944.00	99294.00
50	सतना	MP348622022A1593104 /03/06/2022, मैसर्स राकेश एजेंसीज, सिद्धकोठार, 16.187 हेक्टेयर	19/08/1978 से 18/08/2008	19/08/2008 से 18/08/2028	50	3491984.00	69839.00	6984.00
51	सतना	MP348622022A1593094/03/06/2022, मेसर्स मध्य प्रदेश मिनरल्स सप्लाई कंपनी, घाटनिया, 5.005 हेक्टेयर	06/10/1982 से 05/10/2012	06/10/2012 से 05/10/2032	50	17275307.00	345507.00	34551.00
		कुल- 51 प्रकरण और सात जिला खनिज अधिकारी				**21,20,58,12,484.00**	**36,60,45,358.00**	**3,66,04,537.00**

नोट- पट्टा अवधि 70 वर्ष खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम, 2015 के नियम 3 के अनुसार है।

परिशिष्ट 4.1

(कंडिका 4.1 में संदर्भित)

टर्नओवर का त्रुटिपूर्ण निर्धारण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम डीलर मूल्यांकन का माह	मूल्यांकन की अवधि	जीटीओ/पुस्तकों/रिकॉर्ड के अनुसार मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित जीटीओ/मात्रा	कर योग्य टर्नओवर का कम निर्धारण	लागू कर की दर (प्रतिशत या प्रति घन मीटर)	कर राशि का कम आरोपण	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर
1	सीटीओ सेंधवा मेसर्स पी सी यादव टिन -23182202785 केस क्र. CS0000001529037 (वैट) दिसंबर-19	2016-17	6,08,10,432	5,59,58,380	48,52,052	14	6,79,287	नि.प्रा. ने सकल टर्नओवर निर्धारण में खरीदी को वैट सहित माना जबकि खरीद कर के बिना थी।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
2	सीटीओ सेंधवा मेसर्स पी सी यादव टिन -23182202785 केस क्र. CS0000001493232 (वैट) फरवरी-21	2017-18	1,13,32,686	1,10,57,146	2,75,540	5	13,777	नि.प्रा. ने सकल टर्नओवर निर्धारण में खरीदी को वैट सहित माना जबकि खरीद कर के बिना थी।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
			2,82,60,963	2,57,63,158	24,97,805	14	3,49,693		
3	सीटीओ सेंधवा मेसर्स श्री सत्यसाई बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टिन -23799130041 केस क्र. CS0000001096254 (वैट) जून-18	2016-17	3,40,98,720	3,25,93,611	15,05,109	5	75,255	नि.प्रा. ने सकल टर्नओवर निर्धारण में खरीदी को वैट सहित माना जबकि खरीद कर के बिना थी।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
			1,72,62,926	1,54,28,110	18,34,816	14	2,56,874		
4	सीटीओ सेंधवा मैसर्स नंदराम कुशवाह टिन -2315225178 केस क्र. CS0000001194910 अगस्त-19	2016-17	2,84,55,132	2,66,05,010	18,50,122	5	92,507	नि.प्रा. ने सकल टर्नओवर निर्धारण में कम लाभ जोड़ा।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
			81,62,874	71,64,950	9,97,924	14	1,39,709		
5	सीटीओ सेंधवा	2016-17	81,07,272	77,37,556	3,69,716	5	18,485		

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम डीलर मूल्यांकन का माह	मूल्यांकन की अवधि	जीटीओ/पुस्तकों/रिकॉर्ड के अनुसार मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित जीटीओ/मात्रा	कर योग्य टर्नओवर का कम निर्धारण	लागू कर की दर (प्रतिशत या प्रति घन मीटर)	कर राशि का कम आरोपण	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर
	मैसर्स एस.बी.रावूल टिन -23699046146 केस क्र. CS0000001195326(वैट) दिसंबर-19		1,21,70,091	1,15,25,807	6,44,284	14	90,199	नि.प्रा. ने सकल टर्नओवर निर्धारण में खरीदी को वैट सहित माना जबकि खरीद कर के बिना थी।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। डीलर द्वारा पुनर्मूल्यांकन के बाद ₹ 1,08,684 का कर जमा किया गया।
6	सीटीओ सेंधवा मैसर्स सैयद हिफाज़त अली टिन-23242104200 केस क्र. CS000000109660 (वैट) Jun-18	2016-17	16,62,50,278	16,48,73,468	13,76,810	5	68,841	नि.प्रा. ने सकल टर्नओवर निर्धारण में कम खरीदी शामिल की।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। डीलर द्वारा पुनर्मूल्यांकन के बाद ₹68,841 का कर जमा किया गया।
7	सीटीओ सेंधवा मेसर्स कृषि बीज भंडार टिन-23812101025 केस क्र. CS0000001499933 अगस्त-19	2016-17	32,76,921	-	32,76,921	5	1,63,846	नि.प्रा. ने बिक्री की तुलना में कम सकल टर्नओवर निर्धारण किया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
8	सीटीओ ग्वालियर IV मैसर्स एमएस ट्रेडिंग कंपनी टिन - 23869134593 केस क्र. CS0000001507364 (वैट). अप्रैल-21	2017-18	3,49,60,002	3,31,53,000	18,07,002	5	90,350	नि.प्रा.लेखा परीक्षित खातों में प्रमाणित बिक्री के तुलना कम सकल टर्नओवर निर्धारित किया गया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
9	सीटीओ ग्वालियर IV मैसर्स एन.के. एंटरप्राइजेज टिन – 23395401681 केस क्र. CS0000001330457	2016-17	73,79,042	67,77,820	1,95,797 3,34,025 71,400	5 14 15	67,263	नि.प्रा. द्वारा धारा 2 (x) (iii) के तहत त्रुटिपूर्ण तरीके से कटौती की गई	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम डीलर मूल्यांकन का माह	मूल्यांकन की अवधि	जीटीओ/पुस्तकों/रिकॉर्ड के अनुसार मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित जीटीओ/मात्रा	कर योग्य टर्नओवर का कम निर्धारण	लागू कर की दर (प्रतिशत या प्रति घन मीटर)	कर राशि का कम आरोपण	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर
	नवंबर 2019								
10	सीटीओ सर्कल इटारसी मैसर्स हर गोविंद पूनिया टिन 23624304242 केस क्र. CS0000001488284 (वैट) अगस्त-19	2017-18	5,47,92,341	3,72,20,280	91,37,472 84,34,589	5 14	16,37,716	नि.प्रा. द्वारा जीएसटीआर 9सी में डीलर द्वारा वास्तव में घोषित बिक्री की तुलना में कम वैट बिक्री निर्धारित की गई।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की सूचना दी जाएगी।
11	सीटीओ सर्कल इटारसी मैसर्स पलक ट्रेडर्स टिन 23524303812 CS (वैट) जून 2019 (डीम्ड)	2017-18	1,34,32,224	1,24,32,225	3,79,999 6,20,000	5 14	1,05,800	नि.प्रा. द्वारा जीएसटीआर 9सी में डीलर द्वारा वास्तव में घोषित बिक्री की तुलना में कम वैट बिक्री निर्धारित की गई।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की सूचना दी जाएगी।
12	सीटीओ सर्कल इटारसी मेसर्स गौरव ट्रेडर्स टिन 23944304842 CS0000001558932 जुलाई-21	2017-18	70,59,248	60,47,564	7,68,881 2,32,687 10,116	5 14 15	72,538	नि.प्रा. द्वारा जीएसटीआर 9सी में डीलर द्वारा वास्तव में घोषित बिक्री की तुलना में कम वैट बिक्री निर्धारित की गई।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की सूचना दी जाएगी।
13	सीटीओ सर्कल इटारसी मेसर्स सिंध हार्डवेयर स्टोर्स टिन- 2373405006 CS 10300008729863 जनवरी-20	2016-17	25,01,405	19,68,968	5,32,437	14	74,541	नि.प्रा. द्वारा कम बिक्री की गणना की गई, जबकि स्टॉक गणना के अनुसार बिक्री अधिक थी।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की सूचना दी जाएगी।
14	सीटीओ सर्कल इटारसी मेसर्स शंकर किराना स्टोर्स टिन-23564301171 (नवंबर 2011, डीम्ड)	2016-17	3,40,28,428	3,24,08,026	16,20,402	5	81,020	नि.प्रा. द्वारा धारा 2(x)(iii) की त्रुटिपूर्ण कटौती की अनुमति दी गई	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की सूचना दी जाएगी।
15	एसीसीटी इंदौर-12 मैसर्स डेक्कन सेल्स एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	2017-18	14,57,08,830	11,99,99,565	1,36,25,910 1,20,83,355	5 14	23,77,965	नि.प्रा. द्वारा जीएसटीआर 9सी में डीलर द्वारा वास्तव में घोषित बिक्री	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम डीलर मूल्यांकन का माह	मूल्यांकन की अवधि	जीटीओ/पुस्तकों/रिकॉर्ड के अनुसार मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित जीटीओ/मात्रा	कर योग्य टर्नओवर का कम निर्धारण	लागू कर की दर (प्रतिशत या प्रति घन मीटर)	कर राशि का कम आरोपण	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर
	टिन-23101200528 C.No. 10300009873517(वैट) जुलाई-22							की तुलना में कम वैट बिक्री निर्धारित की गई।	कार्रवाई की सूचना दी जाएगी।
16	एसीसीटी इंदौर-12 मेसर्स भास्कर वेंकटेश प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड टिन 23459191670 CS10300009947953 (वैट) अगस्त-22	2016-17	45, 80,078	2,52,057	43,28,021	14	6,05,922	नि.प्रा. द्वारा जीएसटीआर 9सी में डीलर द्वारा वास्तव में घोषित बिक्री की तुलना में कम वैट बिक्री निर्धारित की गई।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की सूचना दी जाएगी।
17	एसीसीटी इंदौर-12 मेसर्स रसोमा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड टिन-23061200647 CS 10300009574008 (वैट) अक्तूबर-21	2016-17	6,63,88,154	6,31,26,596	32,61,558	5	1,63,078	नि.प्रा. द्वारा जीएसटीआर 9सी में डीलर द्वारा वास्तव में घोषित बिक्री की तुलना में कम वैट बिक्री निर्धारित की गई।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की सूचना दी जाएगी।
18	एसीसीटी इंदौर -15 मैसर्स लकी एंटरप्राइजेज टिन-23171503760 CS0000001432993 (वैट) जुलाई-22	2017-18	1,22,82,917	1,14,53,985	8,28,932	5	41,446	नि.प्रा. द्वारा जीएसटीआर 9सी में डीलर द्वारा वास्तव में घोषित बिक्री की तुलना में कम वैट बिक्री निर्धारित की गई।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। नि.प्रा. ने पत्र दिनांक 09.12.24 के द्वारा सूचित किया कि डीलर के विरुद्ध मांग की गई है।
19	सीटीओ सर्कल इटारसी मेसर्स गिरधर रामजी सरोठिया टिन -23659206782 CS 0000001559333 (वैट) अक्तूबर-21	2017-18	21,22,651	-	21,22,651 (21,22,651/100 प्रति घ.मी.= 21,226 घ.मी.)	35/ घ.मी.	7,42,910	नि.प्रा. द्वारा रेत/धातु पर कर नहीं लगाया। जबकि ये सामान ₹35/घ.मी. की दर से कर योग्य हैं।	जांच के बाद मामला दर्ज किया जाएगा।

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम डीलर मूल्यांकन का माह	मूल्यांकन की अवधि	जीटीओ/पुस्तकों/रिकॉर्ड के अनुसार मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित जीटीओ/मात्रा	कर योग्य टर्नओवर का कम निर्धारण	लागू कर की दर (प्रतिशत या प्रति घन मीटर)	कर राशि का कम आरोपण	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर
20	सीटीओ सर्किल राजगढ़ मेसर्स कल्याण किसान सेवा केंद्र टिन-23372404101 CS0000001296976 (वैट) मई-20	2016-17	5,12,79,352	4,97,17,509	15,61,843	27	4,21,698	स्टॉक विवरण और खरीद के अनुसार बिक्री की गणना नि.प्रा द्वारा निर्धारित बिक्री से अधिक की जाती है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की सूचना दी जाएगी।
21	सीटीओ सर्किल राजगढ़ मैसर्स शगुन गैस एजेंसी टिन-23562403366 CS0000001528319 दिसंबर-19	2016-17	5,39,93,185	5,12,56,136	24,66,004 2,71,045	5 14	1,23,300 37,946	नि.प्रा. द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से धारा 2 x(iii) की कटौती दी।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की सूचना दी जाएगी।
22	सीटीओ सर्कल-राजगढ़ मैसर्स जगदीश सक्सेना कॉन्ट्रैक्टर टिन-23132402196 CS000000996120 जुलाई-20	2015-16	3,33,38,892	3,06,50,271	26,88,621	5	1,34,431	नि.प्रा. ने खरीद में कम लाभ जोड़कर कम कर योग्य टर्नओवर निर्धारित किया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की सूचना दी जाएगी।
23	एसीसीटी सर्कल मुरैना मैसर्स रामप्रकाश गुप्ता टिन-23165602549 CS0000001619711 मई-21	2017-18	12,72,100	0	12,72,100	14	1,78,094	नि.प्रा. ने कर योग्य टर्नओवर निर्धारित करने में कम खरीदी शामिल की।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की सूचना दी जाएगी।
24	एसीसीटी सर्कल मुरैना मैसर्स यादव कंस्ट्रक्शन कंपनी टिन-23185604381 CS0000001547457 जनवरी-20	2016-17	25,80,371 6,51,199	12,85,314 5,96,800	12,95,057 54,399	14 5	1,81,308 2,720	नि.प्रा. ने कर योग्य टर्नओवर निर्धारित करने में कम खरीदी शामिल की।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की सूचना दी जाएगी।
25	एसीसीटी सर्कल-12 इंदौर मैसर्स एप्पल प्रोडक्टस टिन-23349120774 CS0000001519511	2017-18	65,94,789	60,60,883	5,33,906	14	74,747	नि.प्रा. द्वारा सकल टर्नओवर में बिक्री मशीनरी को शामिल नहीं किया गया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की सूचना दी जाएगी।

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम डीलर मूल्यांकन का माह	मूल्यांकन की अवधि	जीटीओ/पुस्तकों/रिकॉर्ड के अनुसार मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित जीटीओ/मात्रा	कर योग्य टर्नओवर का कम निर्धारण	लागू कर की दर (प्रतिशत या प्रति घन मीटर)	कर राशि का कम आरोपण	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर
	सितम्बर-22								
		कुल	**91,31,33,503**	**2,31,14,195**	**9,00,19,308**		**91,63,266**		

परिशिष्ट 4.2

(कंडिका 4.2 में संदर्भित)

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत कर की गैर/कम वसूली

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई के डीलर नाम	मूल्यांकन की अवधि/मूल्यांकन की तिथि	वस्तु का नाम टर्नओवर (₹)	लागू कर की दर लागाए गए कर की दर (प्रतिशत)	राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर (नि.प्रा.)/ लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1	सीटीओ ग्वालियर IV बठिंडा इंडस्ट्रियल गैस प्रा. लिमिटेड टिन – 23855308308 केस क्र. CS0000001605319(सीएसटी)	2017-18/ अक्टूबर 2021	CO2 Gas 4,25,639	14 2	51,077	नि.प्रा. ने ₹ 1,36,47,870 की बिक्री को सी फॉर्म द्वारा समर्थित बिक्री मानते हुए दो प्रतिशत की दर से कर लगाया, जबकि अभिलेखों में केवल ₹ 1,32,22,231 की राशि के सी फॉर्म ही उपलब्ध पाए गए। अतः ₹ 4,25,639 की अंतर राशि 12 प्रतिशत (14-2) की अंतर दर से कर योग्य है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
2	सीटीओ सेंधवा मैसर्स मनसा मां एग्रो टिन – 23382202093 केस क्र. CS0000001194300(सीएसटी)	2016-17/ जनवरी 2020	डी.ओ.सी. 1,38,33,457	1 0	1,38,334	नि.प्रा. ने ₹ 3,44,01,712 की बिक्री को सी फॉर्म द्वारा समर्थित बिक्री मानते हुए 2 प्रतिशत की दर से कर लगाया, जबकि अभिलेखों में केवल ₹ 2,05,68,255 की राशि का सी फॉर्म ही उपलब्ध पाया गया। अतः ₹ 1,38,33,457 की अंतर राशि एक प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। डीलर द्वारा पुनर्मूल्यांकन के बाद ₹ 72,627 का कर जमा किया गया।
3	एसीसीटी इंदौर-08 मैसर्स देवकरण जीवनराम टिन-23870800707 केस क्र. CS0000001065212(सीएसटी)	2016-17/ जनवरी 2020	डी.ओ.सी. 3,31,67,154	1 0	3,31,671	लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीलर ने ₹ 3,31,67,154 डीओसी की आउट-टू-आउट बिक्री का दावा किया और उसे मंजूरी दी। इसके अलावा यह पाया गया कि डीलर ने राज्य के अंदर से डीओसी खरीदा है और फिर इसे 'सी' फॉर्म के बिना दूसरे राज्य में बेच दिया है। उपर्युक्त शर्तों में ऐसी बिक्री पर एक प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई के डीलर नाम	मूल्यांकन की अवधि/मूल्यांकन की तिथि	वस्तु का नाम टर्नओवर (₹)	लागू कर की दर लागाए गए कर की दर (प्रतिशत)	राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर (नि.प्रा.)/ लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
4	एसीसीटी इंदौर-08 मैसर्स ऋषभ एजेंसियां टिन-23869008396 केस क्र. डीम्ड	2017-18/ जुलाई 2019	ऑटोपार्ट्स 3,07,55,853	14 2	36,90,702	प्रकरण में ₹ 3,07,55,853 की राशि के साथ 'सी' फॉर्म संलग्न नहीं पाया गया, इसलिए इस पर ₹ 36,90,702 की राशि के लिए 12 प्रतिशत की अंतर दर से कर योग्य है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
5	सीटीओ इटारसी मेसर्स एम.एल.पटेल टिन-230804300166 केस क्र. CS000000927953	2015-16/ जून 2018	टिंबर 80,69,615	14 0	11,29,746	नि.प्रा. ने टिंबर की अंतर-राज्यीय बिक्री (सी फॉर्म के बिना) पर कर नहीं लगाया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
		कुल	**8,62,51,718**		**53,41,530**		

परिशिष्ट 4.3

(कंडिका 4.3 में संदर्भित)

प्रवेश कर की वसूली न होना/कम होना

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम डीलर	मूल्यांकन की अवधि	कमोडिटी/ कर योग्य टर्नओवर (₹)	लागू कर की दर/ अधिरोपित दर (प्रतिशत)	कर/जुर्माने की गैर/कम वसूली की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1	एसीसीटी मुरैना मेसर्स बृजेन्द्र सिंह तोमर, मुरैना टिन - 23415604400 केस क्र. 1307579 (ET). दिसंबर 2019	2016-17	लोहा और इस्पात/ 1,20,38,881	2 1	1,20,388	नि.प्रा. ने लोहा एवं इस्पात की खरीद पर एक प्रतिशत की दर से ईटी लगाया, जो दो प्रतिशत की दर से देय है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
2	एसीसीटी मुरैना मेसर्स बी आर ओवरसीज लिमिटेड, मुरैना टिन - 23509185748 केस क्र. CS0000001409561 (ET) सितंबर 2019	2017-18	पीपी बैग/ 14,20,025	5 1	56,801	नि.प्रा. ने एक प्रतिशत की दर से ईटी लगाया, जबकि पीपी बैग पर पाँच प्रतिशत की दर से कर लगाया गया।	नि.प्रा. ने कहा कि सत्यापन के बाद उत्तर को लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।
3	सीटीओ सर्कल-4, ग्वालियर एमएस ट्रेडिंग कंपनी टिन - 23869134593 CS0000001507369(ET) अप्रैल 2020	2017-18	तेल 3,56,60,691	1 0	3,56,606	नि.प्रा. ने विनिर्माण इकाई से खरीदे गए वनस्पति तेल की खरीद पर ई.टी. नहीं लगाया, तथा बिना किसी साक्ष्य के इसे कर-भुगतान किया गया माल मान लिया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
4	सीटीओ सर्कल-4, ग्वालियर मेसर्स जैन ट्रेडर्स टिन – 23595401474 केस क्र. CS0000001330406 सितंबर 2019	2016-17	लोहा और इस्पात 59,92,526	2 0	1,19,850	अगर आयरन और स्टील का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग में होता है, तो उसे ई.टी. से छूट दी जाती है। नि.प्रा. ने बिना किसी सबूत के ट्रेडर को छूट दे दी।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

क्र.सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम डीलर	मूल्यांकन की अवधि	कमोडिटी/ कर योग्य टर्नओवर (₹)	लागू कर की दर/ अधिरोपित दर (प्रतिशत)	कर/जुर्माने की गैर/कम वसूली की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
5	सीटीओ सर्कल-8, इंदौर मेसर्स एटना एंटरप्राइजेज टिन - 23470800248 CS0000001147045 (ET) दिसंबर 2019	2016-17	ऑटो पार्ट्स 1,14,01,793	2 0	2,28,036	नि.प्रा. मैन्युफैक्चरर यूनिट से खरीदे गए ऑटो पार्ट्स की खरीद पर ईटी नहीं लगाया गया है, जो दो फीसदी की दर से टैक्स योग्य हैं।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
6	सीटीओ सर्कल-12, इंदौर मेसर्स भास्कर वेंकटेश प्रोडक्ट लिमिटेड टिन 23459191670 10300009947953 (ET) अगस्त 2022	2017-18	मशीनरी पार्ट्स 4,80,59,120	2 0	9,61,182	नि.प्रा. ने आयात खरीद पर प्रवेशकर नहीं लगाया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
7	सीटीओ सर्कल इटारसी मेसर्स गिरधर रामजी सरोठिया टिन 23659206782 CS 0000001559334 (ET) अक्टूबर 2021	2017-18	मशीनरी पार्ट्स और पाइप 24,65,437 & 5,45,420	2 & 1 0	54,762	नि.प्रा. द्वारा मशीनरी और पाइप पर प्रवेशकर नहीं लगाया गया जबकि यह क्रमशः दो और एक प्रतिशत पर कर योग्य है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
8	सीटीओ सर्कल राजगढ़ मेसर्स जगदीश वर्मा ठेकेदार टिन 23732403709 CS 0000001286019 (ET) June 2019	2016-17	कच्चा माल और मशीनरी पार्ट 77,86,262 & 54,34,963	1 & 2 0	1,86,562	नि.प्रा. द्वारा कच्चे माल और मशीनरी के पुर्जों पर प्रवेशकर नहीं लगाया गया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
9	सीटीओ सर्कल राजगढ़ मेसर्स प्रभुनाथ सिंह टिन 23132402293 CS 0000001564488 (ET) फरवरी 2020	2017-18	मशीन 1,11,82,191	2 0	2,23,644	डीलर ने दो मशीनरी खरीदी थी। नि.प्रा. द्वारा एक मशीनरी की खरीद पर प्रवेशकर नहीं लगाया गया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
10	सीटीओ सर्कल राजगढ़ मैसर्स इवान ट्रेडर्स टिन 23859049428 Cs 000000970968(ET)	2015-16	सोयाबीन 98,97,384	1 0	98,974	नि.प्रा.द्वारा बिना किसी सबूत के कर भुगतान किए गए माल की कटौती की त्रुटिपूर्ण अनुमति दी गई।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

क्र.सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम डीलर	मूल्यांकन की अवधि	कमोडिटी/ कर योग्य टर्नओवर (₹)	लागू कर की दर/ अधिरोपित दर (प्रतिशत)	कर/जुर्माने की गैर/कम वसूली की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
	मई 2018						
11	सीटीओ सर्कल-12 इंदौर मेसर्स सुपर हाइजीन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड टिन 23519178569 C. No. CS0000001584487 अगस्त 2022	2017-18	मशीनरी पार्ट्स 5,33,52,626 & 20,97,305	2 & 1 0	10,88,026	नि.प्रा. द्वारा कम खरीद राशि पर प्रवेशकर लगाया गया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
			कुल		**34,94,831**		

परिशिष्ट 4.4

(कंडिका 4.4 में संदर्भित)

कर की त्रुटिपूर्ण दर लगया जाना

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	लेखापरीक्षित इकाई के डीलर का नाम	मूल्यांकन की अवधि	वस्तु/कर योग्य टर्नओवर जिस पर त्रुटिपूर्ण दर लागू की गई (₹)	लागू कर की दर/ लागाई गई दर (%)	कर की गैर/कम वसूली की राशि (₹)	लेखापरीक्षा अवलोकन	विभाग का उत्तर
1	सीटीओ सर्कल-4, ग्वालियर मेसर्स दीपक ट्रेडर्स टिन – 23409057136 केस क्र. CS0000001472941(वैट)	2017-18 दिसंबर 2021	एलपीजी रबर ट्यूब 7,54,302	14 5	67,887	नि.प्रा. ने ₹ 7,54,302 मूल्य की रबर ट्यूब पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगाया, जबकि यह 14 प्रतिशत की दर से देय था।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
2	सीटीओ सेंधवा मेसर्स पी सी यादव टिन-23182202785 C.No.CS0000001529037(वैट)	2016-2017 दिसंबर 2019	मशीनरी/ 39,86,000	14 5	3,58,740	नि.प्रा. ने मशीन की बिक्री पर पांच प्रतिशत कर लगाया, जबकि मशीनरी पर 14 प्रतिशत कर देय है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
3	एसीसीटी इंदौर-08 मेसर्स पॉवरेज टावर्स लिमिटेड टिन-2380802848 C.No. CS0000001151511 (वैट)	2016-2017 जनवरी 2020	सौर पैनल स्टैंड संरचना 1,76,35,665	14 5	15,87,210	नि.प्रा. ने सौर पैनल स्टैंड संरचना की बिक्री पर पाँच प्रतिशत की दर से कर अधिरोपित किया। चूँकि उक्त वस्तु के लिए कोई विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है, इसलिए प्रविष्टि संख्या II/IV/5 के अनुसार इस पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
4	एसीसीटी इंदौर-08 मेसर्स पॉवरेज टावर्स लिमिटेड टिन-23780802842 C.No. CS0000001417080(वैट)	2017-18 मार्च 2021	सौर पैनल स्टैंड संरचना/ 62,91,443	14 5	5,66,230	नि.प्रा. ने सौर पैनल स्टैंड संरचना की बिक्री पर पाँच प्रतिशत की दर से कर अधिरोपित किया। चूँकि उक्त वस्तु के लिए कोई विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है, इसलिए प्रविष्टि संख्या II/IV/5 के अनुसार इस पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

क्र.सं.	लेखापरीक्षित इकाई के डीलर का नाम	मूल्यांकन की अवधि	वस्तु/कर योग्य टर्नओवर जिस पर त्रुटिपूर्ण दर लागू की गई (₹)	लागू कर की दर/ लागाई गई दर (%)	कर की गैर/कम वसूली की राशि (₹)	लेखापरीक्षा अवलोकन	विभाग का उत्तर
5	सीटीओ- राजगढ़ मेसर्स विकास शिवहरे टिन-23269021163 C.No.CS00000126966	2016-17 सितंबर 2019	टायर ट्यूब 17,76,089	15 5	1,77,609	नि.प्रा. द्वारा टायर ट्यूब की बिक्री पर पांच प्रतिशत की दर से कर अधिरोपित किया गया, जबकि ये 15 प्रतिशत की दर से कर योग्य होते हैं।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
6	एसीसीटी इंदौर-15 मैसर्स लकी इंटरप्राइजेज टिन-23171503760 CS0000001432993 (वैट)	2017-18	स्क्रैप 37,75,436	14 5	3,39,789	नि.प्रा. ने त्रुटिपूर्ण तरीके से 14 प्रतिशत के स्थान पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगाया।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। नि.प्रा. द्वारा पत्र दिनांक 09 दिसंबर 2024 माध्यम से सूचित किया गया कि डीलर के खिलाफ मांग की गई है।
		कुल	**3,42,18,935**		**30,97,465**		

परिशिष्ट 4.5

(कंडिका 4.5 में संदर्भित)

अस्वीकार्य इनपुट टैक्स छूट (आईटीआर) की अनुमति

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	लेखापरीक्षित इकाई के डीलर का नाम	मूल्यांकन की अवधि/मूल्यांकन का महीना	सामग्री	आईटीआर का अतिरिक्त अनुदान (₹)	लेखापरीक्षा अवलोकन	नि.प्रा. का उत्तर/ लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1	सीटीओ सर्कल इटारसी मैसर्स सिंध हार्डवेयर स्टोर टिन – 2373405006 केस क्र. 10300008729863	2016-17 जनवरी 2020	लोहा और इस्पात	78,236	नि.प्रा. ने लेखापरीक्षित खातों में दर्ज खरीद के विरुद्ध अतिरिक्त खरीद पर आईटीआर की अनुमति दी।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
2	सीटीओ सर्कल राजगढ़ मेसर्स पवन शर्मा टिन –23639043727 केस क्र. CS0000001239773	2016-17 **दिसंबर** 2019	ठेकेदारी का काम	2,75,688	प्रावधान के अनुसार, ऐसे खरीद चालान पर आईटीआर की अनुमति दी **जाती है** जिसमें **वैट** अलग से लिया जाता है। नि.प्रा. ने खरीद चालान पर आईटीआर की अनुमति दी जिसमें वैट अलग से चार्ज नहीं किया गया था।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
3	सीटीओ सर्कल राजगढ़ मेसर्स विकास शिवहरे टिन –23269021163 CS000000126966 (**वैट**)	2016-17 सितम्बर 2019	ठेकेदारी का काम	52,705	प्रावधान के अनुसार, ऐसे खरीद चालान पर आईटीआर की अनुमति दी **जाती है** जिसमें **वैट** अलग से लिया जाता है। नि.प्रा. ने खरीद चालान पर आईटीआर की अनुमति दी जिसमें वैट अलग से चार्ज नहीं किया गया था।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
4	सीटीओ सर्कल राजगढ़ मैसर्स राहुल ट्रेडर्स टिन –23882402026 CS 428/2017 (**वैट**)	2015-16 फरवरी 2018	ट्रेडर्स	1,33,050	नि.प्रा. द्वारा पूरी खरीद पर आईटीआर की अनुमति दी गई, जबकि यह पाया गया कि विक्रेता द्वारा दर की अंतर राशि पर खरीदार को वैट वापस कर दिया गया था।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

क्र.सं.	लेखापरीक्षित इकाई के डीलर का नाम	मूल्यांकन की अवधि/मूल्यांकन का महीना	सामग्री	आईटीआर का अतिरिक्त अनुदान (₹)	लेखापरीक्षा अवलोकन	नि.प्रा. का उत्तर/ लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
5	सीटीओ सर्कल राजगढ़ मैसर्स श्री हरि ट्रेडर्स टिन –23332404026 CS0000001289023	2016-17 जनवरी 2020	किराना सामान के व्यापारी	1,28,756	नि.प्रा. द्वारा अपंजीकृत डीलर से खरीद पर आईटीआर की अनुमति दी गई।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
6	सीटीओ सर्कल राजगढ़ मेसर्स पवन शर्मा टिन – 23639043727 CS0000001554034	2016-17 फरवरी 2020	ठेकेदारी का काम	74,422	नि.प्रा. द्वारा अपंजीकृत डीलर से खरीद पर आईटीआर की अनुमति दी गई।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
7	सीटीओ सेंधवा मेसर्स पी सी यादव टिन – 23182202785 केस क्र. CS0000001493232	2017-18 फरवरी 2021	मशीन और पार्ट्स आदि.	3,66,470	प्रावधान के अनुसार, कार्य अनुबंध के मामले में हस्तांतरणीय वस्तुओं पर भी आईटीआर दिया जा सकता है। नि.प्रा. द्वारा गैर-हस्तांतरणीय वस्तुओं पर भी आईटीआर की अनुमति दी गई।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
8	सीटीओ सेंधवा मेसर्स चिराग कंस्ट्रक्शन टिन -23489002517	2016-17 नवंबर 2019	संयंत्र, मशीनरी और मशीनरी पार्ट्स	4,73,216	प्रावधान के अनुसार, कार्य अनुबंध के मामले में हस्तांतरणीय वस्तुओं पर भी आईटीआर दिया जा सकता है। नि.प्रा. द्वारा गैर-हस्तांतरणीय वस्तुओं पर भी आईटीआर की अनुमति दी गई।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
	मेसर्स ओंकार गोमाजी टिन -23802204384	2017-18 नवंबर 2019				
	मेसर्स ओंकार गोमाजी टिन -23802204384	2016-17 नवंबर 2019				
	मेसर्स सुनील कुमार मदन लाल टिन -23102203120	2016-17 नवंबर 2019				
9	सीटीओ सेंधवा मैसर्स राधाकृष्ण ऑयल इंडस्ट्रीज टिन-23772104151 केस क्र. CS0000001193896	2016-17 अक्टूबर 2019	कपास और कपास के बीज आदि	2,89,722	नि.प्रा. द्वारा अधिनियम के प्रावधान के विरुद्ध अतिरिक्त आईटीआर की अनुमति दी गई। आईटीआर, सी.एस.टी. के बराबर दिया जाना चाहिए था।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
10	सीटीओ सेंधवा मैसर्स सुभाष जोशी टिन-23382203160 केस क्र. CS0000001493265	2016-17 जनवरी 2022	संयंत्र, मशीनरी और मशीनरी पार्ट्स	1,74,160	प्रावधान के अनुसार, कार्य अनुबंध के मामले में हस्तांतरणीय वस्तुओं पर भी आईटीआर दिया जा सकता है। नि.प्रा. द्वारा गैर-हस्तांतरणीय वस्तुओं पर भी आईटीआर की अनुमति दी गई।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।

क्र.सं.	लेखापरीक्षित इकाई के डीलर का नाम	मूल्यांकन की अवधि/मूल्यांकन का महीना	सामग्री	आईटीआर का अतिरिक्त अनुदान (₹)	लेखापरीक्षा अवलोकन	नि.प्रा. का उत्तर/ लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
11	सीटीओ सेंधवा मैसर्स नानेश इंडस्ट्रीज टिन-23182202882 केस क्र. CS0000001374622	2016-17 फरवरी 2019	कपास और कपास के बीज आदि	1,80,267	नि.प्रा. द्वारा अधिनियम के प्रावधान के विरुद्ध अतिरिक्त आईटीआर की अनुमति दी गई। आईटीआर, सी.एस.टी. के बराबर दिया जाना चाहिए था।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
12	सीटीओ सेंधवा मैसर्स श्रीमाया एग्रो इंडस्ट्रीज टिन – 23982108158 केस क्र. CS0000001313698	2016-17 जनवरी 2019	दूध, घी, और काकड़ा आदि।	1,52,683	नि.प्रा. द्वारा चिलर मशीन की खरीद पर भुगतान किए गए इनपुट के आईटीआर की अनुमति दी गई। यह पाया गया कि डीलर दूध और कपास के बीज का व्यापारी था, इसलिए आईटीआर कर योग्य हस्तांतरणीय वस्तुओं पर स्वीकार्य था।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
13	सीटीओ सेंधवा मैसर्स कृषि बीज भंडार टिन-23812101025 केस क्र. CS0000001499933	2016-17 जनवरी 2020	इलेक्ट्रिकल सामान	1,57,315	नि.प्रा. द्वारा अधिनियम के प्रावधान के विरुद्ध अतिरिक्त आईटीआर की अनुमति दी गई। आईटीआर, सी.एस.टी. के बराबर दिया जाना चाहिए था।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
14	सीटीओ ग्वालियर **IV** मैसर्स जय भारत ऑटोमोबाइल टिन – 23785401030 केस क्र. CS0000001330373 (**वैट**)	2016-17	डीजल, पेट्रोल	1,06,067	नि.प्रा. द्वारा डीजल और पेट्रोल की कमी के मूल्य पर अतिरिक्त आईटीआर की अनुमति दी, जो एमपी वैट अधिनियम की धारा 21 (2) 14 (1 एसी) के प्रावधानों के विरूद्ध था।	नि.प्रा. ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।
			कुल	**26,42,757**		

परिशिष्ट 4.6

(कंडिका 4.6 में संदर्भित)

ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की त्रुटिपूर्ण कटौती

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	लेखापरीक्षित इकाई के डीलर का नाम	मूल्यांकन की अवधि/ मूल्यांकन का महीना	सामग्री	फॉर्म 3 में राशि/कर दर	ठेकेदार को अतिरिक्त अनुदान	लेखापरीक्षा अवलोकन	नि.प्रा. का उत्तर/ लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1	सीटीओ राजगढ़ मेसर्स पटेल कंस्ट्रक्शन Tin-23392404284 केस क्र.. CS0000001624015	2017-18 **जून** 2021	ठेकेदारी का काम	1,93,21,791 5%	9,66,090	डीलर द्वारा प्रस्तुत फॉर्म-3 में अमान्य टिन नंबर है। नि.प्रा. द्वारा सत्यापन किए बिना ही कटौती की अनुमति दी गई।	नि.प्रा. ने कहा कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जाएगी।
2	सीटीओ राजगढ़ मेसर्स संजय व्यास Tin-23722402502 केस क्र..622/17	2016-17 **जून** 2019	ठेकेदारी का काम	76,17,162 5%	3,80,858	डीलर द्वारा प्रस्तुत फॉर्म-3 रद्ध किए गए डीलर का है। नि.प्रा. द्वारा सत्यापन किए बिना ही कटौती की अनुमति दी गई।	नि.प्रा. ने कहा कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जाएगी।
			कुल		**13,46,948**		

परिशिष्ट 4.7

(कंडिका 4.7 में संदर्भित)

बाजार मूल्य का त्रुटिपूर्ण निर्धारण

क्र.सं.	इकाई का नाम/अवधि	प्रकरणों की संख्या	गाइडलाइन अनुसार बाजार मूल्य/ विभाग द्वारा पंजीकृत बाजार मूल्य	आरोपणीय स्टा.शु./पं.शु.	आरोपित स्टा.शु./पं.शु.	अंतर स्टा.शु./पं.शु.	कुल	वसूली (यदि कोई हो)	शेष राशि
1	उप पंजीयक महू (जिला-इंदौर) 04/2018 से 03/2023	1	2,05,47,523 1,37,11,141	13,35,589 6,16,425	8,91,226 4,11,335	4,44,363 2,05,090	6,49,453	0	6,49,453
2	उप पंजीयक सांवेर (जिला-इंदौर) 04/2017 से 03/2023	1	1,76,00,250 1,16,60,400	11,44,017 5,28,008	7,57,939 3,49,812	3,86,078 1,78,196	5,64,274	0	5,64,274
3	उप पंजीयक कटनी 04/2018 से 03/2023	1	3,63,43,496 1,16,70,208	23,62,327 10,90,305	7,59,566 3,50,607	16,02,761 7,39,698	23,42,459	0	23,42,459
4	उप पंजीयक इंदौर-1 04/2021 से 03/2023	1	12,14,33,400 8,22,22,600	78,93,171 36,43,002	53,43,472 18,74,676	25,49,699 17,68,326	43,18,025	10,53,454	32,64,571
5	उप पंजीयक विदिशा 04/2017 से 03/2023	3	1,34,53,338 1,21,65,138	6,72,667 1,07,627	6,08,257 97,322	64,410 10,305	74,715	34,807	39,908
			69,03,000 43,27,092	4,48,678 55,223	2,81,264 34,617	1,67,414 20,606	1,88,020	0	1,88,020
			69,68,000 58,11,696	4,52,942 69,683	3,78,767 58,283	74,175 11,400	85,575	0	85,575
6	उप पंजीयक ग्वालियर-1 04/2021 से 03/2023	2	2,32,13,120 1,00,29,600	22,05,246 6,96,394	9,52,833 3,00,888	12,52,413 3,95,506	16,47,919	0	16,47,919
			4,02,36,000 2,79,78,000	38,22,420 12,07,080	26,57,910 8,39,340	11,64,510 3,67,740	15,32,250	0	15,32,250
7	उप पंजीयक बुरहानपुर 04/2016 से 3/2023	1	9,93,55,503 7,27,42,422	58,64,205 29,80,666	46,93,230 21,82,273	11,70,975 7,98,393	19,69,368	0	19,69,368
8	उप पंजीयक नीमच 04/2017 से 03/2023	7	10,29,20,085 65,55,020	97,77,408 30,87,603	6,22,752 1,96,651	91,54,656 28,90,952	1,20,45,608	0	1,20,45,608

क्र.सं.	इकाई का नाम/अवधि	प्रकरणों की संख्या	गाइडलाइन अनुसार बाजार मूल्य/ विभाग द्वारा पंजीकृत बाजार मूल्य	आरोपणीय स्टा.शु./पं.शु.	आरोपित स्टा.शु./पं.शु.	अंतर स्टा.शु./पं.शु.	कुल	वसूली (यदि कोई हो)	शेष राशि
			7,44,96,672	70,77,184	8,19,074	62,58,110	69,16,861	0	69,16,861
			86,21,618	7,44,967	86,216	6,58,751			
			4,03,46,400	38,32,908	8,58,385	29,74,523	39,13,859	0	39,13,859
			90,35,200	12,10,392	2,71,056	9,39,336			
			3,84,96,000	36,57,120	3,76,213	32,80,907	43,18,369	0	43,18,369
			39,13,920	11,54,880	1,17,418	10,37,462			
			18,63,47,400	1,77,03,003	87,27,194	89,75,809	1,27,88,599	0	1,27,88,599
			5,92,54,400	55,90,422	17,77,632	38,12,790			
			7,15,10,800	67,93,526	5,80,752	62,12,774	81,74,530	0	81,74,530
			61,02,240	21,45,324	1,83,568	19,61,756			
			4,88,31,200	46,38,964	8,58,385	37,80,579	49,74,459	0	49,74,459
			30,34,400	14,64,936	2,71,056	11,93,880			
9	उप पंजीयक गोविंदपुरा, भोपाल-3, 04/2020 से 03/2023	1	45,26,46,400	2,26,32,320	1,24,47,776	1,01,84,544	1,18,14,074	0	1,18,14,074
			42,41,60,000	36,21,171	19,91,641	16,29,530			
			1,27,08,720	8,26,067	4,78,257	3,47,810	5,08,341	2,00,000	3,08,341
			73,57,680	3,81,262	2,20,731	1,60,531			
10	उप पंजीयक, ग्वालियर-2 04/2020 से 03/2023	10	27,41,73,640	2,64,87,093	2,06,99,727	57,87,366	84,23,883	0	84,23,883
			20,40,19,359	82,25,209	55,88,692	26,36,517			
	कुल	**29**	**1,68,85,30,947**	**12,96,26,855**	**6,37,92,979**	**6,58,33,876**	**8,72,50,641**	**12,88,261**	**8,59,62,380**
			98,43,72,134	**3,86,20,579**	**1,72,03,814**	**2,14,16,765**			

परिशिष्ट 4.8

(कंडिका 4.8.1 में संदर्भित)

स्टांप शुल्क और पंचायत शुल्क में अनियमित कटौती राशि ₹ 97.63 लाख

क्र.सं.	इकाई	दस्तावेज़ संख्या/दिनांक	बैंक/ उधारकर्ता	ऋण राशि	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क (0.25+0.25 %)	आरोपित स्टाम्प शुल्क (0.125+0.125%)	स्टाम्प शुल्क की कम वसूली
1	उप पंजीयक देवास	MP108942022A1866423 दिनांक 24.08.22	इंडियन बैंक/मैसर्स लाभांशी एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड	13,50,00,000	6,75,000	3,37,500	3,37,500
		MP108942022A1090792 दिनांक 28.01.22	बैंक ऑफ महाराष्ट्र/मैसर्स रेलिग्रेस पैरेंटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एसएसआई यूनिट	15,00,00,000	7,50,000	3,75,000	3,75,000
		MP108942023A1282665 दिनांक 17.03.22	एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक/मेसर्स क्रोमवेल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, एसएसआई यूनिट	4,00,00,000	2,00,000	1,00,000	1,00,000
		MP108942023A11602240 दिनांक 17.03.23	एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक/मेसर्स क्रोमवेल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	10,00,00,000	5,00,000	2,50,000	2,50,000
2	उप पंजीयक उज्जैन	MP432022021A1410477 दिनांक 07.06.23	बैंक ऑफ इंडिया /डॉ. मोहन यादव एवं 4 अन्य	12,30,00,000	6,15,000	3,07,500	3,07,500
		MP432022021A1779740 दिनांक 13.09.21	एक्सिस बैंक / मेसर्स व्यक्तेश कॉरगेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	30,96,00,000	10,00,000	7,74,000	2,26,000
3	उप पंजीयक गोविंदपुरा, भोपाल-3	MP059712021A1026743 दिनांक 08.01.21	बैंक ऑफ महाराष्ट्र/मेसर्स अट्रैक्टिव ऑटो पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	14,62,35,000	7,31,175	3,65,588	3,65,587
		MP059712021A1148473 दिनांक 11.02.21	एक्सिस बैंक / मेसर्स एम.के. इंजीनियर्स ग्रुप	15,90,00,000	7,95,000	3,97,500	3,97,500
		MP059712020A1273042 दिनांक 10.06.20	बैंक ऑफ इंडिया/ मेसर्स इलेक्ट्रो ऑटो इंडस्ट्रीज	1,40,00,000	70,000	35,000	35,000
		MP059712022A1962502 दिनांक 21.09.22	इंडियन बैंक/ मेसर्स डीजी ऑयल	13,45,00,000	6,72,500	3,36,250	3,36,250
		MP059712020A1563395 दिनांक 10.09.20	भारतीय स्टेट बैंक/ मेसर्स किल्पेस्ट इंडिया लिमिटेड	6,25,00,000	3,12,500	1,56,250	1,56,250
		MP059712021A1570567 दिनांक 13.07.21	भारतीय स्टेट बैंक/ मेसर्स श्री केबल्स एंड कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	8,19,00,000	4,09,500	2,04,750	2,04,750
		MP059712022A1199079 दिनांक 25.02.22	एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक/ मेसर्स एमके इंजीनियर्स	22,00,00,000	10,00,000	5,50,000	4,50,000
		दस्तावेज़ में दो अलग-अलग ऋण मामले शामिल हैं	एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक/एम9 बिल्डकॉन	2,00,00,000	1,00,000	50,000	50,000
		MP059712020A1499285 दिनांक 21.8.20	बैंक ऑफ बड़ौदा/एमएस बेंड जॉइंट प्राइवेट लिमिटेड	4,38,00,000	2,19,000	1,09,500	1,09,500
		MP059712022A1332052 दिनांक 28.03.22	एचडीएफसी बैंक/ मेसर्स एससीएम एग्रोटेक एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड	25,00,00,000	10,00,000	6,25,000	3,75,000
		MP059712020A1777875 दिनांक 23.11.20 (पूर्व ऋण पर स्टाम्प शुल्क चुकाए जाने/ पंजीकृत	एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक/ मेसर्स सैनफील्ड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	3,84,00,000	10,00,000	1,92,000	8,08,000

क्र.सं.	इकाई	दस्तावेज़ संख्या/दिनांक	बैंक/ उधारकर्ता	ऋण राशि	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क (0.25+0.25 %)	आरोपित स्टाम्प शुल्क (0.125+0.125%)	स्टाम्प शुल्क की कम वसूली
		विलेख का कोई उल्लेख नही अतः पूर्ण राशि पर शुल्क प्रभार्य है)					
		MP059712022A11185857 दिनांक 29.11.22 ऋण राशि Rs 283.9 मिलियन या Rs 28.39 करोड़	आईसीआईसीआई बैंक/ इंप्रेशन फर्नीचर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	28,39,00,000	10,00,000	7,86,250	2,13,750
4	उप पंजीयक गोविंदपुरा, भोपाल-3	MP059712022A1787423 दिनांक 27.07.22	आईसीआईसीआई बैंक/ श्री अग्रवाल तकनीकी शिक्षा सोसायटी	10,00,00,000	5,00,000	2,50,000	2,50,000
		MP059712022A1550481 दिनांक 26.05.22	एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक/ श्री वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी	10,00,00,000	5,00,000	2,50,000	2,50,000
		MP059712021A1626946 दिनांक 27.07.21	बैंक ऑफ महाराष्ट्र/मेसर्स जिंदल अस्पताल	9,90,00,000	4,95,000	2,47,500	2,47,500
		MP059712020A1708171 दिनांक 29.10.20	एचडीएफसी बैंक/ श्री अग्रवाल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सोसायटी	2,71,03,686	1,35,518	67,760	67,758
		MP059712020A1708155 दिनांक 29.10.20	एचडीएफसी बैंक/ श्री अग्रवाल एजुकेशनल पब्लिक ट्रस्ट	3,84,99,000	1,92,495	96,248	96,247
		MP059712020A1708164 दिनांक 29.10.20	आईसीआईसीआई बैंक/ श्री अग्रवाल तकनीकी शिक्षा सोसायटी	3,46,50,000	1,73,250	86,626	86,624
5	उप पंजीयक ग्वालियर-2	MP142592020A1540896 दिनांक 02.09.20	पंजाब नेशनल बैंक/ मेसर्स महेश्वर रोलिंग मिल्स	25,00,00,000	10,00,000	6,25,000	3,75,000
		MP142592021A1109868 दिनांक 02.02.21	यूको बैंक/ मेसर्स आरएसकेएस ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड	16,40,00,000	8,20,000	4,10,000	4,10,000
		MP142592020A1573371 दिनांक 15.09.20	पंजाब नेशनल बैंक/ मेसर्स भगवती कूल्स प्राइवेट लिमिटेड।	1,79,80,000	89,900	44,950	44,950
		MP142592022A1232947 दिनांक 11.03.22	पंजाब नेशनल बैंक/ मेसर्स सहारा फ्रोजन फूड्स	2,35,00,000	1,17,500	58,750	58,750
		MP142592021A1129132 दिनांक 06.02.21	बैंक ऑफ बड़ौदा/ मेसर्स ओम प्रकाश शर्मा	2,25,21,000	1,12,605	56,304	56,301
		MP142592022A1020911 दिनांक 07.01.22	एसबीआई/मेसर्स भगवती प्रेस्टीज मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	18,00,00,000	9,00,000	4,50,000	4,50,000
		MP142592021A1994619 दिनांक 26.11.21	एसबीआई/मैसर्स मां धूमावती ऑयल कंपनी	12,91,00,000	6,45,500	3,22,750	3,22,750
		MP142592021A11117970 दिनांक 31.12.21	एसबीआई/मैसर्स हार्दिक डिस्ट्रीब्यूटर्स	12,00,00,000	6,00,000	3,00,000	3,00,000
		MP142592022A1258773 दिनांक 11.03.22	आईसीआईसीआई बैंक/विक्रांत एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी	9,36,00,000	4,68,000	2,34,000	2,34,000
		MP142592022A1258767 दिनांक 11.03.22	आईसीआईसीआई बैंक/पीएस एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी	2,75,00,000	1,37,500	68,750	68,750
6	उप पंजीयक जबलपुर-2	MP182552022A1020855 दिनांक 07.01.22	एचडीएफसी बैंक/अखिलेश माबेन	15,00,00,000	7,50,000	3,75,000	3,75,000
7	उप पंजीयक जबलपुर-1	MP182542021A1229627 दिनांक 05.03.21	आईसीआईसी बैंक/राजेश और अन्य	25,00,00,000	10,00,000	2,90,000	7,10,000
		MP182542021A1681350 दिनांक 10.08.21	एचडीएफसी बैंक/शोना शॉप इंडस्ट्रीज़	10,49,00,000	5,24,500	2,62,250	2,62,250

क्र.सं.	इकाई	दस्तावेज़ संख्या/दिनांक	बैंक/ उधारकर्ता	ऋण राशि	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क (0.25+0.25 %)	आरोपित स्टाम्प शुल्क (0.125+0.125%)	स्टाम्प शुल्क की कम वसूली
		कुल			2,02,11,443	1,04,47,976	97,63,467

परिशिष्ट 4.9

(कंडिका 4.9.2 में संदर्भित)

दस्तावेजों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की कम वसूली

क्र.सं.	इकाई	मद	बाजार मूल्य	आरोपणीय	आरोपित	कम वसूली
1	**उप पंजीयक उज्जैन**	स्टाम्प शुल्क	10,92,55,956	54,62,797	27,31,399	27,31,398
		नगरपालिका शुल्क बाजार मूल्य का 3%		0	0	0
		पंचायत शुल्क 1%		10,92,560	10,92,560	0
		उपकर (देय स्टांप शुल्क का 10%)		5,46,280	2,73,140	2,73,140
		कुल स्टांप शुल्क		71,01,637	40,97,099	30,04,538
		पंजीयन शुल्क		32,77,678	8,74,048	24,03,630
		कुल स्टाम्प शुल्क + पंजीयन शुल्क		1,03,79,315	49,71,147	54,08,168
2	**उप पंजीयक विदिशा**	स्टाम्प शुल्क	28,29,924	1,41,496	70,749	70,747
		नगरपालिका शुल्क बाजार मूल्य का 3%		84,898	84,898	0
		पंचायत शुल्क 1%		28,300	28,300	0
		उपकर (देय स्टांप शुल्क का 10%)		14,150	7,075	7,075
		कुल स्टांप शुल्क		2,68,844	1,91,022	77,822
		पंजीयन शुल्क		84,898	22,640	62,258
		कुल स्टाम्प शुल्क + पंजीयन शुल्क		**3,53,742**	**2,13,662**	**1,40,080**

परिशिष्ट 4.10

(कंडिका 4.11.1 में संदर्भित)

मूल्य समायोजन की गणना के लिए अनुबंध में त्रुटिपूर्ण आधार सूचकांक अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 8.95 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ

(राशि ₹ में)

मई 2022 के लिए घटक/ सूचकांक / घटक का प्रतिशत	महीना	मार्च 2023	जून 2023	जुलाई 2023	अगस्त 2023	अक्टूबर 2023	नवंबर 2023	दिसंबर 2023	कुल
	किए गए कार्य का मूल्य	5,37,19,262	7,09,71,829	12,65,26,389	3,64,60,055	7,14,94,944	6,85,35,774	16,44,02,430	
श्रम	महीने का सूचकांक	130.05	134.05	136.725	137.4	136.025	137.8	136.925	
	देय पीए (श्रम)	89,497	3,07,424	7,73,616	2,39,327	4,03,788	4,68,144	10,27,112	
सीमेंट	महीने का सूचकांक	121.5	123.5	122.7	123	126.1	126	125.6	
	देय पीए (सीमेंट)	-10,645	-4364	-14,697	-3,488	8,305	7,493	13,480	
स्टील	महीने का सूचकांक	151	144.5	142.8	141.8	145.1	142.7	142	
	देय पीए (स्टील)	-22,41,630	-37,94,893	-71,53,974	-21,27,364	-37,45,374	-38,87,486	-95,33,122	
पीओएल	महीने का सूचकांक	94.03	94.03	94.03	94.03	94.03	94.03	94.08	
	देय पीए (पीओएल)	3,14,652	4,15,706	7,31,729	2,10,856	4,13,470	3,96,357	9,62,426	
एचडीपीई	महीने का सूचकांक	145.2	139.6	136.3	136.4	134.1	130.8	131.3	
	पीए देय (एचडीपीई)	-7,31,679	-13,83,076	-29,03,169	-8,32,762	-18,05,259	-19,67,501	-46,33,483	
पी & एम	महीने का सूचकांक	86.9	88.4	89.1	88.4	89.2	88.8	88.6	
	देय पीए (पी & एम)	1,80,242	3,46,370	7,07,549	1,77,939	4,07,076	3,62,354	8,35,778	
सभी वस्तुएं	महीने का सूचकांक	151	148.9	152.1	152.5	152.5	153.1	151.8	
	देय पीए (सभी वस्तुएं)	-88,377	-1,78,059	-1,50,913	-37,489	-73,513	-53,557	-2,16,375	
पीए देय (सभी वस्तुएं)		-24,87,940	-42,90,892	-80,09,859	-23,72,981	-43,91,507	-46,74,196	-1,15,44,184	-3,77,71,559
विभाग द्वारा भुगतान किया गया पीए (जीएसटी सहित)		1,00,58,320	56,63,542	1,08,83,308	27,84,091	58,94,796	50,44,636	1,14,12,110	5,17,40,803
विभाग द्वारा भुगतान किया गया अतिरिक्त पीए (जीएसटी सहित)		1,25,46,260	99,54,434	1,88,93,167	51,57,072	1,02,86,303	97,18,832	2,29,56,294	8,95,12,362
							कुल अतिरिक्त लागत ₹ में	**8,95,12,362**	

नोट: पीओएल के लिए एचएसडी की जो दर विभाग द्वारा ली गई यानी मार्च 2021 अपनाई गई

परिशिष्ट 4.11

(कंडिका 4.12 में संदर्भित)

आधार दर के लिए त्रुटिपूर्ण तिथि अपनाने के कारण मूल्य समायोजन के लिए ₹ 2.46 करोड़ के अधिक भुगतान के के रूप में ठेकेदार को अनुचित वित्तीय सहायता

(राशि ₹ में)

माह	सीमेंट		स्टील (लंबा उत्पाद)		अन्य सामग्री		संयंत्र और मशीनरी		पीओएल		एचडीपीई		सीमेंट		श्रम	
	आधार दर		110.9		110		119.9		75.2		71.63		121		306	
	प्रतिशत		10		20		20		10		15		15		10	
	किए गए कार्य का मूल्य	इंडेक्स	देय मूल्य समायोजन	इंडेक्स	देय मूल्य समायोजन	इंडेक्स	देय मूल्य समायोजन	इंडेक्स	देय मूल्य समायोजन	इंडेक्स	देय मूल्य समायोजन	इंडेक्स	देय मूल्य समायोजन	जबलपुर की इंडेक्स	देय मूल्य समायोजन
फरवरी-19	62,10,740	111.6	3,332	109.9	-960	119.5	-3,522	77.0	12,636	67.4	-46,763	116.2	-31,413	316	17,252
जुलाई -19	1,94,49,071	114.6	55,155	106.1	-1,17,225	121.3	38,606	74.5	-15,389	69.99	-56,775	112.2	-1,80,346	326	1,08,050
अगस्त -19	2,62,55,890	113.9	60,372	104.2	-2,35,348	121.5	59,563	74.5	-20,774	69.14	-1,16,370	112.2	-2,43,464	326	1,45,866
नवंबर -19	12,53,55,534	113.3	2,30,591	101.9	-15,69,223	122.3	4,26,564	75.4	28,338	72.38	1,67,348	108.1	-17,03,955	337	10,79,450
दिसम्बर -19	18,33,29,334	112.4	2,10,771	102.4	-21,53,286	123.0	8,05,793	74.8	-82,888	72.68	3,42,639	107.8	-25,49,944	337	15,78,669
जनवरी -20	19,98,36,795	112.4	2,29,749	104.9	-15,75,077	123.4	9,91,684	75.7	1,12,940	75.92	15,25,977	108.4	-26,53,205	337	17,20,817
अप्रैल -20	25,80,51,895	116.0	10,08,706	106.2	-15,15,468	119.2	-2,56,115	75.0	-58,336	68.65	-13,68,795	105.3	-42,69,053	335	20,78,751
मई -20	15,72,57,355	117.5	7,95,504	105.6	-10,69,350	117.5	-5,35,121	76.3	1,95,526	68.65	-8,34,147	106.4	-24,19,294	334	12,23,113
जुलाई -20	13,93,21,593	114.8	4,16,457	102.8	-15,50,269	121.0	2,17,291	75.1	-15,748	80.95	23,11,264	109.4	-17,02,947	344	14,70,617
अगस्त -20	6,16,78,540	114.6	1,74,913	104.5	-5,24,268	122.0	1,83,647	75.6	27,887	81.73	11,08,845	110.9	-6,56,418	343	6,33,918
सितम्बर -20	17,26,21,191	114.0	4,10,150	106.3	-9,87,079	122.9	7,34,252	75.3	19,512	80.67	27,77,652	112.0	-16,37,048	345.3	18,84,448
नवंबर -20	10,56,53,214	114.6	2,99,621	112.8	4,57,190	125.1	7,78,961	75.6	47,769	78.46	12,84,454	117.9	-3,45,119	351.9	13,47,078
दिसम्बर -20	5,86,94,755	113.7	1,25,963	118.2	7,43,823	125.4	4,57,711	75.8	39,806	82.1	10,93,859	120.4	-37,109	349.8	7,14,120
दिसम्बर -20	4,17,64,820	113.7	89,631	118.2	5,29,274	125.4	3,25,689	75.8	28,325	82.1	7,78,346	120.4	-26,405	349.8	5,08,139
जनवरी -21	7,13,93,088	114.9	2,18,879	125.6	17,21,222	126.5	6,68,082	76.6	1,12,976	83.21	14,71,567	121.3	22,568	348.9	8,50,768
फरवरी -21	6,04,23,581	114.2	1,52,830	124.7	13,72,714	128.1	7,02,506	76.6	95,617	87.9	17,49,884	125.9	3,11,980	356.7	8,50,965
मार्च -21	10,12,76,228	116.7	4,50,218	124.6	22,85,160	129.9	14,35,943	76.6	1,60,264	90.16	33,40,398	135.9	15,90,079	359.7	15,10,704
मार्च -21	6,86,48,092	116.7	3,05,171	124.6	15,48,951	129.9	9,73,326	76.6	1,08,632	90.16	22,64,223	135.9	10,77,803	359.7	10,24,001
अप्रैल -21	1,56,80,360	116.6	68,504	127.6	4,26,506	132.0	2,69,012	76.8	28,358	89.37	4,95,136	140.7	3,25,497	370.5	2,80,940
मई -21	5,15,16,068	117.3	2,52,703	130.9	16,63,969	132.9	9,49,546	77.0	1,04,813	91.82	18,51,374	134.2	7,16,542	371.4	9,35,875
जून -21	4,44,99,342	118.0	2,42,158	131.7	14,92,346	133.7	8,70,688	76.8	80,478	96.42	19,63,565	135.8	6,93,969	376.2	8,67,737
जुलाई -21	9,16,92,519	118.8	5,55,199	131.4	30,32,522	135.0	19,63,092	76.6	1,45,099	99.18	44,96,460	136.4	14,87,920	375.3	17,65,081
सितम्बर -21	99,76,274	117.9	53,525	133.5	3,62,320	137.4	2,47,535	77.9	30,446	98.13	4,70,576	140.2	2,01,834	382.8	2,12,827
अक्टूबर -21	5,75,96,654	119.8	3,92,893	140.8	27,41,601	140.7	16,98,597	78.3	2,01,818	103.68	32,85,795	145.3	14,74,784	384.6	12,57,527
नवंबर -21	5,20,36,707	120.7	3,90,862	140.4	24,44,779	143.7	17,55,968	78.7	2,05,863	91.57	18,46,929	146.6	14,03,701	384.9	11,40,471
दिसम्बर -21	4,25,47,557	118.1	2,34,798	139.0	19,06,904	143.3	14,11,628	78.5	1,58,705	91.57	15,10,132	144.4	10,49,096	379.8	8,72,225
जनवरी -22	3,07,22,143	118.7	1,83,668	139.9	14,19,642	143.8	10,41,068	79.4	1,45,848	91.54	10,88,775	143.1	7,15,432	380.7	6,37,484
फरवरी -22	4,39,53,715	119.5	2,89,722	144.8	23,63,911	145.3	15,82,920	79.4	2,08,663	91.54	15,57,694	146.2	11,67,135	381.9	9,26,691
मार्च -22	4,09,44,394	121.3	3,26,374	155.9	29,04,446	148.9	16,83,535	80.0	2,22,145	91.54	14,51,045	152.2	13,46,089	386.1	9,11,013
अप्रैल -22	2,39,78,576	125.5	2,68,327	159.1	18,19,538	152.3	11,01,535	80.3	1,38,228	101.83	12,88,978	156.4	8,94,441	399.3	6,21,445

माह	सीमेंट	स्टील (लंबा उत्पाद)		अन्य सामग्री		संयंत्र और मशीनरी		पीओएल		एचडीपीई		सीमेंट		श्रम	
	आधार दर	110.9		110		119.9		75.2		71.63		121		306	
	प्रतिशत	10		20		20		10		15		15		10	
	किए गए कार्य का मूल्य	इंडेक्स	देय मूल्य समायोजन	इंडेक्स	देय मूल्य समायोजन	इंडेक्स	देय मूल्य समायोजन	इंडेक्स	देय मूल्य समायोजन	इंडेक्स	देय मूल्य समायोजन	इंडेक्स	देय मूल्य समायोजन	जबलपुर की इंडेक्स	देय मूल्य समायोजन
मई -22	2,17,62,235	124.4	2,25,177	156.7	15,70,640	155.0	10,83,030	83.6	2,06,625	101.83	11,69,838	158.2	8,53,044	398.1	5,56,751
जून -22	4,94,12,126	123.4	4,73,403	151.6	31,76,751	155.4	24,87,091	84.5	5,19,419	94.57	20,17,633	157.3	18,90,014	398.4	12,68,245
जुलाई -22	7,25,73,041	123.0	6,73,051	149.9	44,75,118	154.0	35,08,807	83.9	7,13,667	94.57	29,63,357	153.0	24,47,091	403.2	19,59,472
नवंबर -22	1,53,83,297	123.9	1,53,278	144.9	8,29,719	152.5	7,11,044	86.7	1,99,962	94.56	6,27,869	146.1	4,06,863	398.7	3,96,120
जनवरी -23	2,23,72,201	123.6	2,17,771	148.3	13,24,231	150.7	9,76,988	86.1	2,75,636	94.56	9,13,120	145.0	5,65,776	399.3	5,79,813
मार्च -23	6,62,67,476	121.5	5,38,386	147.6	38,50,743	151.0	29,22,070	86.9	8,76,370	94.56	27,04,704	145.2	16,89,821	400.8	17,45,044
मई -23	7,88,73,642	122.4	6,95,212	144.4	41,93,210	149.4	32,99,010	87.2	10,69,829	94.56	32,19,224	141.6	17,12,080	419.1	24,77,947
			1,14,73,024		3,93,59,677		3,75,68,024		63,29,065		5,27,15,810		55,87,839		3,81,59,434
							कुल								**19,11,92,873**
							विभाग द्वारा किया गया भुगतान								**21,58,13,665**
							अतिरिक्त भुगतान								**2,46,20,792**

संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली

संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली

एए	निर्धारण प्राधिकारी
एए	प्रशासनिक अनुमोदन
एसीएस	अतिरिक्त मुख्य सचिव
अतिरिक्त ईसी	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त
एईसी	सहायक आबकारी आयुक्त
एजी	महालेखाकार
एएमओ	सहायक खनन अधिकारी
एपीसीसीएफ	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एपीडी	अतिरिक्त परियोजना निदेशक
एआरएन	पावती रसीद संख्या
बीजी	बैंक गारंटी
बीओक्यू	मात्रा का बिल
सीए	प्रतिपूरक वनीकरण
कैम्पा	प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
सीबीएस	कोर बैंकिंग समाधान
सीसीएफ	मुख्य वन संरक्षक
सीएफ	वन संरक्षक
सीजीएसटी	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर
सीपीडब्ल्यूडी	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
सीआरएम	क्रशर रन मकाडम
सीटीडी	वाणिज्यिक कर विभाग
सीटीआर	समेकित ट्रेजरी रसीद
डीईसी	उप आबकारी आयुक्त
डीईओ	जिला आबकारी अधिकारी
डीएफओ	वन मंडलाधिकारी
डीजीएआरएम	विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय
डिस्कॉम	वितरण कंपनी
डीएलपी	दोष दायित्व अवधि
डीएमएफ	जिला खनिज फाउंडेशन
डीएमओ	जिला खनन अधिकारी
डीपीई	संभागीय परियोजना यंत्री
डीपीआर	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
डीआरसी	मांग और वसूली प्रपत्र
डीआरएस	पंजीकरण और स्टाम्प विभाग
डीटीआईसी	जिला व्यापार और उद्योग केंद्र
ईडी	विद्युत शुल्क
ई-इन-सी	प्रमुख अभियंता
ईआई	विद्युतीय निरीक्षक

एफसीए	वन संरक्षण अधिनियम
एफडीसी	वन विकास उपकर
एफपी	वन उपज
जीसीसी	संविदा की सामान्य शर्तें
जीडी	सामान्य मंडल
जीओएमपी	मध्य प्रदेश शासन
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
जीएसटीआईएन	वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या
जीएसटीएन	वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क
जीएसटीआर	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न
एचओडी	विभागाध्यक्ष
एचएसएन	नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली
एचटी	उच्च तनाव / हाई टेंशन
आईएबी	आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा
आईसीईजीएटीई	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य गेटवे
आईएफए	भारतीय वन अधिनियम
आईजीआरएस	पंजीकरण महानिरीक्षक और स्टाम्प अधीक्षक
आईजीएसटी	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
आईएसडी	इनपुट सेवा वितरक
आईटीसी	इनपुट टैक्स क्रेडिट
जेपीडी	संयुक्त परियोजना निदेशक
एलओए	अनुमोदन पत्र
एमएएफ	मिलियन एकड़ फुट
एमआई	खनन निरीक्षक
एमएमडीआर अधिनियम	खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957
एमओईएफसीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमपी	मध्य प्रदेश
एमपीएफसी	मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता
एमपीएफएफआर	मध्य प्रदेश वन वित्तीय नियम
एमपीएफएम	मध्य प्रदेश वन नियमावली
एमपीपीसीबी	मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
एमपीएसएफडीसी	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम
एमपीएसएमसीएल	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड
एमपीटीसी	मध्य प्रदेश कोषालय कोड
एमपीडब्ल्यूडी	मध्य प्रदेश निर्माण विभाग
एमआरडी	खनिज साधन विभाग
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एमटी	मीट्रिक टन
एनबीसी	राष्ट्रीय भवन संहिता
एनआईटी	निविदा आमंत्रित करने की सूचना
एनवीडीए	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण

एनडब्ल्यूडीटी	नर्मदा जल विवाद अधिकरण
ओआईडीएआर	ऑनलाइन सूचना डेटाबेस प्रवेश और पुनर्प्राप्ति
पी एंड एम	संयंत्र और मशीनरी
पीएसी	लोक लेखा समिति
पीसीसी	सादा सीमेंट कंक्रीट
पीसीसीएफ	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
पीडी	उत्पादन मंडल
पीईडी	लोक शिक्षा विभाग
पीएचई	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
पीओआर	प्रारंभिक अपराध प्रतिवेदन
पीएस	प्रमुख सचिव
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
आरए	रेंज सहायक
आरसीसी	प्रबलित सीमेंट कंक्रीट
आरसीएम	रिवर्स चार्ज तंत्र
आरएफ	पंजीकरण शुल्क
आरएमसी	तैयार मिश्रण कंक्रीट
आरओ	रेंज अधिकारी
आरआरसी	राजस्व वसूली प्रमाणपत्र
आरटीजीएस	रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट
एससीएन	कारण बताओ नोटिस
एसडी	स्टाम्प शुल्क
एसडीओ	उप वनमंडलाधिकारी
एसएफएफ	सामाजिक और कृषि वानिकी
एसजीएसटी	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रियाएं
एसओआर	दरों की अनुसूची
एसक्यूसी	पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण
एसआर	सब-रजिस्ट्रार
एसआरएन	सेवा अनुरोध संख्या
एसएससीए	विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा
टीसीएस	स्रोत पर कर संग्रह
टीडीएस	स्रोत पर काटा गया कर
टीपी	पारगमन पास
टीएस	तकनीकी स्वीकृति
यूए	उपयोगकर्ता एजेंसी
यूटीजीएसटी	संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर
डब्लूपी	कार्य योजना
डब्लूपीटी	वॉटर प्रूफिंग उपचार

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag2/madhya-pradesh/hi/audit-report